लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[नवां सत्र / Ninth Session]

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खण्ड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. XXXIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—7, मंगलवार, 25 नवम्बर, 1969/4 अग्रहायण, 1891 (शक)
No.—7, Tuesday, November 25, 1969/Agrahayana 4, 1891 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	**ORAL ANSWERS TO QUESTIONS**	
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
181. केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने नियंत्रण में लिया जाना	Taking over of Hindustan Motors by Central Government	1—4
182. मूल्य लागत तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सांविधिक आयोग	Statutory Commission on Prices, Costs and Tariff	4—5
183. मध्य प्रदेश में बिड़ला की फर्म पर छापे	Raids on Birla Firm in Madhya Pradesh	5—13
184. गैर-संगठित क्षेत्रों में बाल श्रम	Child Labour in Unorganised Sectors	14—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	**WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**	
185. हैदराबाद में दूर संचार केबल बनाने का कारखाना	Tele-Communication Cable Factory at Hyderabad	17—18
186. भारत के लिये समान व्यवहार संहिता की आवश्यकता	Need for Uniform Civil Code for India	18
187. नई दिल्ली में रेलवे की भूमि का एक प्राईवेट फर्म को अलाट किया जाना	Allotment of Railway Land to a Private Firm in New Delhi	18—19

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
188.	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के विचाराधीन पड़ी अपीलें / Appeals pending before Income Tax Appellate Tribunal	19—20
189.	गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों में सवारी गाड़ियों पर धावे / Attacks on Passenger Trains during Communal Riots in Gujarat	20
190.	सीमेंट और चीनी का मूल्य निर्धारण / Fixation of Prices of Cement and Sugar	20
191.	त्रिनगर (रामपुरा) दिल्ली में हाल्ट स्टेशन / Halt Station at Trinagar (Rampura) Delhi	20—21
192.	औद्योगिक एककों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन / Violation of Licensing conditions by Industrial Units	21—22
193.	पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के ड्राइवरों, गार्डों तथा दूसरे संधारण कर्मचारियों की मांगें / Demands of Drivers, Guards and other Maintenance Staff of Eastern and South-Eastern Railways	22
194.	मर्सिडीज ट्रकों के मूल्य / Prices of Mercedes Trucks	22—23
195.	बिहार में बड़े उद्योग / Big Industries in Bihar	23—24
196.	दक्षिण पूर्व रेलवे में कटक परादीप लाइन का निर्माण / Construction of Cuttack Paradeep Line on South-Eastern Railway	24
197.	अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड, दरभंगा / Ashok Paper Mills Ltd., Darbhanga	25
198.	अगस्त और सितम्बर, 1969 में दिल्ली में इस्पात की कमी / Shortage of Steel in Delhi during August and September, 1969	25
199.	गांधी शताब्दी वर्ष में मद्य-निषेध / Prohibition during Gandhi Centenary Year	25—26
200.	कमर्शियल क्लर्कों की पदोन्नति के अवसर / Avenues of promotion of Commercial Clerks	26
201.	रूरकेला में हिंसात्मक घटनायें / Violent Incidents in Rourkela	26

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
202. बैनट कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड की प्रबन्ध व्यवस्था	Management of Bennett Coleman and Co. Ltd.	27
203. भारतीय मानक संस्था द्वारा 'रियनफोर्समेंट' की प्रक्रिया संहिता में संशोधन	Revision of Code of Practice for Reinforcement by Indian Standards Institution	27—28
204. दिल्ली शाहदरा से सहारनपुर तक बड़ी लाइन	B. G. Line from Delhi-Shahdara to Saharanpur	28
205. रूरकेला में विशिष्ट इस्पात कारखाना स्थापित करना	Setting up of Special Steel Plant at Rourkela	28—29
206. मैसर्स मार्टिन एण्ड कम्पनी से रेलवे लाइनों का प्रबन्ध लेना	Taking over of Management of Railway Lines from M/s. Martin and Co.	29
207. आयातित वस्तुओं और उपकरणों के स्थान पर काम आने वाली देशी वस्तुओं और उपकरणों का उत्पादन	Indigenous production of Imported Items and Equipment	29—31
208. इस्पात का उत्पादन लक्ष्य	Production Target of Steel	31—32
209. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कोककर कोयले की सप्लाई	Supply of Coking Coal to Hindustan Steel Ltd.	32—33
210. विशिष्ट योजनाओं के लिये विश्व बैंक से ऋण	World Bank Loan for Special Schemes	33

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

1201. हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	Hindustan Photo Films Manufacturing Company Limited	33—34
1202. गुजरात में रेलवे लाइनों पर डीजल से रेल गाड़ियां चलाने की योजना	Scheme of Dieselisation of Rail Routes in Gujarat	34
1203. पश्चिम रेलवे की अंकलेश्वर राजपीपला लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना	Conversion of Ankleshwar Rajpipla-line (Western Railway) in Broad Gauge	34—35

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1204. पश्चिम रेलवे के विरार अहमदाबाद सैक्शन का विद्युतीकरण	Electrification of Section between Virar and Ahmedabad of Western Railway	35
1205. गुजरात में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Gujarat	35—36
1206. मैसर्स लक्ष्मी आटोसाइकल्स को लाइसेंस दिया जाना	Issue of Licence to M/s. Lakshmi Auto-cycles	36—37
1207. दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की श्रमिक समस्या	Labour Problem in Durgapur Steel Plant	37—38
1208. मल को सिर पर उठा कर ले जाने की पद्धति का समाप्त किया जाना	Abolition of System of carrying Night Soil on Heads	38—39
1209. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची का कार्यकरण	Working of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	39—40
1210. इस्पात की माँग	Demand of Steel	40
1211. उल्टा डांगा रोड रेलवे (पूर्व रेलवे) पर माल डिब्बे का टूटना	Wagon Breaking at Ultadanga Road Railway Station (Eastern Railway)	41
1212. रूरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों में ईरान के तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण	Training of Iranian Technical Personnel in Steel Plants at Rourkela and Bhilai	41
1213. मशीनों का आयात	Import of Machinery	42
1214. कानपुर में डाइनेमो पट्टे की चोरी	Theft of Dynamo Belt at Kanpur	42
1215. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की रूस यात्रा	Railway Board's Chairman's visit to USSR	42—43
1216. औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendations of Industrial Licensing Policy Inquiry Committee	43
1217. जयपुर में विधि मंत्रियों का सम्मेलन	Law Minister's Conference at Jaipur	43—44
1218. फर्मों द्वारा विदेशियों की नियुक्ति के नियमितकरण के लिये परमिट पद्धति	Permit System for Regulation of Employment of Foreigners by Firms	44

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1219. पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Backward Areas	45
1220. इंजीनियरी तकनीकी स्नातकों के लिये औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन	Formation of Industrial Co-operatives for Engineering and Technical Graduates	45—46
1221. हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज निर्माण कारखाने का स्थापित किया जाना	Setting up of Newsprint Factory in Himachal Pradesh	46
1222. पौढ़ी गढ़वाल (उत्तर प्रदेश) में उद्योग	Industries in Pauri Garhwal (UP)	46—47
1223. लखनऊ में प्रथम श्रेणी क्लर्क द्वारा आत्म हत्या	Suicide by 1st Class Railway Clerk at Lucknow	47
1224. जय इंजीनियरिंग वर्क्स कलकत्ता की पूंजी	Jay Engineering Works, Calcutta	47—49
1225. पार्क डेविस इंडिया लिमिटेड, बम्बई	Parke Davis Ltd., Bombay	49—50
1226. मैसर्स निरलोन सिंथैटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, गोरेगांव, बम्बई	M/s. Nirlon Synthetic Fibres and Chemicals Ltd., Goregaon, Bombay	50—51
1227. प्रबन्ध अभिकरणों सम्बन्धी समवाय अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन	Violation of Provisions of Companies Act regarding Managing Agencies	51—52
1228. विकास की वस्तुओं का उत्पादन	Production of Luxury Goods	52—53
1229. विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration	53
1230 विदेशी मुद्रा की बचत	Savings in Foreign Exchange	53—54
1231. मसूरी एक्सप्रैस गाड़ी के मार्ग में परिवर्तन	Change of Route of Mussourie Express Train	55
1232. नेशनल इन्सूलेटिड केबल कम्पनी, पश्चिम बंगाल	Working Results of National Insulated Cable Company, West Bengal	55—57
1233. वर्दवान (पूर्व रेलवे) में 9 अप दून एक्सप्रैस गाड़ी का लूटा जाना	Looting of UP Doon Express at Burdwan (Eastern Railway)	57

तारा० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1234 पश्चिमी तट रेलवे	West Coast Railway	57—58
1235. रेल डिब्बों की शयन तथा बैठने के स्थानों की क्षमता सम्बन्धी सूचनाएं लगाना	Display of Notices of Sleeping and Sitting Capacity in a Compartment	58
1236. रेल के डिब्बों में पेय जल की व्यवस्था	Provision of Cleaned Water in Railway Compartments	58—59
1237. आटो इंजन साइकिल रिक्शा	Auto-Engine Cycle Rickshaws	59
1238. बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिक विवाद	Labour Trouble in Bokaro Steel Plant	59—60
1239. रेलवे बोर्ड को एक स्वायत्त-शासी सांविधिक निगम के रूप में परिवर्तित करने के बारे में वांचू समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशें	Recommendation of Wanchoo Committee Report regarding Conversion of Railway Board into an Autonomous Statutory Corporation	60—61
1241. मध्य रेलवे के संरचल कर्मचारियों का वार्षिक डिवीजनल सम्मेलन	Annual Divisional Conference of Railway Running Staff	61
1242. बिहार में कागज बनाने के कारखाने का स्थापित किया जाना	Setting up of a Paper Mill in Bihar	61—62
1243. रेलवे के कार्यालयों के सोनपुर से समस्तीपुर और बनारस ले जाये जाने के कारण फालतू हो गए तीसरी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग	Utilisation of Services of Class III and Class IV Staff rendered surplus due to shifting of Railway Offices from Sonpur to Samstipur and Banaras	62
1244. बाल अधिनियम, 1960 का पुनर्विलोकन	Review of Children Act, 1969	62
1245. रेलवे वाणिज्यिक लिपिक	Railway Commercial Clerks	62—63
1246. आय इण्डिया रेलवे कमर्शियल क्लर्कस एसोसियेशन से अभ्यावेदन	Representation from All India Railway Commercial Clerks Association	63

तता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1247.	दिल्ली मेन स्टेशन से पार्सलों की चोरी / Thefts of Parcels from Delhi main Station	63—64
1248.	भरतपुर वैगन कारखाने द्वारा वैगनों का निर्माण / Manufacture of Wagons by Bharatpur Wagon Factory	64
1249.	मोदी सार्थ समूह को लाइसेंस दिया जाना / Issue of Licences to Modi Group of concerns	65
1250.	समान सिविल संहिता / Uniform Civil Code	65
1251.	यात्री गाड़ियों का देर से पहुँचना / Late arrival of Passenger Trains	65—66
1252.	1-1-70 से सीमेंट से नियंत्रण हटाना / Decontrol of Cement from 1-1-70	66
1253.	विशेष किस्मों के इस्पात की कमी / Shortage of Special Varieties of Steel	66—67
1254.	इस्पात की कमी / Shortage of Steel	67
1255.	मेरठ जिले में रबड़ का कारखाना स्थापित करने के लिये लाइसेंस / Licence for setting up Rubber Factory in Meerut District	67—68
1256.	एक जूनियर स्केल वाले अधिकारी के साथ एक जूनियर स्केल वाले स्टेनोग्राफर की व्यवस्था / Provision of one Junior Scale Stenographer to one Junior Scale Officer	68
1257.	1970 से सीमेंट का विनियंत्रण / Decontrol of Cement from 1970	68—69
1259.	बिड़ला सार्थ समूह और बड़े-बड़े व्यापार गृहों के मामलों की जांच / Probe into Affairs of Birla Group of concerns and Big Business Houses	69—70
1260.	स्टेनलैस स्टील के निर्माण हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र / Applications for Licences to Manufacture Stainless Steel	70
1261.	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में टाइपराइटरों की मरम्मत पर खर्च / Repair charges of Typewriters in IDIT and CA Ministry	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1262. औद्योगिक लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदन	Pending Applications for Industrial Licences	71—72
1263. गैर-सरकारी उद्योगपतियों के सहयोग से संयुक्त उपक्रम	Joint Venture with Private Enterpreneurs	72—73
1264. रद्दी इस्पात के निर्यात पर पर प्रतिबन्ध	Ban on Export of Ferrous Scrap	73
1265. उत्तर तथा पूर्वोत्तर रेलवे पर डकैतियों और जेबकतरी के मामले	Cases of Dacoity and Pickpocketing on Northern and North-Eastern Railways	73
1266. रबड़ की वस्तुएं बनाने वाली मशीनरी के लिये संयंत्रों की स्थापना	Setting up of Plants for Manufacturing Rubber Goods making Machinery	73—74
1267. दिल्ली में लघु उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता का उपयोग	Utilisation of Idle capacity of Small Scale Sector in Delhi	74—75
1268. रेलगाड़ियों में अपराध	Crimes on Trains	75
1269. खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली	Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi	75—76
1270. 27 अक्तूबर, 1969 को पुरी सवारी गाड़ी का लूटा जाना	Looting of Puri Passenger Train on 27th October, 1969	76
1271. उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for Social Welfare Programme in Uttar Pradesh	76—77
1272. मध्य रेलवे की झांसी मानिकपुर और बांदा-कानपुर रेलवे लाइनों में सुधार	Improvement of Jhansi Manikpur and Banda-Kanpur Lines of Central Railway	77—78
1273. अस्पताल के उपकरण और बर्तन बनाने के लिये स्टेनलैस स्टील का कोटा	Stainless Steel Quota for Manufacturing Hospital Equipments and untensile	78
1274. उत्तर रेलवे में आगजनी के मामले	Cases of Arson on Northern Railway	78

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1275. उत्तर रेलवे में भोजन यानों को चलाने में घाटा	Loss suffered in running of Dining Cars on Northern Railway	79
1276. टूण्डला और आगरा स्टेशनों के बीच विदेशी महिला पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार	Misbehaviour with Foreign Women Tourists between Tundla and Agra Stations	79
1277. श्री इ० कु० गुजराल का अनेक राज्यों में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराना	Enrolment of Shri I. K. Gujral as a voter in many States	79—80
1279. पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों का लूटा जाना	Looting of Trains in West Bengal	80—81
1280. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी	Tribals of Andaman and Nicobar Islands	81—82
1281. राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियों में खान पान, संगीत तथा सूचना देने सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में शिकायतें	Complaints regarding Catering of Food, Music and Announcement in Rajdhani Express Trains	82
1282. रेलवे में कनिष्ठ प्रशासनिक तथा अन्तर्प्रशासनिक पदों का दर्जा बढ़ाना	Upgrading of Posts in Junior Administration and Inter-Administration Grade on Railways	83
1283. मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के छोटे कारखानों का बन्द होना	Closure of Small Public Sector Units in Madhya Pradesh	83—84
1284. स्पन पाइप उद्योग में अधिक क्षमता	Excess of capacity in Spun-Pipe Industry	84
1285. उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को लघु उद्योगों के लिये आरक्षित करना	Reservation of Production of Consumer Goods for Small Scale Industries	84—85
1286. उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता को उपयोग में लाना	Utilisation of Idle capacity in Industries	85
1287. क्रयादेशों की कमी के कारण माल डिब्बा उद्योग में संकट	Crisis in Wagon Industry due to Lack of orders	85

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	Pages
1290.	सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कार्य-करण परिणाम	Working results of Cement Corporation of India Ltd.	86—87
1291.	तुंगभद्रा स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, मैसूर के कार्य संचालन के परिणाम	Working results of Tungabhadra Structurals Ltd., Mysore	87—88
1292.	मैसर्स एशियन केबल्स द्वारा पोलीथीन की चोरबाजारी	Black Marketing of Polytheme by M/s. Asian Cables	89
1293.	जवाहरलाल नेहरू के सरकारी अभिलेखों का स्वामित्व	Royalty on Official Records of Jawaharlal Nehru	89
1294.	डाक व तार विभाग के एक अधिकारी द्वारा रेलवे पास का दुरुपयोग	Misuse of Railway Pass by a P and T Official	89—90
1295.	बिड़ला उद्योग समूह, अन्य उद्योग समूहों तथा औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय कार्य मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध जाँच	Enquiry against Birlas, other Industrial Houses and Officials of Ministry of I.D., I.T. and C.A.	90—91
1296.	मोदी समवाय समूह द्वारा कांग्रेस दल को चन्दा	Donation to Congress Party by Modi Group of concerns	91—92
1297.	कम्पनियों को लाइसेंस	Licences of Companies	92
1299.	रेलवे के लिये कंकरीट के स्लीपरों का निर्माण करने हेतु कारखाना	Plant to Manufacture Concrete Sleepers for Railways	93
1300.	मैसर्स हिन्द गाल्वेनाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (पी०) लिमिटेड द्वारा नई क्षमता स्थापित की जाना	Creation of Fresh Capacity by M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	93—94
1301.	हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल में श्रमिक अशांति	Labour Trouble in Heavy Electricals (India) Ltd. Bhopal	94
1302.	कार्मिक संघों को मान्यता	Recognition of Unions	94—95

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1303. भारी इंजीनियरी निगम, रांची के मुस्लिम कर्मचारियों के लिये रिहायशी क्वार्टर	Residential Quarters for Muslim Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi	95
1304. भारी इंजीनियरी निगम, रांची में काम करने वाले श्रमिक तथा अधिकारी	Workers and Officers in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	95–96
1305. गैर सरकारी क्षेत्र में स्कूटर कारखाना स्थापित करने के आवेदन पत्र	Applications for Scooter Factory in Private Sector	96
1306. डिवीजनल सुपरिन्टैंडेंट के कार्यालय के सामने पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by Purvottar Railway Mazdoor Sabha in Front of Divisional Superintendent's Office	96—97
1307. पटना में रेल तथा सड़क पुल	Rail-cum-road Bridge at Patna	97
1308. कम्पनियों का बन्द होना	Closure of Companies	97—98
1309. वैगनों की अप्रयुक्त क्षमता	Idle capacity of Wagons	98
1310. देश में स्टेनलैस स्टील का निर्माण	Indigenous Manufacture of Stainless Steel	99
1311. नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के रेलवे क्रासिंग पर उपरी पुल का निर्माण	Construction of Overbridge at Safdarjung Aerodrome Railway crossing, New Delhi	99—100
1312. नई रेल गाड़ियां चलाना	Introduction of New Trains	100
1313. मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम्ज एण्ड बैरल मैनुफक्चरिंग कम्पनी द्वारा बैरल बनाने के कारखाने को सेवरी से ट्राम्बे ले जाना	Shifting of Barrel Plant from Sewri to Tromboy by Standard Drum and Barrel Mfg. Company	100—101
1314. मैसर्स हिन्द गैल्वानाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात की चादरों की सप्लाई	Supply of Steel Sheets to M/s. Hind Galvanising and Engineering Co. (P) Ltd.	101

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1315.	विकासशील देशों में रेल परियोजनाओं की स्थापना में भारत की सहायता शर्तें	India's Assistance in setting up Rail Projects in Developing Nations	101—102
1316.	निर्यात आदेशों में वृद्धि	Increase in Export Orders	102
1317.	औद्योगिकीरण के लिये पूर्व जर्मनी द्वारा भारत की सहायता	Assistance by German Democratic Republic to India for Industrialisation	103
1318.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विकेन्द्रीकरण	Decentralisation of Hindustan Steel Limited	103
1319.	इस्पात मूल्य नीति	Steel Price Policy	104
1320.	सरकारी तथा गैर सरकारी उद्योगों का विस्तार	Expansion of Public and Private Sector Industries	104
1321.	उगना में हाल्ट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) बनाना	Opening of Ugna Halt (North-Eastern Railway)	105
1322.	काश्मीर जनमत संग्रह मोर्चे की गतिविधियां	Activities of Kashmir Plebiscite Front	105
1323.	मोदी उद्योग समूह द्वारा कांग्रेस दल को चन्दा	Donations of Congress Party by Modi Group of Industries	106—107
1324.	केरल में हरिजनों पर ज्यादतियाँ	Excesses on Harijans in Kerala	107
1325.	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में घड़ियों की निर्माण क्षमता को बढ़ाना	Expansion of Production Capacity of Watches in Hindustan Machine Tools Ltd.	107—108
1326.	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को घाटा	Losses incurred by Hindustan Steel Ltd.	108—109
1327.	आसाम में गौहाटी तक बड़ी लाइन	Broad Gauge Line upto Gauhati in Assam	109
1328.	लखनऊ के निकट पठानकोट सियालदह एक्सप्रेस गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment of Pathankot Sealdah Express Train near Lucknow	109

अतां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
329. पूर्वोत्तर रेलवे से पूर्व रेलवे में कर्मचारियों का स्थानान्तरण तथा गोरखपुर में बंगलों का खाली न किया जाना	Transfer of Employees from North Eastern Railway to Eastern Railway and Non-vacation of Bungalows at Gorakhpur	110
13 0. सहायक डीजल चालकों तथा फायरमैन ग्रेड ए का वेतनमान	Pay Scale of Assistant Diesel Drivers and Firemen Grade 'A'	110
133 1. मसूरी एक्सप्रेस में कोटद्वार के लिये अतिरिक्त डिब्बा	Additional Bogie for Kotdwara in Mussorie Express	110—111
1332. माल डिब्बा निर्माण सवारी डिब्बा निर्माण कारखानों के अस्थायी कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Temporary Employees of Wagon Building/Coach Building Workshops	111
1333. दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में विवादों को निपटारा	Settlement of Labour disputes in Durgapur and Rourkela Steel Plants	111—112
1334. कार मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Tariff Commission on Car price	112
1335. भारत तथा विदेशों में निर्माण परियोजनाओं के लिये सार्थ संघ	Consortia for Construction Projects in India and Abroad	112—113
1336. विदेशी निवेश मंडल	Foreign Investment Board	113—114
1337. उत्तर रेलवे प्रशासन में कार्य कर रही महिला डाक्टरों का स्थानान्तरण	Transfer of Lady Doctors working in Northern Railway Administration	114
1338. इस्पात कारखानों में हानि के कारणों की जांच करने के लिये एक समिति का नियुक्त किया जाना	Setting up of a Machinery to look into causes of losses in Steel Plants	114—115
1339. रांची के भारी इंजीनियरिंग निगम में अप्रयुक्त पड़ी मशीनें	Machinery lying idle in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	115

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1340. रेलवे मंत्रालय में प्रथम श्रेणी के अधिकारियों की नियुक्ति तथा चौथी श्रेणी के पदों की समाप्ति	Appointment of Class I Officers and Abolition of Class IV Posts in Railways Ministry	115
1341. बड़े शराब के कारखानों के लिये लाइसेंस जारी करना	Issue of Licences for Large Scale Brewary Units	115—116
1342. इलाहाबाद यार्ड में 7 मिलिटरी बोगियों में आग लगाया जाना	Seven Military Bogies set on fire in Allahabad Yard	117
1343. औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की शक्तियां प्रदान किये जाने के लिये तमिलनाडु सरकार का अनुरोध	Request by Tamil Nadu Government for Powers to issue Industrial Licences	117
1344. सिलाई मशीन उद्योग के लिये लाइसेंसों का दिया जाना	Licensing of Sewing Machine Industry	117
1345. रांची में भारी इंजीनियरिंग उद्योग समूह को पूरा करने का कार्य	Completion of Heavy Engineering Complex at Ranchi	118
1346. औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Technical Hands to Key Posts in Ministry of IDIT and CA	118
1347. औद्योगिक लाइसेंस नीति में नियंत्रण तथा विनियमन कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का लक्ष्य	Expansion of Area of Controls and Regulations Envisaged in Industrial Licensing Policy	119
1348. औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय तथा राज्यों में उसके स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministry of I. D. I. T. and CA and its Autonomous Bodies in States	119—120

तारांकित प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1349. विधि तथा समाज कल्याण मंत्रालय के राज्यों में स्थित कार्यालयों तथा मंत्रालय के स्वायतशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices of Ministry of Law and Social Welfare and its Autonomous Bodies in States	120—121
1350. इंजीनियरिंग विभाग में रेलवे सेवा आयोग की बजाय रेलवे प्रशासन द्वारा वर्क्स मिस्त्रियों की भर्ती	Recruitment of Works Mistries in Engineering Department by Railway Administration instead of by Railway Service Commission	121
1351. समाज कल्याण विभाग तथा राज्यों में उसके अधीन कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Department of Social Welfare and its Offices in States	121—122
1352. हिन्दी भाषी राज्यों में रेलवे मंत्रालय के कार्यालयों तथा मंत्रालय के स्वायत्त-शासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices of Railway Ministry and its Autonomous Bodies in Hindi-speaking States	122
1353. इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय तथा राज्यों में उसके स्वायत्तशासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Ministry of Steel and Heavy Engineering and its Autonomous Bodies in States	122—123
1154. रेलवे के कार्य संचालन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	Recommendations of Administrative Reforms Commission on Working of Railways	123
1355. हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	Hindustan Steel Ltd.	123—124
1356. इंदौर खाडला लाइन (पश्चिम रेलवे) के सनावद स्टेशन का विकास	Development of Sanawad Station on Indore Khandwa Line (Western Railway)	124
1357. टायर बनाने वाले कारखानों का विकास	Development of Factories Manufacturing Tyres	124—125
1358. टायर बनाने वाली कम्पनियों के विकास के लिये निर्धारित राशि	Amount earmarked for Development of Tyre Manufacturing Companies	125

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Page
1359. छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Small Tractors	125
1360. पुन: रेखांकित रेलवे ट्रक पर जवानवाला शहर स्टेशन का निर्माण	Location of Jawanwala Shahr Station on Realigned Railway Track	126
1361. कांगड़ा घाटी में पौंग बांध के निर्माण के कारण नया संरेखन	New Alignment due to Construction of Pong Dam in Kangra Valley	126—127
1362. उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी सैक्शन के लिये स्टेशनों पर वैंडरों के लिये शेडों का निर्माण	Construction of Vendors Sheds at Railway Stations on Kangra Valley Section of Northern Railway	127
1363. जवान वाला शहर (उत्तरी रेलवे) में कर्मचारियों की संख्या	Strength of Staff at Jawanwala Shahr (Northern Railway)	128
1364. तलारा और जवानवाला शहर के बीच रेल फाटक	Railway crossings between Talara and Jawanwala Shahr	128
1365. चौथी पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries in Public Sector during Fourth Plan	128—129
1366. उत्तर रेलवे के श्रेणी चार के 244 कर्मचारियों को वर्दी का न दिया जाना	Non-supply of Uniforms to 244 Class IV Employees of Northern Railway	129
1367. मथुरा हाथरस मीटर गेज सैक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर सोनाई में नये रेलवे स्टेशन का निर्माण	Construction of New Railway Station at Sonai on Mathura-Hathras Metre-Gauge Section (North-Eastern Railway)	129—130
1368. मथुरा हाथरस मीटर सेक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) पर सोनाई में नये रेलवे स्टेशन का निर्माण	Construction of New Railway Station at Sonai on Mathura-Hathras Metre-Gauge Section (North-Eastern Railway)	
1369. केन्द्रीय डिजाइन तथा इंजीनियरी ब्यूरो	Central Design and Engineering Bureau	131

तारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1370. बरनीहाट को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्राग-ज्योतिषपुर स्टेशन से मिलाने का प्रस्ताव	Proposal to Link Burnight with Pragjyotishpur Station of North-East Frontier Railway	131
1371. निर्यात उद्योगों का विस्तार	Expansion of Export Industries	131
1372. रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के बीच बातचीत	Talks between Chairman, Railway Board and International Development Association	131
1373. बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों के लिये महानगर ट्रांजिट योजना	Metropolitan Transit Scheme for cities like Bombay and Calcutta	132
1374. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा अर्जित भूमि	Land acquired by Heavy Engineering Corporation	132
1375. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में इंजीनियरी सहायक (सिविल) की पदोन्नति	Promotion of Engineering Assistants (Civil) Heavy Engineering Corporation	133
1376. बिहार के आदिम जातीय क्षेत्रों का विकास	Development of Tribal Areas of Bihar	133—134
1377. स्कूटरों तथा मोटर साइकलों की कमी	Shortage of Scooters and Motor-cycles	134—135
1378. रेलवे कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की राशि की प्रतिपूर्ति करना	Re-imbursement of Medical Bills to Railway Employees	135
1379. रेलवे के श्रेणी 2 के इंजीनियरी पदों के लिये चयन पर प्रतिबन्ध	Restriction on Selection of Class II Engineering Staff on the Railway	135—136
1380. रेलवे की श्रेणी 2 की सेवाओं के लिये इंजीनियरी स्नातकों का चयन	Selection of Engineering Graduates to Class II Services on the Railways	136
1381. पश्चिम रेलवे में तार क्लर्कों, गाड़ी क्लर्कों तथा वाणिज्यिक क्लर्कों की श्रेणियों के पदों में श्रेणीबद्ध पदों की प्रतिशतता	Percentage of Graded Posts in Categories of Telegram Clerks/Train Clerks and Commercial Clerks on Western Railway	136—137

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1382. पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट यात्रा	Ticketless Travelling on Western Railway	137
1383. पश्चिम रेलवे में यात्री गाड़ियों के लिये परिचर	Attendants for Passenger Trains on Western Railway	138
1384. पश्चिम रेलवे पर बिना टिकट यात्रा रोकने के लिये सतर्कता कर्मचारी	Vigilence Staff to check Ticketless Travelling on Western Railway	138
1385. पश्चिम रेलवे में सभी तृतीय श्रेणी शायिकाओं से टी० टी० आई० को हटाना	Withdrawal of T. T. Is from all Third Class Sleepers on Western Railway	139
1386. 25 सितम्बर, 1969 के 21 अप जनता एक्सप्रेस पर हमला	Attack on 21up Janta Express on 25th September, 1969	139
1387. भारतीय रेलवे की छोटी लाइनों के लिए इंजनों, यात्री डिब्बों तथा माल डिब्बों का निर्माण	Manufacture of Engines, Passenger Couches and Wagons for Narrow-Gauge lines of Indian Railways	140
1388. नेत्रहीनों के कल्याण के लिये विश्व परिषद् का सम्मेलन	Conference of World Council for Welfare of Blind	140—141
1390. मनहेरू और भिवानी स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के मध्य ढाना लदानपुर स्टेशन पर रेलवे हाल्ट का खोला जाना	Opening of Train halt at Delhi-Ladanpur between Bhiwani and Manheru Stations (Northern Railway)	141
1391. जर्मनी के सहयोग से ट्रैक्टर और डीजल इंजनों का निर्माण	Manufacture of Tractor and Diesel Engines with German Collaboration	141—142
1392. भारी इंजीनियरिंग निगम में ढलाई घर, गढाई परियोजना का पूरा होना	Completion of Foundry Forge Project of HEC, Ranchi	142—143
1393. श्री एस० पी० जैन द्वारा मैसर्स जैसप एंण्ड कम्पनी के अंशों की बिक्री	Sale of Shares of M/s. Jessop and Co. by Shri S. P. Jain	143—144
1395. रेलवे यात्रियों की शिकायतें	Grievances of Railway Travellers	144

तारां० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ Pages
1396. दानापुर डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के गार्ड	Guards of Danapur Division, Eastern Railway	144
1398. गैर सरकारी औद्योगिक संस्थानों में सरकार द्वारा नामांकित निदेशक	Government nominated Directors in Private Industrial Establishments	144—145
1399. कारों तथा उनके पुर्जों के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण	Control on rising Prices of Cars and their Spare Parts	145
1400. भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची में क्षमता से कम उत्पादन	Below capacity Production in Heavy Engineering Corporation, Ranchi	145—146
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	146—149
टेलको तथा अन्य इन्जीनियरिंग कम्पनियों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल	Strike by Workers of TELCO and other Engineering Concerns	146
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	146
श्री जगजीवन राम	Shri Jagjiwan Ram	146—149
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	149
राज्य सभा से संदेश	Message from Rajya Sabha	149—150
भारतीय सैनिक (मुकदमेबाजी संशोधन) विधेयक	Indian Soldiers (Litigation) Amendment Bill	149
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	As Passed by Rajya Sabha	150
वक्फ (संशोधन) विधेयक	Wakf (Amendment) Bill	150—158
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	152
श्री मुहम्मद यूनुस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	150—152
खण्ड 2, से 11 और 1	Clauses 2 to 11 and 1	152—154
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	154
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	154
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	154—156
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	156
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	156
श्री शिव चन्द्र झा	Shri Shiva Chandra Jha	156

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	156—157
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	157
श्री मुहम्मद इस्माइल	Shri Mohammad Ismail	157
श्री मु० युनस सलीम	Shri M. Yunus Saleem	158
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक	Motor Vehicles (Amendment) Bill	158—166
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	158
श्री इकबाल सिंह	Shri Iqbal Singh	158—160
श्री चेंगलराया नायडू	Shri Chengalraya Naidu	160—162
श्रीमती इलापाल चौधरी	Shrimati Ila Palchoudhuri	162—163
श्री सु० कु० तापड़िया	Shri S. K. Tapuriah	163—165
श्री तुलसीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	165
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	166
पश्चिमी राजस्थान में भयंकर (सूखा और अकाल की स्थिति पर चर्चा	Discussion Re-Acute Drought and Famine conditions in Western Rajasthan	166
श्री अमृत नहाटा	Shri Amrit Nahata	166—167
श्रीमती सुचेता कृपलानी	Shrimati Sucheta Kripalani	167—168
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	168—169
डा० कर्णी सिंह	Dr. Karni Singh	169—171
श्री ओंकार लाल बोहरा	Shri Onkar Lal Bohra	172—173
श्री ओम प्रकाश त्यागी	Shri Om Prakash Tyagi	173—174
श्री न० कु० सांघी	Shri N. K. Sanghi	174—175
श्री कु० ला० राव	Shri K. L. Rao	175—176
श्री क० मि० मधुकर	Shri K. M. Madhukar	176
श्री ब० ना० भार्गव	Shri B. N. Bhargava	176—177
श्री रा० कृ० बिड़ला	Shri R. K. Birla	177
श्री अन्नासाहिब शिन्दे	Shri Annasahib Shinde	177—180

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 25 नवम्बर, 1969/4 अग्रहायण, 1891 (शक)
Tuesday, Nov. 25, 1969/Agrahayana 4, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए ।**
Shri M. B. Rana *in the Chair.*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार द्वारा हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने नियंत्रण में लिया जाना

+

181. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री गणेश घोष :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के उपमुख्य मन्त्री श्री ज्योति बसु ने प्रधान मंत्री को सुझाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार को बिड़ला की एक फर्म, हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने अधिकार में ले लेना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस फर्म को कब तक नियंत्रण में ले लिए जाने की संभावना है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक, व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री भानु प्रकाश सिंह) : (क) हिन्दुस्तान मोटर्स का कार्यभार सम्भालने के बारे में पश्चिमी बंगाल के उपमुख्य मन्त्री की ओर से प्रधान मंत्री को कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी प्रधान मंत्री के पश्चिमी बंगाल के हाल ही के दौरे में उप-मुख्य मंत्री ने अनौपचारिक बात-चीत के बीच

मौलिक उद्योगों जैसे कारों का निर्माण आदि को सरकारी क्षेत्र में लिए जाने का उल्लेख किया था। इसी संदर्भ में उन्होंने यह सुझाव भी दिया था कि सरकार हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने हाथ में लेने पर विचार कर सकती है।

(ख) से (घ). सरकारी क्षेत्र में 50,000 कारें प्रतिवर्ष बनाने के लिए एक कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। इस समय गैर-सरकारी क्षेत्र में कार निर्माण करने के कारखानों को हाथ में लेने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार विद्यमान एककों को हाथ में लेने की अपेक्षा अत्यन्त आधुनिक मशीनों से यन्त्र तथा उपकरणों से सुसज्जित नए कारखाने की स्थापना करने को अधिक वरीयता देगी।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न गलती से दुबारा आ गया है। इस विषय में मैंने सचिव को बता दिया है।

श्री वि० कु० मोडक : सरकार को नए कारखाने की स्थापना करने में कितना समय लगेगा।

श्री भानु प्रकाश सिंह : प्रस्ताव मंत्रिमण्डल के समक्ष हैं तथा स्वीकृत हो जाने पर कारखाने को स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री वि० कु० मोडक : इस कारखाने को अपने अधिकार में न लिए जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक, व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : इस कारखाने में लगे हुए यन्त्र आधुनिक किस्म के नहीं हैं अतः यह जाँच करनी होगी कि इस कारखाने को अपने अधिकार में लेने से मितव्ययता होगी या नहीं। सार्वजनिक क्षेत्र में हम ऐसे कारखाने को लाना नहीं चाहेंगे जो पुराने किस्म का हो तथा आधुनिक न हो और जिसे अधिकार में लेने से लाभ की सम्भावना न हो।

श्री वि० कु० मोडक : नये कारखाने की स्थापना के लिए कितना समय निश्चित किया गया है ?

श्री भानु प्रकाश सिंह : यह प्रस्ताव अभी मंत्रिमण्डल के समक्ष है। जब तक मंत्रिमण्डल इसे स्वीकार नहीं कर लेता मैं समय के बारे में क्या कह सकता हूं ?

श्री स० कुन्दू : मंत्री महोदय प्रश्न को टाल रहे हैं।

Shri Prem Chand Verma : What steps are being taken to check the exploitation by the Hindustan Motors by way of selling their cars at twenty to twenty two thousands of rupees per car, which become unservicable after six months only ?

It has been claimed several times by the government that they have controlled the quality of the car manufactured by this Company, but, you might have experienced personally that after giving six months service this car is reduced to a *'Chhakra'*

अध्यक्ष महोदय : मूल प्रश्न से इस का कोई सम्बन्ध नहीं हैं आप पृथक प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : अभी माननीय मंत्री ने बताया है कि चूंकि यह कारखाना पुराना है, अतः इसे अपने अधिकार में नहीं लिया जा सकता। यह बात सही नहीं है। हाल ही में हिन्दुस्तान मोटर्स ने एक बिल्कुल नया कारखाना स्थापित किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो नई जानकारी दे रहे हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : मंत्री महोदय सभा को धोखा दे रहे हैं। हिन्दुस्तान मोटर्स ने अभी एक नए कारखाने की स्थापना की है। समाजवाद का नारा लगाने की बजाय सरकार हिन्दुस्तान मोटर्स को अपने अधिकार में क्यों नहीं लेती ?

श्री रा० धो० भण्डारे : क्या इसका उत्तर नहीं दिया जा चुका ? मेरे पास एक समाचार पत्र की कतरण है जिसमें पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु का वक्तव्य है। क्या यह सच नहीं है कि प्रधान मन्त्री से बातचीत करते समय श्री ज्योति बसु ने आधारभूत उद्योगों की चर्चा की थी और उन्होंने हिन्दुस्तान मोटर्स का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया था, अपितु उसका उल्लेख बातचीत में आ गया ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है।

श्री हेम बरुआ : मंत्री जी ने अभी बताया है कि 'हिन्दुस्तान मोर्टस' एक पुराने किस्म का कारखाना है. क्या हम इस का यह भाव समझें कि यह कारखाना पुरानी किस्म की कारों का निर्माण करता है जो केवल 6 महीनों के बाद खराब हो जाती हैं ? यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कारों की किस्म उत्तम करने के लिए कोई पग उठाये हैं अथवा क्या सरकार अपने नये सिद्धांत के अनुसार इस कारखाने को राष्ट्रीयकरण के कार्यक्रम के अन्तर्गत लाना चाहती है ?

Shri Prem Chand Verma : I raise on a point of order. When I tried to put the similar question, you did not allow the hon. Minister to answer that question and you mentioned that there was no need to answer it. But when the same question is put by the hon. Member. you did not intervene. It is not justifiable.

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न पूछने के ढंग पर आधारित है। यदि आपने इस प्रकार से प्रश्न किया होता मैं उसकी अनुमति दे देता।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मूल प्रश्न यह है कि क्या पश्चिम बंगाल के उप-मुख्य मंत्री ने हिन्दुस्तान मोटर्स के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न उठाया था, और यदि हां, तो इस संबन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। हमने पिछले सप्ताह भी यही उत्तर दिया था कि श्री बसु ने मौलिक उद्योगों के बारे में प्रश्न उठाया था जिसमें हिन्दुस्तान मोटर्स भी सम्मिलित है। किन्तु इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण करने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह कारखाना पुरानी किस्म का है जिस का तात्पर्य यह है कि उस कारखाने की बनी कारों पर भारी उत्पादन लागत आने की सम्भावना है। अतः इस कारखाने को राष्ट्रीयकृत करने से हमें कोई लाभ नहीं है।

श्री हेम बरुआ : मुझे खेद है आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते।

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : किन्तु सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में कारों का निर्माण करने के बारे में सोच रही है ।

अध्यक्ष महोदय : चाहे कोई प्रश्न महत्वपूर्ण हो अथवा नहीं और चाहे कोई प्रश्न पहले आ चुका है तथा उस पर प्रश्नों के उत्तर भी दे दिए गए हैं, सभी प्रश्नों पर उतनी ही संख्या में माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं । समझ में नहीं आता आगे कैसे चला जाय । अगला प्रश्न ।

मूल्य, लागत तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सांविधिक आयोग

\+

182. **श्री सरजू पांडेय :** **श्री रानेन सेन :**

श्री वासुदेवन नायर : **श्री मंगलाथुमाडोम :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री 30 जुलाई, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मूल्य, लागत, तथा प्रशुल्क के सम्बन्ध में एक सांविधिक आयोग स्थापित करने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किये गये हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भानु प्रकाशसिंह) : (क) और (ख). अभी विचार किया जा रहा है और अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं किया गया ।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister gave the same reply to the question put on the 30th July, 1969 in this respect and he is answering to it on the similar lines now. May I know the time by which the government will take decision in this regard ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : मेरे मंत्रालय का सम्बन्ध केवल औद्योगिक उत्पादन के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं की लागत तथा उनके मूल्यों से है । अत: हमने सोचा था कि लागत तथा मूल्यों का निर्धारण करने के लिए एक अनौपचारिक आयोग नियुक्त करना लाभदायक हो सकता है । किन्तु हमें बताया गया है कि यदि हम लागत आदि की सूचना पत्रों में देते हैं तो इससे जनता का हित नहीं होगा । अत: हम नये सिरे से इस बात की जाँच कर रहे हैं कि इस मामले को कैसे प्रारम्भ किया जाय । इसी कारण इसमें कुछ देरी हो रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस उत्तर के पश्चात अब कोई और प्रश्न पूछने की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Sarjoo Pandey : May I know the nature of the difficulties due to which this Commission cannot be constituted by the government ? May I know whether any public interest is involved in this matter ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : इस मामले में जांच की जा रही है। इस बारे में निर्णय किये जाने के पश्चात् इसकी सूचना सदन को दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में बिड़ला की फर्म पर छापे

+

183. **श्री उमानाथ :** **श्री सत्यनारायण सिंह :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री प० गोपालन :**

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंधी जिले (मध्य प्रदेश) के क्लेक्टर ने हाल ही में बिड़ला की एक फर्म की कुछ फाइलें तथा कागजात पकड़े हैं ;

(ख) क्या सरकार ने इस संबन्ध में विधान सभा के एक सदस्य श्री चन्द्र प्रताप तिवारी से कोई ज्ञापन मिला है ;

(ग) यदि हां, तो उस में किन-किन मुख्य बातों का उल्लेख किया है ; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक, व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). यद्यपि श्री चन्द्र प्रताप तिवारी, एम० एल० ए० से इस विषय में भारत सरकार को कोई ज्ञापन नहीं मिला है, सरकार को इस बात की सूचना मिली है कि यह अभिकथित है कि मेसर्स ओरियण्ट पेपर मिल्ज, अम्लाई द्वारा इस फर्म से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को दबाने और नष्ट करने के कथित प्रयास किये जा रहे हैं।

(घ) इस सूचना के मिलने पर मामले पर राज्य सरकार के साथ विचार किया गया है तथा अब भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है। इस मामले पर अलग से समवाय कार्य विभाग के साथ भी विचार किया जा रहा है।

श्री उमानाथ : सरकार की ओर से यह उत्तर दिया गया है कि उसे पता है कि अभिलेखों को दबाने अथवा नष्ट करने की चेष्टाएं की जा रही थीं। विधान सभा के सदस्य ने गम्भीर और निश्चित प्रकार आरोप लगाये कि बिड़ला फर्म द्वारा कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों को, उन अधिकारियों के साथ मिलकर विनष्ट कर दिया है, जो वहां छापा मारने के लिए नियुक्त थे। यह गम्भीर आरोप है। पत्रों में भी यह प्रकाशित हुआ। मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या उसे मध्य प्रदेश की विधान सभा में एक सदस्य द्वारा लगाये गये आरोपों के बारे में सूचना है। ऐसे गम्भीर मामले पर केवल पत्र-व्यवहार करने की अपेक्षा क्या सरकार जांच करवायेगी ? क्या सरकार मध्य प्रदेश के विधान सभा, सदस्य द्वारा लगाये गये गम्भीर आरोपों पर जांच का आदेश देगी ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि 23 सितम्बर, 1969 को इस

सभा के माननीय सदस्य श्री मधु लिमये ने मुझे एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ओरियेण्ट पेपर मिल्स द्वारा उन अभिलेखों को दबाने अथवा नष्ट करने के लिये यत्न किये जा रहे हैं जिनका कि जांच से सम्बन्ध है। उसमें कोई विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया था। यह सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद 4-10-69 को राज्य सरकार से प्रार्थना की गई कि कम्पनी को ऐसे अभिलेखों को स्थल से हटाने अथवा नष्ट न करने दिया जाये तथा राज्य सरकार उनका संरक्षण करे। राज्य सरकार ने 27-10-69 को उत्तर दिया कि कम्पनी द्वारा अभिलेखों को हटाया जा रहा है...

Shri Rabi Ray : That means they could not apprehend them.

श्री रघुनाथ रेड्डी : राज्य सरकार के उत्तर में बताया गया था कि ओरियण्ट पेपर मिल्स द्वारा अभिलेखों के सिद्धी से साइडोल ले जाया जा रहा था जबकि उन्हें कलक्टर द्वारा पकड़ लिया गया। इस पर मामला न्यायालय पहुंचा और उसके पश्चात् उच्च न्यायालय से पुनर्विचार के लिये प्रार्थना की गई। इस प्रकार मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री उमानाथ : विधान सभा के सदस्य ने यह आरोप लगाया था कि कम्पनी ने कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर, जिन्होंने कम्पनी पर छापा मारा था, कुछ अभिलेखों को नष्ट कर दिया। क्या सरकार इस मामले की जांच करवायेगी ?

श्री सु० कु० तापड़िया : उन्हें निर्णय को भी पढ़कर सुनाना चाहिए।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या निर्णय दिया गया था ? आपको उसे छिपाना नहीं चाहिए तथा प्रश्न का उत्तर पूरा देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि कलेक्टर ने अभिलेखों को अधिकार में ले लिया है। आप और क्या चाहते हैं ?

श्री उमानाथ : विधान सभा के निर्दलीय सदस्य ने आरोप लगाया है कि अभिलेखे को कम्पनी ने छापा मारने वाले अधिकारियों के साथ मिलकर पहले ही नष्ट कर दिया था। क्या सरकार को इस बारे में जानकारी है और क्या वह इसकी जांच कराने के लिए तैयार है।

श्री रघु नाथ रेड्डी : इस प्रश्न के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वे तथ्यों को छिपा रहे हैं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं अपने उत्तर को सुधारना चाहता हूँ। मैंने कहा था कि मामला उच्च न्यायालय में है। वस्तुतः पुनर्विचार के लिये मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के सम्मुख है।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : श्री मधु लिमये का मेरे सहयोगी के नाम लिखे पत्र मिलने पर हमने इस मामले में कार्रवाई की। मैं उस पत्र को पढ़कर सुनाना चाहता हूँ :

"इसके साथ मैं एक तार की प्रति भेज रहा हूं।"

पत्र इस प्रकार हैं :

"इसके साथ मैं मध्य प्रदेश विधान सभा में संयुक्त समाजवादी दल के नेता श्री शिव प्रसाद थामपुरिया के तार की एक प्रति भेज रहा हूँ। तार में दत्त-समिति के प्रतिवेदन में लगाये गये आरोपों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में बिड़लाओं को रियायतें दी गई और उसमें बताया गया कि ऐसे अभिलेखों को दबाने और नष्ट करने की चेष्टाएं की जा रही हैं जो सरकार के आदेशानुसार की जा रही जांच में उपयोगी हो सकते हैं।"

तार इस प्रकार है :

"दत्त समिति के प्रतिवेदन के बारे में (1) बिड़ला, ओरियण्ट पेपर मिल साहडोल, जिला अमाली मध्य प्रदेश के अभिलेखों को नष्ट करने की चेष्टा कर रहे हैं (2) पुलिस ने सीलबन्द 13 पैकटों को सिंधी जिले से अपने अधिकार में ले लिया है (3) राज्य सरकार अभिलेखों को पुलिस को वापस करना चाहती है क्योंकि उसकी रूचि इस मामले में पक्ष लेने की है। जहां समिति को शीघ्र सचेत कर दिया जाए।"

इस तार की प्राप्ति के तुरन्त बाद हमने राज्य सरकार से मामला उठाया और हमें बताया गया कि उन अभिलेखों को मुहरबन्द कर दिया गया है। उन्हें छुड़वाने के लिए दूसरी ओर से याचना दायर की गई।

न्यायालय ने अभिलेखों को मुक्त करने के लिए आदेश दिया है और मामला जिला न्यायाधीश को सौंप दिया गया और वहाँ तिथि नियत की गई है।

अध्यक्ष महोदय : मामला पहले ही न्यायालय में विचाराधीन है।

श्री उमानाथ : मेरा पहला प्रश्न था कि क्या सरकार को इस आरोप विशेष की जानकारी है कि छापा मारने वाले अधिकारियों के सहयोग से अभिलेखों को नष्ट करने की चेष्टा की जा रही है। यदि उन्हें ज्ञात है तो वे इसे स्वीकार करें।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि मामला न्यायालय में है।

श्री उमानाथ : श्रीमान जी वह मामला नहीं। मामला दूसरा है। विधान सभा के सदस्य ने जो आरोप लगाया है कि छापा मारने वाले अधिकारियों के सहयोग से अभिलेखों को नष्ट किया गया है। यदि सरकार को इसका ज्ञान नहीं तो क्या वे इसकी जांच कराने को उद्यत है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने तार को पढ़ दिया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रश्न को पढ़ें जो इस प्रकार है :

"क्या सरकार को इस बारे में श्री चन्द्र प्रताप तिवारी, सदस्य विधान सभा से कोई ज्ञापन मिला है"

उन्होंने किसी और व्यक्ति का तार पढ़कर सुना है, श्री प्रताप चन्द्र तिवारी का नहीं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमें विधान सभा के सदस्य का ज्ञापन नहीं मिला। हमें केवल वही सूचना प्राप्त हुई है जो श्री मुधु लिमये के पत्र और श्री शिव प्रसाद थामपुरिया की तार में दी गई थी।

श्री उमानाथ : मेरा दूसरा प्रश्न है ; क्या यह सत्य है...

श्री क० ना० तिवारी : जब उन्हें विधान सभा के सदस्य का पत्र मिला ही नहीं तब प्रश्न कैसे उठता है ?

Shri Rabi Ray : He is giving information to the Government.

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न और है कि मध्य प्रदेश में जो छापे मारे गये थे, क्या उनका सम्बन्ध बिड़लाओं की फर्मों पर उसी दिन अखिल भारतीय स्तर पर मारे गये छापों से है। यदि हां, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या अशंकाएं थीं जिनके आधार पर छापे मारे गये और अभिलेखों को अधिकार में लिया गया।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : वे किन छापों का उल्लेख कर रहे हैं। उनका प्रश्न बिल्कुल ही संगत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सिद्धी जिले के कलेक्टर द्वारा बिड़ला फर्म की कुछ फाइलों को अधिकार में लेने के बारे में था। आप उस बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री उमानाथ : मेरा प्रश्न संगत है कि क्या वह छापा अखिल भारतीय स्तर पर उसी दिन मारे गये छापों का एक अंग था ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं माननीय सदस्य को नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध ओरियण्ट पेपर मिल के अभिलेखों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बारे में था। यदि वे अखिल भारतीय स्तर पर मारे गये छापों के बारे में जानना चाहते हैं तो वे पृथक प्रश्न पूछ सकते है। उसका हम उत्तर देंगे।

श्री प० गोपालन : समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है कि बिड़लाओं को प्रस्तावित छापों के बारे में कम से कम तीन दिन पहले सूचना मिल गई थी।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूँ।

एक माननीय सदस्य : प्रश्नोत्तर काल में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है। मुझे उसे अवश्य सुनना चाहिए।

श्री म० ला० सोंधी : क्या आप प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे रहें हैं।

श्री हेम बरुआ : प्रश्नोत्तर काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं रखा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्न पर ऐसी कोई रोक नहीं है। इसकी अनुमति दी गई है। सम्भवतः आप को यह पता नहीं है।

श्री रा० कृ० बिड़ला : मेरे माननीय मित्र ने बिड़ला फर्मों पर मारे गये छापे की बात कही। मामला केवल एक कारखाने पेपर मिल से सम्बंधित है।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : नियम संख्या 374 के अधीन, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस समय प्रश्नोत्तर काल है और तारांकित प्रश्न विचाराधीन है। यह मध्य प्रदेश में बिड़ला फर्म पर छापों के बारे में है। इस प्रकार श्रीमान जी, मूलतः प्रश्न में मध्य प्रदेश का उल्लेख है।

मंत्री महोदय ने कहा कि यदि अलग प्रश्न पूछा जायेगा तो वह उत्तर देंगे। मैं आपका आदेश चाहता हूं कि क्या कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, जो प्रासांगिक हो। यहां यह भारत व्यापी छापा का प्रश्न बिल्कुल संगत है। क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का एक भाग है। इस लिए उन्होंने बिड़ला की फर्मों पर मारे गए छापों के सम्बन्ध में प्रश्न किया है। उसी दिन वहां छापा डाला गया (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाएं और इस तरह से हाथ इधर उधर न फैलायें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं अपना हाथ हिलाता हूँ, और प्रत्येक व्यक्ति इसी प्रकार अपना हाथ हिलाता है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को इतना आवेश में नहीं आना चाहिए कि वह मेरी बात ही न सुनें। जहां तक उप-शीर्षक का सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि प्रश्नकर्ता पूर्णरूप से उचित है। इसका तो प्रश्न के एक भाग के रूप में उल्लेख किया जाना चाहिये था। मूल प्रश्न मेरे समक्ष नहीं है। अन्यथा इसे तो सर्वोपरि ही रखा जाता। प्रश्न के ऊपर दिए गए शीर्षक से ही स्पष्ट प्रतीत होता था कि यह उन छापों का एक भाग था। परन्तु मंत्री महोदय का कहना है कि इस एक भाग प्रश्न में साधारण रूप में छापों की कोई बात नहीं कही गई थी। क्या मंत्री महोदय मुझे इस बात का स्पष्टीकरण देंगे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह बात मध्य प्रदेश में "बिड़ला फर्म पर मारे गये छापे" शीर्षक के अन्तर्गत कही गई है, परन्तु इस मूल प्रश्न में जो बात कही गई है वह इस प्रकार है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मूल प्रश्न का देख कर ही निर्णय करूंगा।

श्री उमानाथ : जब कोई प्रश्न पूछा जाता है तो मंत्री महोदय को उस प्रश्न से सम्बधित सारे मामलों की तैयारी करके ही यहाँ उत्तर देने के लिए आना चाहिए। इस बात की व्यवस्था तो आचार तथा प्रक्रिया नियमों में भी है। उन्हें समस्त सम्बद्ध मामलों की तैयारी करके आना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब कहीं बिड़ला फर्म पर मारे जाने वाले छापों का विशिष्ट उल्लेख

हो तो उसकी पृष्ट भूमि बिड़ला फर्म पर डाले गये छापों से सम्बन्धित माननी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से उनकी राय जानना चाहता था कि क्या बिड़ला फर्मों पर मारे गए छापों का यह एक भाग था अथवा नहीं।

श्री रघुनाथ रेड्डी : यहां पर विधि मंत्री उपस्थित हैं और वह मुझे इस बात का उत्तर दें कि जब किसी अधिनियमन सम्बन्धी प्रस्तावना की जाए .....

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तावना का यहां कोई प्रश्न नहीं है। यह तो बहुत ही साधारण प्रश्न है कि क्या यह छापा बिड़ला फर्मों पर डाले गये व्यापक छापे का एक भाग था। इसके तकनीकी तथा अन्य मामलों पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या यह व्यापक छापों का भाग था अथवा नहीं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यदि प्रश्न के मुख्य भाग में व्यापक छापों की बात सम्मिलित होती तो हम जानकारी एकत्रित कर सकते थे। क्यों कि यह प्रश्न के मुख्य भाग में नहीं है इसलिए इसका उत्तर देना मेरे लिए बहुत कठिन है।

श्री ए० श्रीधरन : यह तो बहुत ही संगत प्रश्न है और इसका उत्तर दिया ही जाना चाहिए। अन्यथा वह या तो यह कहें कि वह उत्तर नहीं दे सकते अथवा यह कहें कि उन्हें इसकी सूचना चाहिए। वह केवल वह ही नहीं कह सकते ;

श्री रघुनाथ रेड्डी : मुझे इसकी पूर्व सूचना चाहिए।

श्री प० गोपालन मैं इस फर्म के सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। समाचार पत्रों में समाचार छपा था कि इस विशेष फर्म विशेष पर डाले जाने वाले छापे के बारे में बिड़ला समूह को कम से कम तीन दिन पूर्व सूचना मिल गई थी और समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेज और मिसिलों को या तो नष्ट कर दिया था या कार्यालय से हटा दिया था। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय को बिडला उद्योग समूह तथा केन्द्रीय सचिवालय के उच्च अधिकारियों के बीच की सांठ गांठ का पता है, और यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कोई ऐसे पूर्वोपाय किये हैं जिनसे यह रहस्य बाहर न खुलने पाये। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने इस गुप्त योजना के रहस्योद्घाटन के बारे में कोई जाँच कराई थी अथवा ये जो छापे डाले गये थे क्या थे, वे सब लोगों को धोखा देने के नाटक मात्र थे ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : जहां तक छापों का सम्बन्ध है मुझे इसके लिए पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

श्री प० गोपालन : प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने पूर्वोपाय किये थे अथवा नहीं। इस बात का उत्तर नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर मंत्री महोदय ने दे दिया है। वह इसके लिए पूर्व सूचना चाहते हैं।

श्री उमानाथ : यह आरोप बिल्कुल स्पष्ट है कि बिड़ला उद्योग समूह को इस बात का

पता तीन दिन पहले ही लग चुका था क्या मंत्री महोदय को इस बात का पता है और इस सम्बन्ध में क्या पूर्वोपाय किये गये थे ? माननीय मंत्री को इस प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : वह पहले ही कह चुके हैं कि वह इस बात की जांच करेंगे ।

श्री उमानाथ : उनको प्रश्न से सम्बन्धित सारी बातों के बारे में तैयार होकर आना चाहिये । इस बात की जांच करने का अब प्रश्न कहाँ है ?

श्री ज्योतिर्मय बसु : हम आपका संरक्षण चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : यह दूसरा या तीसरा अवसर है । मैंने मंत्री महोदय से कुछ दिन पूर्व ही निवेदन किया था और अब भी यही कह रहा हूँ कि जब भी वह किसी प्रश्न का उत्तर दे तो उत्तर स्पष्ट होना चाहिए । उत्तर में असंगति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इससे मेरे लिए भी कठिनाई हो जाती है और माननीय सदस्यों को सन्तोष नहीं होता । उनको सीधा उत्तर मिलना चाहिए ।

श्री उमानाथ : यहाँ वरिष्ठ मन्त्री महोदय उपस्थित हैं और उत्तर उन्हें देना चाहिए ।

श्री ई० के० नायनार : बिड़ला उद्योग समूह से सम्बन्धित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में उन्हें क्यों हिचकिचाहट होती है ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : आपने मन्त्री महोदय से बिल्कुल ठीक कहा है कि वह प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं देते । वास्तव में अपने उत्तर में गलत और अधूरी जानकारी देकर उन्होंने सदन को धोखा दिया है ।

प्रश्न करने से पूर्व मैं आपको वस्तु स्थिति से सम्बद्ध कुछ अंश बताता हूँ । इन्हें आपके समक्ष प्रस्तुत करना मेरे लिए आवश्यक है । मन्त्री महोदय को पता होगा कि जब बनों में काम होता है तो वहां अस्थाई कार्यालय बनाये जाते हैं । उन अस्थाई कार्यालयों को बन्द करने के पश्चात् वहां का रिकार्ड प्रति वर्ष मुख्य कार्यालय में वापस लाया जाता है ।

श्री उमानाथ : उन्हें प्रश्न करना चाहिए । श्री बिड़ला सदन में उपस्थित हैं और वह अपने बचाव में कुछ कह सकते हैं (**अन्तर्बाधाएं**)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य किसी सदस्य को प्रश्न करने से रोक नहीं सकते ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : माननीय सदस्य की तरह चीन का पक्षपाती नहीं हूँ ।

श्री उमानाथ : तो क्या वह अमरीकन हैं ?

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : वह चीन के एजेंट हैं, यह मैं उनके सम्बन्ध में जानता हूँ । (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री उमानाथ : आप का आदेश सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए आप कहते हैं हम को सीधा प्रश्न करना चाहिए । परन्तु माननीय सदस्य अपने प्रश्न की भूमिका बना कर पूछ रहे हैं और मन्त्री महोदय को जानकारी दे रहें । उन्हें अब मन्त्री महोदय को भाषण नहीं

देना चाहिए और इसकी यहां अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अतः आप का आदेश सब पर समान रूप से लागू होना चाहिए। उन्हें सीधा प्रश्न करना चाहिए। यदि वह भी बिड़ला बनना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, परन्तु उन्हें सीधा प्रश्न करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे इस प्रकार हस्तक्षेप न करें। यह सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दें। प्रश्न की प्रासंगिकता अथवा अप्रासंगिकता का निर्णय करने के लिए ही मैं यहां बैठा हूँ।

श्री उमानाथ : हम तो केवल आपके सम्मुख निवेदन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अनुमति देने अथवा न देने का अधिकार केवल अध्यक्ष को है। अन्य सदस्य क्यों हस्तक्षेप करते हैं ?

श्री उमानाथ : वह तो यही चाहते हैं कि मन्त्री महोदय को कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब उन्हें प्रश्न पूछने दें। श्री उमानाथ को चाहिए कि वह हस्तक्षेप न करें।

श्री उमानाथ : अमरीकी प्रभाव के कारण यहां ऐसी बातें कही जा रही हैं।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : चीनी प्रभाव है वे सब चीन के एजेन्ट हैं जो यहां लोकतन्त्र को नष्ट करना चाहते हैं।

श्री उमानाथ : हम यहां एकाधिकार को नष्ट करने के लिए बैठे हैं और हम देश में एकाधिकार को नष्ट करके रहेंगे।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : उन्हें बेकार चिल्लाना नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि वे लोकतन्त्र को नष्ट करने पर तुले हुए हैं।

मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि एक विधान सभा के सदस्य श्री चन्द्र प्रताप तिवारी ने यह बताया था कि बन से सब कागज सामान्य रूप से मुख्य कार्यालय में लाये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय ने बताया है कि उन्हें विधान सभा के सदस्य का पत्र नहीं मिला।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : प्रश्न का उत्तर मन्त्री महोदय को ही देना चाहिए। यह प्रश्न से पहले नहीं उठाया गया था। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या अतिरिक्त जिलाधीश ने इस मामले में अपना निर्णय देते हुए श्री चन्द्र प्रताप तिवारी के आरोपों का स्पष्ट रूप में खण्डन करते हुए यह कहा था कि ये सब आरोप गलत और निराधार थे तथा इन कागजों को गलती से पकड़ा गया था और इसलिये इन कागजों को वापस भेज देना चाहिए ? प्रश्न भाग (ख) का उत्तर देते हुए मन्त्री महोदय ने स्पष्टतया बताया था कि उन्हें श्री तिवारी का कोई पत्र

प्राप्त नहीं हुआ और वह इस बात की जांच करना । माननीय सदस्य उस पत्र का उल्लेख कर रहे हैं जो मन्त्री महोदय को नहीं मिला और इस आधार पर ही वह अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं । मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : सम्भवत: आप ने मेरे प्रश्न को ठीक तरह से नहीं समझा है । यह तो बहुत ही साधारण प्रश्न है कि जिन अभिलेखों को पकड़ा गया था, या वे वही अभिलेख थे जिन्हें वन से मुख्यालय में नियमित रूप में लाया जा रहा था और क्या यह भी सच है कि अतिरिक्त जिलाधीश ने फैसला सुनाते हुए इन आरोपों को गलत बताया था । क्या उन्होंने कहा था कि ये अभिलेख गलती से पकड़े गये हैं और इन्हें वापस किया जाना चाहिये ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : यह सारा मामला अतिरिक्त जिलाधीश के विचाराधीन है, अत: मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : तब उन्होंने पिछले सारे प्रश्नों का उत्तर क्यों दिया है ? मेरे प्रश्न का उत्तर देते समय ही इसे विचाराधीन क्यों माना गया ? उन्होंने इस से पहले प्रश्नों का उत्तर क्यों दिया ? **(अन्तर्बाधा)** यह सब क्या है ?

श्री स० कुन्दू : क्या यह सच है कि जिलाधीश ने निचले न्यायालय के आदेश को रोकने का निर्णय देते हुए कलेक्टर से पकड़े गये सभी कागजों का विवरण पेश करने के लिए कहा था और कलेक्टर ने दो मास बीत जाने के पश्चात भी यह विवरण प्रस्तुत नहीं किया है ? राज्य सरकार और भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में क्लेक्टर से कुछ भी नहीं कहा है । श्री तिवारी ने पहली अक्तूबर को प्रधान मन्त्री से इस सम्बन्ध में बातचीत की थी और प्रधान मन्त्री ने कहा था कि "मैं सभी कागजों को मंगवा रही हूँ" । लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है । यदि यही हाल रहा तो कुछ समय पश्चात् सारे मामले को ठप्प कर दिया जायेगा ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मन्त्री महोदय ने कहा है कि यह प्रश्न विचाराधीन है । क्या अध्यक्ष महोदय कृपया यह निर्णय देंगे कि इस मामले पर जितनी चर्चा हुई है उसे कार्यवाही के वृतान्त से निकाल दिया जाये ?

श्री उमानाथ : यदि वह ऐसा कहते हैं तो उनके प्रश्न को ही निकाल दिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : आरोप-प्रत्यारोप से हम कोई भी कार्य नहीं कर सकेंगे । श्री पाटोदिया को इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिये ।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : मन्त्री महोदय ने ही ऐसा व्यवहार किया है कि मुझे उत्तेजित होना पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : आप को तो अच्छा व्यवहार करना चाहिये । मैंने प्रारम्भ में ही श्री रेड्डी से कह दिया था । किन्तु उन्होंने अब अन्त में कहा है कि यह मामला विचाराधीन है । मुझे इस बात का बहुत खेद है । इस बात को पहले ही कह दिया जाना चाहिये था । इसके पश्चात् हमें इतने प्रश्नों का उत्तर न देना पड़ता ।

गैर संगठित क्षेत्रों में बाल श्रम

+

*184. **श्री जे० एच० पटेल :**
श्री जे० के० चौधरी :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के गैर संगठित क्षेत्रों में बालकों से अब भी मजदूरी का काम लिया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन क्षेत्रों में अब भी बालकों से मजदूरी का काम लिया जाता है ; और

(ग) देश में बाल श्रम को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मन्त्रालय और समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) जी, हां ।

(ख) कृषि तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में, जहां कि कानून द्वारा बच्चों को रोजगार देना निषिद्ध नहीं है, बच्चों से काम लिया जा रहा है ।

(ग) बाल, रोजगार अधिनियम, 1938, फेक्टरी अधिनियम, 1948 खान अधिनियम, 1952 तथा मोटर परिवहन उपक्रमों, बागान, बीड़ी तथा सिगार औद्योगिक स्थान, इत्यादि में मजदूरों के रोजगार का विनियमन करने वाले अन्य अधिनियमों के अधीन बच्चों को रोजगार देना निषिद्ध है ।

श्री जे० एच० पटेल : कन्नड़ में बोले ।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुदेशों को देखिये । प्रश्नोत्तर काल में साथ-साथ अनुवाद करने की व्यवस्था नहीं है । अंग्रेजी या हिन्दी में बोलें ।

श्री जे० एच० पटेल : मेरा यह अनुरोध है कि प्रश्नोत्तर काल में भी साथ-साथ अनुवाद की सुविधा होनी चाहिये । मेरा प्रश्न बीड़ी, अगरबत्ती, ग्रामीण क्षेत्रों में खेतिहर श्रमिकों तथा ऐसे ही अन्य असंगठित उद्योगों के सम्बन्ध में है, जिनमें लाखों की संख्या में बच्चों से मजदूरी का काम लिया जाता है । सरकार ने इस मजदूरी को रोकने के लिये कुछ भी नही किया है और न ही किसी ऐसे कानून की व्यवस्था की है जिससे इन बच्चों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध की जा सकें । हानिप्रद व्यवसायों में काम करने वाले अपोषण तथा आर्थिक कठिनाइयों के शिकार इन लाखों बच्चों को शिक्षा देने के लिये सरकार द्वारा क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

विधि और समाज कल्याण तथा रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : वास्तव में यह विषय श्रम मन्त्रालय से सम्बन्धित है किन्तु इसका उत्तर देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं ।

बीड़ी तथा सिगार कर्मचारी (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अनुसार बाल श्रम की मनाही है । मेरा विचार है कि अगरबत्ती उद्योग में बाल श्रम की मनाही नहीं है ।

माननीय सदस्य कह रहे थे कि बीड़ी उद्योग में मनाही होते हुए भी लाखों बच्चों से मजदूरी करायी जाती है। मेरे विचार से बात को बढ़ा-चढ़ा कर कहा गया है। कई बार कानून का उल्लंघन होता है। यदि ऐसे किसी मामले की सूचना उपयुक्त अधिकारी को दी जाती है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री श्रीधरन : मन्त्री महोदय के अपने निर्वाचन-क्षेत्र चालकुड़ी में ही बहुत से बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और वे इस बात को मानते ही नहीं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें दूसरा प्रश्न पूछना है, लेकिन सभी सदस्य खड़े हो गये हैं और सीधे ही मन्त्री महोदय से बात करने लगे हैं। क्या सदन में व्यवहार करने का यही ढंग है ? आप सभी ने गलत आदत अपना ली है। यस इसे न दुहराएं।

श्री जे० एच० पटेल : मंत्री महोदय ने देश में बाल-श्रमिक समस्या के बारे में अपनी अनभिज्ञता दिखाई है। यद्यपि उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि कानून का उल्लंघन किया जाता हो, उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि लाखों लोग इसमें कार्य करते हैं। सरकार द्वारा दिये गये आंकड़ों के अनुसार देश में भिखारियों की संख्या लगभग 1 करोड़, 20 लाख है और उनमें से 80 प्रतिशत बच्चे हैं। मैं यह नहीं कहता कि आप कोई दूसरा कानून बनायें। मैं चाहता हूँ वर्तमान कानून को सख्ती से लागू किया जाये। सरकार किसी भी कानून को लागू करने में असमर्थ है। यदि कानून की क्रियान्विति ही नहीं हो सकती है, तो सरकार इस तथ्य को स्वीकार क्यों नहीं करती कि बच्चे जीवन निर्वाह नहीं कर सकते हैं ? सरकार अधिनियम में संशोधन करके उन्हें अंशकालिक श्रम की अनुमति क्यों नहीं देती और जो लोग काम पर है उनके लिये अनिवार्य शिक्षा, बीमा तथा सुविधाओं की व्यवस्था क्यों नहीं करती ? मन्त्री महोदय बाल-श्रमिक की विद्यमानता से ही इन्कार करते हैं।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने इस बात से इन्कार नहीं किया। मूल प्रश्न बीड़ी उद्योग से सम्बन्धित है। मैंने कहा हो सकता है कि कानूनों का उल्लंघन किया जाता हो। माननीय सदस्य द्वारा दिए गए आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दिये गये हैं। सुझाव देने तथा मेरी अनभिज्ञता के बारे में जानकारी देने के लिये माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूँ।

Shri Randhir Singh : Most of the children belonging to the weaker sections, particularly Harijans children do not go to schools for education inspite of the fact that there is compulsory education for them May I know the steps being taken by the Government to ensure that they go to school and become good citizens of the country ?

श्री गोविन्द मेनन : मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से पूर्णतः सहमत हूँ कि न केवल हरिजन अपितु सभी बच्चों को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दी जानी चाहिए। यह कार्य राज्यों के क्षेत्राधिकार में है।

श्री म० ला० सोंधी : देश की राजधानी दिल्ली में भी बच्चे सड़क निर्माण तथा सफाई आदि के कार्यों में लगे देखे जाते हैं जोकि देश के लिये अशोभनीय बात है। क्या मंत्री महोदय

इस बात के लिये तत्काल कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं कि बच्चों को इन मार्गों पर न लगाया जाये ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं माननीय सदस्य के इस विचार से पूर्णतः सहमत हूँ कि बच्चों को इन कार्यों पर नहीं लगाया जाना चाहिए । माननीय सदस्य का सुझाव मैं गृह-कार्य मन्त्रालय के पास भेज दूंगा ।

श्री ई० के० नायनार : मन्त्री महोदय ने इस बात से इन्कार किया है कि बीड़ी उद्योग में बाल श्रमिक काम करते हैं । बीड़ी उद्योग के अतिरिक्त हथकरघा उद्योग में भी बाल श्रमिक काम करते हैं । संसद् ने वर्ष 1948 और 1966 में इस सम्बन्ध में एक अधिनियम पारित किया था । केरल सरकार ने उसे बीड़ी उद्योग पर लागू करने का प्रयत्न किया था किन्तु आन्ध्र प्रदेश तथा मैसूर द्वारा प्रतियोगिता के कारण वह उसे लागू न कर पाई और बीड़ी तथा सिगरेट उद्योग के मालिकों ने उसका उल्लंघन किया । क्या केन्द्रीय सरकार 1966 में संसद द्वारा पारित किये अधिनियम को लागू कराने के लिए पहल करेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : संसद द्वारा पारित किये जाने वाले कानूनों के उल्लंघन की बात मैंने नहीं कही । मैंने यह कहा था कि श्री पटेल द्वारा दिये गये आंकड़े बढ़ा चढ़ा कर दिये गये हैं । माननीय सदस्य यह अच्छी तरह जानते हैं कि इन कानूनों को लागू करना राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है । केन्द्रीय सरकार राज्यों में सीधे इन कानूनों को लागू नहीं करा सकती है ।

Shri Prem Chand Verma : May I know whether Government have received any report from the states as to why the law could not be implemented ? If no such reports have been asked for so far, are the Government are prepared to have a detailed survey to as certain the reasons as to why the law has not been implemented ? May I know whether Government will issue orders to implement the law ?

श्री गोविन्द मेनन : सभा को पता है कि यह संविधान की समवर्ती सूची में है । कानून में एकरूपता लाने के लिए संसद ने इस सम्बन्ध में कानून बनाया है । जिन राज्यों ने इस कानून को क्रियान्वित नहीं किया है उनके बारे में जानकारी देने के लिये समय चाहिए ।

श्री श्रीधरन : इस समूची समस्या का कोई ठोस हल निकालने की आवश्यकता है । काम करने वाले बच्चों में अधिकतर बच्चे या तो विधवाओं के हैं या वे अवैध बच्चे हैं । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विधवाओं को समाज में उचित स्थान देने के लिये कोई उपाय करेगी । ताकि उनके बच्चों को रोजगार न ढूंढना पड़े तथा क्या सरकार इस देश में पैदा होने वाले अवैध बच्चों की जिम्मेदारी लेगी ?

श्री गोविन्द मेनन : इसका मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । सरकार अवैध बच्चों की जिम्मेदारी नहीं ले सकती है ।

श्री ए० श्रीधरन : वे बच्चे भारतीय हैं ।

श्री गोविन्द मेनन : पर मैं यह नहीं कह सकता कि मैं अवैध बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा ।

श्री ए० श्रीधरन : स्केन्डेनेविया तथा यूरोप के अन्य देशों की सरकारें ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेती हैं। मंत्री महोदय समाजवाद की बात तो करते हैं किन्तु कल्याण सम्बन्धी उपाय नहीं करती है। यदि इस सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं की गई तो **अवैध बच्चे** इसी तरह बड़े होंगे और अपने मत का प्रयोग करेंगे। सरकार ही अवैध बच्चों की देखभाल कर सकती है।

Shri Abdul Ghani Dar : May I know whether the hon. Minister is prepared to bring an amendment as would provide the indigent students some employment while at school with a view to enabling to earn a pittance to sustain themselves and to finance their studies ?

श्री गोविन्द मेनन : यह एक सुझाव है। इस सम्बन्ध में कोई कानून नहीं बनाया जा सकता।

Shri Sharada Nand : May I know whether a survey has been conducted by the Government to find out the children. The number of children thus employed and if not will the Government conduct such survey in near future ?

श्री गोविन्द मेनन : खेतिहर-मजदूरों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया गया है जिससे कुछ आंकड़े दिये गये हैं। श्रम ब्यूरो ने कुछ उद्योगों में श्रमिकों की दशाओं सम्बन्धी एक दूसरा सर्वेक्षण किया है। दशाब्दीवार की जाने वाली जनगणना में बाल श्रमिकों के बारे में आंकड़े एकत्रित किये जाते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हैदराबाद में संचार केबल बनाने का कारखाना

185. **श्री क० लक्प्पा** :

श्री लखन लाल कपूर :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हैदराबाद में दूर-संचार केबल बनाने वाला कारखाना स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ; **और**

(ग) इस कारखाने का कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) (जी, हाँ।

(ख) 564 लाख रुपये की पूंजीगत लागत (बस्ती निर्माण व्यय के अतिरिक्त) से 5000

के० एस० पी० आई० एल० सी० ड्राई कोर संचार केबल्स के उत्पादन के लिए प्रायोजना बनाई गई है जिसमें विदेशी मुद्रा से 12 लाख रुपये के हिस्से पुर्जे प्राप्त किये जायेंगे ।

(ग) प्रस्ताव विचाराधीन है ।

भारत के लिये समान व्यवहार संहिता की आवश्यकता

*186. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी ने भारत के लिये समान संहिता बनाने की आवश्यकता पर 4 सितम्बर, 1969 को वार्ता आयोजित की थी, जिसमें भुतपूर्व न्यायाधीश को चागला तथा भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बसु जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता में भाग लेने वाले व्यक्तियों के विचारों को दृष्टि में रखते हुए सरकार समान व्यवहार संहिता बनाने की दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है ; और

(ग) क्या ऐसी व्यवहार संहिता की मोटी रूपरेखा बनाने के लिये कोई राष्ट्रीय अधिवेशन सम्मेलन बुलाया जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस विषय पर परिसंवाद कि क्या एक समान सिविल संहिता राष्ट्रीय एकता के लिए अनिवार्य है 4 सितम्बर, 1969 को आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित हुआ था जिस में निम्नलिखित संसद् सदस्यों ने भाग लिया ।

1. श्री एन० सी० चटर्जी
2. श्री एम० सी० चागला
3. प्रो० रत्नास्वामी
4. श्री अशोक के० सेन (नियामक)

(ख) एक समान सिविल संहिता तैयार करने की कोई भी प्रस्थापना अभी सरकार के पास नहीं हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Allotment of Railway Land to a Private Firm in New Delhi

*187. **Shri Om Prakash Tyagi** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the tenure of Shri Jagjivan Ram, Minister of Food and Agriculture, as Minister for Railways, *i.e.* between 7th December, 1956 and 19th April, 196?, the land adjoining the Railway line in one of the areas near Connaught place was allotted to M/s Pure Drinks Co., the manufacturers of Coca Cola or to a partner thereof and that the Public Account Committe had also objected to it ; and

(b) if so, the area of the land allotted, with whose permission it was allotted, at what price it was given and the details of the objection raised by the P. A. C. ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) 1666 sq. yards of land near Connaught Place was licensed in 1942-43 under the authority of the then North Western Railway to M/s Oriental Buildings and Furnishing Co. (Pvt) Ltd, who are the owners of M/s Pure Drinks (Coca Cola). Later when the firm relinquished a portion of land, fresh agreement was entered into in 1947 for 1152 sq. yards of land by the Eastern Punjab Railway. This agreement was renewed from year to year upto 31-5-51. Public Accounts Committee went into the case and made certain recommendations.

(b) The area of land at present under occupation of the party is 2743 sq. yds. The last order was issued by the Railway Board to the Northern Railway to execute an agreement in November, 62. As per the present agreement, the annual rent is Rs. 30,611.88 P.

Thc PAC's observations and recommendations on this issue are placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2086/69].

आयकर अपील अधिकरण के समक्ष लंबित अपीलें

*188. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अपील अधिकरण के समक्ष इस समय बड़ी भारी संख्या में अपीलें लम्बित हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1964 और 1 अप्रैल, 1969 को ऐसी लम्बित अपीलों की संख्या कितनी थी ;

(ग) प्रति वर्ष कितनी अपीलें दायर की गई ;

(घ) प्रति वर्ष कितनी अपीलें निपटाई गई ; और

(ङ) शेष अपीलों को निपटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) 1 अप्रैल, 1964 को 26,814 तथा 1 अप्रैल, 1969 को 63,534 अपीलें लम्बित थीं।

(ग) और (घ)

वर्ष	अपीलों की संख्या जो फाइल की गई	अपीलों की संख्या जो निपटाई गई
1964-65	24,251	15,266
1965-66	21,924	16,648
1966-67	27, 22	18,239
1967-68	31,120	23,157
1968-69	31,929	24,098

(ङ) मामलों को तेजी से निपटाने के लिए समय समय पर किए गए विभिन्न प्रशासनिक उपायों के अतिरिक्त अधिकरण की चार नई न्यायपीठें अक्तूबर, 1969 में स्थापित की गई हैं।

गुजरात में साम्प्रदायिक दंगों में सवारी गाड़ियों पर धावे

*189. **श्री अदिचन:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सितम्बर में गुजरात में हुए साम्प्रदायिक दंगों के दौरान मैहसाना जिले में काटोसन के निकट उपद्रवियों ने सवारी गाड़ियों पर, जिनमें 36-डाउन किरकी एक्सप्रैस गाड़ी भी शामिल थी, धावे किये थे ; और

(ख) यदि हां, तो उन घटनाओं का ब्यौरा क्या है और उन में जान तथा माल की कितनी हानि हुई ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) इन घटनाओं का ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2087/69] इन घटनाओं 22 व्यक्ति मारे गये और 17 घायल हुए। हताहत व्यक्ति अपने साथ जो सामान ले जा रहे थे उसके मूल्य की जानकारी नहीं है। सितम्बर, 1969 में अहमदाबाद में हुए साम्प्रदायिक दंगों में रेल सम्पत्ति को 6000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

सीमेंट और चीनी का मूल्य निर्धारण

*190. **श्री एस० के० संबंधन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सीमेंट और चीनी के मूल्य निर्धारित करने के लिए भिन्न भिन्न मापदंड अपनाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और दो वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न मापदण्ड अपनाये जाने के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं। यदि कोई विशिष्ट परिस्थिति न हो तो चीनी के मूल्य निर्धारण के लिए मोटे तौर एक ही प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

त्रिनगर (रामपुरा) दिल्ली में हाल्ट स्टेशन

*191. **श्री ए० श्रीधरन :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिनगर बस्ती के वासियों को जहां लगभग 2 लाख लोग रह रहे हैं, दिल्ली आने में बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि त्रिनगर से दयाबस्ती और शकूर बस्ती बराबर दूरी पर हैं और दोनों ही स्टेशनों तक पहुँचने में 45 मिनट से अधिक समय लगता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार त्रिनगर (रामपुरा) में एक हाल्ट स्टेशन बनाने का है ताकि इस बस्ती के लोगों को दिल्ली-आने-जाने में सुविधा हो सके और इससे दिल्ली-परिवहन उपक्रम पर भी भार कम हो जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो वहाँ एक झंडी स्टेशन बनाये जाने की कब तक संभावना है, और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) त्रिनगर स्टेशन दयाबस्ती और शकूरबस्ती स्टेशनों के बीच स्थित है। यह स्टेशन पहले से 2 किलोमीटर और बाद वाले स्टेशन से 2.25 किलोमीटर की दूरी पर है। इस क्षेत्र के निवासियों के लिए 12 अप और 22 डाउन सवारी गाड़ियाँ चलती हैं जो इन स्टेशनों पर रुकती हैं। इनके अलावा बस, आटो-रिक्शा, टैक्सी आदि भी इस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। त्रिनगर से इन स्टेशनों पर पहुँचने में जो समय लगता है वह व्यक्ति विशेष द्वारा उपयोग किये जाने वाले परिवहन की किस्म पर निर्भर करता है। त्रिनगर क्षेत्र से दिल्ली के लिये सीधी बसें भी आती-जाती हैं।

(ग) त्रिननर में हाल्ट खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

औद्योगिक एकाकों द्वारा लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन

192. **श्री भगवान दास :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार 45 औद्योगिक एककों ने, जितना उत्पादन करने की उन्हें अनुमति दी गई थी उससे अधिक उत्पादन कर के, लाइसेंस संबंधी शर्तों का उल्लंघन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तकनीकी विकास महानिदेशक द्वारा किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) उल्लंघन करने वाले इन एककों के नाम क्या हैं तथा इन शर्तों का उल्लंघन कहां तक किया गया ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (घ). सर्वेक्षण का ब्यौरा एवं औद्योगिक एकको का विवरण तथा उन्होंने

जिस सीमा तक लाइसेंस प्राप्त क्षमता में वृद्धि की रिपोर्ट आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग पालिसी इन्क्वायरी कमेटी के पैरा 545 तथा परिशिष्ट IV में दिया गया है जिसकी प्रतियां पहले ही संसद सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं।

(ग) उन औद्योगिक उपक्रमों के सम्बन्ध में कार्रवाई करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। जिन्होंने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक क्षमता स्थापित कर ली है।

पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के ड्राइवरों, गार्डों तथा दूसरे साधारण कर्मचारियों की मांगें

*193. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व तथा दक्षिण पूर्व रेलवे के ड्राइवरों, गार्डों तथा अन्य साधारण कर्मचारियों ने सम्बन्धित रेलवे अधिकारियों को अभी हाल ही में यह नोटिस दिया है कि जब तक उन्हें जनता द्वारा हाथापाई किये जाने से नहीं बचाया जायेगा, तथा उनकी व्यतिगत सुरक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं किया जायेगा, वे गाड़ियां चलाना बन्द कर देंगे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनकी मांगों को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यात्रा करने वाले लोगों को उचित शिकायतों को जो उनकी नाराजगी का मुख्य कारण है और जिसके कारण उनके बीच के असामाजिक तथा अन्य प्रकार के तत्वों को रेलवे अधिकारियों तथा रेल सम्पत्ति पर आक्रमण करने का अवसर मिलता है, दूर करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

मर्सिडीज ट्रकों के मूल्य

*194. **श्री जय सिंह** :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी तथा हल्के मर्सिडीज ट्रकों के मूल्यों में हाल में वृद्धि की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इनका इस समय कितना मूल्य है, तथा 1 जनवरी, 1969 1 नवम्बर, 1968, 1 नवम्बर 1967, 1 जनवरी, 1966, 1 जनवरी, 1964, 1 जनवरी, 1962 और 1 जनवरी, 1960 को उनका मूल्य कितना-कितना था ; और

(ग) उनके मूल्यों में वृद्धि न होने देने के लिए सरकार के पास क्या शक्तियां हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य-मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

इन दिनांक पर मूल्य	164/165 डब्ल्यू० बी० के मर्सिडीज ट्रकों की कम्पनी से निकलते समय की खुदरा कीमत	
	भारी (मोडल 1210)	हल्का (मोडल 312)
1 नवम्बर, 1969	40,247	38,180
1 नवम्बर, 1969	38,097	36,530
1 नवम्बर, 1968	37,814	36,282
1 नवम्बर, 1967	36,653	35,220
1 नवम्बर, 1966	33,041	31,882
1 नवम्बर, 1964	उत्पादन नहीं हो रहा है	28,921
1 नवम्बर, 1962	वही	27,073
1 नवम्बर, 1960	वही	26,390

टिप्पणी :— उत्पादन कर तथा निर्मित गाड़ियों पर लिए जाने वाला अधिभार इस मूल्य में अतिरिक्त है ।

(ग) वाणिज्यिक गाड़ियों के मूल्य पर वर्तमान में कोई अनौपचारिक या सांविधिक नियंत्रण नहीं है । फिर भी यदि वाणिज्यिक गाड़ियों पर सांविधिक नियंत्रण की आवश्यकता आती है तो सरकार को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18 (क) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पर पर्याप्त शक्तियां प्राप्त हैं ।

बिहार में बड़े उद्योग

*195.. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री वि० प्र० मंडल :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने, चौथी योजनावधि में राज्य में बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए भारत सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). बिहार सरकार द्वारा तैयार किये गये 'फोर्थ फाइव इयर प्लान बिहार' के मसौदे के प्रारूप में बिहार सरकार की चौथी योजना के प्रस्ताव दिये गये हैं, जिस पर योजना आयोग में 18 और 19 अक्तूबर को विचार-विमर्श किया गया था। चौथी योजना अवधि में राज्य में बड़े उद्योग स्थापित करने के बारे में बिहार सरकार से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना काल में केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं तथा उस पर किये जाने वाले विनियोजन के बारे में ड्राफ्ट फोर्थ फाईव इयर प्लान रिपोर्ट के पृष्ठ 253-260 में उल्लेख किया गया है। उसमें चौथी योजना काल में बिहार में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं के बारे में भी बताया गया है। जहां तक परियोजनाओं के स्थान का संबंध है, जिनके स्थान के बारे में अभी तक निश्चय नहीं किया गया है, उसके बारे में यह बता सकना कि इनमें से कौन सी परियोजना बिहार में स्थागित की जायेगी, संभव नहीं है।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में कटक-परादीप लाइन का निर्माण

*196. **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण-पूर्व रेलवे में कटक-परादीप लाइन का निर्माण-कार्य पूरा करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि कटक में हुए उद्घाटन समारोह में भूतपूर्व रेलवे मंत्री श्री पुनाचा ने घोषणा की थी कि निर्माण 1970-71 में पूरा हो जायेगा ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय द्वारा घोषित वर्तमान क्रम बद्ध कार्यक्रम से नई प्रक्रिया धीमी नहीं हो जायेगी तथा अन्ततोगत्वा निर्माण कार्य पूरा होने में विलम्ब नहीं होगा ; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस परियोजना के इंजीनिजर-इन-चार्ज के पृथक पद को समाप्त कर दिया गया है तथा इसका कार्यभार अब उस व्यक्ति को सौंप दिया गया है जो अब हल्दिया परियोजना की देखरेख कर रहा है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार, आशा है कि यह लाइन 1972 के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेगी।

(ख) श्री पुनाचा ने कहा था कि यह काम 1971 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) यह चरणबद्ध कार्यक्रम लाइन के प्रत्येक सिरे पर लोह अयस्क लादने तथा उतारने की सुविधाओं से सम्बन्धित कामों के साथ ही साथ मुख्य लाइन पर किये जाने वाले निर्माण कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से निश्चित किया गया है।

(घ) इस परियोजना के कार्यभारी जिला इंजीनियर का पद समाप्त नहीं किया गया। कटक-परादीप तथा हल्दिया-पांशकुड़ा लाइनों के निर्माण के लिए अलग-अलग जिला इंजीनियर हैं जो कलकत्ता स्थित इंजीनियर प्रधान के अधीन काम करते हैं।

Ashok Paper Mills Ltd. Darbhanga

*197. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Bihar Government have sent any scheme in regard to the Ashok Paper Mills, Bihar ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). Yes, Sir. The Government of Bihar have very recently intimated that they have informed the Government of Assam that they have no objection to the shifting of some of the machines of the Ashok Paper Mills Limited from Darbhanga to Assam, subject to the condition that another unit of the mills for manufacture of 30/40 tonnes per day of high grade paper will be set up at the present site and that the Government of Bihar will afford facilities for the transfer of necessary assets of the Mills to Assam only after the viability of the proposed new unit has been established and effective steps for its implementation have been taken. A Committee consisting, *inter alia*, of representatives of the Bihar and Assam Governments has been formed to process these proposals.

अगस्त और सितम्बर, 1969 में दिल्ली इस्पात की कमी

*198. **श्री मीठा लाल मीना :** **श्री जे० मुहम्मद इमाम :**
श्री कृ० मा० कौशिक : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री चं० चु० देसाई : **श्री रामावतार शर्मा :**

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अगस्त तथा सितम्बर, 1969 के महीनों के दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में इस्पात की भारी कमी होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) संघ राज्य क्षेत्र के उद्योगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए यदि सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है तो क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) और (ग) सारे देश में चपटे पदार्थों की कमी है। उत्पादन में यथासंभव वृद्धि करके तथा आयात के उदारीकरण द्वारा इस कमी को दूर करने का विचार है।

दिल्ली राज्य से संरचनात्मक इस्पात की कमी की भी शिकायतें मिली है। उत्पादकों से अपने माल गोदामों से ऐसे अधिक माल सप्लाई करने के लिए कहा गया हैं।

गांधी जन्म शताब्दी वर्ष में मद्यनिषेध

*199. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गांधी जन्म शताब्दी

वर्ष में देश में मद्यनिषेध विधियों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या योजनायें बनाई गई थी ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : मद्यनिषेध के राज्य विषय होने के कारण, इस मामले पर राज्य सरकारों ने कार्यवाही करनी थी।

कामर्शियल क्लर्कों की पदोन्नति के अवसर

*200. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियुक्ति के बाद कामर्शियल क्लर्कों की पदोन्नति के क्या अवसर हैं ;

(ख) कामर्शियल क्लर्क वर्ग में किन-किन वर्गों को पदोन्नति दी जाती है ;

(ग) किन-किन वर्गों में कामर्शियल क्लर्कों को पदोन्नति मिल सकती है ;

(घ) उपरोक्त भाग (ख) और (ग) में उल्लिखित प्रत्येक वर्ग के लिए दूसरे वर्ग में कितनी प्रतिशत पदोन्नति निश्चित की गई है ; और

(ङ) यदि उनमें कोई विभिन्नता है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रूरकेला में हिंसात्मक घटनायें

*201. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव** : **श्री दे० अमात** :
श्री एस० पी० राममूर्ति : **श्री अजमल खां** :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 अगस्त, 1969 को रूरकेला में हिंसात्मक घटनायें हुई थी ;

(ख) क्या इन घटनाओं के विभिन्न कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(ग) क्या जांच प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उक्त घटनायें विद्यार्थियों और कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विमलगढ़ और तेलचर को रेल द्वारा मिलाये जाने के लिए किये गये आन्दोलन के कारण हुई थी। चूंकि यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न था जिसका उत्तरदायित्व राज्य सरकार पर है, अतः हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारियों अथवा भारत सरकार द्वारा इन घटनाओं की कोई जांच नहीं करवाई गई है।

Management of Bennett Coleman and Co. Ltd.

*202. **Shri Prakash Vir Shastri**: Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether any Government's decision regarding the management of M/s. Bennett Coleman and Co. Ltd. had been filed in a Court in Bombay recently ;

(b) whether it is a fact that the Court has not accepted it ;

(c) whether this decision was taken at the Cabinet level or it was a departmental decision which had the approval of the Prime Minister ; and

(d) if so, the full details of the Government's decision filed in the Court ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) to (d). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2088/69].

भारतीय मानक संस्था द्वारा रिइनफोर्समेंट की प्रक्रिया-संहिता में संशोधन

*203. **श्री शिवप्पा** : **श्री सी० मुत्तुस्वामी** :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि भारतीय मानक संस्था ने रिइनफोर्समेंट की प्रक्रिया-संहिता अर्थात् आई० एस० 456, में संशोधन कर दिया है जिससे कि निर्माण कार्य में यदि सामान्य छड़ों और सरियों के स्थान पर अधिक तनाव वाली छड़ों और सरियों का प्रयोग किया जाये तो अधिक जोर दिया जा सके ;

(ख) क्या यह सच है कि इस संशोधन का यह प्रभाव होगा कि अधिक तनाव वाली छड़ों और सरियों के प्रयोग से भार में 40 प्रतिशत इस्पात की बचत होगी ? और

(ग) यदि हाँ, तो इस सामग्री का अधिकाधिक उत्पादन करने के लिए जिससे देश को अत्यधिक लाभ हो सकता है सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां। भारतीय मानक संस्था ने भा० मा० 456 में संशोधन किया है जिसके परिणामस्वरूप यदि अधिक तनाव वाली छड़ों और सरियों का प्रयोग किया जाय तो इस्पात पुनर्वलन में अधिक अनुज्ञेय भार डाला जा सकता है। दो अलग-अलग मानक बनाये गये हैं। एक जिसमें गर्म बिरूपित्त छड़ों का प्रयोग किया जाता है और दूसरा, जिसमें कंक्रीट-पुनर्वलन के लिए ठंडी बिरूपित मुड़ी हुई छड़ों का प्रयोग किया जाता है।

(ख) इस्पात की बचत प्रयोग में लाये गये कंक्रीट की किस्म तथा पुनर्वलित कंक्रीट के लिये अपनाए गये डिजाइन पर निर्भर करती है। कुछ दशाओं में अधिक मजबूत मुड़ी हुई छड़ों का अधिक अच्छी किस्म के कंक्रीट के साथ प्रयोग करने से तथा पुनर्वलन के लिए परिणामी भार वाली डिजाइन से साधारण इस्पात के सरियों के भार में 40 प्रतिशत तक कमी की जा सकती है। सामान्य रूप से 25-30 प्रतिशत के लगभग बचत होती है।

(ग) 1968 में इस प्रकार के इस्पात के प्रयोग का प्रचार करने और इसके साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। उक्त वर्ष में टाटा आयरन एण्ड स्टील कंपनी, इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी और हिन्दुस्तान स्टील लि० के भिलाई और दुर्गापुर के कारखानों में अधिक तनाव वाली मुड़ी हुई छड़ों के उत्पादन के लिए क्षमता बनाई गई। टाटा ने 1968-69 में 15,000 टन मुड़ी हुई छड़े बेची। चालू वर्षों में उनका 60,000 टन माल सप्लाई करने का विचार है। पिछले वर्ष हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों का उत्पादन 3360 टन के लगभग था। इस वर्ष 30,000 टन या 40,000 टन तक उत्पादन होने का अनुमान है। आशा है इस वर्ष इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी का उत्पादन 30,000 टन के लगभग हो जायेगा। आशा है कि इस वर्ष सर्वतोमुखी इस्पात कारखानों में इन छड़ों का उत्पादन 20,000 टन हो जाएगा जबकि पिछले वर्ष उत्पादन केवल 20,000 टन था। बिलेटों की वर्तमान कमी के कारण, विशेष कर उपर्युक्त काम के लिए आवश्यक परिक्षित किस्म के बिलेटों की खपत के कारण पुनर्वेलकों के उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ा है। सर्वतोमुखी कारखानों द्वारा उत्पादन को बढ़ाने के लिए और कदम उठाये जा रहे है।

B. G. Line from Delhi—Shahdara to Saharanpur

*204. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2189 on the 5th August, 1969 and state :

(a) whether the survey work for the construction of Broad-Gauge line from Delhi-Shahdara to Saharanpur has since been completed ;

(b) if so, when the construction work is likely to be started and when it is expected to be completed ; and

(c) if not, the causes of delay ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri P. Govinda Menon) : (a) to (c) The field work on the survey has almost been completed and the report and estimate are under compilation. A decision regarding the construction of the line will be taken after the survey report is submitted to the Railway Board and is examined by them.

रूरकेला में इस्पात कारखाना स्थापित करना

*205. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री जनार्दनन

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा प्रस्ताव है रूरकेला में एक विशिष्ट इस्पात कारखाना स्थापित किया जाये जो वर्तमान इस्पात कारखाने से संलग्न हो ;

(ख) क्या सरकार विशिष्ट इस्पात कारखाना स्थापित करने के लिए जापान से सहायता मांग रही है ; और

(ग) प्रस्तावित कारखाने की उत्पादन क्षमता क्या है और उसकी अनुमानित लागत क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पत) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने सुझाव दिया है कि रूरकेला इस्पात संयंत्र में एक सी०आर०जी०ओ० चादर संयंत्र स्थापित किया जाये ।

(ख) इस संयंत्र को स्थापित करने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड जापानी तकनीकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है ।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा सुझाई गई उत्पादन क्षमता इस प्रकार है :

कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटिड चादरें	24,000	टन प्रति वर्ष
कोल्ड रोल्ड नान-ग्रेन ओरिएंटिड चादरें	36,000	
	60,000	

सम्पूर्ण कारखाने के लिये अनुमानित विनियोजन लागत 45 करोड़ रु० है ।

मैसर्स मर्टिन एण्ड कम्पनी से रेलवे लाइनों का प्रबन्ध लेना

*206. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में मैसर्स मार्टिन एण्ड कम्पनी द्वारा प्रबन्धित रेलवे लाइनों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर हां में हो तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) मैसर्स मार्टिन बर्न लि० द्वारा प्रबन्धित छः गैर-सरकारी रेलों में से तीन उस क्षेत्र के जिला बोर्ड के ठेके के अन्तर्गत परिचालित हैं जहां वे अवस्थित हैं और इन रेलों में केन्द्रीय सरकार की न तो वित्तीय दिलचस्पी है न उन्हें हस्तगत करने का सांविधिक अधिकार है । उस समय के भारत सचिव (अब राष्ट्रपति) से ठेके पर परिचालित अन्य तीन रेलों में से एक अपने निर्माण काल से ही निकटस्थ सरकारी रेलवे द्वारा चलायी जा रही है । बाकी दो रेलों के ठेके में खरीदने के अलावा सरकार द्वारा उनके प्रबन्ध हाथ में लेने की कोई व्यवस्था नहीं है । ठेके के अधीन समय-समय पर जब कभी खरीदने का समय आता है, सरकार द्वारा इनके खरीदने के प्रश्न पर विचार किया जाता है ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

आयातित वस्तुओं और उपकरणों के स्थान पर काम आने वाली देशी वस्तुओं और उपकरणों का उत्पादन

*207. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सभी वस्तुओं और उपकरणों का पता लगा लिया है और

उनकी सूची तैयार करली है जिनका भारत के उद्योगों में अभी निर्माण नहीं हो सका है और इस कारण उनका आयात आवश्यक हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक कारखाने में क्या विशेष कार्य-क्रम तैयार किये गये हैं जिससे सूचि में से उतनी वस्तुओं का निर्माण किया जा सके जितना कि निर्माण करना संभव हो तथा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव क्या है ; और

(घ) लक्ष्य की पूर्ति के लिए सरकार ने क्या पग उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). सरकार के अन्य विभागों के परामर्श से विदेश व्यापार विभाग द्वारा 1969-70 के वर्ष के लिए प्रकाशित आयात व्यापार नियंत्रण नीति में उन वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनका देश में पूर्णरूपेण अथवा आंशिकरूप से आयात करने की अनुमति है क्योंकि देश में या तो इनका बिल्कुल ही उत्पादन नहीं हो रहा है। ज्यों हीं एक वस्तु, के उत्पादन की देशी क्षमता स्थापित हो जाती है अथवा मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन होने लगता है तो ऐसी वस्तु को आयात करने के प्रयोजन के लिये निषिद्ध सूची में रख दिया जाता है।

(ग) उद्योग के संगठित तथा लघु दोनों क्षेत्रों के उद्यमियों को ऐसी वस्तुओं के निर्माण का विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिनका इस समय आयात किया जा रहा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में एककों की संख्या अत्यधिक होने के कारण प्रत्येक एकक के लिए कार्यक्रम बना सकना संभव नहीं है।

(घ) आयात को निरन्तर कम करने के लिये उठाये जाने वाले पगों में ये सम्मिलित है—

(1) पूर्व स्वीकृत आयातों की निरन्तर समीक्षा करते रहना और जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिससे सुनिश्चिय किया जा सके कि ऐसे संयंत्र तथा उपकरण जो देश में ही प्राप्त हो सकते हों उन्हें बाद में आयात करने की अनुमति न दी जाये।

(2) आयात की वस्तुओं विशेषरूप से अधिक मूल्य वाली और सामरिक महत्व की वस्तुओं को अलग-अलग करने के निरन्तर प्रयास करना जिससे देश के अन्दर ही प्राथमिकता के आधार पर उनके उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके।

(3) आयातित कच्चे माल पुर्जों तथा फालतू हिस्सों का इसी विशिष्ट विवरण वाले, अथवा इससे मिलते-जुलते विशिष्ट विवरण वाले पुर्जों के स्थान पर देश में निर्मित सामान तथा पुर्जों का प्रयोग करना।

(4) उत्पादन की प्रत्येक इकाई में आयातत कच्चे माल तथा पुर्जों की खपत को कम करना।

(5) रसायनों तथा रसायन उत्पादनों के निर्माण में आधारभूत कच्चे माल से लेकर उनके मध्यवर्ती पदार्थों का अधिकाधिक प्रयोग करना।

(6) यथासंभव कम से कम समय में अधिक से अधिक देशी वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अवस्थाबध निर्माण कार्यक्रम को तेज करना।

(7) पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों की अधिक सख्ती से जांच पड़ताल करना जिससे ऐसे संयंत्रों तथा उपकरण आदि का जो देश में पहले ही बनाये जा रहे हैं, अथवा बनाये जाने वाले हैं आयात की अनुमति न दी जाये ।

(8) केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों से सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देश देना कि वे प्रारम्भ से ही परियोजनाओं की योजना बनाते समय तकनीकी विकास का महानिदेशालय से सम्पर्क रखें ताकि ऐसी वस्तुएं जो देश के अन्दर ही विकसित होने की क्षमता रखती हैं, समय के अन्दर योजना न बना सकने के कारण आयात करने की अनुमति न दे दी जाये ।

(9) आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र में कार्य को प्रोत्साहन देने की योजना भी चल रही है जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्तियों तथा संस्थानों को, जो आयात में बचत बढ़ाने के व्यवहारिक सुझाव देते हैं, पुरस्कार दिये जाते हैं ।

(10) सरकारी तथा गैरसरकारी दोनों क्षेत्रों के विभिन्न परियोजना प्राधिकारियों को विदेशी से सहयोगियों सभी बनी हुई वस्तुओं के खांके प्राप्त करने के निदेश देना जिससे भारतीय उत्पादक इन खाकों की सहायता से आवश्यक देशी उपकरणों का उत्पादन कर सकें ।

(11) राज्य सरकारों तथा केन्द्र के विभिन्न प्राधिकारियों को किसी भी संयंत्र और उपकरण को चाहे वह उपहार रूप में ही हो, स्वीकार करने से पूर्व काफी पहले तकनीकी विकास का महानिदेशालय से परामर्श ले लेने के निदेश देना जिससे देश में तैयार की जा रही वस्तुओं के अप्रत्यक्ष आयात को रोका जा सके ।

Production Target of Steel

*208. **Shri Maharaj Singh Bharti :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether Government have made an changes in the target of production of steel in view of its consumption in the country and its export and if so, the details thereof; and

(b) the type and the quantum of steel to be produced by the end of Fourth Five Year Plan and the important industries to be established in the country on that basis ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (K.C. Pant): (a) In view of the long gestation period required to set up capacity for steel making, change in the production target, keeping in view the consumption in the country and export possibilities, is not possible in the short term. However, keeping this in view, a ten-year perspective for steel capacity required in the country is under examination.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Taking into account the completion of the schemes already in hand, availability of

various categories of steel from the main steel producers by the end of the 4th Plan period would be :

		('000 tonnes)
1.	Bars and rods	849
2.	Wire rods	374
3.	Structurals	1254
4.	Rails	639
5.	Fish Plates	16
6.	Sleepers	68
7.	Wheel sets	95
8.	Narrow, heavy and wide plates	342
9.	Skelp	405
10.	HR Sheets strips and narrow, light plates	1087
11.	CR sheets and strips	617
12.	Tinplates	180
13.	Galvanised sheets	279
14.	Electrical sheets (dynamo grade)	67

The new proposals under consideration include :

(1) expansion of Bhilai, (2) a plate mill, (3) continuation of Bokaro to second stage, (4) action to new steel plants.

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को कोककर कोयले की सप्लाई

*209. श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री झारखण्डे :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के अधीन इस्पात कारखानों के सामने यह समस्या आ रही है कि उनको घटिया किस्म का कोककर कोयला सप्लाई हो रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोककर कोयले की सप्लाई अपर्याप्त और अनियमित है ; और

(ग) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है कि इस्पात कारखानों को बढ़िया किस्म का कोककर कोयला पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्णचन्द्र पंत) : (क) और (ख). इस समय हिन्दुस्तान स्टील लि० के कारखानों को पर्याप्त मात्रा में कोकिंग कोयले की सप्लाई हो रही है । फिर भी, विभिन्न प्रकार के अपेक्षित कोयले की आपूर्ति को बनाए रखने की समस्यायें हैं ।

(ग) सरकार ने हाल में क्वालिटी को देखने के लिए एक समिति नियुक्त की है । इस

समिति ने संयुक्त रूप से कोयले के नमूने लेने की सिफारिश की है। हिन्दुस्तान स्टील लि० सरकार के परामर्श से तथा कोयला-उत्पादकों से बातचीत करके इस सिफारिश के अनुसार कार्यवाही कर रही है।

World Bank Loan for Special Schemes

*210. **Shri Ram Sewak Yadav :**
Shri Beni Shanker Sharma :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether the Railway Board is holding negotiations for securing loans from the World Bank for some special schemes :

(b) if so, the particular schemes for which this loan is required and the amount thereof ; and

(c) whether these negotiations between the World Bank and Railway authorities have reached at a final Stage ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Indian Railway delegation held negotiations with the International Development Association (an affiliate of the World Bank) during August and September, 1969 for a credit of US $ 55 million equivalent.

(b) This credit is not intended to be used for particular schemes only. The proceeds of this credit will be utilised for meeting the major part of the foreign exchange expenditure of Railways during 1969-70 and 1970-71 for the import of components and materials for manufacture of diesel and electric locomotives and electrical multiple unit, coaches and for import of equipment, components and raw materials for over-head electrification, signalling and telecommunication schemes.

(c) Yes. An agreement for a Credit of US $ 55 million equivalent was signed on 24th September, 1969.

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड

1201. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड के चेयरमैन ने हाल ही में मद्रास में यह स्वीकार किया था कि श्रमिक झगड़े के कारण उनका कारखाना जुलाई अगस्त, सितम्बर, 1969 के लिये फिल्म उद्योग को कोरी फिल्म नहीं दे सका और यदि हां, तो गत दो वर्षों में इस कारखाने में किस प्रकार की और कितनी बार हड़ताल हुई तथा इन हड़तालों में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया ;

(ख) तैयार की गई कोरी फिल्म की घटिया किस्म के बारे में फिल्म निर्माताओं से कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा वे किस प्रकार की थीं ;

(ग) गत दो वर्षों में कितनी तथा कितने मूल्य की कोरी फिल्म तैयार की गयीं और इसमें से कितनी मात्रा फिल्म उद्योग द्वारा प्रयोग में लाई गई ; और

(घ) कोरी फिल्म की किस्म को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) दि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पना लिमिटेड को फिल्म उद्योग द्वारा की गई कच्ची फिल्म की समूची मांग के पूरा करने में कुछ कठिनाई महसूस हुई है। ऐसा होने का कारण आंशिक रूप में श्रमिक अशांति और कुछ देशी कच्चे माल के इस्तेमाल से उत्पन्न आंशिक तकनीकी कारण और अभी हाल ही में कच्ची फिल्म की मांग में हुई वृद्धि है। फिर भी, श्रमिकों की कोई हड़ताल नहीं हुई हैं।

(ख) जुलाई-सितम्बर 1969 की अवधि में 34,000 रोल की बिक्री करने पर केवल 7 शिकायतें मिली हैं, जिनका सम्बन्ध मुख्यरूप से फिल्म में सूराख होने तथा उसमें खुरच पड़ जाने की खराबी से है।

(ग) सिने फिल्म पाजिटिव (ब्लैक एण्ड व्हाइट) का उत्पादन 1967-69 तक तथा 1968-69 में क्रमशः 0.799 मिलियन बर्ग मीटर तथा 977,483 वर्ग मीटर है और इसकी बिक्री क्रमशः 71.71 लाख रु० तथा 1.46 करोड़ रु० की है।

(घ) प्राप्त शिकायतों को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान फोटो फिल्म द्वारा किस्म में सुधार करने के लिये कदम उठाए गए हैं।

गुजरात में रेलवे लाइनों पर डीजल से रेल गाड़ियां चलाने की योजना

1202. **श्री नरेन्द्रसिंह महीडा** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में यात्री यातायात तथा माल परिवहन के लिये कुछ रेलवे लाइनों पर डीजल से रेल गाड़ियां चलाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा किन रेलवे लाइनों के बारे में किया जायेगा ;

(ग) इस प्रयोजन के लिये चौथी योजना में क्या लक्ष्य निश्चित किये गये हैं ; और

(घ) यदि उक्त भाग (ग) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके लिये सविस्तार कारण क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ) डीजल रेल इंजनों से गाड़ियां चलाने का काम भारतीय रेलों के विभिन्न खण्डों की परिचालन एवं यातायात सम्बन्धी प्रत्याशित आवश्यकताओं पर आधारित एक चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार किया जा रहा है। गुजरात में रेल मार्गों पर डीजल रेल इंजनों से गाड़ियां चलाने के लिये अलग से कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है।

पश्चिम रेलवे की अंकलेश्वर राजपीपला लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

1203. **श्री नरेन्द सिंह महीडा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा बांध योजना के फलस्वरूप पश्चिम रेलवे की अंकलेश्वर-राज-पीपला लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की योजना की मंजूरी दे दी गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो कार्य के कब तक आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस कार्य को आरम्भ करने के प्रश्न पर नर्मदा बांध योजना की अन्तिम रूप से मंजूरी दे देने के पश्चात विचार करेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) इस खंड के आमान परिवर्तन के सवाल पर तभी विचार किया जायेगा जब यातायात में इतनी वृद्धि प्रत्याशित हो कि उसे मौजूदा छोटी लाइन से न सम्हाला जा सके ।

पश्चिम रेलवे के विरार अहमदाबाद सैक्शन का विद्युतीकरण

1204. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम रेलवे के विरार-अहमदाबाद सैक्शन का विद्युतीकरण करने के बारे में निर्णय कर लिया है ;

(ख) इस कार्य को कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है और यह कार्य विरार तथा बुलसर तथा सूरत, तथा बड़ौदा और बड़ौदा और अहमदाबाद के बीच लगभग कितने समय में पूरा हो जायेगा ; और

(ग) इस कार्य पर कितना व्यय किया जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) समूचे खण्ड में विद्युतीकरण का काम पहले ही शुरू हो चुका है । वर्तमान प्रत्याशाओं के अनुसार, विभिन्न खण्डों का विद्युतीकरण नीचे लिखे समय तक पूरा हो जाने की आशा है:-

विरार-बलसाड़	1972-73
बलसाड़-बड़ौदा	1971-72
बड़ौदा-अहमदाबाद	1971-72

(ग) इस योजना पर 32.05 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है, जिसमें चल-स्टाक की लागत शामिल नहीं है ।

गुजरात में उद्योगों का विकास

1205. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि गुजरात सरकार ने पैट्रो-रसायन तथा कृषि मशीनों के निर्माण के क्षेत्र में अनेक चुने हुए उद्योगों के विकास के लिये एक अभियान आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है कि परिवहन उपदान देने केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क घटाने और विकास सम्बन्धी छूट बढ़ाने जैसे प्रोत्साहन देने आवश्यक होंगे जिससे कि प्रर्याप्त पूंजी तथा तकनीकी जानकारी उपलब्ध हो सके ;

(ग) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ; और

(घ) औद्योगिक कार्यक्रम का विकास करने में उनकी सहायता करने के लिए किस प्रकार की केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) : (क) से (घ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

मैसर्स लक्ष्मी आटोसाइकल्स को लाइसेंस दिया जाना

1206. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वचालित साइकलों/मोटरों तथा स्वचालित गाड़ियों के साथ लगी कारों का निर्माण करने हेतु लाइसेंसों के प्राप्त हुए 96 आवेदन-पत्रों में से केवल 91 आवेदन पत्रों को सरसरी तौर पर ही रद्द कर दिया गया तथा उनमें से चुने गये पांच आवेदकों में से केवल मैसर्स आटोसाइक्ल्स को निर्माण लाइसेंस इसलिये दिया गया क्योंकि उनका पोलैण्ड के के साथ, जो एक साम्यवादी देश है, सहयोग है और यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण थे ;

(ख) 96 आवेदन-पत्रों में से कितने आवेदकों ने साम्यवादी देशों के साथ तथा कितने आवेदकों ने गैर-साम्यवादी देशों के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया था और उन देशों के नाम क्या हैं ;

(ग) लक्ष्मी स्वचालित आटोसाइक्ल्स के मालिकों अथवा निदेशकों के नाम क्या हैं, कारखाना कहां स्थित है तथा उत्पादन किस तारीख को आरम्भ हो जायेगा और स्वचालित साईकिलों का विक्रय मूल्य क्या होगा ; और

(घ) जिन चार आवेदकों के आवेदन-पत्र अभी विचाराधीन हैं उनके नाम क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) : (क) मार्च, 1965 में जारी की गयी सार्वजनिक विज्ञप्ति के फलस्वरूप स्वचालित साईकिलों/मोटरों तथा स्वचालित गाड़ियों के बनाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए 96 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे । सभी आवेदन पत्रों की विस्तृत जांच की गई तथा स्वचालित साइकिलों, पांच योजनाएं स्वचालित गाड़ियों को बनाने के हेतु आशय पत्रों को स्वीकृत करने के लिए पांच योजनाएं चुनी गयी । बाकी की योजनाएं रद्द कर दी गई । बाद में मैसर्स लक्ष्मी आटोसाइकल्स लिमिटेड सहित पांच चुनी हुई पार्टियों को आशय पत्र जारी किये गये । इन आशय पत्रों को पार्टियों द्वारा आशय पत्रों की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् औद्योगिक लाइसेंसों में बदलना था । मैसर्स लक्ष्मी आटोसाइकल्स ने उनको जारी किये गये आशय पत्र की सभी शर्तों को पूरा कर दिया था अतः उन्हें एक औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किया गया है । बाकी की चार पार्टियों साथ ही मैसर्स लक्ष्मी आटोसाइकल्स ने जिन्हें आशय पत्र स्वीकृत किये गये थे, आशय पत्र की शर्तों को अभी तक पूरा नहीं किया है । ज्यों ही वे शर्तों को पूरा करेंगे, उन्हें भी औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत हो जायेंगे ।

(ख) प्राप्त 96 आवेदन पत्रों में से पोलैण्ड के साथ 6, युगोस्लोवाकिया के साथ 1, पूर्वी जर्मनी के साथ 2, फ्रांस से 4, जापान के साथ 4, इंगलैंड से 5, इटली से 9, पश्चिमी जर्मनी से 3, स्वीडन से 1, तथा अमरीका के साथ 2 ने सहयोग करने का प्रस्ताव किया है तथा बाकी के आवेदकों ने या तो देशी नमूने तैयार किये है या विदेशी सहयोगियों के नाम नहीं बताये हैं।

(ग) लक्ष्मी आटोसाइकल्स के स्वत्वाधिकारियों अथवा निदेशकों के नाम ये हैं :-

(1) श्री वी० एम० राव

(2) श्री ए० विश्वेश्वर राव

(3) श्री ए० एल० कुमार

(4) श्री पी० आर० रामकृष्णन

यह नया उपक्रम दण्डकारण्य (उड़ीसा) में स्थापित होगा। औद्योगिक लाइसेंस की शर्तों में से एक के अनुसार, पार्टी को नये उपक्रम को 10 सितम्बर, 1970 तक स्थापित करना है। पार्टी ने स्वीकार किया है कि उनकी गाड़ी का कारखाने से निकलते समय का विक्रय मूल्य 700 रु० से अधिक नहीं होगा।

(घ) स्वचालित साइकिलों के बनने के लिए स्वीकृत किये गये आशय पत्र वाली अन्य पार्टियां ये हैं :

एटलस साइकिल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, सोनीपत, सैन एण्ड पंडित लिमिटेड कलकत्ता, जे० जे० इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन कलकत्ता तथा हिन्दुस्तान स्टील प्रोजेक्ट्स, नई दिल्ली।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की श्रमिक समस्या

1207. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में श्रमिकों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और घेराव तथा श्रमिकों की अन्य प्रकार की कुरीतियों के कारण संचालन कुशलता में अब भी बाधा पड़ रही है ;

(ख) पिछले वर्ष श्रमिकों में अनुशासनहीनता के कारण कितने घेराव तथा अन्य घटनाएं हुई ;

(ग) श्रमिकों में अनुशासनहीनता के कारण पिछले वर्ष संयंत्र को कितनी वित्तीय हानि हुई :

(घ) इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार द्वारा कौन से व्यवहारिक कदम उठाए गए ; और

(ङ) क्या सरकार अपने यू० पी० के विशेषज्ञों के इस सुझाव पर कि संघ को उत्तर प्रदेश में स्थानान्तरित किया जाय सक्रिय रूप से विचार कर रही है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : (क) पिछले कुछ महीनों में दुर्गापुर इस्पात कारखाने की श्रमिक स्थिति में कुछ सुधार हुआ है यद्यपि

स्थिति को किसी तरह भी सामान्य नहीं कहा जा सकता और उत्पादन में शायद ही कोई सुधार हुआ है।

(ख) वर्ष 1968 में एक घेराव, तीन आम हड़तालें बन्द, पांच पूर्ण रूपेण और चौदह आंशिक कार्य-स्थगन, धीमी कार्य गति के चार उदाहरण कार्य करने के 20 उदाहरण और प्रदर्शन प्रतिनिधि मंडल भेजने के 116 उदाहरण घटित हुए।

(ग) लगभग 39 मिलियन रुपये।

(घ) शिकायत निवारण क्रिया विधि वर्तमान है और कर्मचारियों की वास्तविक शिकायतों पर हमेशा पूरा-पूरा विचार किया जाता है। सामूहिक और व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने के लिये मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न स्तरों पर लगातार बातचीत होती रहती है। कई प्रश्नों पर समझौता भी हो चुका है। इसके अतिरिक्त कानून और व्यवस्था कायम रखने के लिए राज्य सरकार से भी सहयोग की मांग की जाती है। राज्य सरकार द्वारा उत्पादन किये जाने के बाद हिन्दुस्तान स्टील एम्पलाइज यूनियन को 5 अगस्त 1969 से प्रतिनिधि मजदूर-संघ के रूप में मान्यता दे दी गई है।

(ङ) सरकार को किसी ब्रिटिश विशेषज्ञ द्वारा किये गये ऐसे किसी प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है।

मल को सिर पर उठा कर ले जाने की पद्धति का समाप्त किया जाना

1208. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मल को सिर पर उठाकर ले जाने की पद्धति को समाप्त करने के बारे में मलकानी समिति की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने अब तक राज्यवार कितना धन व्यय किया है ;

(ख) किन राज्यों में मल को सिर पर उठाने की पद्धति को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) राज्यों में इस व्यवस्था को समाप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और इस सामाजिक सुधार को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि मन्त्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) अब तक खर्च किए गए रुपये का राज्यवार ब्यौरा सभा-पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाख की राशियों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	
1.	आंध्र प्रदेश	27.49
2.	असम	3.48

1	2	3
3.	बिहार	12.43
4.	गुजरात	5.40
5.	महाराष्ट्र	7.45
6.	केरल	7.30
7.	मध्य प्रदेश	4.50
8.	मद्रास	15.19
9.	मैसूर	5.65
10.	उड़ीसा	5.54
11.	पंजाब	16.34
12.	राजस्थान	8.47
13.	उत्तर प्रदेश	18.92
14.	पश्चिम बंगाल	9.77
15.	जम्मू तथा काश्मीर	3.69
16,	हरियाणा	1.15
17.	नागालैंड	—
	जोड़	152.77

(ख) और (ग). विष्ठा को सर पर ढोने की प्रथा के उन्मूलन की योजना में कुछ प्रगति हुई है । विशेषकर केरल तथा महाराष्ट्र में यह प्रथा लगभग समाप्त हो गई है । अलबत्ता कुछ स्थानों पर मेहतरों में सफाई के लिए जागीरदारी प्रथा (रुढ़िगत अधिकार) होने तथा रुढ़िवादी मेहतरों द्वारा काम के नए तरीकों को अपनाने में हिचकिचाहट के कारण इन सिफारिशों पर अमल करना कुछ कठिन हो गया है ।

मनुष्यों द्वारा विष्ठा को ढोया जाना सूखे शौचालयों के निर्माण पर रोक लगाने से तथा सभी सूखे शौचालयों को कलश शौचालयों में परिवर्तित करने से ही बंद किया जा सकता है । गांधी शताब्दी वर्ष में इस कार्यक्रम पर विशेष बल दिया गया है । अलबत्ता, इस कार्यक्रम पर बड़े पैमाने पर खर्च के साथ-साथ नगरपालिका तथा अन्य कानूनों में संशोधन करना होगा ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, राँची का कार्यकरण

1209. **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 अक्तूबर 1969 के इकानोमिक टाइम्स में प्रेग कंफलिक्ट

परसिस्ट्स एट एच० ई० सी०, ए० ई० सी० में प्रेग विवाद का जारी रहना शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि रूस और चैकोस्लोवाकिया के विशेषज्ञों के बीच दुर्भावना के कारण हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन के काम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ; और

(ग) क्या वह सदन को आश्वासन दे सकते हैं कि चैकोस्लों-वाकिया के विशेषज्ञों को निश्चित अवधि से पूर्व परियोजना छोड़कर जाने से रोकने के लिए समुचित उपाय किये गये हैं जिससे कि फाण्डरी फोर्ज परियोजना के पूर्ण रूप से चालू होने में और अधिक बिलम्ब न हो ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इस समय चेक विशेषज्ञों का आना और जाना सामान्य और प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार है । अतः विशेषज्ञों के समय से पहले जाने से कार्य पर प्रभाव पड़ने का कोई सवाल ही नहीं है ।

इस्पात की मांग

1210· **श्री विरेन्द्र कुमार शाह** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात के विभिन्न वर्गों की मांग के आंकड़ों से यह पता चलता है कि मार्ग दर्शी दल के प्राक्कलनों कें जिनके आधार पर इस्पात के लिए चौथी योजना बनाई गई थी, बहुत ही अपर्याप्त सिद्ध होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां तो क्या उनके मन्त्रालय ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात की मांग को वर्णानुक्रम एवं वर्गानुक्रम से पुनः निर्धारित करने का प्रयत्न किया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह शीघ्र मांगों का पुनः अध्ययन करवा कर उसके निष्कर्ष सभा पटल पर रखेंगे ?

इस्पात तथा भारी इंजनीयरिंग मंत्रालय भें राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द पंत) : (क) से (ग). कर्णधार समिति के प्राक्कलन दीर्घकाल अथात् चौथी और पांचवी योजना अवाधयों के तक के लिये थे । लम्बी अवधि के लिए प्राक्कलन मोटे तौर पर ठीक प्रतीत होते हैं ।

मांग का पुनर्निधारिण एक सतत प्रक्रिया है । हाल में मंत्रालय में इस्पात की कुछ वस्तुओं की मांग का अध्ययन किया गया है और किया जा रहा है । चौथी योजना के लिए कार्यक्रम में वर्तमान मांग और निर्यात की संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा ।

उल्टा डांगा रोड रेलवे स्टेशन (पूर्व रेलवे) पर माल डिब्बे का टूटना

1211. **श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 12 सितम्बर, 1969 को कलकत्ता के निकट उल्टाडांगा रोड रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर माल डिब्बे छोड़कर सामान निकाल लिया गया था ; और

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

रूरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों में ईरान के तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण

1212. **श्री चमलाकान्त भट्टाचार्य** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पोहन में ईरान के रूस द्वारा निर्मित इस्पात कारखाने में सहयोग देने के लिये हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के साथ करार को अन्तिम रूप देने के लिये विशेषज्ञों का एक उच्च स्तरीय दल भारत आ रहा है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूरकेला तथा भिलाई में टोलियों में ईरान के 500 तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में नेशनल ईरानियन स्टील कारपोरेशन तथा हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के बीच पहले ही एक करार हो चुका है ;

(ग) यदि हां, तो इस करार तथा ठेके का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन को भारत के लिए क्या उपयोगिता है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हिन्दुस्तान स्टील लि० से मालूम हुआ है कि ईरान के राष्ट्रीय इस्पात निगम ने कम्पनी से इस्पोहन स्थित इस्पात कारखाने के लिए एक औद्योगिक इंजीनियरी विभाग खोलने हेतु सहायता देने के लिए कहा है और इस सम्बन्ध में तीन ईरानी अधिकारी शीघ्र ही भारत आने वाले हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) करार के अनुसार हिन्दुस्तान स्टील लि० ने 500 से ऊपर ईरानी प्रविधिज्ञों को लगभग दो वर्ष तक अपने इस्पात कारखानों में प्रशिक्षण देना स्वीकार किया है । कारपोरेशन सम्मत प्रशिक्षण-व्यय तथा भोजन और निवास, आन्तरिक यात्रा, डाक्टरी इलाज आदि के प्रासंगिक व्यय देगा ।

(घ) इस से दोनों देशों के बीच उद्योग, वाणिज्य और आर्थिक विकास के क्षेत्र में सहयोग और मित्रता के सम्बन्ध और भी दृढ़ होंगे तथा हिन्दुस्तान स्टील लि० को इस्पात के निर्माण में अपने अनुभव का दूसरे विकासशील देशों को लाभ देने का अवसर मिलेगा ।

मशीनों का आयात

1213. **श्री सोमसुन्दरम** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में अब तक प्रत्येक देश से किस किस्म की मशीनों का आयात किया गया तथा उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई ;

(ख) इन मशीनों का आयात करने के क्या कारण थे ;

(ग) 1968-69 में अब तक प्रत्येक देश को किस किस्म की मशीनों का निर्यात किया गया तथा उनसे जितनी विदेशी मुद्रा की आय हुई ; और

(घ) उसी अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित अथवा खोई गई ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क), (ग) और (घ). विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2089/69**]

(ख) इन मशीनों को आयात करने का कारण यह है कि इनकी देशी उद्योगों में आवश्यकता है और ये देशी संसाधनों से प्राप्त नहीं हुई।

Theft of Dynamo Belt at Kanpur

1214. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1968 an inspector of the Railway Protection Force Kanpur, had arrested Shri Baij Nath, proprietor of a firm, who had stolen dynamo belt belonging to the Railways ;

(b) if so, the result thereof ;

(c) whether it is a fact that the said dynamo belt on which the words "Indian Railways" were written, was supplied to the Railways by the Bengal Welding Company, Calcutta ; and

(d) if so, whether Government have permitted the said company to sell in the market the goods bearing the marks of the 'Indian Railways' ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) The case has been registered on Crime No. 35 u/s 3 Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966, at the R. P. F. Post Kanpur and is still under investigation.

(c) The said dynamo belts were manufactured by Bengal Belting Works, Calcutta, but were not found to be according to specification No. IRSE 1463 ; hence were not accepted by the Railway.

(d) The matter is still under investigation.

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की रूस यात्रा

1215. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने रूस की यात्रा की ; और

(ख) यदि हां, तो रूस के अधिकारियों ने उन्हें कितने दिनों के लिये वीजा दिया था ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) तीन दिन के लिए ।

औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी नीति जांच समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

1216. **श्री स० कुण्डू** : **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री हुचे गौडा : **श्री जे० के० चौधरी** :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग तथा औद्योगिक लाइसेंस सम्बंधी जांच समिति के बीच अनेक महत्वपूर्ण मामलों के बारे में मतभेद है ;

(ख) यदि हां, तो किन मामलों पर मतभेद है ; और

(ग) क्या उन मतभेदों के कारण उक्त समिति की सिफारिश क्रियान्वित नहीं हो सकी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंसीकरण के मामले में योजना आयोग के विचार ड्राफ्ट फोर्थ प्लान अभिलेख में दिये गये हैं और औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति ने अपने विचार अपनी रिपोर्ट में दिये हैं, जिसकी एक-एक प्रतियां सभी सदस्यों को दी जा चुकी हैं। यद्यपि इस मामले में मूल उद्देश्य मोटे तौर पर समान है, दोनों निकायों की कुछ विशिष्ट सिफारिशों में थोड़ा अन्तर है ।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की दोनों रिपोर्टों तथा योजना आयोग की भी सिफारिशों, दोनों पर आर्थिक मन्त्रालय के सहयोग से सरकार विचार कर रही है ।

जयपुर में विधि मंत्रियों का सम्मेलन

1217. **श्री एस० एम० कृष्ण** **श्री यज्ञदत्त शर्मा** :
श्री ए० श्रीधरन : **श्री हरदयाल देवगुण** :
श्री क० लकप्पा : **श्री जय सिंह** :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स में 15 अक्तूबर, 1969 को प्रकाशित उस समाचार की ओर गया है, जिसमें कहा गया था कि अक्तूबर, 1969 में जयपुर में विधि मन्त्रियों का एक सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों के नाम तथा संख्या क्या है ?

(ग) उसमें किस प्रकार का विचार-विमर्श किया गया तथा क्या क्या निर्णय किए गए ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप-मन्त्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) जी हां। हिन्दी भाषी राज्यों के विधि तथा भाषा मन्त्रियों का एक सम्मेलन, संघ के विधि मन्त्री की अध्यक्षता में 13 और 14 अक्तूबर, 1969 को जयपुर में हुआ था।

(ख) सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रधान व्यक्तियों की एक सूची सभा के पटल पर रख दी गई है (परिशिष्ट 'क')। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2090/69]

(ग) सम्मेलन का आयोजन मुख्य रूप से हिन्दी भाषी राज्यों के विधि विभागों तथा न्यायालयों की भाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के विषय में इन राज्यों में विद्यमान विनिश्चयों, विधियों, आदेशों, संगठनों की बनावट तथा प्रक्रियाओं का पुनर्विलोकन करने के लिए तथा हिन्दी को विधान निर्णयों, डिक्रियों आदेशों आदि की प्रधान भाषा बनाने के उपायों पर विचार करने के लिए किया गया था। एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशें दी गई हैं (परिशिष्ट 'ख')। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2090/69]

(घ) सम्मेलन की सिफारिशों की परीक्षा हो रही है।

फर्मों द्वारा विदेशियों की नियुक्ति के नियमितीकरण के लिए परमिट पद्धति

1218. **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री मोहन स्वरूप :
श्री श्रीनिवास मिश्र
श्री अजमल खां :
श्री महेन्द्र माझी :
श्री नन्द कुमार सोमानी :
श्री रा० की० अमीन :
श्री दे० अमात :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से चल रही फर्मों द्वारा विदेशियों की नियुक्ति के विनियमन के लिए 'परमिट पद्धति' लागू करने का एक विचार सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो वह प्रस्ताव किस स्थिति में है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). साधारण तथा विदेशियों का प्रवेश वीसा विनियमों से नियमित है। फिर भी, वर्तमान में ये राष्ट्र-मण्डल देशों के नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। इस बारे में प्रक्रिया की एकरूपता का प्रश्न विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विदेशियों की नियुक्ति के विनियमन के लिए "परमिट पद्धति" के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा।

पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों का विकास

1219. **श्री लोबो प्रभु** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस निर्णय को ध्यान में रखते हुए कि पिछड़े क्षेत्रों में लगाये गये उद्योगों को 10 प्रतिशत पूंजी दी जायेगी और पांच वर्ष के लिये निगम कर से छूट दी जायेगी, क्या पहले से विद्यमान ऐसे अलाभप्रद उद्योगों के कारण करों तथा मूल्यों में हुई वृद्धि का कोई हिसाब लगाया गया है ;

(ख) चूंकि इसका भार उन करदाताओं पर पड़ता है जो पहले से दबे हुए हैं और उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिनकी संख्या मूल्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कम हो गई है, पिछड़े क्षेत्रो में औद्योगीकरण का लाभ किन लोगों को होता है ;

(ग) क्या पिछड़े क्षेत्रों के उद्योगों से स्थानीय लोगों और आसपास के क्षेत्रों को होने वाले लाभ का अनुमान लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ;

(घ) यदि हाँ, तो क्या लाभ हुए हैं ; और

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों में सड़कों, मकानों, सिनेमाओं जैसी सुविधाओं का विकास न किये जाने के क्या कारण हैं जिन पर कि, भिन्न आधारभूत ढांचों पर आधारित कारखानों की अपेक्षा कहीं कम लागत आती है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). आवश्यक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

इंजीनियरी तथा तकनीकी स्नातकों के लिये औद्योगिक सहकारी समितियों का गठन

1220. **श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे** : क्या औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्ण रूप से इंजीनियरी तथा तकनीकी स्नातकों के लिए औद्योगिक सहकारी समितियों के गठन के लिए सरकार ने कोई योजनाएं बनाई हैं ; और

(ख) क्या विशाल सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आसपास लघु उद्योगों के अन्तर्गत सहायक उद्योग बनाने के बारे में आरक्षण करने की सरकार की हाल की घोषणा से इंजीनियरी स्नातकों की औद्योगिक सहकारी समितियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) सरकार ने इन्जीनियरों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के बहुत से उपायों को स्वीकार कर लिया है । इन स्वीकृत उपायों में से एक उपाय यह है कि इन्जीनियरों को निर्माण कार्य करने अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी मशीनों की मरम्मत करने के केन्द्र खोलने के लिए सहकारी समितियां स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए ।

लघु उद्योग स्थापित करने के इच्छुक इन्जीनियरों को वित्तीय सहायता देने के लिए नमूने की एक योजना इस मन्त्रालय द्वारा तैयार की गई है और वह विचार करने तथा राज्य की योजनाओं से सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकारों को भेज दी गई है। इस योजना के अधीन औद्योगिक सहकारी समितियों को अधिमान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, योग्यता प्राप्त इन्जीनियरों/तकनीशियनों की सेवाओं का उपयोग चुनी हुई औद्योगिक सहकारी समितियों में प्रबन्धकों/सचिवों के पद पर करने हेतु प्रोत्साहन देने वाली एक योजना भी राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

(ख) जी, हां।

हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज निर्माण कारखाने का स्थापित किया जाना

1221. **श्री नन्द कुमार सोमानी :**
श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रस्ताव 1963 से सरकार के विचाराधीन है ;

(ग) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश में इस कारखाने की स्थापना में इतना अधिक समय लगने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). मैं० श्रीगोपाल पेपर मिल्स लि० को हिमाचल प्रदेश में अखबारी कागज का एक कारखाना स्थापित करने के लिए 31 जनवरी, 1961 को एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था। हिमांचल प्रदेश सरकार तथा कम्पनी के बीच कच्चे माल की उपलब्धता का निर्धारण करने तथा पट्टे के लिए करार पर बातचीत करने में काफी समय लगा। इस बीच कागज, अखबारी कागज उद्योग को 20 जुलाई, 1966 से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के लाइसेंस देने सम्बन्धी उपबंधों से मुक्त कर दिया गया। कम्पनी तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच पट्टे के विषय में चल रही बातचीत अब अन्तिम अवस्था में पहुंच गई बताई जाती है।

Industries in Pauri-Garhwal (U. P.)

1222. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that timber from the jungles of Garhwal (U. P.) is brought to the plains through the sacred river in that region and big industries are being set up their ;

(b) whether no industry can be established at Pauri-Garhwal where all this timber can be utilised ; and

(c) if so, the reasons on account of which no industry has been established in Garhwal even after twenty-two years of Independence ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

लखनऊ में प्रथम श्रेणी रेलवे क्लर्क द्वारा आत्म हत्या

1223. **श्री क० लकप्पा :** **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1969 के आसपास लखनऊ के एक प्रथम श्रेणी रेलवे क्लर्क श्री एस० एन० मुकर्जी ने आत्म-हत्या कर ली थी ;

(ख) यदि हां तो क्या यह भी सच है कि विष खाने से पूर्व श्री मुकर्जी ने उच्च अधिकारियों को एक पत्र लिखा था जिसमें उसने कुछ रेलवे अधिकारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये थे ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच करवाई है ;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रिपोर्ट मिली है कि उत्तर रेलवे, लखनऊ के टेण्डर क्लर्क, श्री एस० एन० मुकर्जी की 1-9-69 को मृत्यु हो गयी। उनकी मृत्यु किस कारण और किन परिस्थितियों में हुई, इसकी जांच उत्तर प्रदेश की राज्य पुलिस द्वारा की जा रही है।

(ख) रेल प्राधिकारियों को ऐसा कोई पत्र नहीं मिला है।

(ग) और (घ). इस स्थिति में इसका सवाल नहीं उठता क्योंकि यह मामला पहले ही राज्य पुलिस के पास है।

जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता की पूंजी

1224. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लकप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जय इंजीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1969 को उसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी कितनी कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी को 31 अगस्त, 1969 तक केन्द्रीय सरकार, बैंकों अथवा अन्य कम्पनियों से अलग-अलग कितना ऋण प्राप्त हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी धन राशि दी ; और

(घ) उक्त अवधि में कम्पनी के निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1969-70 के लिए इसके क्या अनुमान हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स जय इन्जीनियरिंग वर्क्स, कलकत्ता, 8-11-1935 को निगमित हुआ था। परन्तु कम्पनी का सबसे पहले का वार्षिक लेखा, 30 सितम्बर, 1939 को वर्ष समाप्ति की ही बाबत उपलब्ध है। इस तिथि तक कम्पनी की अधिकृत पूंजी 15 लाख रुपये तथा प्रदत्त पूंजी 5 लाख रुपये थी। 31 मार्च, 1969 तक, कम्पनी की अधिकृत पूंजी 5 करोड़ तथा इसकी प्रदत्त पूंजी 2.47 करोड़ रुपयों की हो गई।

(ख) चूंकि यह कम्पनी इतने पहले अर्थात्, 8 नवम्बर, 1935 को पंजीकृत हुई थी, अतः कम्पनी द्वारा विभिन्न प्रसाधनों से, इसकी सम्पूर्ण अवधि के मध्य, कुल ऋणों की बाबत सूचना देना संभव नहीं है। तथापि, 31 मार्च, 1969 तक शेष ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

प्रतिभूति ऋण		रुपये
ऋण-पत्र		38,02,163
बैंकों से		4,21,60,854
आई० सी० एण्ड आई० सी० आफ० इंडिया लि० से		22,50,000
केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों से		72,626
	योग	4,82,86,643
प्रतिभूति रहित ऋण		
प्रबन्ध अभिकर्त्ता		88,491
सावधि निक्षेप		18,63,194
अन्यों से		2,45,828
	योग	21,97,513
प्रतिभूति एवं प्रतिभूति रहित ऋणों से प्राप्त ब्याज		1,62,399

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के मध्य, जिनके वार्षिक लेखा उपलब्ध है, कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

वर्ष समाप्ति के मध्य दिया गया		रुपये
31 मार्च, 1967		35,97,324
31 मार्च, 1968		37,3?,604
31 मार्च, 1969		36 26,631
	योग	1,09,57,559

(घ) कम्पनी के गत तीन वर्षों के कार्य संचालन के बादत ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े, 000 रु० में)

	31-3-67	31-3-68	31-3-69
बिक्री	12,00,71	12,43,90	14,54,95
करों से पहले लाभ	44,49	41,11	75,38
करों से पश्चा लाभ	16,49	15,41	25,38
इक्विटों लाभांश घोषित किये गये	कुछ नहीं	8%	10%

1569-70 के प्राक्कलन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

पार्क डेविस इंडिया लिमिटेड, बम्बई

1225. **श्री ए० श्रीधरन :** **श्री क० लक्कप्पा :**
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पार्क डेविस इंडिया लिमिटेड, बम्बई की स्थापना के समय और 31 मार्च, 1969 को इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः कितनी कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी को 31 अगस्त, 1969 तक केन्द्रीय सरकार बैंकों अथवा अन्य कम्पनियों से अलग-अलग कितना ऋण प्राप्त हुआ ;

(ग) गत तीन वर्षों में कम्पनी ने ब्याज के रूप में कितनी धनराशि दी ; और

(घ) उक्त अवधि में कम्पनी के निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1969-70 के लिए इसके क्या अनुमान हैं ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स पार्क डेविस (इंडिया) लिमिटेड के निगमन के समय, इसकी अधिकृत एवं

प्रदत्त पूंजी क्रमशः 2 करोड़ तथा 87.50 लाख रु० थी । 30 नवम्बर, 1968 को वर्ष समाप्ति के नवीनतम उपलब्ध वार्षिक लेखों के अनुसार, अधिकृत पूंजी 2 करोड़ रुपयों की ही रही है, परन्तु इसकी प्रदत्त पूंजी, 1.05 करोड़ रुपयों तक हो गई ।

(ख) कम्पनी द्वारा इसके निगमन के समय से, विभिन्न प्रसाधनों से प्राप्त किये गये कुल ऋणों की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि, इसके 30 नवम्बर, 1969 के वार्षिक लेखे के अनुसार, उक्त तिथि तक कोई ऋण शेष नहीं थे ।

(ग) कम्पनी ने, 30 नवम्बर, 1968 की वर्ष समाप्ति में ब्याज के रूप में 6091 रु० दिये । 1966 तथा 1967 के वर्षों के मध्य, कम्पनी ने कोई ब्याज नहीं दिया ।

(घ) कंपनी के गत तीन वर्षों के कार्य संचालन के ब्यौरे निम्नलिखित है :

(आंकड़े '000 रु० में)

	30-11-66	30-11-67	30-11-68
बिक्री	5,27,88	5,38,06	6,36,68
करों से पहले लाभ	2,68,33	2,43,57	2,92,73
करों के पश्चात लाभ	72,98	67,39	1,01,55
लाभांश दिये गये	65%	65%	50%
लाभांश घोषित किये गये	55%	50%	50%

1969-70 के प्राक्कलन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है ।

मैसर्स निरलोन सिंथैटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, गोरे गांव बम्बई

1226. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री क० लकप्पा :
श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निरलोन सिंथैटिक फाइबर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, गोरेगांव (बम्बई) की स्थापना के समय तथा 31 मार्च, 1969 को इसकी अधिकृत तथा प्रदत्त पूंजी क्रमशः कितनी-कितनी थी ;

(ख) इस कंपनी ने 31 अगस्त, 1969 तक सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों से कितना-कितना ऋण लिया था ;

(ग) इस कम्पनी ने गत तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितनी धन राशि का भुगतान किया ; और

(घ) उपर्युक्त अवधि में इसके निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है और वर्ष 1969-70 के लिये इसका क्या अनुमान है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स निरलोन सिंथैटिक किब्रोज एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड, के निगमन के समय,

इसकी अधिकृत एवं प्रदत्त पूंजी क्रमश: 25 लाख तथा 30 हजार रुपये थी। 31 मार्च 1969 को इसकी अधिकृत पूंजी 10 करोड़ तथा प्रदत्त पूंजी 2.31 करोड़ रुपयों की हो गई।

(ख) कम्पनी द्वारा इसके निगमन के समय से, विभिन्न प्रसाधनों से प्राप्त किये गये कुल ऋणों की बाबत सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, 31 मार्च, 1969 तक 69,02,582 रुपयों की राशि का एक ऋण, केवल एक ही प्रसाधन अर्थात दो इन्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इंवैस्टमैंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से प्राप्त, शेष था।

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के मध्य, कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज के ब्यौरे निम्नलिखित है :

वर्ष समाप्ति के मध्य दिया गया	रु०
31-3-1967	2,39,982
31-3-1968	9,92,652
31-3-1969	8,62,784

(घ) कम्पनी के गत तीन वर्षों का कार्य संचालन, निम्नलिखित सारिणी से प्रदर्शित है :

('000 रुपयों में)

	31-3-67	31-3-68	31-3-69
बिक्री	9,38,09	10,66,99	14,01,57
करों से पहले लाभ	4,08,97	3,77,74	2,04,73
करों के पश्चात लाभ	2 01,97	1,99,74	1,16,73
लाभांश घोषित किये गये	15%	15%	15%

1969-70 के प्राक्कलन, सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

प्रबन्ध अभिकरणों सम्बन्धी समवाय अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

1227. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास बैंक के गत वार्षिक प्रतिवेदन के संदर्भ में ऐसी कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने एक मात्र बिक्री एजेन्सियों, प्रबन्ध परामर्श व्यवस्था और बहुकार्यकारी निदेश के पदों द्वारा प्रबन्ध अधिकरणों के विरुद्ध बनाये गये समवाय अधिनियम का उल्लंघन किया है ;

(ख) इन कम्पनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या बैंक के इस निष्कर्ष को कि बड़े व्यापारियों का नये औद्योगिक उपक्रमों में

अपना बहुत कम धन है ध्यान रखते हुए बड़े पैमाने के उद्योगों के प्रस्तावित नियन्त्रण का छोटे अंशधारियों और सरकार को अपने संस्थागत वित्त पर कोई प्रभाव नहीं होगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं को, उनके पहले को प्रबंधित कम्पनियों में, अनन्य विक्रेता अभिकर्ताओं (एक मात्र विक्रेता अभिकर्ता के ही अर्थ में) के पदों पर नियुक्ति, एवं प्रबंध एवं पूर्व-कालिक निदेशकों के पदों पर नियुक्ति, कंपनी अधिनियम के उपबन्धों द्वारा विनियमित है, एवं इस प्रकार की नियुक्तियों के लिये, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक है। किसी विशिष्ट मामले में इस प्रकार का अनुमोदन, कम्पनी के हितों के विभेद एवं चिन्तना को देखते हुए किया जाता है। दूसरी ओर कम्पनियों के प्रबन्ध परामर्शदाताओं के पदों की नियुक्ति के लिये, केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं है वे ऐसे बहुत ही कम मामले प्रकाश में आये हैं, जहां भूतपूर्व प्रबन्ध अभिकर्ताओं को प्रबन्ध परामर्शदाताओं के पदों पर नियुक्त किया गया है। कानून के अन्तर्गत अनुज्ञेय नियुक्तियां इसके विरुद्ध नहीं कही जा सकतीं। फिर भी, इसको दूर करने के लिये, करणीय आवश्यक कार्यवाही हेतु, इस प्रवृत्ति पर, एक तीक्ष्ण दृष्टि रखी जा रही है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इंडस्ट्रीयल डवलपमेंट बैंक आफ इंडिया की अन्तिमतम वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है कि वृहद् परियोजनाओं के प्रवर्तकों का प्रायः जहां तक संभव हो, संस्थानों से अंशदान लेने तथा इस प्रकार के वित्त प्रबन्धन के रूप का आश्रय लेने का प्रयास रहा है कि अपने निज के प्रसाधनों से अनुरूप अंशदान के बिना उनकी स्थिति सुदृढ़ रहे। बैंक ने इस बात पर बल दिया कि प्रवर्तन-उपक्रमियों का जोखिम पूंजी में उच्चतर हिस्सा होना चाहिए एवं उन्हें उधार पर आश्रित नहीं रहना चाहिये। यह एक ठोस सिद्धांत है जिसे, जैसी कि आशा की जाती है, बैंक इस प्रकार के प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही करते समय अपने ध्यान में रखेगा।

Production of Luxury Goods

1228. **Shri K. M. Madhukar** : will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether Government consider it proper to reduce the production of luxury goods in the country and to divert the capital saved thereby to the production of other goods and to other works in order to make up the deficiency of resources for the Fourth Five Year Plan ;

(b) if so, the scheme formulated by Government in this regard ;

(c) the steps taken by Government for the implementation of that scheme and the result achieved ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Through industrial licensing, efforts are made to ensure that scarce resources, including foreign exchange, are channelised in desired directions of production and manufacture. Licensing being, however, primarily a negative instrument such resource diversion is only possible up to a certain extent. The Industrial Licensing Policy

Inquiry Committee have, in their Report, recommended *inter-alia*, that there should be bans for specific periods on the creation of further capacity in luxury-goods industries which make large drafts on scarce resources.

(b) to (d). The various recommendations of the Committee, including the one mentioned above, are under consideration of the Government and the decisions are likely to be announced shortly.

विदेशी सहयोग

1229. **श्री रवि राय :** क्या औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विरोधी सहयोग के क्षेत्र में चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सोच रही है ;

(ख) क्या सरकार ने विलास की वस्तुओं के निर्माण में सहयोग की अनुमति न देने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). विदेशी सहयोग के विषय में सरकार की नीति यह है कि जहां बहुत आवश्यक हो ऐसे ही अनुमति दी जाय। देश में उद्योगों के वृहद् विस्तार तथा वृद्धिगत देशीय तकनीकी के फलस्वरूप ऐसे प्रस्तावों के सम्बन्ध में अत्यधिक चयनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। विलासिता की सामग्रियों के लिये विदेशी सहयोग तब तक सामान्य रूप से नहीं अनुमत किये जाते हैं जब तक कि योजना विशेष रूप से निर्मातान्मुखी न हो।

विदेशी मुद्रा की बचत

1230. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में निर्माण कार्य में भारतीय पुर्जों में वृद्धि लाने के लिये अपेक्षित वस्तुओं के उत्पादन में तेजी लाने में क्रमबद्ध कार्यक्रम और आयात की जाने वाली नई वस्तुएं भारत में बनाने के अनेक प्रयासों के परिणामस्वरूप विदेशी मुद्रा की काफी बचत हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कारण गत तीन वर्षों में वर्षवार विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है ;

(ग) किन-किन वस्तुओं का निर्माण किया गया है जिनमें विदेशी मुद्रा की बचत हुई है ; और

(घ) चौथी योजना में विदेशी मुद्रा की अधिक बचत करने के लिए इस दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र में अपनाये गये अनेक अभ्युपायों के परिणाम स्वरूप विगत 3 वर्षों में विदेशी मुद्रा की कितनी बचत हुई है इसका ठीक ठीक आंकना बहुत कठिन है, लेकिन मोटे तौर पर विगत तीन वर्षों में 100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के बचत का अनुमान है ।

(ग) आयात प्रतिस्थापन कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त उद्योग परिक्षेत्र आ जाता है अतएवं किस किस वस्तु के आयात में कमी हुई है इसकी कोई तालिका नहीं बनाई जा सकती है इसके परिक्षेत्र में समस्त आयात प्रतिस्थापन प्रयत्न आ जाते हैं ?

(घ) विदेशी मुद्रा में अधिक बचत करने की दृष्टि से आगामी वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं ।

(i) आयातित कच्चे माल/हिस्से पुर्जों फालतू पुर्जों का देश में उत्पादित माल, हिस्से पुर्जों तथा उसी विशिष्ट प्रकार के हिस्से पुर्जों अथवा उसी से मिलते जुलते प्रकार के हिस्से पुर्जों द्वारा प्रतिस्थापन करना तथा उनके विकास के लिये प्राथमिकता प्रदान करना ।

(ii) प्रत्येक एकक के उत्पादन में आयातित कच्चे माल तथा हिस्से पुर्जों की खपत में कमी करना ।

(iii) रसायनों तथा रसायन उत्पादों को उनके माध्यमों से उत्पादन करने को प्रगामी रूप से उनके आधार भूत कच्चे माल से उत्पादन करना ।

(iv) अल्पतम समय में देशीय अन्तर्वस्तुओं की बहुलता के हेतु प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम में वृद्धि करना ।

(v) पूंजीगत माल के आयात की भली भांति संवीक्षा करना जिससे कि इस बात का सुनिश्चय हो सके कि देश में उत्पादित हो रहे या भविष्य में उत्पादित किये जाने वाले संयंत्रों तथा उपकरणों का आयात न हो ।

(vi) केन्द्र तथा राज्यों के सम्बन्धित प्राधिकारियों को तकनीकी विकास के महानिदेशालय का सहयोग करने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ताकि इसका सुनिश्चय किया जा सके कि समय पर योजना न होने के कारण वे उपकरण जो देश में ही विकसित किये जा सकते हैं उनके आयाय को अनुमति न प्रदान कर दी जाये ।

(vii) आयात प्रतिस्थापन के क्षेत्र में प्रोत्साहन देने की योजना द्वारा आयात में कमी करने के क्रियात्मक सुझाव देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को पुरस्कार देना ।

(viii) सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की प्रायोजनाओं के प्राधिकारियों के विदेशी सहयोगियों से तैयार वस्तुओं के ड्राइंग प्राप्त करने के अनुदेश देना जिससे इन ड्राइंगों से भारत में हीं ऐसी वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके ।

(ix) ऐसे अनुदेश देना कि विदेशों से उपहारों के प्राप्त करने में भी करार करने से पूर्व तकनीकी महानिदेशालय को सूचित किया जाये जिससे कि देश में उपलब्ध उपकरणों वस्तुओं को आयात का निवारण हो सके ।

मंसूरी एक्सप्रेस गाड़ी के मार्ग में परिवर्तन

1231. श्री **एस० के० सम्बन्धन : क्या रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंसूरी एक्सप्रेस को उसके निर्धारित मार्ग से हटाकर अन्य मार्ग पर चलाया गया था जिसके परिणामस्वरूप चार घंटे से अधिक विलम्ब हुआ ;

(ख) क्या ऐसा एक विशेष व्यक्ति को सन्तुष्ट करने के लिए किया गया था ;

(ग) क्या नये मार्ग पर पेश आने वाले ख़तरों के बारे में यात्रा करने वाली जनता से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). गजरौला मुग़लसराय नारायण खण्ड पर दूसरे विश्वयुद्ध से पूर्व की स्थिति के अनुसार, एक तेज गाड़ी की व्यवस्था करने के लिए जनता द्वारा बार बार मांग करने के कारण 41 अप/42 डाउन दिल्ली-देहरादून मंसूरी एक्सप्रैस गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन करके 9-9-69 से इन्हें इस खंड के रास्ते चलाया गया था। इस मार्ग परिवर्तन के फलस्वरूप इन गाड़ियों की कुल यात्रा में लगने वाले समय में 'अप' दिशा में 45 मिनट और 'डाउन' दिशा में 25 मिनट की वृद्धि हुई। प्रारम्भ में इस गाड़ी के मार्ग परिवर्तन के विरुद्ध जनता के एक वर्ग से जो थोड़ी सी शिकायतें मिलीं उनके उत्तर में उन कारणों का उल्लेख कर दिया गया था, जिनकी वजह से इन गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया था।

नेशनल इन्सुलेटिड केबल कम्पनी बंगाल

232. श्री **ए० श्रीधरन : श्री कं० लकप्पा :**

श्री एस० एम० कृष्ण :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेशनल इन्सुलेटिड केबल कम्पनी पश्चिमी बंगाल की स्थापना के समय और 31 मार्च 1969 को इसकी अधिकृत और प्रदत्त पूंजी क्रमशः कितनी-कितनी थी ;

(ख) इस कम्पनी ने 31 मार्च, 1969 तक सरकार, बैंकों अथवा अन्य फर्मों से कितना-कितना ऋण लिया ;

(ग) इस कम्पनी ने गत तीन वर्षों में ब्याज के रूप में कितनी धन-राशि का भुगतान किया ;

(घ) गत तीन वर्षों में इसके निष्पादित कार्य का ब्यौरा क्या है और यदि इसे लाभ अथवा हानि हुई है तो कितनी ; और

(ङ) यदि इसे हानि हुई हैं तो उसके क्या कारण हैं और वर्ष 1969-70 के लिए इसके क्या अनुमान हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मैसर्स नेशनल इन्सुलेटेड केबिल कम्पनी आफ इंडिया लि० के, निगमन के समय की अधिकृत पूंजी एवं प्रदत्त पूंजी उपलब्ध नहीं है। तथापि, इसको 31 मार्च, 1943 के प्रथम उपलब्ध तुलन-पत्र के अनुसार, इसकी अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपये एवं प्रदत्त पूंजी 15 लाख रुपये थी। 1968-69 के वर्ष के इसी प्रकार के आंकड़े, 2.50 करोड़ रुपये तथा लगभग 2.03 करोड़ रुपये के है।

(ख) कम्पनी द्वारा, इसके निगमन के समय से, विभिन्न प्रसाधनों से प्राप्त किये गये कुल ऋणों की बाबत, सूचना उपलब्ध नहीं है तथापि 31 मार्च 1969 तक शेष ऋणों के ब्यौरे निम्नलिखित है :—

प्रतिभूति ऋण	रुपये
सरकार से	कुछ नहीं
बैंकों से (अधिविकर्ष)	44,94,393
ऋण-पत्र	25,00,000
अन्य पार्टियों से ऋण	कुछ नहीं
योग	69,94,393

प्रतिभूति रहित ऋण	रुपये
	कुछ नहीं

(ग) अन्तिमतम तीन वर्षों में से प्रत्येक के मध्य, कम्पनी द्वारा दी गई ब्याज के ब्यौरे निम्नांकित हैं :—

वर्ष समाप्ति के मध्य दिया गया	रुपये
31 मार्च, 1967	7 68,302
31 मार्च, 1968	13,57,241
31 मार्च, 1969	7,87,092
योग	29,12,635

(घ) कम्पनी के गत तीन वर्षों के कार्य संचालन के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :—

('000 रु० में आंकड़े)

	31-3-67	31-3-68	31-3-69
बिक्री	4,72,64	3,26,15	3,82,00
करों से पहले लाभ	73,78	290	694
करों के पश्चात लाभ	33,28	(–) 2,10	3,94
लाभांश घोषित किए गए	20%	5%	5%

(ङ) 1967-68 में, कम्पनी द्वारा उठाई गई हानियों की बाबत, इसके निदेशकों द्वारा उस वर्ष की रिपोर्ट में, सरकारी क्षेत्रों से उपसंपदों को अत्यधिक कमी की क्रौतमाला, साधारण प्रतिसारी प्रवृत्ति, इसके उत्पादनों की बिक्री में ऊंचा कमीशन देना, तथा उत्पादन के मूल्यों में बढ़ोतरी, बतलाया गया था।

1969-70 के वर्ष के प्राक्कलन सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं।

बर्दवान (पूर्व रेलवे) में 9 अप दून एक्सप्रेस गाड़ी का लूटा जाना

1233. **श्री पी० विश्वम्भरन :** **श्री एस० एम० कृष्ण :**
श्री ए० श्रीधरन :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18 अक्तूबर, 1969 को जब 9 अप दून एक्सप्रेस बर्दवान स्टेशन पर थी, तो गाड़ी के सभी यात्रियों का सामान लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिये क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दूसरे दर्जे में सफर करते हुए केवल 15 यात्रियों का, जिनमें अपने परिवार के साथ यात्रा करने वाला एक यात्री भी शामिल है, सामान लूटा गया था, न कि सभी यात्रियों का।

(ख) जब 9 अप दून एक्सप्रेस गाड़ी बडेल से छूटी तो दूसरे दर्जे में यात्रा करने वाले 18-20 नवयुवकों ने अचानक डिब्बों के दूसरे यात्रियों पर आक्रमण कर दिया और छूरे तथा रिवाल्वर दिखा कर 1586 रुपये नकद, 13 घड़ियां और सोने के आभूषण लूट लिये। खन्यान और पाण्डुया स्टेशनों के बीच खतरे की जंजीर खींच कर ये लोग भाग गये। बडेल की सरकारी रेलवे पुलिस ने इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395/397 के अधीत 19-10-69 को मामला सं० 11 दर्ज कर लिया है और अभी तक 9 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

(ग) सामान्य सुरक्षा प्रबन्धों को मजबूत करने के अलावा, निम्नलिखित उपाय भी किये गये हैं :—

(i) इस प्रकार के अपराधों के लिये जिम्मेदार अपराधियों की धर पकड़ के लिये सादे पोशाक में जिला पुलिस, सरकारी रेलवे सुरक्षा दल के दस्ते भी गठित किये गये हैं।

(ii) राज्य पुलिस ने रात में चलने वाली सवारी गाड़ियों में पहले के प्रबन्धों को मजबूत कर दिया है।

पश्चिमी तट रेलवे

1234. **श्री पी० विश्वम्भन :** **श्री नाथ पाई :**
श्री ए० श्रीधरन : **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं के महाराष्ट्र सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी तट रेलवे बनाने की एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस योजना पर विचार किया है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस रेलवे लाइन को चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल करने का है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). महाराष्ट्र सरकार ने कोंकण क्षेत्र से होकर आप्टा से गोवा तक एक तटीय रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अभ्यावेदन किया है। धनाभाव के कारण फिलहाल ऐसे रेल सम्पर्क के निर्माण पर विचार करना संभव नहीं है ।

रेल डिब्बों की शयन तथा बैठने के स्थानों की क्षमता संबंधी सूचनाएं लगाना

1235. **श्री भगवान दास :**
श्री कं० हाल्दर :
श्री मोहम्मद इस्माइल :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री गणेश घोष :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल डिब्बों की शयन तथा बैठने के स्थानों की क्षमता सम्बन्धी सूचना पहले डिब्बों के भीतर लगाई जाती थी ;

(ख) क्या इन सूचनाओं को अब मिटा दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इससे भारतीय रेलवे अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन होता है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). सवाल ही नहीं उठता ।

रेल के डिब्बों में पेय जल की व्यवस्था

1236. **श्री भगवान दास :**
श्री बदरुद्दुजा :
श्री कं० हाल्दर :
श्री बि० कु० मोडक :
श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल के डिब्बों में की गई चिलमची जल की व्यवस्था का क्या उद्देश्य है ;

(ख) क्या यह जल पीने के योग्य होता है ;

(ग) पानी को आन्तरिक प्रयोग के लिए कितने कितने समय के पश्चात साफ तथा शुद्ध किया जाता है ; और

(घ) क्या रेल के डिब्बों में पीने तथा आन्तरिक प्रयोग के लिए साफ जल की व्यवस्था करने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रेल के डिब्बों में चिलमची हाथ-मुंह धोने के लिए लगायी गयी है।

(ख) जी नहीं।

(ग) सवारी डिब्बों की टंकियों को महीने में एक बार खाली करके साफ किया जाता है। चिलमचियां हर फेरे के अन्त में साफ की जाती हैं।

(घ) जी हां। लम्बे सफर का कुछ चुनी हुई गाड़ियों में।

आटो इंजन साइकिल रिक्शा

1237. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्द साइकिल्स लिमिटेड, बम्बई साइकिल रिक्शाओं को चलाने के लिए, जिनको पेशेवर रिक्शा चलाने वाले इस समय पैरों से चलाते हैं एक आटो इंजन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ;

(ग) पूर्णतया आटो इंजन में चलाने वाली साइकिल रिक्शा पर अनुमानत: कितनी लागत आयेगी ; और

(घ) इस प्रकार की रिक्शा के बाजार में कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां।

(ख) फर्म इन इंजनों का संयोजन करने को तैयार है किन्तु उन्होंने उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है क्यों कि कुछ आयातित वस्तुएं जापानी सहयोग कर्ताओं से प्राप्त होती हैं।

(ग) इंजन युक्त रिक्शा की कीमत के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त नहीं है। भाड़ा सहित ऐसे इंजन की कीमत यदि जापान से आयात किया जाए तो लगभग 525 रुपये हैं।

(घ) फर्म को आयातित सामान मिल जाने पर इन्जनों का उत्पादन शीघ्र प्रारम्भ हो जाने की संभावना है। यह आशा की जाती है कि ऐसे स्थानों से युक्त साइकिल रिक्शा प्राप्ति के उपरान्त शीघ्र ही मिलने लगेंगे।

बोकारो इस्पात कारखाने में श्रमिक विवाद

1238. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बोकारो इस्पात परियोजना के अधिकारियों द्वारा बोकारो इस्पात कामगर यूनीयन के साथ जो मान्यता प्राप्त नहीं है और जो भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के तत्वावधान में लाई जाती है, छंटनी किये गये कुछ कर्मचारियों की बहाली के

बारे में बातचीत करने से इन्कार किये जाने के कारण बोकारो इस्पात कारखाने में उत्पन्न गड़बड़ी तथा उक्त यूनियन द्वारा 'इंटक' के तत्वावधान में चलाई जाने वाली यूनियन के कार्यालय पर आक्रमण किये जाने के समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस गड़बड़ी के पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उक्त झगड़े के कारण इस कारखाने को पूरा करने के कार्य में बाधा पड़ रही है ;

(घ) यदि हां, तो इस गड़बड़ी को समाप्त करने तथा कारखाने को क्षतिग्रस्त होने से और वफादार कर्मचारियों को साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) द्वारा चलाई जाने वाली यूनियन के सदस्यों के आक्रमण से बचाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) इस कारखाने में तथा शहर में व्याप्त वर्तमान स्थिति क्या है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) जानकारी प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(घ) और (ङ) कानून और व्यवस्था बनाये रखने और कारखाने की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने कदम उठाये हैं । कारखाने और नगर में स्थिति अब शान्तिपूर्ण है ।

रेलवे बोर्ड को एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम के रूप में परिवर्तित करने के बारे में वांचू समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश

1239. **श्री जय सिंह :**
श्री गाडिलिंगन गौड़ :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री बि० सू० मूर्ति :
श्री बृजभूषण लाल :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेल दुर्घटनाओं सम्बन्धी वांचू समिति ने रेलवे बोर्ड को एक स्वायत्तशासी सांविधिक निगम के रूप में परिवर्तित करने का सुझाव दिया है ताकि इस संगठन पर बाह्य प्रभाव न पड़ सके ;

(ख) समिति द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुंचने के क्या कारण हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रेल दुर्घटना जांच समिति (1968) ने अपनी रिपोर्ट के भाग II के पैरा 48 में निम्नलिखित विचार प्रकट किया है :

"48 इस तरह के मामलों में राजनीतिक प्रभाव को रोकने का एक अधिक क्रान्तिकारी और आधारभूत उपाय यह हो सकता है कि रेलवे बोर्ड को एक स्वायत्त सांविधिक निगम के रूप में बदल दिया जाये जैसा कि इंगलैंड में है । लेकिन इस सुझाव

के प्रत्येक पहलू की जांच करना और इसकी वांछनीयता के बारे में कोई निर्णय देना इस समिति के कार्य क्षेत्र के अन्दर नहीं है।"

(ख) उपर्युक्त विचार के कारण रिपोर्ट के पैरा 42 से 47 में दिये गये हैं। यह रिपोर्ट 28-8-1969 को सभा-पटल पर रखी जा चुकी है।

(ग) रिपोर्ट के पैरा 48 में केवल विचार प्रकट किया गया है और इस विचार के सन्दर्भ में इस मामले में किसी निर्णय की आवश्यकता नहीं है।

मध्य रेलवे के संगचल कर्मचारियों का वार्षिक डिवीजनल सम्मेलन

1241. **श्री जय सिंह :**
श्री यज्ञदत्त शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान मध्य रेलवे के संगचल कर्मचारियों के वार्षिक डिवीजनल सम्मेलन में की गई इस मांग की ओर दिलाया गया है कि रेलवे संचालन के सभी पहलुओं की जांच करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग नियुक्त किया जाये ;

(ख) मुख्य मांगें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मालूम हुआ है कि मध्य रेलवे में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय रेलवे मजदूर यूनियन ने बम्बई में डिवीजनल रनिंग स्टाफ कांफ्रेंस, में 5-10-69 को इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव पारित किया था।

(ख) और (ग). यूनियन से कोई विस्तृत ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ और जैसे ही ज्ञापन प्राप्त होगा गुण-दोषों को देखते हुए इस मामले पर विचार किया जायेगा।

बिहार में कागज बनाने के कारखाने का स्थापित किया जाना

1242. **डा० सुशीला नैयर :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार राज्य में कागज बनाने का कोई कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर कितनी धन-राशि खर्च होगी ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Utilization of Services of Class III and Class IV Staff Rendered Surplus Due to Shifting of Railway Offices from Sonpur to Samastipur and Banaras

1243. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Ministry of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3248 on the 12th August, 1969 and state :

(a) the nature of work being taken from the Class III and Class IV employees rendered surplus due to the shifting of Offices from Sonpur to Samastipur and Banaras ; and

(b) whether they have been granted forced leave or are being paid without their doing any work ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

बाल अधिनियम, 1960 का पुनर्विलोकन

1244. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन पिछले नौ वर्षों से लागू बाल अधिनियम, 1960 का पुनर्विलोकन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया के कारण विदेशियों को भारतीय बच्चों को गोद लेने में रूकावट आ रही है ; और

(ग) पुनर्विलोकन करने के क्या कारण हैं ।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

रेलवे वाणिज्यिक लिपिक

1245. **श्री ओंकार लाल बेरुआ** : क्या **रेलवे** मन्त्री रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों के बारे में 22 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न सख्या 399 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे वाणिज्यिक लिपिकों से संबंधित सूचना इस बीच एकत्रित कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) सूचना एकत्रित करने में लगभग कितना समय लगेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). अतारांकित प्रश्न 399, जिसका कि 22.7.1969 को अन्तरिम उत्तर दिया गया था, में मांगी गयी सूचना संलग्न अनुबन्ध 'क' में दी गयी है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 2091/69**]

आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क्स एसोसियेशन से अभ्यावेदन

1246. **श्री ओंकार लाल बेरुआ** : क्या **रेलवे** मंत्री 29 अप्रैल, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8018 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया रेलवे कर्मशियल क्लर्क्स एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन का कर्मचारियों के नामों सहित पूर्ण ब्योरा क्या है और उन कर्मचारियों को क्या दण्ड दिया गया;

(ख) क्या दण्ड सही होने के औचित्य को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित मामलों की जाँच कर ली गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(घ) क्या सरकार उन मामलों पर विचार करेगी जिनमें गत दस वर्षों से अथवा इससे अधिक समय से वेतन वृद्धियां नहीं की जा रही हैं ; और

(ङ) क्या सरकार ऐसे भारी आर्थिक दण्ड देने के कारणों का पता लगायेगी तथा भविष्य के लिये नियम निर्धारित करेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) अखिल भारतीय रेलवे वाणिज्यिक क्लर्क एसोसिएशन से प्राप्त जिस अभ्यावेदन का हवाला पिछले प्रश्न में दिया गया था उसकी एक प्रति संलग्न है, जिसके साथ उसके संलग्नक भी हैं जिनमें कर्मचारियों आदि का ब्योरा दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये** संख्या एल० टी० 2092/69]

(ख) से (ङ). जैसाकि पहले 29-4-69 के प्रश्न संख्या 8018 के भाग (ग) के उत्तर में कहा जा चुका है, कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गयी, क्योंकि अनुशासन और अपील नियमों के अनुसार, दण्ड के विरुद्ध ऐसी अपीलें उपयुक्त अपील प्राधिकारियों को की जानी चाहिएं, जो मामलों के गुण-दोष के अनुसार, अपीलों का निपटारा करेंगे।

दिल्ली मेन स्टेशन से पार्सलों की चोरी

1247. **श्री ओंकार लाल बेरवा** :

श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्षों में दिल्ली मेन स्टेशन पर मीटर गेज सैक्शन की विभिन्न रेलगाड़ियों के मुहरबन्द डिब्बों से प्राप्त पार्सलों की चोरी काफी बढ़ गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस सेक्शन पर कुछ पार्सल कुली तथा पार्सल जमादार गत तीन वर्षों से कार्य कर रहे हैं जो चोरी करने वाले व्यक्तियों के साथ मिले हुए हैं।

(ग) यदि हां, तो उन्हें इन सैक्शनों से न बदलने अथवा उन्हें दिल्ली क्षेत्र के बाहर स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उत्तरी रेलवे तथा पश्चिम रेलवे के दावा रोक विभागों (क्लेम्स प्रीवेंशन डिपार्टमेंट) ने इस स्टेशन के आवाजाही स्थान पर भविष्य में चोरियों को रोकने के लिये समय-समय पर "टेस्ट वैगन" तैयार करने के लिये भी कोई कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). दिल्ली जं० स्टेशन के मीटर लाइन पार्सल कार्यालय में जो पार्सल भारिक और पार्सल जमादार काम करते हैं, उन्हें, खिलाफ रिपोर्ट मिलने पर या प्रशासन के हित में आवश्यक होने पर, बदल दिया जाता है। 1967-68 में 4 पार्सल भारिकों को और 1968-69 में एक पार्सल भारिक को चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।

(घ) हाल में मीटर लाइन के लिए कोई 'परीक्षण यान' तैयार नहीं किया गया है। लेकिन दिल्ली स्टेशन पर कभी-कभी रेलवे सुरक्षा दल की दावा निरोध और अपराध शाखा के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त जांच की जाती है।

Manufacture of Wagons by Bharatpur Wagon Factory

1241. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of wagons for which orders have been given now to the Bharatpur Wagons Manufacturing Factory and the rates thereof ; and

(b) the number of wagons manufactured against the supply order last year ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) The details of the orders placed on M/s. Central India Machinery Manufacturing Co. Ltd. Bharatpur against 1969-70 Wagon Building Programme are as under :—

Type of wagons	Nos. ordered	Base price per wagon (excluding free supply items)
		Rs.
BOX	253	51,400
BCX	520	53,900
MBC	1003	21,500

(b) The number of wagons manufactured by M/s. Central India Machinery Manufacturing Co. Ltd. during 1968-69 was is under :—

Type	Quantity
BCX	235
MBC	713

Issue of Licences to Modi Group of concerns

1249. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the number of licences for new industries issued to the Modi Group of Concerns during the last three years ;

(b) the amount of capital likely to be invested in these industries and the time by which they are likely to be started ; and

(c) whether any of the industries have been started with foreign collaboration ?

The Minister of Indutsrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No industrial licence for the establishment of 'New Industrial Undertakings' has been granted to the Modi Group of concerns during the last three years. However, one licence for manufacture of a new article was issued In addition, three letters of intent have been issued for the establishment of new undertakings, two letters of intent for substantial expansion and two for manufacture of new articles.

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the table of the House.

Uniform Civil Code

1250. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Sharda Nand :
Shri Suraj Bhan :
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atat Bihari Vajpayee :

Will the Minister of Law and Social welfare be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 336 on the 5th August, 1969 aud state :

(a) the diffiiculties being experienced by Government in framing a uniform Civil Code ;

(b) whether it is a fact that a suggestion in this regard had also been made in the meeting of the Standing Committee of the National Integration Council ; and

(c) the time by which a final decision is likely to be taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) The difficulties experienced by Government in framing a uniform Civil Code are :—

(i) lack of uniformity of views among the different sections of the s ciety and parts of the country ; and

(ii) conservatiom which always resists any attempt to reformation and change.

(b) Yes, Sir.

(c) The suggestion was not accepted by the Standing Committee of the National Integration Council.

Late Arrival of Passenger Trains

1251. **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the complaints regarding the late arrival of Passenger trains are still persisting ;

(b) whether it is also a fact that the passengers are continuing to experience difficulties on that account ; and

(c) if so, whether Government have under consideration any special scheme to run these trains in time.

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). Although the punctuality performance of certain passenger carrying trains has not been satisfactory particularly on sections where the incidence of factors like alarm chain pulling etc. is heavy, there has been a general improvement in this regard as revealed in the analysis of the running of passenger carrying trains on Indian Railways during the period March to October, 1969.

(c) A close watch is being maintained on a day-to-day basis on the running of all passenger carrying trains and every-thing feasible is being done to ensure their running to time.

Decontrol of Cement from 1.1.70

1252. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Ram Avtar Sharma :**
Shri M. Sudarsanam : **Shri N. Shivappa :**

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether about 150 Members of Parliament belonging to all parties have requested Government to review their decision to lift control over cement from the 1st January, 1970 : and

(b) if so, the final decision taken by Government in this regard ?

The Ministers of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri Ahmed): : (a) Yes, Sir.

(b) Government propose to decontrol the cement industry and abolish freight pooling arrangements with effect from 1.1.1970. The Government would, however, keep a close watch on the situation as it develops and take such remedial measures as may be required.

Shortage of Special Varieties of Steel

1253. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Lakhan Lal Kapoor :**
Shri S. R. Damani : **Shri S. M. Krishna :**
Shri P. Viswambharan :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that there is an acute shortage of some special varieties of steel in the country ;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor ;

(c) the steps being taken by Government to increase the production capacity of these varieties of steel in the country : and

(d) whether Government propose to import steel to meet the internal requirements and, if so, the names of the countries from which the steel is to be imported ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). There is a general shortage of steel at present especially for flat categories like sheets and plates and billets. Government have taken a number of steps to raise production at the steel plants by removing bottlenecks speedily and decisively. Imports of scares categories of steel have also been liberalised from time to time, to meet the require-

ments of actual users to whom licences are issued. As regards countries of import, this will depend on the availability of foreign exchange from different sources.

Government have also approved a proposal from HSL to import flat products in bulk for supply to engineering goods manufacturers who export their products.

Shortage of Steel

1254. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** **Shri Sezhiyan :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether according to a study team appointed by his Ministry there is likely to be an acute shortage of steel if additional steel production capacity in not installed in the country ;

(b) if so, the main findings and recommendations of the said team ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The Steering Group on Iron and Steel appointed at the instance of the Planning Commission indicated in its report that there would be a shortage of steel if schemes already in hand are not completed and additional capacity for certain categories is not installed in the country by the end of the Fourth Plan period.

(b) The Steering Group estimated that there would be a gap of 2.07 million tonnes of various categories of steel products after taking into account the production available from the existing steel plants. The major recommendations include adoption of technological imporvements, balancing facilities etc. in the existing Hindustan Steel Ltd. plants, expansion of Bhilai Steel Plant, completion of Bokaro 1st stage and further continuation to 4 million tonnes capacity, wide plate mill and setting up of electric furnace cum continuous casting units for billets.

(c) Detailed development programme for steel is under the consideration of the Government.

Licence for Setting up Ruhber Factory in Meerut District

1255. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have granted a licence to Modi Group of Industries for establishing a Rubber Factory in Meerut District ;

(b) if so, the terms and conditions thereof and the details of the foreign collaboration, if any ;

(c) whether agricultural land has also been acquired for establishing this factory ;

(d) if so, the basis on which the site has been selected and the land acquired ; and

(e) the expected loss due to this in agricultural production ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). A letter of intent has been granted to M/s. Modi Industries Limited, Modinagar, for the manufacture of 4,00,000 tyres and tubes per annum at Modinagar in Meerut District subject to the following conditions :

(i) the terms of foreign collaboration will be settled to the satisfaction of Government ;

(ii) arrangements for meeting the foreign exchange required for the import of plant and equipment should be settled to the satisfaction of Government ;

(iii) 10% of the production should be exported ;

(iv) manufacture of auto-tyres and tubes will be undertaken with a view to diversifying the production so as to include various types of tyres and tubes in relation to the anticipated demand in consultation with the Directorate General of Technical Development ;

(v) 10% of the capacity proposed to be licensed should be reserved for meeting Defence requirements, if so required.

The terms of foreign collaboration are under consideration.

(c) No, Sir.

(d) and (e). Do not arise.

एक जूनियर स्केल वाले अधिकारी के साथ एक जूनियर स्केल वाले स्टेनोग्राफर की व्यवस्था

1256. **श्री चन्द्रिका प्रसाद :**
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्येक सीनियर स्केल वाले अधिकारी के साथ 210-425 रुपये के वेतनमान वाले एक स्टेनोग्राफर की तथा दो जूनियर स्केल वाले अधिकारियों के साथ 130-300 रुपये वेतनमान वाले एक स्टेनोग्राफर की व्यवस्था की गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि दो जूनियर स्केल वाले अधिकारियों के साथ 130-300 रुपये के वेतनमान वाले एक स्टेनोग्राफर की व्यवस्था की पद्धति से कार्य संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहा है और इससे अधिकारियों और स्टेनोग्राफरों, दोनों को अपने कर्त्तव्यों की सुचारु रूप में निर्वहन करने में अनेक कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार एक जूनियर स्केल वाले अधिकारी के साथ एक जूनियर स्केल वाले स्टेनोग्राफर की व्यवस्था करने के बारे में विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). वर्तमान आदेशों के अनुसार वरिष्ठ वेतनमानों के अधिकारियों को 210-425 रु० और कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों को 130-300 रु० वेतनमान के स्टेनोग्राफर दिये जाते हैं। इन ग्रेडों में स्टेनोग्राफरों के पदों का सृजन क्षेत्रीय रेलों द्वारा काम की मात्रा के आधार पर किया जाता है। वर्तमान व्यवस्था संतोषजनक रूप से चल रही है।

(ग) और (घ). सवाल नहीं उठता।

1970 से सीमेंट का नियंत्रण

1257. **श्री योगेन्द्र शर्मा :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री ईश्वर रेड्डी : **श्री जनार्दनन :**

श्री सेझियान :

क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगामी वर्ष से सीमेंट का विनियंत्रण करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सीमेंट का विनियंत्रण किये जाने के परिणामस्वरूप सीमेंट के मूल्यों में, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां सीमेंट की कमी है, वृद्धि होने की सम्भावना है ; और

(घ) यदि हां, तो मूल्यों की उस वृद्धि को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान 14-4-69 को सदन में मेरे द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

(ग) और (घ). 1-1-1970 को विनियंत्रण लागू होने के पश्चात् ही स्थिति का ठीक-ठीक पता लग सकेगा । फिर भी सरकार जो भी स्थिति उत्पन्न होगी इस पर कड़ी निगरानी रखेगी तथा कठिनाइयों को दूर करने के लिये सभी आवश्यक उपाय करेगी ।

बिड़ला सार्थ समूह और बड़े-बड़े व्यापार गृहों के मामलों की जांच

1259. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री रवि राय :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला सार्थ समूह की फर्मों तथा अन्य बड़े-बड़े व्यापार गृहों के मामलों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके निदेश पद क्या हैं और अयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यह आयोग अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगा ;

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित अनियमितताओं, कमियों तथा अनुचित कार्यों तथा बिड़ला उद्योग समूह की कम्पनियों के विरुद्ध

लगाये गये विशिष्ट आरोपों की जाँच के लिये प्रस्तावित आयोग को सौंपे जाने वाले विचारणीय विषयों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और उनकी घोषणा शीघ्र ही कर दिये जाने की आशा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्टेनलेस स्टील के निर्माण हेतु लाइसेंसों के लिये आवेदन पत्र

1260. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार उन पार्टियों के क्या नाम हैं जिन्होंने स्टेनलेस स्टील के निर्माण हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदनपत्र दिए हैं ;

(ख) राज्यवार उन पार्टियों के क्या नाम हैं जिन को अब तक लाइसेंस दिए जा चुके हैं ; और

(ग) अन्य पर्टियों को लाइसेंस नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र) : (क) से (ग). निम्नलिखित पार्टियों के पास बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए समुचित लाइसेंस हैं (राज्य क्रम से) : —

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	राज्य
1.	मेसर्स वूमिडिवर्स (प्रा०) लिमिटेड मद्रास (इस कम्पनी का नाम अब बदल कर मेसर्स मद्रास एलाय एण्ड स्टेनलेस स्टील लि० हो गया है)।	तमिलनाडु
2.	मेसर्स महिन्द्रा यूजिन स्टील कं० लि० खोपली	महाराष्ट्र
3.	मेसर्स एलाय स्टील प्रोजेक्ट दुर्गापुर	म० बंगाल
4.	मेसर्स मैसूर आयरन एण्ड स्टील लि० भद्रावती	मैसूर

वर्ष 1968-69 में प्राइम बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिए केवल एक आवेदन प्राप्त हुआ था। इस आवेदन का ब्यौरा इस प्रकार है :—

क्रम संख्या	पार्टी का नाम	आवेदन की तिथि	टिप्पणी
1.	मेसर्स प्रेम कन्डक्टर्स लि० अहमदाबाद, गुजरात	20-2-1969	इस लिए अमान्य कर दिया गया क्योंकि बेदाग इस्पात के उत्पादन के लिये और क्षमता की स्थापना की गुंजाइस नहीं है।

इस समय प्राइम स्टेनलेस स्टील के लिए कोई आवेदन पत्र विचाराधीन नहीं हैं।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार यथा समवाय-कार्य मंत्रालय में टाइपराइटरों की मरम्मत पर खर्च

1261. **श्री गाडिलिगन गौड :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री कार्यालयों में टाइपराइटरों की मरम्मत पर किए गये खर्च के सम्बन्ध में 6 मई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8567 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि मेसर्स गोडरेज टाइपराटर्स कम्पनी द्वारा निर्मित हिन्दी अंग्रेजी टाइपराइटरों की मरम्मत । संधारण व्यय असाधरण रूप से अधिक है जबकि उनका कार्यकरण बहुत घटिया है ; और

(घ) यदि हां तो विभिन्न 'मेक' वाले टाइपराइटरों के संधारण और मरम्मत पर 1965, 1966, 1967 और 1968 के दौरान अलग-अलग उनके मंत्रालय के उन कार्यालयों द्वारा कितनी राशि व्यय की गई ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). केन्द्रीय सरकार के बहुत से कार्यालयों से सूचना प्राप्त हो गई है। शेष कुछ कार्यालयों से उत्तर शीघ्र ही प्रत्याशित हैं। जैसा दिनांक 6 मई 1969 में अतारांकित प्रश्न सं० 8567 में पहले ही बताया जा चुका है कि मरम्मत संधारण के व्यय का विवरण नहीं इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि इस कार्य में बहुत अधिक समय और श्रम निहित है।

औद्योगिक लाइसेंसों के लिये विचाराधीन आवेदन

1262. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में औद्योगिक लाइसेंस देने के लिए कितने आवेदन विचारधीन हैं ;

(ख) उन आवेदनों का ब्यौरा क्या है जो ऐसी वस्तुओं के निर्माण के लिए किए गए हैं जिनका आजकल आयात किया जाता है, सम्बन्धित फर्म का नाम क्या है आवेदन कब और किन-किन वस्तुओं के लिए किया गया, उस उद्योग की क्षमता क्या होगी और उसे कहां पर स्थापित किया जायेगा ; और

(ग) इस प्रकार के आवेदनो पर अन्तिम निर्णय करने के विलम्ब के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 1967 से 1969 (31-10-1969 तक) की अवधि में औद्योगिक लाइसेंसों

के लिए 2916 आवेदन पत्र प्राप्त हुए इसमें से 64 आवेदन पत्र 1967 के अनिर्णीत पड़े हैं इसके साथ साथ 887 आवेदन पत्र 1969 के है तथा 149 आवेदन पत्र 1968 के हैं। आयात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण के सम्बन्ध में आवेदनों की अलग-अलग सूची तैयार नहीं की जाती है लेकिन पर्याप्त आयात प्रतिस्थापन से सम्बद्ध प्रस्तावों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। लाइसेंसी करण की प्रणाली ऐसी है कि उसमे देर होना स्वाभाविक है। अंतिम निर्णय करने से पूर्व प्रत्येक आवेदन पत्र पर विभिन्न मंत्रालयों, तकनीकी प्राधिकारियों तथा संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करके उनपर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त बहुत से मामलों में आवेदक अपनी योजनाओं के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम, आवश्यक विदेशी मुद्रा की पूर्ति की व्यवस्था करना तथा विदेशी सहयोग की शर्तों आदि के बारे में अधूरी सूचना भेजते हैं और अक्सर स्पष्टी करण करने के लिए आवेदकों के साथ लिखा पढ़ी करनी पड़ती है। किसी विशेष उद्योग में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के बारे में सभी आवेदन पत्रों पर एक साथ विचार किया जाता है जिससे कि केवल बहुत उपर्युक्त योजना को ही लाइसेंस दिया जा सके। फिर भी जहां कहीं संभव हो, इसे सुप्रवाही बनाने की दृष्टि से लाइसेंसी करण प्रक्रिया पर बराबर विचार करती रहती है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत जिन योजनाओं को लाइसेंस दिया गया है उनका ब्योरा सरकार लगातार प्रकाशित करती है और अनिर्णीत पड़े आवेदनों के ब्यौरे सामान्यतया प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

गैर सरकारी उद्योगपतियों के सहयोग से संयुक्त उपक्रम

1263. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में गैर सरकारी उद्योगपतियों के सहयोग से संयुक्त उपक्रम चालू करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो संयुक्त उपक्रमों के लिए कौन-कौन से उद्योग निश्चित किए गए हैं और गैर-सरकारी उद्योगपतियों की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). औद्योगिक लाइसेंस नीति जाँच समिति ने अन्य वस्तुओं के साथ-साथ यह सिफारिश भी की थी कि जिन नई परियोजना की लागत का बहुत बड़ा भाग सरकारी वित्तीय संस्थाओं से प्रत्यक्ष या उनकी सहयता से जुटाया जाता है परियोजनाएं सामान्यत: सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जानी चाहिये और जहां सरकार यह निश्चित करती है कि ऐसी परियोजनाओं को जिनमें महत्वपूर्ण और सरकारी वित्तीय संस्थाओं की ओर से लगाया गया है, कुछ समय के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में रखा जाये, तो उनको सांझी क्षेत्र में समझा जाये और उसके प्रबन्ध में सरकार को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये। वित्तीय संस्थायें अपने इस उद्देश्य की पूर्ति अपनी समूची सहायता अथवा इसके भाग को ऋण अथवा डिबेंचर जिन को

वे स्वेच्छा से अंशों में परिवर्तित कर सके, के रूप में कर सकती हैं। समिति के यह प्रस्ताव सरकार के वित्त मंत्रालय के विचाराधीन हैं।

Ban on Export of Ferrous Scrap

1264. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) the decision taken on the proposal to ban the export of ferrous scrap ; and

(b) whether any type of such ferrous scrap is being exported at present ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). At present the export of heavy melting scrap, stainless steel scrap and re-rollable scrap is banned. Representations have been received by the Government urging imposition of ban on export of other varieties of scrap also. As no justification has been found for such a step, the export of these items are now allowed to the extent they are surplus to domestic requirements.

Cases of Dacoity and Pickpocketting on Northern and North-Eeastern Railways

1265. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of places where cases of dacoity and pickpocketting respectively have taken place in the trains on the Northern and North-Eeastern Railways in Uttar Pradesh since January, 1969 to date ;

(b) the details of these cases of dacoity and pickpocketting ; and

(c) the postion of such incidents during the corresponding period of the last year as compared to the above period ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

रबड़ की वस्तुएं बनाने वाली मशीनरी के लिये संयन्त्रों की स्थापना

1266. **श्री इसहाक सम्भली :**
श्री जि० मो० विस्वास :
श्री जनार्दनन :
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मयावन :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विदेशी सहयोग के साथ रबड़ की वस्तुएं बनाने वाली मशीनरी के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रस्तावित संयंत्र की स्थापना करने में किन्हीं विदेशी फर्मों ने सहयोग की पेशकश की है ; और

(घ) यदि हां, तो सहयोग देने की इच्छुक फर्मों के क्या नाम हैं और उनके द्वारा किये गये प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) विदेशी सहयोग से रबड़ की वस्तुयें बनाने वाली मशीनों के निर्माण के लिए एक संयंत्र की स्थापना का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। फिर भी निम्नलिखित पार्टियों द्वारा रबड़ की वस्तुऐं बनाने वाली मशीनें बनाने की योजनाओं को सरकार ने स्वीकार कर लिया है :—

(1) मैसर्स ओरियन्टल एलेक्ट्रिक एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता ।

(2) मैसर्स ल्योन, हरबर्ट मैसचिनेनफैब्रिक, फेडरल रिपब्लिक आफ जर्मन ।

(3) मैसर्स सिसी प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई ।

(4) मैसर्स ऐसोसियेट सीमेंट कम्पनोज लिमिटेड, बम्बई ।

(5) मैसर्स नेशनल स्टैन्डर्ड दुनकान लिमिटेड, बम्बई ।

(6) मैसर्स मुकन्द आइरन एण्ड स्टील वर्कस लिमिटेड बम्बई ।

(ख) से (घ). एक विवरण सलंग्न है ।[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 2093/69]

दिल्ली मे लघु उद्योगों की अपर्युक्त क्षमता का उपयोग

1267. **श्री इसहाक सामभली :** **श्री जनार्दनन :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लघु उद्योगों के अधिकांश कारखानों में उनकी क्षमता से बहुत कम उत्पादन हो रहा है ;

(ख) क्या इन कारखानों में क्षमता से कम उत्पादन होने का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी है ;

(ग) यदि हां, तो कच्चे माल की कमी के क्या कारण है ; और

(घ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (घ). यह सच है कि दिल्ली क्षेत्र में लघु क्षेत्र के बहुत से एककों द्वारा अपनी, पूरी क्षमता का उपभोग न कर सकने के अनेक कारण हैं उसमें से एक कारण महत्वपूर्ण कच्चे माल की कमी कम हो जाना भी है। बी० पी० शीटों, जी० पी० शीटों, जी० सी० शीटों आदि जो दुर्लभ श्रेणी के इस्पात के साथ-साथ ई० सी० ग्रेड एल्यूमिनियम तथा जस्ता जैसी

अलौह धातुओं की भी सामान्य रूप से कमी रही है और यह भी कि लघु एककों की पूरी आवश्यकता पर उन्हें कच्चे माल का आवंटन करना भी संभव नहीं हो सका है। इस कमी का कारण अपर्याप्त देशी उत्पादन तथा विदेशी मुद्रा की कमी है। लघु क्षेत्र के लिए कच्चे माल के आवंटन में वृद्धि करने के बारे में उपाय किये जा रहे हैं। 1969-70 की आयात लाइसेंस नीति के अनुसार वास्तविक उपभोक्ताओं को दुर्लभ श्रेणी के इस्पात के आयात की भी अनुमति दे दी गई है।

रेल गाड़ियों में अपराध

1268. **श्री जगेश्वर यादव :** **श्री सरजू पाण्डेय :**
श्री जनार्दनन : **डा० प० मंडल :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष में रेलगाड़ियों में अपराधों की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) रेलगाड़ियों में अपराधों को रोकने के लिये क्या उपाय किए गये हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) 1967 की तुलना में, 1968 के दौरान चलती रेल गाड़ियों में अपराध की घटनाएं कुछ अधिक हुई थी। लेकिन 1969 में (जून, 1969 तक) 1968 की उसी अवधि की तुलना में यात्री गाड़ियों और रेल परिसरों में अपराध की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) रोक-थाम के लिए नीचे लिखे उपाय किये जा रहे हैं :

(1) सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा सामान्य पुलिस व्यवस्था को कड़ा करने के अलावा, जैसे कि महत्वपूर्ण स्टेशनों पर निगरानी रखने और अपराधियों और समाज-विरोधी तत्वों की धर-पकड़ के लिए समय-समय पर छापा मारने के अलावा, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार की राज्यों ने सुरक्षा के अतिरिक्त उपाय किये है और इसके लिये प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र गश्त शुरू की गयी है। विशेष शिविर स्थापित किये गये हैं।

(2) यार्डों में या स्टेशन प्लेट फार्मों पर रेल सम्पति की हिफाजत के लिए ड्यूटी पर तैनात रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारियों को सख्त हिदायत दे दी गयी है कि रेल कर्मचारियों या यात्रियों पर हिंसात्मक हमला होने आदि की स्थिति में दौड़कर अपराध-स्थल पर पहुचें और आवश्यक सहायता दें।

Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi

1269. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi, is proposed to be handed over to any organisation ; and

(b) if so, the reasons therefor and the name of the organisation and also the position of the employees of the Khadi Gramodyog Bhavan in that case?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The Khadi and Village Industries Commission has stated that as a matter of policy it has accepted the recommendation of the Asoka Mehta Committee on Khadi and Village Industries that effective and urgent steps should be taken to transfer progressively the activities of the existing Bhavans and Bhandars now under the Commission to registered institutions and other recognised field agencies. No decision has, however, been taken by the Commission in regard to the particular agency to which the Khadi Gramodyog Bhavan, New Delhi may be transferred or the terms for such transfer.

Looting of Puri Passenger Train on 27th October, 1969

1270. **Shri Jageshwar Yadav :**
Shri D. N. Patodia :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 60 dacoits armed with weapons had looted the Puri Passenger Train on the 27th October, 1969;

(b) the estimated or reported value of property looted in the dacoity :

(c) whether the Railway Protection Force was deployed on the train at that time and whether any security arrangements were made ;

(d) whether the Railways has achieved any success in apprehending the dacoits ;

(e) whether the Railway Department would compensate the loss caused to the passengers ; and

(f) whether his Ministry would make arrangements to see and note the licences of armed passengers so that it becomes easy to apprehend persons carrying unauthorised arms ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes. The dacoity was committed by about 20/22 armed miscreants.

(b) 32 wrist watches, 6 golden rings and other valuables (Value not known) were taken away by the miscreants.

(c) Security arrangements on passenger trains are made by the Government Railway Police. This train was not manned by the Railway Protection Force or by the Government Railway Police.

(d) State Police have apprehended 4 criminals and recovered 3 wrist watches and other stolen property from them.

(e) No.

(f) This is a matter for the State Governments to deal with.

Central Assistance for Social Welfare Programme in Uttar Pradesh

1271. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the items of social welfare in respect of which his Ministry has a right to incur expenditure ;

(b) whether the Central Government provide any assistance to the State Governments for the purpose ;

(c) if so, the amount allocated for Uttar Pradesh in the Fourth Five Year Plan for the purpose of social welfare and whether a part thereof would be spent in Bundelkhand, Banda Districts of Uttar Pradesh ; and

(d) how much and on which of the items ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) A statement is attached on major items.

STATEMENT

(1) Education, Training, Welfare and Rehabilitation of the Handicapped.

(2) Pre-Vocational Training Programme.

(3) Family and Child Welfare Programme.

(4) Central Institute of Research and Training in Public Co-operation.

(5) Training of Rural Women in Public Co-operation activities.

(6) Research Training and Pilot Projects in Public Co-operation.

(7) Research, Training and Pilot Projects in Public Co-operation undertaken by States.

(8) Programmes conducted by the Central Social Welfare Board :--

(i) General Grants-in-aid Programme.

(ii) Holiday Camps for Children.

(iii) Urban Welfare Extension Project.

(iv) Welfare Extension Projects.

(v) Condensed Courses of Education of Adult Women.

(vi) Socio-Economic Programme.

(vii) Border Area Programmes.

(viii) Special Child Welfare Programme.

(9) Welfare Extension Projects run by the States.

(10) Rehabilitation of the Displaced Persons.

(11) Special Defence Programme.

(12) Prohibition.

(b) Yes, Sir.

(c) No State-wise allocations have been made in the Fourth Plan for Social Welfare Programmes. Allocations are made yearly.

(d) Does not arise.

Improvement of Jhansi-Manikpur and Banda-Kanpur Lines of Central Railway

1272. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether his Ministry has included any scheme in the Fourth Five Year Plan for the improvement or extension of Jhansi-Manikpur and Banda-Kanpur lines on the Central Railway ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No proposals for the extension of Jhansi-Manikpur and Banda-Kanpur lines during the

IV Plan are under consideration. However improvements to the existing sections are carried out on condition basis

(b) Improvements in respect of relaying of track on Jhansi-Manikpur section have been completed during the II and III Plan and the work of complete track renewal of Banda-Kanpur section is in hand and is expected to be completed during the IV Plan.

Stainless Steel Quota for Manufacturing Hospital Equipments and Utensils

1273. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that stainless steel quota is given only for the manufacture of Hospital equipments ;

(b) whether it is also a fact that the stainless steel quota is not given for the manufacture of utensils ;

(c) if so, whether Government are aware that the people engaged in the utenslis manufacturing trades are being given the quota ; and

(d) the reasons for not checking this practice ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b). The actual users policy permits import of stainless steel on restricted basis for industrial uses except for manufacture of utensils, domestic ware, cutlery, kitchen ware, table top and furniture. Stainless steel is given for the manufacture of Hospital equipments such as sterilisers, dressing drums, autoclaves. operation tables etc.

(c) and (d). Some units particularly engaged in the manufacture of hospital instruments and appliances were reported to have misused actual users licenses. The import policy was tightened and new procedure was adopted as per Licensing Instructions issued on 30-1-69. In terms of this, such cases were to be referred back to the sponsoring authorities for a specific reply on the 13 points mentioned in the said Instructions. This was done with a view to plugging any possible disposal of such material in the black market or other misuse. The import policy was again tightened during the current licensing period by issuing instructions that no import of stainless steel items should be issued to units, who were not in existence before 31-3-69.

Cases of Arson on Northern Railway

1274. **Shri Ram Charan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of cases of arson on the Northern Railway during the past six months and the loss suffered thereby ;

(b) whether it is also a fact that a wagon containing electric cables worth lakhs of rupees for the electrification of Allahabad Sub-division caught fire and the contents were destroyed ;

(c) if so, the value of property destroyed and the cause of the fire ; and

(d) who was responsible for the negligence which caused this fire ?

The Minister of law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No case of arson was reported during the past six months (May, 1969 to October, 1969).

(b) No.

(c) and (d). Do not arise.

Loss Suffered in Running of Dining Cars on Northern Railway

1275. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that all the Dining Cars on the Northern Railway are running in loss ;

(b) if so, the reasons therefor and the amount of loss suffered ;

(c) whether it is also a fact that complaints have been made during the last six months against the authorities of the dining cars about pilfering and selling the goods and for making vouchers of fictitious local purchases ; and

(d) if so, the action taken in the matter ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). The Northern Railway are managing the dining car Service only on 1UP/ 2DN Howrah-Delhi-Kalka Mails between Moghalsarai and Delhi. During the year 1968-69, this dining car service sustained a loss of Rs. 1,37,350.53 the reasons for which are as follows :

(i) High staff costs on account of application of Central Government scales of pay, other allowances and liberal service conditions.

(ii) Travelling allowances paid to the staff.

(iii) Issue of more sets of uniforms to staff.

(iv) Heavier incidence of breakages and losses.

(c) and (d). During the last six months only one complaint against the Dining Car Manager, regarding sale of raw provisions has been received. This is under investigation.

Misbehaviour with Foreign Women Tourists between Tundla and Agra Stations

1276. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foreign women tourists were misbehaved recently between Tundla and Agra stations ;

(b) if so, the complete details thereof ; and

(c) the action proposed to be taken by Government against the persons found guilty in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) and (c) While travelling from Tundla to Agra in Ist class compartment of train No. 356 Up on 26-7-69, few local students misbehaved with two foreign girl students. Government Railway Police Station, Agra Cantonment registered a case under section 120 Indian Railways Act and 354 Indian Penal Code against a student of Agra College who has since been challaned. The case is pending trial.

श्री इ० कु० गुजराल का अनेक राज्यों में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराना

1277. **श्री राम सिंह अयरवाल** :

श्री वंश नारायण सिंह :

क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री इ० कु० गुजराल ने अनेक राज्यों में मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज करा रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर उन्होंने अपना नाम मतदाता के रूप में दर्ज कराया है ;

(ग) उन राज्यों के नाम क्या है जहां उन्होंने नाम दर्ज कराने के लिये स्वयं आवेदन किया और मतदाता के रूप में नाम दर्ज कराने के लिये उन्होंने क्या प्रमाण दिये ;

(घ) क्या सरकार अन्य राज्यों से उनका नाम निकालेगी क्योंकि वह दिल्ली में, जहाँ वे रहे हैं, मतदाता के रूप में हें और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) एक से अधिक राज्य में अपना नाम मतदाता के रूप में दर्ज कराने के लिये श्री गुजराल के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उपमंत्री (श्री मु० यूनुस सलीम) : (क) से (ङ). निर्वाचन आयोग को उन निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों के नामों का पता नहीं है जिन में श्री इन्द्र कुमार गुजराल का नामांकन निर्वाचक के रूप किये जाने की बात कही गई है। आयोग के कथनानुसार ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों और राज्यों से सम्बन्धित विशिष्टियों के अभाव में, प्रविष्टियों का पता लगाना निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के लिए संभव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों का लूटा जाना

1279. **श्री समर गुह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में पश्चिम बंगाल में रेलगाड़ियों पर आक्रमण करने और उन्हें लूटने और उनमें डकैतियों की अनेक घटनाएं हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनके कारण कितने मरे, कितनी सम्पत्ति की हानि हुई तथा इस प्रकार की घटनाओं के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) रेलगाड़ियों पर ऐसे आक्रमणों से यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने क्या उपाय किए हैं ; और

(घ) पश्चिम बंगाल में मार्च, 1966 से अब तक रेल गाड़ियों के आने-जाने में कितनी बार बाधा पड़ी, इसके कारण क्या थे और रेलवे विभाग को इस कारण कितनी हानि उठानी पड़ी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) कुछ घटनाएं हुई हैं।

(ख) मार्च से अक्तूबर, 1969 तक की अवधि में डकैती की 5 और लूटमार की 14 घटनाओं की रिपोर्ट मिली। इन सभी घटनाओं में हाथ में बांधने की 32 घड़ियों और सोने की 6 अंगूठियों के अलावा लगभग 25,358 रुपये की सम्पति नष्ट हुई। इन घटनाओं में 19 व्यक्ति घायल हुए। इन सभी घटनाओं को पुलिस द्वारा दर्ज किया गया और उचित ढंग से उनकी जांच-पड़ताल की गयी। इन घटनाओं के सम्बन्ध में अब तक 36 गिरफ्तारियां हुई हैं।

(ग) सामान्य सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के अलावा निम्नलिखित उपाय भी किये गये हैं :

(i) रात के समय चलने वाली सभी सवारी गाड़ियों पर सशस्त्र पहरा देने के लिए राज्य पुलिस द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की गयी है । सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा की जाने वाली व्यवस्था में तेजी लाने के लिये उनको रेलवे सुरक्षा दल कुमुक भी दी गयी है ।

(ii) इन घटनाओं के लिए उत्तरदायी अपराधियों पर निगरानी रखने और पता लगाने के लिए राज्य खुफिया पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल और रेलवे सुरक्षा दल के केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सहायता से एक विशेष अपराध कक्ष बनाया गया है ।

(घ) 1 मार्च से 31 अक्तूबर 1969 तक की अवधि में पश्चिमी बंगाल क्षेत्र में गाड़ी सेवाएं अस्त-व्यस्त होने की घटनाएं हुई । ये घटनाएं मुख्य रूप से गाड़ियों के विलम्ब से चलने और गाड़ियों के समय की कथित अनुपयुक्तता आदि के विरुद्ध प्रदर्शनों के कारण हुई । इनके फलस्वरूप कितना नुकसान हुआ इसके आंकडे उपलब्ध नहीं हैं ।

अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी

1280. **श्री समर गुह :** क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह में आदिम जातियों का तीव्र गति से अन्त हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे आदिवासियों की विगत तथा वर्तमान जनसंख्या, उनकी जातियों का अन्त होने के कारणों का और उनको बचाने के लिये सरकार द्वारा किये गये उपायों का क्या ब्योरा है ;

(ग) इन द्वीप समूहों में वे कौन सी आदिम जातियां हैं जिनमें मैत्री भाव पैदा किया जा सकता है, जिन्हें आधुनिक सभ्य जीवन के ढांचे में ढाला जा सकता है तथा वे कौन सी जातियां हैं जो अभी तक विरोधी स्वाभाव की है तथा सभ्यता के सम्पर्क से दूर है ;

(घ) क्या यह सच है कि जारवार जाति के आदिवासी अभी भी अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के घने जंगलों में जंगली जीवन व्यतीत करते हैं, और उनके शत्रुतापूर्ण रवैये के कारण लगभग 400 वर्ग मील के क्षेत्र में शरणार्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को बसाने के लिये वहां विधिवत प्रशासन लागू नहीं किया जा सका ; और

(ङ) यदि हां, तो उनको सभ्य बनाने तथा उनके जीवन को सुधारने के लिये सरकार ने क्या उपाय किये है ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० [श्रीमती] फूलरेणु गुह): (क) से (ग). अतारांकित प्रश्न संख्या 720, दिनांक 22 अप्रैल, 1969 के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(घ) तथा (ङ). जारवार अब दक्षिण तथा मध्य अण्डमान के पश्चिमी तट पर रहते हैं । प्राप्त हुई रिपोटों के अनुसार उनका रवैया अब भी शत्रूतापूर्ण है और उनके साथ शान्तिपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करना संभव नहीं हो सका है । उनके द्वारा अक्सर हमले किए जाने की सूचना मिली है जारबारों के साथ मैत्रिपूर्ण सम्बन्धों के विकास के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

राजधानी एक्सप्रैस गाड़ियों में खान पान, संगीत तथा सूचना देने सम्बन्धी व्यवस्था के बारे में शिकायतें

1281. **श्री सुमर गुह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी एक्सप्रैस के यात्रियों ने खान पान, संगीत तथा सूचना देने की व्यवस्था के बारे में असंतोष व्यक्त किया है : और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार (एक) डीलक्स गाड़ियों की तरह खान-पान की सेवा पद्धित लागू करने (दो) वर्तमान भड़कीले गानों तथा अत्यधिक हल्के प्रकार के सिनेमा के गीतों के स्थान पर अधिक वाद्य, शास्त्रीय तथा ऊंची श्रेणी के आधुनिक गीतों, एवं टैगोर के गीतों की व्यवस्था, तथा (तीन) हिन्दी तथा अंग्रेजी के साथ-साथ बंगला भाषा में भी सूचनाएं देने की व्यवस्था आरम्भ करने के बारे में विचार करेगी ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). राजधानी एक्सप्रैस से यात्रा करने वाले यात्रियों ने आमतौर पर गाड़ी में खान-पान, संगीत और घोषणाएं करने की व्यवस्था पर सन्तोष प्रकट किया है । जब से राजधानी एक्सप्रैस चलनी शुरू हुई है, तब से इसके यात्रियों द्वारा प्रकट विचारों से पता चलता है कि गाड़ी में परोसे जाने वाले भोजन की लगातार प्रशंसा की जाती रही है जैसा कि यात्रियो द्वारा अंकित अनेक प्रशंसा-टिप्पणियों से स्पष्ट है । भोजन परोसने से सम्बन्धित कुछ प्रबन्धों के बारे में कुछ यात्रियों ने जो कतिपय टिप्पणियां की हैं, उनमें भी स्थिति के आमतौर पर असन्तोषजनक होने का संकेत नहीं मिलता । राजधानी एक्सप्रैस के चालू होने की तारीख, अर्थात 1 मार्च, 1969 से 30 सितम्बर, 1969 तक केवल 19 यात्रियों ने गाड़ी में खान-पान व्यवस्था के बारे में सामान्य किस्म की टिप्पणियां की हैं । इसी अवधि में यात्रियों से 3,514 प्रशंसा-टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं ।

राजधानी एक्सप्रैस में लाउडस्पीकर द्वारा भारतीय और पाश्चात्य दोनों तरह का संगीत सुनाया जाता है । अनेक यात्रियों द्वारा मांग किये जाने पर समय-समय पर पाश्चात्य ढंग का पोप संगीत भी सुनाया जाता है । इसके अलावा आकाशवाणी का विविध भारती कार्यक्रम भी प्रसारित किया जाता है । गाड़ी में भारतीय और पाश्चात्य ढंग का अनेक प्रकार का संगीत सुनाने की व्यवस्था की गयी है ।

गाड़ी में घोषणाएं अंग्रेजी और हिन्दी में की जाती हैं । किसी और क्षेत्रीय भाषा में घोषणाएं करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

रेलवे में कनिष्ठ प्रशासनिक तथा अन्त-प्रशासनिक पदों का दर्जा बढ़ाना

1282. **श्री ज० अहमद :** **श्री क० लक्कप्पा :**

श्री लखन लाल कपूर :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में हाल में बहुत से अधिकारियों के पदों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें कनिष्ठ प्रशासनिक तथा अन्त-प्रशासनिक पदों में बदला गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि एक ओर परिवहन, इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल विभागों और दूसरी ओर सिगनल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और स्टोर्स तथा एकाउन्ट्स के बीच कुछ वर्षों के बाद प्रशासनिक संवर्गों में पदोन्नति के अवसर के मामले में काफी विषमता है और पदों का दर्जा बढ़ाने के बाद यह विषमता और भी अधिक बढ़ गई है ।

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकरात्मक हो, तो संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसरण में इस विषमता को दूर न किये जाने तथा विभिन्न विभागों में पदोन्नति के समान अवसर प्रदान न करने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस दर्जा-वृद्धि के कारण सम्बन्धित कर्मचारियों में असन्तोष व्याप्त है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) वरिष्ठ वेतन मान से कनिष्ठ प्रशासनिक पदक्रम में 148 पदों का और कनिष्ठ प्रशासनिक से मध्यवर्ती प्रशासनिक पद क्रम में 106 पदों का दर्जा बढ़ाया गया ।

(ख) कर्तव्य और जिम्मेदारियों के पुनर्मूल्यांकन से यह पाया गया कि इन पदों के कार्यभार को देखते हुए पदों को उच्चतर वेतन मान में रखना उचित है।

(ग) और (घ). विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति की सरणियां एक जैसी नहीं हैं और उनमें कुछ असमानता है। विभिन्न सेवाओं में काम करने वाले अधिकारियों के कार्यभार और जिम्मेदारियों में, जिनके आधार पर पदों का दर्जा बढ़ाया जाता है, भारी अन्तर रहता है । इसलिये विभिन्न सेवाओं में पदोन्नति की सरणियों में कुछ अन्तर होना अपरिहार्य है ।

(ङ) कुछ अभ्यावेदन मिले थे ।

मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के छोटे कारखानों का बन्द होना

1283. **श्री रा० की अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने अपने मंत्रीमंडल को इस के लिए राजी करवा लिया है कि सरकारी क्षेत्र के छोटे कारखाने बन्द कर दिये जायें ।

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी क्षेत्र के कारखानों को चलाने की शिक्षा देने के लिए प्रख्यात व्यापारियों की सेवाएं मांगने का निश्चय किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्पन पाइप उद्योग में अधिक क्षमता

1284. **श्री रा० को० अमीन** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पन-पाइप उद्योग में काफी अधिक्य क्षमता है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षमता का प्रयोग करने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ;

(ग) क्या इस उद्योग में निर्यात बढ़ाने के प्रयत्न किये गये थे ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) चौथी योजना के प्रारूप में नेशनल वाटर सप्लाई तथा राज्य क्षेत्र में सफाई की व्यवस्था की राशि तीसरी योजना में 106 करोड़ रु० से बढ़ाकर 336 करोड़ रु० और 1966-69 तक तीन वार्षिक योजनाओं में 100 करोड़ रु० कर दी गई है । इससे छोटे पाइपों की मांग में पर्याप्त वृद्धि होगी । इस उद्योग को पर्याप्त मात्रा में कच्चे लोहे की सप्लाई करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं । इन उपायों से ऐसी आशा है कि इस उद्योग में क्षमता का उपयोग करने से काफी सुधार होगा ।

(ग) और (घ). ढले हुए लोहे की मुड़ी हुई पाइपों का साधारण तौर पर पहले से ही निर्यात किया जा रहा है । निर्यात की सुविधाएं बढ़ाने के लिए इंजीनियरी निर्यात सम्बर्धन परिषद् तथा सरकार द्वारा अभी हाल ही में एक शिष्ट मंडल मध्य पूर्व में विशेष बाजारों का पता लगाने के लिए भेजा गया था ।

उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित करना

1285. **श्री जे० के० चौधरी** :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को लघु उद्योगों के लिए आरक्षित करने के बारे में कोई योजनाएं बनाई गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ख). आर्थिक नीति को नया मोड़ देने के लिये सरकार जितना सम्भव हो

उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन के लघु उद्योगों के लिये आरक्षित रखने की सम्भाव्यता की जांच कर रही है। यह समझा जाता है कि इन उद्योगों को लघु उद्योग क्षेत्र के लिये आरक्षित करने से रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। लघु उद्योगों की स्थापना के लिये स्थानीय प्रतिभा तथा नेतृत्व को प्रोत्साहन मिलेगा और उपभोक्ता वस्तुओं की क्षेत्रीय मांग को क्षेत्रीय आधार पर पूरा करने के लिये पर्याप्त सम्भरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

उद्योगों की उपर्युक्त क्षमता को उपभोग में लाना

1286. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योगों में अभी भी कुछ क्षमता अप्रयुक्त है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन उद्योगों में क्षमता अप्रयुक्त है ; और

(ग) इस क्षमता के पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2094/69]

(ग) (1) उद्यमियों को अब तक आयात की जी रही वस्तुओं का उत्पादन करने तथा अपने उत्पादों के स्तर में विविधता लाने के लिये प्रोत्साहित करना।

(2) अनेक उद्योगों पर से लाइसेंस हटाना। तथा

(3) निर्यात बाजार का पता लगाना।

क्रयादेशों की कमी के कारण माल डिब्बा उद्योग में संकट

1287. **रामावतार शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि क्रयादेशों की कमी के कारण देश में माल-डिब्बा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इस संकट का एक कारण रेलवे-द्वारा क्रयादेशों में कमी की जाना है ; और

(ग) यदि हां, तो इस उद्योग के समक्ष आये संकट को दूर करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). माल-डिब्बा उद्योग को उसके हाल के वास्तविक उत्पादन के अनुरूप पर्याप्त आर्डर मिलते रहे हैं।

(ग) सवाल नहीं उठता।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड कार्यकरण परिणाम

1290. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 1969 को समाप्त होने वाले वर्ष के कार्यकरण के परिणाम देखे हैं और क्या कोई प्रगति अथवा ह्रास बताया गया है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्यकरण पिछले वर्षों की अपेक्षा अच्छा है। यदि हाँ, तो लाभ तथा हानि, उत्पादन, बिक्री, निर्माण तथा स्टाक सूची आदि के समम्बन्ध में तुलमात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में यह कम्पनी उन्हीं अधिकारियों द्वारा चलायी जा रही थी यदि हाँ, तो अध्यक्ष, प्रबन्ध-निदेशक, तथा सचिव के नाम क्या हैं और वे कितनी अवधि से इन पदों पर हैं और उनके वेतन, भत्ते आदि क्या हैं और वे किस संस्था से आये हैं ; और

(घ) पिछली त्रुटियों को दूर करने के लिए गत वर्ष क्या विशेष कार्यवाही की गई है क्या जनता में इस कम्पनी की कीर्ति बढ़ाने के लिए कुछ किया गया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) कम्पनी के वार्षिक प्रतिवेदन (1968-69) के अनुसार मन्ढर (मध्य प्रदेश) तथा कुरकुनटा (मैसूर) के सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु निर्माण कार्य, परिशोधित कार्यक्रम के अनुसार, सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है। क्योंकि कम्पनी ने अभी उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया है अतः प्रगति अथवा ह्रास का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) मन्ढर (मध्य प्रदेश) में निर्माणाधीन संयंत्रों में इस वर्ष तक तथा कुरकुटा (मैसूर) में 1970 के अन्त तक कार्य प्रारम्भ होने वाला है। अतः लाभ, हानि उत्पादन, बिक्री आदि के बारे में आंकड़े देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अभी कम्पनी में कोई सचिव नहीं है। अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के बारे में ब्यौरा इस प्रकार है :—

नाम	पद	नियुक्ति की तिथि	वेतन-मान
1	2	3	4
सर्वश्री			
1. डा० वी० केस्कर	अध्यक्ष	24-3-65	आंशकालिक अवैतनिक पद पर। गैर सरकारी निदेशक के रूप में मंडल के निदेशकों। समितियों अथवा उप-समितियों की बैठकों में उपस्थित होने पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर पारिश्रमिक तथा भत्तों के हकदार हैं।

1	2	3	4
2. एच० डी० सिंह	प्रबन्धक निदेशक	25-1-66 से 25-1-69	रु० 2500-100-3000 उत्तर रेलवे से महाप्रबन्धक के रूप में सेवा मुक्त होने पर पुनः नियोजित किया गया।
3. के० एन० मिश्र	—वही—	25-1-69 से 16-10-72	रु० 2500-100-3000 उत्तर प्रदेश सरकार के सार्वजनिक कार्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर।

कम्पनी के पूर्ण कालिक अधिकारी गण केन्द्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित दरों पर भत्ते प्राप्त करने के कार्यकारी हैं।

(घ) सरकार को कम्पनी की नई गलतियों के बारे में जानकारी नहीं है। एक बहु भ्रमण किये हुए तथा अनुभवी आदमी ने भी रगन सलाहकार के रूप में कारपोरेशन में नौकरी शुरू की है।

तुंगभद्रा स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, मैसूर के कार्य संचालन के परिणाम

1291. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने तुंगभद्रा स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड मैसूर के 31 मार्च, 1969 के समाप्त हुए वर्ष के कार्य संचालन के परिणाम देखे हैं और क्या इस काम में कोई प्रगति हुई है या गिरावट आई है ;

(ख) क्या इस कम्पनी का कार्य पिछले कई वर्षों की तुलना में अच्छा रहा है तथा लाभ और हानि उत्पादन, विक्रय निर्यात, तथा स्टाक सूची संबंधी तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में इस वर्ष कम्पनी को वही अधिकारी चला रहे थे और उसके चेयरमैन, प्रबंधक तथा सचिव के नाम क्या हैं और वे इन पदों पर कब से काम कर रहे हैं और उनके वेतन तथा भत्ते आदि क्या हैं और वे किस सगठन या विभाग से इस कम्पनी में आए हैं ; और

(घ) पिछली अवधि की त्रुटियों को दूर करने के लिये गत वर्ष क्या विशेष उपाय किये गये हैं और क्या जनता में इस कम्पनी की ख्याति तथा साख बनाये रखने के लिये कुछ कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां। पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में 1968-69 में उत्पादन कार्य में काफी प्रगति हुई है।

(ख) तुलनात्मक आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपये)

	1966-67	1967-68	1968-69	
(1) टैक्स लगाने से पूर्व लाभ	14.01	15.28	9.64	
(2) उत्पादन का मूल्य	67.50	65.13	72.53	(खरीदारों का
(3) अंतिम बिल	44.14	47.04	99.67	इस्पात छोड़कर)
सूची				
(4) जिन कारखानों में काम चल रहा है	101.17	119.26	92.12	
(5) कच्चा माल	10.1	21.98	25.07	
(6) गोदाम और फालतू पुर्जे	10.16	12.73	14.01	
आर्डर की स्थिति				
(7) प्राप्त आर्डर	57.00	42.00	243.00	

कम्पनी ने कोई निर्यात नहीं किया है ।

(ग) कम्पनी के अध्यक्ष (अंश-कालिक) और प्रबन्ध निदेशक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और सचिव की नियुक्ति कम्पनी करती है । अध्यक्ष अंश-कालिक है और कम्पनी की बैठकों में शामिल होने के लिये यात्रा भत्ता और बैठक फीस के अतिरिक्त कोई वेतन या भत्ता नहीं लेता ।

श्री आर० वी० रमण जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं और जो इण्डियन इन्वेस्टमेंट सेन्टर के कार्यकारी निदेशक थे और अब योजना आयोग के सलाहकार हैं, अप्रैल 1967 से इस कम्पनी के अध्यक्ष हैं । अक्तूबर, 1962 से मई 1968 तक श्री आई० पी० मल्लप्पा, जो मैसूर राज्य से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अवसर हैं, इसके प्रबन्ध निदेशक थे । उनका मासिक वेतन 1360 रु० था । 1 जून 1969 से श्री ए० आर० रवि वर्मा, जो औद्योगिक प्रबंधक पूल के अफसर है, इस कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक है । उनका वर्तमान वेतन 2000-100-2500 के वेतन क्रम से 2100 रुपये हैं । इस समय एक सचिव और कर्मचारी अधिकारी श्री बी० रुद्रप्पा है जो सचिवालय कार्य, कर्मचारी प्रबन्ध और प्रशासन के कार्य के लिए उत्तरदायी हैं । उन्हें 26 सितम्बर 1969 को इस पद पर नियुक्त किया गया और उनका वर्तमान वेतन 600-40-1000 के वेतन क्रम में 600 रुपये मासिक है । अप्रेल 1967 से सितम्बर 1969 तक सचिव का पद खाली था ।

(घ) कम्पनी लाभ कमा रही है । परिचालन में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जा रहे हैं—(1) आदेश प्राप्ति की स्थिति सशक्त करना (2) उत्पादन की मात्रा में वृद्धि और (3) उत्पादन में विविधता लाना ।

मैसर्स एशियन केबल्स द्वारा पोलीथीन की चोर बाजारी

1292. **श्री कंवरलाल गुप्त :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष में मैसर्स के एशियन केबल्स की पोलीथीन की वास्तविक खपत कितनी थी ;

(ख) मैसर्स एशियन केबल्स ने इस वर्ष कितनी पोलीथीन का आयात किया ;

(ग) क्या यह सच है कि भारी विद्युत उपकरण उद्योग-विकास परिषद् के अध्यक्ष श्री डी० डी० देसाई ने सरकार को मैसर्स एशिएन केबल्स द्वारा की गई आयातित् पोलीथीन की कथित चोर बाजारी के बारे में सूचित किया था ;

(घ) यदि हां, तो मैसर्स एशिएन केबल्स के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है और इस फर्म को अब तक काली सूची में शामिल न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस फर्म के विरुद्ध केन्द्रीय जाँच ब्यौरों की जांच का क्या परिणाम निकला है और इस जांच के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) : (क) से (ङ) मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है। चूंकि जांच कुछ अन्य फर्मों के विषय में की जा रही है। जांच पूरा करने में कुछ समय लगेगा।

Royalty on Official Records of Jawaharlal Nehru

1293. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had received a reference to the effect that the royalty on the official records of the late Shri Jawahar Lal Nehru should be given either to Smt. Indira Gandhi or to the Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the opinion given by his Ministry in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social-Welfare (Shri Mohd. Yunus Saleem) : (a) to (c). Presumably, in using the expression "official records" the Hon'ble Member has in mind governmental records in the form of minutes, notes, official communications etc. meant for official use. Government had no occasion to go into the question of royalty payable on their account. However, the right of royalty in respect of them would obviously vest in Government.

डाक व तार विभाग के एक अधिकारी द्वारा रेलवे पास का दुरुपयोग

1294. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री वंश नारायण सिंह :

क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1969 में रेलवे पुलिस ने डाक व तार विभाग जबलपुर के कार्यालय अधीक्षक श्री मलिक को रेलवे पास का प्रयोग करने तथा गलत नाम देने और अपने को रेलवे का एक वरिष्ठ अधिकारी बताने पर रंगे हाथों पकड़ा गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्हें 378 रुपये जुर्माना किया गया था लेकिन जुर्माने की यह राशि सरकारी खाते में चढ़ायी गई थी ;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस राशि का भुगतान क्यों किया गया और यह भुगतान किसके आदेश से किया गया ;

(घ) क्या सरकार ने कोई जांच की है कि यह रेलवे पास श्री मलिक के हाथों में कैसे चला गया ; और

(ङ) यदि हां, तो जांच परिणाम क्या निकला ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

श्री आर० एल० मल्लिक, कार्यालय अधीक्षक, अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर का कार्यालय डाक और तार, तकनीकी एवं विकास सर्किल, जबलपुर, रेलवे कार्ड पास नं० 192 पर सरकारी काम से हैदराबाद गये थे । पास पर "अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर तकनीकी और विकास सर्किल जबलपुर. "के स्टेशनों', पदनाम लिखा था और वह उनके उच्च अधिकारी द्वारा उनको जारी किया गया था । उनकी वापसी यात्रा में 26-2-1969 को जबलपुर स्टेशन पर रेलवे के टिकट जांच करने वाले कर्मचारी द्वारा उन्हें चेक किया गया । कर्मचारी ने बताया कि वह कार्यालय अधीक्षक हैं। चूंकि उनका पदनाम रेलवे कार्ड पास में उल्लिखित पदनाम से नहीं मिलता था, इसलिए रेलवे ने उनसे रेल किराये और सामान्य जुर्माने के रूप में 378 रु० वसूल कर लिये ।

डाक और तार बोर्ड ने रेल मंत्रालय को सूचित किया है कि 378 रु० की रकम अतिरिक्त मुख्य इन्जीनियर, डाक और तार, तकनीकी एवं विकास सर्किल, जबलपुर के कार्यालय द्वारा, उस कार्यालय के प्रशासन के इन्चार्ज, एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुमोदन से दी गई थी क्योंकि श्री मल्लिक सरकारी दौरे पर गये थे और उन्हें स्टेनोग्रा र का रेलवे कार्ड पास कार्यालय द्वारा जारी किया गया था । ऐसी स्थिति में, इस मामले में आगे जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

बिड़ला उद्योग समूह, अन्य उद्योग समूहों तथा औद्योगिक विकास, आंतरिक, व्यापार और समवाय कार्य मन्त्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

1295. **श्री कंवर लाल गुप्त** :
श्री वंश नारायण सिंह :
श्री राम सिंह अयरवाल :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिड़ला उद्योग समूह के विरुद्ध आरोपों की जांच करने के लिए नियुक्त समिति के विचारार्थ विषयों के बारे में कोई निर्णय कर लिया है ;

(ख) क्या सरकार का विचार इस जांच के द्वारा यह पता लगाने का है कि इस उद्योग को लाइसेंस देने में उच्च अधिकारियों तथा मंत्रियों का कहां तक हाथ है ;

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) अन्य समूहों के किन उद्योगों के विरुद्ध जांच करने का सरकार का विचार है और उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध क्या विशिष्ट शिकायतें हैं ; और

(ङ) इन मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध शिकायतें मिली हैं और उनकी बिड़ला के उपक्रमों के साथ साँठगांठ है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) : (क) से (ङ) प्रस्तावित जाँच आयोग जो औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति की दोनों रिपोर्टों में उल्लिखित अनियमितताओं, कमियों तथा औचित्यों के मामलों तथा बिड़ला ग्रुप के उद्योगों के खिलाफ लगाये गये विशिष्ट आरोपों पर विचार करेगा। उसके विचारार्थ विषय तथा उसके गठन के बारे में शीघ्र ही घोषणा कर दिए जाने की आशा है। बिड़ला ग्रुप के खिलाफ लगाये गये आरोपों में एक शिकायत यह भी की गई है कि इस ग्रुप के साथ सरकारी प्राधिकारियों ने अत्यधिक पक्षपात किया है। औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति के प्रतिवेदन जिसे संसद-सदस्यों में परिचारित किया गया है उसकी कुछ त्रुटियों और कृतियों सम्बन्धी संदर्भ भी उसमें निहित हैं।

Donation to Congress Party by Modi Group of Concerns

1296. **Shri Kanwar Lal Gupta :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 219 on the 22nd July, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that the Modi Group of concerns have donated Rs. 12,9,750 to the Congress Party during 1966-67 and 1967-68 ;

(b) if so, the amount donated by this group to the Congress Party during 1969 ;

(c) the value of licences granted to this Group during the last three years and the commodities for which these licences were granted ; and

(d) the action taken by Government on the complaints received against this Group ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes, Sir.

(b) The following companies belonging to the Modi Group according to its composition as shown in the Industrial Policy Licensing Inquiry Committee Report, appear to have made donations to the Congress Party during 1968-69.

Name of the Company	Amount of donation to the Congress Party (1968-69)
(1) Modi Industries Ltd.	Rs. 54,000*
(2) Modipon Ltd.	Rs. 25,000**

*During the accounting year of the company ending on 31st October, 1968.
**During the accounting year of the company ending on 28th February, 1969.

Information in respect of Modi Spinning and Weaving Mills Co. Ltd. is not available as the company has not yet filed the balance sheet for the year ended 30.4.1969 with the Registrar of Companies.

(c) Only one industrial licence was issued on 4-3-1968 to M/s Modi Gas and Chemicals, Modinagar, set up by Modi Industries Ltd. for the manufacture of 3,40,000 Cubic Meters of Nitrogen Gas per annum.

(d) Some complaints under the Companies Act have been received against Modi Spinning and Weaving Mills Co. Ltd., An inspection under section 209(4) of the Companies Act has been ordered in respect of this company.

Licences to Companies

1297. **Shri Deven Sen :** Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the dates on which licences were given to the following Companies :

(i) M/s. Kila Chand Dev Chand and Co., Bombay and other Companies associated with this Company ;

(ii) M/s. Synthetic and Chemical Pvt. Ltd., Bombay ;

(iii) M/s. Polychem and Co., Bombay ; and

(iv) M/s. Kesar Sugar Works Pvt. Ltd., Bombay ;

(b) whether the period of licences of any of these companies was extended again and, if so, the details thereof ; and

(c) the yeer-wise production capacity of each of the above companies ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The dates on which licences were issued to the Companies are indicated below :—

	Date of issue of licence
(i) M/s. Kila Chand Dev Chand & Co. Bombay and other Companies associated with this Company	1. 29.4.1961 2. 1.6.1963 3. 17.4.1964 4. 3.12.1959 5. 6.1.1960
(ii) M/s. Synthetic and Chemical Ltd. Bombay (The licence was originally issued in the name of M/s. Kila Chand Dev Chand)	20.10.1959
(iii) M/s. Polychem and Company Ltd., Bombay.	1. 29.9.1958 2. 24.2.1960 3. 2.8.1960 4. 13.10.1966
(iv) M/s. Kesar Sugar Works (P) Ltd., Bombay.	1. 22.3.1958 2. 20.9.1961 3. 20.1.1962 4. 30.9.1963 5. 18.4.1964

(b) and (c). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

रेलवे के लिये कंकरीट के स्लीपरों का निर्माण करने हेतु कारखाना

1299. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न रेलगाड़ियों की गति को तेज करने के लिए कंकरीट के स्लीपरों का निर्माण करने की वस्तुतः बड़ी आवश्यकता है तथा क्या ऐसे स्लीपरों के निर्माण के लिये कोई कारखाना स्थापित किया गया है, अथवा स्थापित किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) रेलें कांक्रीट् के स्लीपर खरीद रही हैं जो कि तेज रफ्तार वाले मार्गों के लिए उपयुक्त होंगे । ये स्लीपर खुले टेंडरों के आधार पर खरीदे जा रहे हैं और रेल प्रशासन कांक्रीट के स्लीपर बनाने के लिए कोई संयंत्र नहीं लगा रहे हैं ।

मैसर्स हिन्दी गल्वेनाईजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कंपनी (पी०) लिमिटेड द्वारा नई क्षमता स्थापित की जाना

1300. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री 5 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जनवरी, 1964 की अधिसूचना के अंतर्गत, जहां दुर्लभ कच्चे माल के प्रयोग का प्रश्न है, उत्पादन आरम्भ करने से पहले पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र देने होते है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मैसर्स हिन्दी गेल्वेनाईजिंग एण्ड इन्जीनियरिंग कम्पनी (पी) लिमिटेड ने 40/45 गैलन तल के ढोल बनाने के लिए जिनमें दुलर्भ कच्चे माल का प्रयोग होता है, उत्पादन आरम्भ करने से पहले अपने नाम के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र नहीं दिया था ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उनके द्वारा नई क्षमता स्थापित की जाने की कारण जिस की स्वीकृति सरकार ने तब दी थी जब यह उद्योग वर्जित सूची में था उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) : (क) से (घ). जिन परिस्थितियों में तेल ड्रम उत्पादन की क्षमता मेसर्स हिन्द गैलवे-नाईजिंग तथा इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को स्वीकृत की गई थी लोक सभा के तारांकित प्रश्न प्रं० 250 दिनांक 24 नवम्बर, 1967 में स्पष्ट कर दिये गये हैं । इनको दृष्टि में रखते हुए आवेदन पत्र देने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्यों कि फर्म पहले से ही सरकार से तेल ड्रामों के उत्पादन की अनुमति प्रदान करने के लिए कह रही थी जिसके लिए कि वे पूर्णरूपेण साधन सम्पन्न थे ।

प्राक्कलन समिति ने 85 वे प्रतिवेदन में जो लोक सभा में 30 अप्रैल, 1969 को प्रस्तुत

किया गया था कुछ सिफारिशें की हैं उन पर अंतिम निर्णय समिति की अग्रेतर सिफारिशें सरकार को ज्ञात हो जाने पर लिया जायेगा ।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स इंडिया लिमिटेड, भोपाल में श्रमिक अशांति

1201. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल में श्रमिक अशांति के कारणों को इस बीच दूर कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या-महाप्रबन्धक तथा विभिन्न श्रमिक संघों के बीच सीधी बातचीत प्रारम्भ हो गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) : (क) से (ग). जुलाई से सितम्बर, 1969 की अवधि में हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल के कुछ कर्मचारियों द्वारा विभिन्न तरीकों से श्रमिक आन्दोलन चलाया गया । इन कर्मचारियों ने बहुत सी कठिनाइयाँ पेश की थीं । प्रबन्धक समिति और यूनियन के प्रतिनिधि के साथ हुए विचार विमर्श में बहुत से मामलों पर समझौता हो गया है ।

कार्मिक संघों को मान्यता

1302. **श्री हेग बरुआ** : क्या **रेलवे मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने रेलवे के कुछ कार्मिक संघों को मान्यता देने के बारे में निर्णय लिया है, जिनकी मान्यता 19 सितम्बर, 1969 की सांकेतिक हड़ताल के समय वापिस ले ली गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस नीति को किस सीमा तक क्रियान्वित किया गया है ; और

(ग) उन कार्मिक संघों के नाम क्या हैं जिनको मान्यता प्रदान कर दी गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). 19 सितम्बर, 1969 को सांकेतिक हड़ताल के बाद से आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन को दी गई मान्यता की सुविधाएं तथा निम्नलिखित यूनियनों की मान्यता समाप्त कर दी गयी थी :-

(क) इस्टर्न रेलवेमेन्स यूनियन;

(ख) नार्दन रेलवेमेन्स यूनियन;

(ग) एन० ई० रेलवे मजदूर यूनियन;

(घ) एन० एफ० रेलवे मजदूर यूनियन;

(ङ) सदर्न रेलवे मजदूर यूनियन;

(च) एस० ई० रेलवेमेन्स यूनियन;

हाल में आल इंडिया रेलवेमेन्स यूनियन फेडरेशन को वार्ता की सुविधाएं और उपर्युक्त सभी यूनियनों को मान्यता फिर से प्रदान कर दी गयी है।

Residential Quarters for Muslim Employees of Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1 03. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the meeting of the Consultative Committee of his Ministry held in the last week of September, a decision had been taken with regard to the provision of residential quarters to the riot-affected Muslum employees working in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi ;

(b) if so, the details thereof and the time by which it is likely to be implemented ;

(c) whether it is also a fact that the said decision has not come into force so far ;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) whether it is also a fact that the Deputy Chairman of the said Corporation and the Deputy Commissioner of Ranchi are the major obstructions in the implementation of the aforeasid decision ;

(f) if so, the action Government propose to take against them ; and

(g) the time by which the arrangement for the rehabilitation of the Muslim employees of the Heavy Engineering Corporation would be made ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (d). The question of rehabilitation in regular quarters in the township of the muslim employees of Heavy Engineering Corporation, who are residing in a postel at present, was discussed at the meeting of the Consultative Committee held at Ranchi on the 26th September, 1969. It was recognised that the issue was a delicate one and required careful handling. It was agreed that the matter should be examined in consultation with all concerned and a solution acceptable to all, expedited. No particular decision was taken.

(e) No, Sir.

(f) Does not arise.

(g) While every effort is being made to expedite a solution, it is not possible to indicate any precise time schedule in view of the nature of the issues involved.

Workers and Officers in Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1304. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the number of the employees, labourers and the officers separately working in Heavy Engineering Corporation, Ranchi ;

(b) the details of the amount paid as salary to the employees and the officers per month separately ;

(c) the average monthly salary of an officer and an employee and the minimum amount of pay of each of them ;

(d) whether some other facilities are also available to the officers and the employees ;

(e) if so, the details thereof separately ; and

(f) the number of quarters constructed for the officers and the labourers separately ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the House ?

Applications for Scooter Factory in Private Sector

1305. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri P. C. Adichan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have invited application from the industrialists to establish a scooter factory in the private sector ;

(b) if so, the number of applications received and the names of applicants ;

(c) whether Government have adopted any policy in this connection ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) Yes Sir.

(b) In response to the public notice issued in October, 1969, only one applications has so far been received from M/s. Kirloskar Oil Engines Ltd., Poona.

(c) and (c). After careful consideration of all aspects of the question of licensing additional capacity for the manufacture of scooters in the country, Government have come to the conclusion that it will be preferable to have a project in the public sector for the manufacture of scooters with an indigenous design. Accordingly, Government have appointed a committee of Technical Experts to work out and advise them on a suitable indigenous design and programme of production of scooters in the public sector.

Government have also decided that, if any private sector party is prepared immediately to take up the production of scooters completely with indigenous know-how and materials, he should be allowed to do so. The Government have accordingly issued a public notice inviting application by 31.1.1970 from interested entrepreneurs who are prepared to take up the production of scooters with completely indigenous know-how and materials and without any foreign collaboration.

डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट के कार्यालय के सामने पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा द्वारा प्रदर्शन

1306. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 जून, 1969 को पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर सभा के नेतृत्व में समस्तीपुर, पूर्वोत्तर रेलवे में रेलवे कर्मचारियों ने डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट के कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि डिवीजनल सुपरिन्टेन्डेन्ट को इस सभा की ओर से एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). मालूम हुआ है कि 11-6-1969 को कुछ रेल कर्मचारियों ने समस्तीपुर के मण्डल अधीक्षक के सामने प्रदर्शन किया और उन्हें एक ज्ञापन दिया।

(ग) और (घ). ब्यौरा मालूम किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

पटना में रेल तथा सड़क पुल

1307. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने पटना में एक रेल तथा सड़क पुल का निर्माण करने के लिए एक परियोजना तैयार की थी ;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस पुल के निर्माण पर होने वाला समस्त खर्च केन्द्र सरकार को वहन करना था ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी परियोजना को छोड़ देने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (घ). पहले जो जांच-पड़ताल की गई थी उससे मालूम हुआ था कि पटना के निकट गंगा नदी पर रेल पुल बनाने के प्रस्ताव का वित्तीय औचित्य न होगा। इसलिए अलाभप्रद होने के कारण इस प्रस्ताव को छोड़ दिया गया था और अब इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।

कम्पनियों का बन्द होना

1308. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के कुछ महीनों में कम्पनियों के समापन और बन्द होने की संख्या में वृद्धि हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष से अब तक कुल कितनी कम्पनियों का समापन हुआ है और कितनी बन्द हुई हैं ;

(ग) क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) नहीं श्रीमान्। परिसमापन में गई हुई तथा निष्क्रिय कम्पनी के रूप में हटाई गई कम्पनियों की संख्या में इसके प्रतिकूल कमी हुई है।

(ख) वर्तमान वर्ष में अप्रैल से अगस्त, 1969 तक, परिसमापित एवं हटाई गई कम्पनियों की संख्या 222 है ।

(ग) तथा (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैगनों की अप्रयुक्त क्षमता

1309. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री रा० कृ० बिड़ला :
श्री हिम्मत सिंहका :
श्री म० सुदर्शनम :
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ महीनों में रेलवे वैगनों की मांग में बहुत कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन कुल कितने वैगन बेकार रहते हैं ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मांग में हुई कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां । जुलाई 1969 से माल डिब्बों की बकाया मांगों में कमी हुई है ।

(ख) और (ग). अगस्त और सितम्बर, 1969 में मीटर लाइन के लगभग 7,500 माल डिब्बों (चौपहिये) और बड़ी लाइन के 1,500 माल डिब्बों (चौपहिये) का इस्तेमाल नहीं किया जा सका क्योंकि मन्दी के मौसम के कारण उनकी मांग कम थी। मीटर लाइन के 7,500 डिब्बों में से लगभग 2,000 बोगी रेल ट्रक थे और बड़ी लाइन के 1,500 डिब्बों में से लगभग 1,500 बोगी रेल ट्रक और इस्पात कारखानों से तक यातायात के परिवहन के लिए, विशेष किस्म के हापर माल डिब्बे थे, जिनका मांग कम होने के कारण, इस्तेमाल नहीं किया जा सका । अक्तूबर से यातायात बढ़ने पर फालतू माल डिब्बों को भी उत्तरोत्तर काम में लगा दिया गया और इस समय मीटर लाइन के केवल लगभग 1600 डिब्बे (अधिकतर बोगी रेल ट्रक) और बड़ी लाइन के लगभग 800 माल डिब्बे (अधिकतर बोगी रेल ट्रक) फालतू हैं ।

(घ) रेलों की और अधिक यातायात आकृष्ट करने के लिए, प्रत्येक रेलवे पर विपणन और विक्रय संगठन स्थापित किये गये हैं ताकि व्यापारियों से निकट सम्पर्क रखा जा सके और रेलों के लिये अधिकतम यातायात प्राप्त करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जा सकें । रेलों पर सेवा के स्तर में सुधार करने के लिए, घर से घर तक माल पहुँचाने की सेवा, कर्टेनर सेवा, महत्वपूर्ण स्थानों के बीच तेज सुपर एक्सप्रेस माल गाड़ी सेवा और शीघ्र परिवहन सेवा शुरू की गई है । समाचार पत्रों के माध्यम से माल डिब्बों की सहज उपलब्धता पर भी व्यापारी जनता का ध्यान दिलाया गया है ।

देश में स्टेनलेस स्टील का निर्माण

1310. **श्री से० ब० पाटिल :**

श्री रामचरण :

क्या इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलेस स्टील की भारी तथा बढ़ती कमी को देखते हुए, उनके मन्त्रालय का विचार एक भारतीय धातु वैज्ञानिक द्वारा स्टेनलेस स्टील का देश में निर्माण करने के लिये निकाले गये नये तरीकों का व्यापारिक रूप से लाभ उठाने के लिये कुछ कायवाही करने का है ; और

(ख) क्या इस विधि को भारतीय पेटेन्ट स्पेसिफिकेशन संख्या 91020 के अन्तर्गत पेटेन्ट कर दिया गया है और क्या विदेशों में इस पर काफी रुचि ली गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) संभवत: प्रश्न का संकेत उस पेटेन्ट की ओर है जिसे सेवा निवृत्त डा० डी० आर० मल्होत्रा ने एल्यूमिनियम-मैंगनीज मिश्रित इस्पात के उत्पादन की प्रक्रिया के संबंध में प्राप्त किया है और जिसके बारे में दावा है कि उसमें बेदाग इस्पात के स्तर की संरक्षणरोधक शक्ति होगी । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय धातुकार्मिक प्रयोगशाला इस अनुसंधान के गुणावगुण के निर्धारण में सहायता करके प्रसन्न ही होगी । यदि उस वस्तु को और उसमें संबंधित आँकड़ों को प्रयोगशाला को उपलब्ध किया जायेगा ।

(ख) जी, हां । सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है कि विदेशों में इस प्रक्रिया के संबंध में कितनी दिलचस्पी है ।

नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के रेलवे क्रासिंग पर ऊपिर पुल का निर्माण

1311. **श्री तुलसीदास जाधव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के रेलवे क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल के निर्माण के लिए एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सम्भवत: कब तक अन्तिम निर्णय ले लिया जायेगा तथा यह परियोजना कब आरम्भ कर दी जायेगी ;

(ग) यह लेविल-क्रासिंग एक दिन (24 घंटे) में कुल कितनी बार बंद होता है तथा प्रत्येक बार कितनी अवधि के लिये बन्द होता है ; और

(घ) यदि उपरोक्त (क) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं जबकि इस रेलवे क्रासिंग के बन्द होने तथा इस प्रकार यातायात के रुक जाने से जनता का बहुत समय नष्ट होता है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हाँ ।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका को भेजी गई योजना और अनुमान के सम्बन्ध में उनकी मंजूरी मिलने के बाद हो यह योजना कार्यान्वित की जायेगी ।

(ग) 24 घंटे की अवधि में समपार फाटक 20 बार बन्द किया जाता है और हर बार फाटक 5 से 10 मिनट तक बन्द रहता है।

(घ) सवाल नहीं उठता।

नई रेल गाड़ियां चलाना

1312. **श्री तुलसीदास जाधव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ लाइनों पर कुछ नई रेलगाड़ियों को चलाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है तथा इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). 1-4-1970 से लागू की जाने वाली अगली समय सारणी में अतिरिक्त गाड़ियां चलाने से संबंधित कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है, लेकिन प्रस्तावों का ब्यौरा अभी तैयार नहीं किया गया है।

मैसर्स स्टेण्डर्ड ड्रम्ज एण्ड बैरल मैनुफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा बैरल बनाने के कारखाने को सेवरी से ट्राम्बे ले जाना

1313. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री 22 जुलाई, 1959 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1272 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स स्टैण्डर्ड ड्रम्ज एण्ड बैरल मेन्युफैक्चरिंग कम्पनी ने ट्राम्बे में बिटुमन ड्रम बनाने के लिए मैसर्स स्टैन्डर्ड वैक्यूम आयल सिफाइनरी कम्पनी के साथ थोक करार कब किया था तथा वे अपने बैरल संयंत्र को सेवरी से ट्राम्बे क्या ले गये थे जब कि बिटुमैन ड्रम बनाने के लिए उनके पास एक फालतू संयंत्र था ;

(ख) क्या इससे यह ज्ञात होता है कि उनके पास बिटुमैन ड्रम बनाने के लिए कोई फालतू संयंत्र नहीं था परन्तु इसके लिए वे अपने बैरल संयंत्र को चालू हालत में सेवरी से ट्राम्बे ले गये थे ;

(ग) क्या सरकार ने इस बीच इस संबंध में पत्र व्यवहार के सम्बन्ध में सही तथ्यों का पता लगाया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) : मैसर्ज स्टैंडर्ड ड्रम एण्ड बैरल मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी ने 21 अगस्त, 1958 को पर्याप्त विस्तार करने के साथ साथ अपने संयुक्त शिवड़ी से बदल कर ट्राम्बे ले जाने के लिए एक आवेदन-पत्र दिया था। स्थान परिवर्तन करने के बारे में पार्टी को 31-10-1958 को सूचना

भेज दी गई थी। बाद को ड्रम के पीपे बनाने के लिए पर्याप्त विस्तार करने हेतु 20-7-1959 को औद्योगिक लाइसेंस की अनुमति भी दे दी गई थी। उन्होंने अपने तेल के पीपे बनाने वाले संयंत्र को जुलाई, 1959 में शिवड़ी से हटाकर ट्राम्बे में कर दिया किन्तु उन्होंने अतिरिक्त मशीन खरीद कर ट्राम्बे में ड्रामों के पीपे/तेल के टीपे, तथा डामर के पीपे ट्राम्बे में जुलाई, 1959 से बनने लगे थे।

(ग) और (घ) जी, नहीं। पूरी जानकारी शीघ्र ही मिल जाने की आशा है।

मेसर्स हिन्द गैल्वानाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को इस्पात के चादरों की सप्लाई

1314. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :** क्या **औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री मेसर्स हिन्द गैल्वानाइजिंग एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड के इस्पात के चादरों के सप्लाई के बारे में 5 अगस्त, 1969 को तारांकित प्रश्न संख्या 354 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) से (ङ) तक के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें कितना समय लगने की संभावना है ?

औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) आवश्यक जानकारी अभी तैयार नहीं है क्योंकि फर्म से मांगा गया विवरण प्रतिक्षित है। फर्म को आवश्यक सूचना/प्रलेख अविलम्ब भेजने को कहा गया है।

विकासशील देशों में रेल परियोजनाओं की स्थापना में भारत की सहायता शर्तें

1315. **डा० प० मण्डल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों की समस्याओं को हल करने के लिये कोई हल निकाले जाने की संभावना है ताकि वे "टर्न की" आधार पर रेल-परियोजनाएं स्थापित करने में भारत की सहायता का लाभ उठा सकें जिसके अन्तर्गत उन्हें सलाहकार सेवाएं तथा पदों पर नियुक्ति के हेतु प्रशिक्षित अधिकारियों की सेवाएं उपलब्ध की जायेंगी और रेलवे अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण दिया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो विकासशील देशों में उपरोक्त दिशा में भारत के प्रस्ताव का कहां तक उपयोग हुआ है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री पी० गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). रेलों ने विकासशील राष्ट्रों को रेल परियोजनाओं में सहायता देने के लिए कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। विदेशों से ऐसी सहायता के लिए जो अनुरोध प्राप्त होते हैं, उनपर हर मामले

में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है। अभी तक सीरिया जैसे कुछ देशों ने कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में तकनीकी सलाह लेने के लिए, भारतीय रेल-विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया है।

विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, विदेश सेवा की शर्तों पर अधिकारियों की सेवाएं भी उधार दी गयी हैं।

अभी तक नाइजीरिया, घाना, थाईलैण्ड, बर्मा, पाकिस्तान, श्री लंका, मलेशिया, ईरान, कीनिया, दक्षिण अरब, सूडान, दक्षिण कोरिया आदि देशों के रेल-कर्मचारियों को प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाएं दी गयी हैं।

निर्यात आदेशों में वृद्धि

1316. **श्री प० मण्डल** : क्या रेलवे मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के भूतपूर्व मंत्री ने दिनांक 17 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली में हुए प्रेस सम्मेलन में यह वक्तव्य दिया था कि रेलवे ने लगभग 28 करोड़ रुपये के निर्यात-आदेश प्राप्त किए हैं ;

(ख) क्या पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार निर्यात-आदेशों में कोई वृद्धि हुई है ;

(ग) वर्ष 1967-68 तथा 1968-69 के दौरान आयात-सामग्री की प्रतिशतता में कितने प्रतिशत की कमी ई हुहै ; और

(घ) निर्यात तथा आयात की महत्वपूर्ण मदों का क्या ब्यौरा है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) मेरे पूर्ववर्ती रेल मंत्री ने 17-9-1969 को एक पत्रकार सम्मेलन में यह कहा था कि निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों से रेलवे चल-स्टाक और उपस्कर के लिए लगभग 28 करोड़ रुपये का निर्यात-आदेश मिल चुका है।

(ख) अभी रुख का सही-सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मार्च, 1970 के बाद ऐसा करना संभव होगा।

(ग) कुल रेलवे खरीद की आयात-सामग्री की प्रतिशतता घट गयी है जैसा कि नीचे दिया गया है :—

(1) 1967-68—13.25 (2) 1968-69—10.05 (1968-69 के आँकड़े अन्तिम हैं)

(घ) **निर्यात** : (i) रेलवे के माल डिब्बे (ii) रेलवे के सवारी डिब्बे (iii) रेल पटरियां (iv) रेल पथ के सामान।

आयात : (i) रोलर बियरिंग (ii) पहियों के सैट (iii) प्राकृत धातु (iv) ईंधन-तेल (v) इस्पात (vi) डीजल और बिजली इंजन के स्वाम्प पुर्जे।

औद्योगीकरण के लिए पूर्व जर्मनी द्वारा भारत की सहायता

1317. **श्री प० मण्डल :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत सितम्बर, में औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी द्वारा पूर्वी जर्मनी की यात्रा के फलस्वरूप भारत तथा पूर्वी जर्मनी के बीच औद्योगिक सहयोग बढ़ने की संभावना है ;

(ख) क्या पूर्वी जर्मनी भारत में उद्योगीकरण में जो मदद देना चाहता है उसका लाभ उठाने के लिए सरकार तैयार है ; और

(ग) क्या सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव या योजना है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). श्री के० बी० रघुनाथ रेड्डी, राज्य मंत्री औद्योगिक विकास आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्रालय, जर्मन को लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिपजिम फेयर के अवलोकनार्थ गये थे। यह एक सद्भाव यात्रा थी, विचार-विमर्श सामान्य विषयों पर हुए। विशिष्ट योजनाओं या प्रस्तावों पर विचार विमर्श नहीं हुआ न विचाराधीन ही हैं। स्वाभाविक है कि दो देशों के मध्य आर्थिक सम्बन्धों का वातावरण बनाने में यह यात्रा सहायक होगी।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का विकेन्द्रीकरण

1318. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड की अलग-अलग इस्पात कम्पनियां बनाने की योजना बना रही है ; जैसे भिलाई स्टील लिमिटेड, राउरकेला स्टील लिमिटेड आदि ;

(ख) यदि हां, तो कब तक और उसके क्या खास कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस्पात खान तथा धातु मंत्री ने 20 मार्च, 1968 को संसद में अपने भाषण में हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धात्मक ढांचे के पुनर्गठन के बारे में घोषणा की थी। प्रबन्धात्मक ढांचे में और कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव नहीं की गई है।

इस्पात मूल्य नीति

1319. श्री शिवचन्द्र झा :
श्री श्रद्धाकर सूपकार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री
श्री योगेन्द्र शर्मा :
श्री जनार्दनन :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री वेणी शंकर शर्मा :

क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई इस्पात मूल्य नीति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इस्पात के निर्माताओं ने इस्पात के मूल्य बढ़ाने के बारे में मांग की है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है तथा शीघ्र ही कोई निर्णय किया जायेगा ।

सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों का विस्तार

1320. श्री शिव चन्द्र झा : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीति निश्चित किये जाने के पश्चात् 1948 तथा 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प में की अनुसूची "ख" में उल्लिखित उद्योगों में से सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की तुलना में गैर-सरकारी उद्योगों (अल्यमीनियम उद्योग बिड़ला साथों जैसे) में अधिक विस्तार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में संयुक्त (अनुसूची ख) में कितना उद्योगिक विकास हुआ है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). औद्योगिक नीति संकल्प की अनुसूची "ख" में उल्लिखित औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में उद्योगों की तुलना में गैर-सरकारी उद्योगों में प्रसार के प्रश्न पर औद्योगिक लाइसेंस नीति जांच समिति द्वारा विचार किया गया था तथा उसके निर्णय सरकार को प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के पैरा 6.11 से 6.18 में निहित हैं । प्रतिवेदन की प्रतियां पहले ही संसद सदस्यों को दे दी गई हैं ।

उगना में हाल्ट स्टेशन (पूर्वोत्तर रेलवे) बनाना

1321. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उगना में (पूर्वोत्तर रेलवे) साकरी और पौदौल स्टेशनों के बीच हाल्ट स्टेशन बनाने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं केवल अन्तिम स्वीकृति के लिये मामला रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह मामला कब से विचाराधीन पड़ा है और रेलवे बोर्ड की ओर से इतना अधिक विलम्ब क्यों हो रहा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो रेलवे बोर्ड द्वारा अन्तिम स्वीकृति कब जारी की गई थी और उगना हाल्ट कब से खोला जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). सकरी और पंडौल स्टेशनों के बीच परीक्षण के रूप में इस शर्त पर एक गाड़ी हाल्ट खोलने का विनिश्चय किया गया था कि मिट्टी-भराई का काम श्रमदान से पूरा किया जाये । परन्तु स्थानीय जनता ने उपयुक्त पाये गये स्थल पर श्रमदान से मिट्टी-भराई का काम करना स्वीकार नहीं किया ।

स्थानीय जनता द्वारा सुझाये गये वैकल्पिक स्थल पर गाड़ी हाल्ट की व्यवस्था करने के प्रश्न पर उसकी आर्थिक सक्षमता को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा रहा है ।

Activities of Kashmir Plebiscite Front

1322. **Shri Sharda Nand :**
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kashmir Plebiscite Front had been supporting some activities which includes session of Kashmir from India ;

(b) whether it is also a fact that according to some enactments recently passed by Parliament, those not having faith in India's unity and integrity, cannot be allowed to participate in elections and they can be penalised otherwise also ; and

(c) if so, Government's reaction to the participation by the said Organisation in Elections ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Ministry of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) to (c). Leaders of the Plebiscite Front of Jammu and Kashmir have been making statements from time to time to the effect that Kashmir's accession to India still remains to be determined.

While under the provisions of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, any individual or organisation engaging in activities of the nature referred to in the question, can be penalised there is no question of the individual not being allowed to participate in elections, if he or she has duly subscribed to the Oath of allegiance prescribed under article 84(a) or, as the case may be, article 173(a) of the Constitution according as the election is for Parliament or the Legislature of a State.

Donations to Congress Party by Modi Group of Industries

1323. **Shri Sharda Nand :**
Shri Yajna Datt Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Brij Bhushan Lal :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount of donation made to the Congress Party by the Modi Group of Industries and business institutions during the last three years ;

(b) the amount of loans and other assistance made available to them from the Life Insurance Corporation and the Government and the number of licences issued to them during the above period ;

(c) whether Government have received certain complaints about the misuse of licences ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) The following companies belonging to the Modi Group, according to its composition as shown in the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee's Report, have made donations to the Congress Party during the last three years :

			Congress Party
Name of Company	1966-67	1967-68	1968-69
			(in Rs.)
(a) Modi Industries Ltd.	37,500	5,000	50,000
(b) Modi Spg. and Wvg. Mills Co. Ltd.	71,250	5,000	Not available*
(c) Modipon Ltd.	—	—	25,000
(d) Patiala Floor Mills Co. Ltd.	11,000	—	—

NOTE : (a) In the case of Modi Industries Ltd., the information is as shown in the Balance Sheet for the accounting years ended on 31st October, 1966-67 and 1968 respectively.

(b) In the case of Modi Spg. and Wvg. Mills Co. Ltd., the information is as shown in the Balance Sheet for the accounting years ended on 30th April 1967 and 1968 respectively.

(c) In the case of Modipon Ltd., the information is as shown in the Balance Sheet for the accounting year ended on 28th February, 1969.

(d) In the case of Patiala Floor Mills Co. Ltd., the information is as shown in the Balance Sheet for the accounting year ended on 31st March, 1967.

*The company has not yet filed the Balance Sheet with Registrar of Companies U. P. for the year ended on 30-4-1969.

(b) L. I. C. has not granted any loans to the Modi Group of Industries. Other

financial assistance provided by the L. I. C. to the Modi Group of Industries is as follows :

	(Rs. in lakhs)
(a) Underwriting of debentures and perference shares	91.45
(b) Direct subscription to the issues of the equity shares	9.40
Total	100.85

There are no loans given by Government. As regards the number of licences, only one Industrial licence was issued during 1966-68 to M/s. Modi Gas and Chemicals, Modi Nagar, set-up by Modi Industries Ltd., a company belonging to the Modi Group. The licence was for the manufacture of 3,40,000 Cubic Meters of Nitrogen Gas per annum.

(c) No complaint has been received in respect of the above industrial licence is used to a Modi Group Company.

(d) Does not arise.

Excesses on Harijans in Kerala

1324. **Shri Om Prakash Tyagi :** **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Ranjeet Singh :**

Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Kerala State Harijan Samaj, Harijan Headquarters, Kurupmapadi (Kerala) had submitted a memorandum to the Governor of Kerala on the 30th July, 1969 pointing out injustice being meted out to and excesses being committed on the Harijans ;

(b) if so, the cases of injustice and excesses enumerated therein ;

(c) the steps taken by Government to remove their grievances ; and

(d) in case no steps have been taken, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) to (d). The State Government has been addressed in the matter. Their reply is awaited.

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में घड़ियों की निर्माण क्षमता को बढ़ाना

1325. **श्री बेदव्रत बरुआ : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में निर्मित होने वाली घड़ियों की कुल संख्या क्या है तथा देश में प्रति वर्ष कुल कितनी घड़ियों की मांग है ;

(ख) क्या इस मांग को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के घड़ियां बनाने वाले सेक्शन की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के विचार हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि घड़ियों के आयात तथा तस्करी से विदेशी मुद्रा की भारी हानि

होने के बावजूद मांग पूरी करने हेतु घड़ियों के निर्माण में वृद्धि करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) 1968-69 तक हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का घड़ियों का उत्पादन 300,000 घड़ियां था तथा 1969-70 में 360,000 अनुमानित है। हाथ की घड़ियों जैसी उपभोक्ता वस्तुओं का ठीक ठीक अनुमान लगाना कठिन है, सामान्य रूप से यह अनुमान लगाया गया है कि एक वर्ष की मांग लगभग 35 लाख होगी।

(ख) जी हां, काश्मीर में घड़ियों के संयोजन तथा आकारिक उत्पादन करने वाली एक फैक्टरी जिसकी उत्पादन क्षमता 3 लाख घड़ियां प्रतिवर्ष होगी हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की बंगलौर फैक्टरी में भी विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(ग) चालू आयात नीति के अनुसार हाथ की समूची घड़ियों के व्यापारिक आयात की आज्ञा नहीं दी गई है। देश में घड़ियों का कुछ तस्कर व्यापार भी हुआ है। घड़ियों की मांग को यथा संभव पूरा करने के लिए जैसा कि (ख) के उत्तर में बताया गया है हिन्दुस्तान मशीन टूल्स द्वारा घड़ियों के उत्पादन को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। स्विश सहयोग में घड़ी बनाने का एक गैर सरकारी पार्टी का प्रस्ताव विचाराधीन है। जब कभी हाथ की घड़ियों को बनाने के लिए नई योजनाएं प्राप्त होंगी, उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा। घड़ी एक अप्राथमिकता प्राप्त वस्तुएं है तथा घड़ियों के बनाने के एकक की स्थापना में पूंजीगत माल के आयात के लिए विदेशी मुद्रा का व्यय, पुर्जों का आयात, विदेशी सहयोग आदि निहित हैं। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में घड़ियों का उत्पादन विदेशी मुद्रा की बाध्यकारी नियंत्रक प्राप्यता पर निर्भर है।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को घाटा

13?6. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा चालू वर्ष में घाटा दिखाये जाने की सम्भावना है ;

(ख) क्या पिछले वर्षों में हुए भारी घाटे के कारणों का पता लगा लिया गया है तथा इससे सम्बन्धित कमियों को दूर कर दिया गया है ; और

(ग) क्या प्रबन्ध में व्यापक परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जा रहा है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि हिन्दुस्तान स्टील लि० को चालू वर्ष में भी हानि ही रहेगी परन्तु ऐसी आशा है कि हानि गत दो वर्ष की हानियों की तुलना में काफी कम होगी।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लि० को हानियों के विभिन्न कारणों का उल्लेख "परफोर्मेंस

आफ हिन्दुस्तान स्टील लि०" नामक पुस्तिका में किया गया है जिसकी प्रति 5 अप्रैल, 1968 को सभा-पटल पर रखी गई थी। पुस्तिका में घाटे को रोकने तथा कम करने और इस्पात कारखानों में कार्यकुलता बढ़ाने के लिए किए गए विभिन्न उपायों का उल्लेख भी किया गया है। इन उपायों पर अमल किया जा रहा है।

(ग) हिन्दुस्तान स्टील लि० के प्रबन्धात्मक ढांचे के पुनर्गठन के बारे में घोषणा इस्पात, खान तथा धातु मंत्री ने 20 मार्च, 1968 को संसद में दिए गए वक्तव्य में की थी।

आसाम में गोहाटी तक बड़ी लाइन

1327. **श्री बेदव्रत बस्मा :** क्या रेलवे मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि आसाम में गोहाटी तक बड़ी लाइन बन रही है ;

(ख) यदि हां, तो आसाम राज्य में यह किस स्टेशन तक बढ़ाई गई है ;

(ग) क्या पूरी की जा चुकी बड़ी लाइन अब यातायात के लिए खुली है ;

(घ) क्या सरकार लाइन के पूरा हो जाने पर दिल्ली से गोहाटी तक सीधे गाड़ी चलाने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ङ) क्या सरकार दिल्ली से सिलीगुड़ी तक सीधे तुरन्त गाड़ी चलाने के बारे में भी विचार कर रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)। (क) से (ङ). अभी हाल में सिलीगुड़ी से जोगीधोपा तक एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण किया गया है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के कुछ मीटर लाइन खंडों और पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के बंगाईगाँव-गुवाहाटी मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण कार्य विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। जैसे ही बड़ी लाइन का सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायेगा, दिल्ली से सिलीगुड़ी/गुवाहाटी तक सीधी गाड़ी चलाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

Derailment of Pathankot-Sealdah Express Train near Lucknow

1328. **Shri Arjun Singh Bhadoria :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the causes of derailment of the Pathankot-Sealdah Express Frain along with its engine on the 16th September, 1969 near Lucknow Junction ; and

(b) the total nnmber of persons killed in the accident ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) The cause of the accident is under investigation.

(b) No one was killed in this accident.

Transfer of Employees from North-Eastern Railway to Eastern Railway and Non-Vacation of Bungalows at Gorakhpur

1329. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5070 on the 26th August, 1969 regarding unauthorised occupation of bungalows at Gorakhpur by the Railway Officers and state :

(a) whether the requisite information has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, when the information will be collected and placed on the Table of the House ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Yes.

(b) and (c). A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT-2095/69.]

सहायक डीजल चालकों तथा फायरमैन ग्रेड 'ए' का वेतनमान

1330. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सहायक डीजल चालकों के पद के वेतनमान को 100-130 रुपये से बढ़ाकर 125-155 रुपये कर दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फायरमैन ग्रेड 'एक' का वेतनमान भी 125-155 रुपये है ; और

(ग) यदि हां, तो इन दो ग्रेडों को एक सा वेतनमान देने के क्या कारण हैं और किस आधार पर इनको एक समान किया गया ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) फायरमैन ग्रेड 'ए' और ड्राइवर सहायक (डीजल) अलग-अलग कोटियाँ हैं, अतः उनकी तुलना नहीं की जा सकती । ड्राइवर (डीजल) के लिए 125-155 रुपये का ग्रेड नियत किया गया है क्योंकि कार्यभार की महत्ता को देखते हुए इस ग्रेड का औचित्य है ।

Additional Bogie for Kotdwara in Mussoorie Express

1331. **Shri Arjun Singh Bhadoria** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a bogie which is attached to the Mussorie Express for Kotdwara is not adequate for the passengers going to Garhwal since it is very crowded ;

(b) whether it is also a fact that the said bogie is detached at Muazzampur Narain Jn. and is kept standing at such a place on one side for a long time where even water, light and other facilities do not exist and as such it proves to be a source of inconvenience instead of providing facility to passengers bound for Garhwal ;

(c) whether it is also a fact that the said place is not free from the danger of dacoits and robbers and the passangers going to Garhwal by direct route are afraid as a result thereof ; and

(d) if so, whether Government propose to remove the said difficulties and, if not, the reason therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Three through service coaches *viz.* one composite I and III, one III Class 2 tier sleeper and one ordinary III Class, are running between Delhi and Kotdwara by 41 Up/42 Dn. Delhi-Dehradun Mussoorie Expresses. A recent census conducted in October, 1969 has revealed that these coaches cater adequately to the needs of traffic moving between Delhi and Kotdwara.

(b) These coaches are kept on one of the lines or at a lighted siding at Muazzampur Narain for a short duration in the night, till the arrival of the connecting train. (On occassions when this train happens to run late, special arrangements are made to shuttle the through coaches from Mauzzampur Narain to Najimabad by a pilot).

Train lighting in these through coaches continues to be available at Muazzampur Narain. As the tanks of these carriages are filled at about 22.00 hrs. at Delhi, replenishment of water at Mauzzampur Narain is no considered necessary.

(c) No.

(d) Does not arise.

माल डिब्बा निर्माण/सवारी डिब्बा निर्माण कारखानों के अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी

1332. **श्री नी० श्रीकान्तन नायर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात कारखानों में इस्पात के अपर्याप्त उत्पादन के कारण रेलवे के माल डिब्बा निर्माण/सवारी डिब्बा निर्माण कारखानों के अस्थाई कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनको दूसरा रोजगार देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) इस आधार पर किसी भी रेलवे कर्मचारी की छंटनी नहीं की गई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दुर्गापुर और रूरकेला इस्पात कारखानों में विवादों का निपटारा

1333. **श्री नी० श्रीकान्त नायर** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर तथा राऊरकेला इस्पात कारखानों में श्रमिक-विवादों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(ख) इस्पात उत्पादन में आकस्मिक कमी हो जाने के कारण कितनी हानि हुई है ?

इस्पात तथा इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) राउरकेला और दुर्गापुर इस्पात कारखानों में चल रहे श्रमिक झगड़ों को सुलझाना हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारियों का काम है जिसके लिये सम्बद्ध मजदूर कानूनों के अनुसार एक प्रणाली है । हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्धक पिछले सभी झगड़ों का शीघ्र निपटान करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

(ख) श्रमिक अशांति के कारण वर्ष 1968-69 की अवधि में अधिकांशत: दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस कारण से इस कारखाने में 1968-69 में 3.5 करोड़ रुपये के लगभग हानि हुई थी।

कार मूल्य के बारे में प्रशुल्क आयोग की सिफारिशें

1334. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री मयाबन :

क्या **औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को 1968 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले प्रशुल्क आयोग ने कार मूल्य नियंत्रण को जारी रखने का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी सारी सिफारिशों की जांच कर ली गई है और उनको स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हाँ।

(ख) मोटर गाड़ियों के उचित विक्रय मूल्य निर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग द्वारा अपने 1968 के प्रतिवेदन में जो सिफारिशें की गई थीं उनकी घोषणा दिनांक 4 अक्तूबर, 1969 के सरकारी संकल्प संख्या 1(58) है और (1) में दी गई थी और उसकी एक प्रति 19, नवम्बर, 1969 को सभा-पटल पर रख दी गई थी।

(ग) प्रशुल्क आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर सरकारी निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भारत तथा विदेशों में निर्माण परियोजनाओं के लिए सार्थ-संघ

1335. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री रा० बरुआ :
श्री मयाबन :
श्री बे० कृ० दास चौधरी :
श्री रा० कृ० बिड़ला :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रमुख सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में क्षमता के न्यूनोपयोग की समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार ने निर्माण परियोजनाएं आरम्भ करने के लिए दो दो सार्थ-संघ स्थापित किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). इंडियन कन्सोर्टियम फार पावर प्रोजक्ट्स प्राइवेट लि० 26 जून, 1969 को पंजीकृत किया गया है। कम्पनी की अधिकृत अंश पूंजी 30 लाख रुपये तथा प्रारम्भिक अंशदायी पूंजी 10 लाख रुपये हैं। कम्पनी के सदस्यगण हैं :—भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लि०, माइनिंग तथा ऐलाइड मशीनरी कारपोरेशन लि०, तथा त्रिवेनी स्ट्रक्चरल्स लि०। सार्थ संघ का उद्देश्य भारत तथा विश्व के किसी भी भाग में विद्युत परियोजनाओं के लिये काम में आने वाले सभी उपकरणों के संभरण से सम्बन्धित सभी कारोबार करने को है तथा टर्न की बेसिस पर या सदस्य कम्पनी द्वारा परन्तु सुविधाओं का प्रयोग करते हुए उपकरणों को स्थापित करना तथा चालू करना भी है और जहाँ आवश्यक हो बाकी को अन्य साधनों से प्राप्त करना है। सार्थ-संघ उपयुक्त परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये देश तथा विदेश में बाजारों का पता लगा रहा है। इस्पात संयंत्र तथा खनिज उपकरणों के निर्माण तथा संभरण के लिए सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में प्राप्त सुविधाओं को प्रयोग में लाने के हेतु औद्योगिक परियोजनाओं का सार्थ-संघ के नाम से एक सार्थ-संघ की स्थापना का प्रस्ताव इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय के विचाराधीन है शीघ्र ही कम्पनी के पंजीकृत होने की संभावना है।

विदेशी निवेश मंडल

1336. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री रा० बरुआ :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा इस वर्ष स्थापित किए गये विदेशी निवेश मंडल ने सहयोग संबंधी 117 योजनाओं को अनुमोदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी योजनाओं को कार्यान्वित करना स्वीकार किया गया है ;

(ग) मंडल के विचाराधीन कितने प्रस्ताव हैं ;

(घ) उनके बारे में कब तक निर्णय होने की संभावना है ; और

(ङ) उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). 30 अक्तूबर, 1969 तक विदेशी निवेश मंडल 207 मामलों पर विचार कर चुका था। ब्यौरा नीचे दिया जाता है : -

(1) अनुमोदन के लिए स्वीकृत मामले	143
(2) निरस्त करने के लिए मामले	41
(3) मंत्री मण्डल के विचारार्थ सुरक्षित मामले	8
(4) अस्थगित किये गये मामले	15

इनके अतिरिक्त विभिन्न पार्टियों से विदेशी सहयोग के लिये 158 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जिन पर सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों में विचार किया जा रहा है तथा ये अभी विदेशी निवेश मंडल के निर्णयार्थ प्रस्तुत किये जाने हैं।

(घ) अनिर्णीत आवेदनों को निपटाने के लिए यथा संभव प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ङ) मंडल द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोग वाली योजनाओं पर बड़ी निगरानी रखी जाती है। ये परियोजनाएं आजकल क्रियान्वियन की विभिन्न स्थितियों में हैं।

उत्तर रेलवे प्रशासन में कार्य कर रही महिला डाक्टरों का स्थानान्तरण

1337. **श्री जि० मो० विश्वास :** **श्री जनार्दनन :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान उत्तर रेलवे प्रशासन को ऐसे कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें महिला डाक्टरों द्वारा अपने परिवार वालों की अस्वस्थता के आधार पर अपने स्थानान्तरण की प्रार्थना की गई है ;

(ख) ऐसे अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से कितनों को स्वीकार कर लिया गया है ; और

(ग) क्या यह सच है ऐसी कुल महिला डाक्टरों का एक बार भी स्थानान्तरण नहीं किया गया है यद्यपि उनकी नियुक्ति को हुए पांच वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) दो।

(ख) एक अभ्यावेदन सहायक शल्य-चिकित्सक (श्रेणी-iii) से और दूसरा सहायक चिकित्सा अधिकारी (श्रेणी ii) से प्राप्त हुआ था। अभी तक दोनों में से कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया गया है।

(ग) जी हां।

Setting up of a Machinery to Look into Causes of Losses in Steel Plants

1338. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Steel and Heavy Engineering** be pleased to state :

(a) whether Government would set up a machinery for going into the causes of losses suffered by the steel plants and for giving suitable suggestions to the Central Government from time to time to avoid losses in these plants ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). The factors responsible for the losses sustained by Steel Plants under Hindustan Steel Ltd. have been identified and are known. These were also indicated in the pamphlet entitled "Performance of Hindustan Steel Limited" placed on the Table of the House on the 5th April, 1968. Certain measures undertaken to contain and reduce the losses and increase the efficiency of the Plants mentioned therein are being pursued. Suitable

action in this regard is also taken as a result of periodical review of performance both by HSL and Government. In view of this, it is not considered necessary to set up the suggested machinery.

Machinery Lying Idle in Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1339. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some machines in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi are lying idle, although they are in working order ;

(b) whether it is also a fact that in spite of these idle machines, Government are importing machinery for the Bokaro Steel Plant ; and

(c) if so, the reasons for wastage of money in this manner ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) The plants of Heavy Engineering Corporation are still in the stages of production and the capacity is being gradually built up with the available facilities. There are certain heavy and sophisticated machine tools which have not been utilised so far or are under utilised. With the progressive build up of production, the utilisation of these machines will correspondingly increase.

(b) and (c). No, Sir. Only such items of equipment as cannot be manufactured indigenously within the time schedules required, are being imported for the Bokaro Steel Plant.

Appointment of Class I Officers and Abolition of Class IV Posts in Railways Ministry

1340. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of Class I officers appointed in his Ministry during the last two years and the basis of their appointment ;

(b) whether it is also a fact that the posts of Class IV employees have been abolished during this period and that some posts of Class IV employees have been converted into part-time posts ; and

(c) if so, the number of both the categories of Class IV employees and the basis thereof ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) During 1968 and 1969 (upto date) two officers have been appointed in Class I Service in the Ministry of Railways, on the recommendations of Union Public Service Commission.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

बड़े शराब के कारखानों के लिये लाइसेंस जारी करना

1341. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े शराब के कारखानों के संबंध में औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने पर लगे प्रतिबन्ध को हटा दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) बड़े क्षेत्र में राज्यवार उनके नाम सहित कितने ऐसे कारखाने हैं जिनको जून, 1968 के पश्चात ये लाइसेंस मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) विभिन्न राज्यों में छोटे पैमाने के क्षेत्र में बराब के कितने कारखाने स्थापित किये गये हैं और सरकार की इस संबंध में भविष्य में नीति क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) बीयर उद्योग को प्रतिबन्धित सूची से दिनांक 11-6-1968 से निम्नलिखित कारणों से निकाल दिया गया है :—

(1) विद्यमान एककों की एकाधिकार स्थित है तथा

(2) विशेष रूप से बीयर के अतिरिक्त अन्य कोई एलकोहल युक्त पेय इस प्रतिबन्धित सूची में नहीं थी ।

(ख) निम्नलिखित पार्टियों को जिसके राज्य का नाम उनके समक्ष लिखा गया है, बीयर उत्पादन के आशय पत्र जारी किये गये हैं ।

पार्टी का नाम	राज्य
1. श्री ए० के० घोष, रांची	बिहार
2. मै० शा० बैलेस एण्ड कं० लि० नई दिल्ली	महाराष्ट्र
3. श्री एन० के० महापात्र तुलसीपुर कटक	उड़ीसा
4. डा० डी० कुमार तथा श्री एम०एम० महाजन, नई दिल्ली	दिल्ली
5. हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम लि० चण्डीगढ़	हरियाणा
6. श्री एम० के० जाजोरिया, नई दिल्ली	आंध्र प्रदेश
7. श्री प्रहलादराय डालमिया, कानपुर	राजस्थान
8. मै० बुअरीज इंडिया प्रा० लि० कोट्टायम	केरल
9. दी पंजाब स्टेट एण्ड० डेवलपमेंट कारपोरेशन लि० चण्डीगढ़	पंजाब
10. मै० जसवन्त राय मनीलाल एण्ड पोस्टनजी एफ० घड़ियाली बम्बई	जम्मु तथा काश्मीर

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के एककों की सूचना एकत्रित की जा रही हैं तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी । राज्य सरकारों को सूचित कर दिया है कि विशेषत: यदि उपकरणों के आयात या कच्चे माल के लिये विदेशी मुद्रा वांछित हो तो कोई बुअरी एकक लघु उद्योग क्षेत्र में स्वीकृत न किया जाये ।

Fire in Seven Military Bogies in Allahabad Yard

1342. **Shri Lakhan Lal Kapoor :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the striking students set on fire the seven special Military bogies in Allahabad Yard in the third week of September, 1969.

(b) if so, whether the matter has been enquired into ; and

(c) the estimated amount of loss suffered ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c) No Special Military bogie was set on fire by the striking students during the third week of September, 1969. However, a First class compartment of Military Special, standing in troop siding in Allahabad Yard, caught fire on 25-9 69, in which a Departmental Enquiry by Railway Officers was held. No one has been found responsible. The damage is estimated at Rs. 1,08,000/-.

औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की शक्तियां प्रदान किये जाने के लिये तमिलनाडु सरकार का अनुरोध

1343. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने औद्योगिक लाइसेंस देने के सम्बन्ध में केन्द्र से कुछ नये अधिकार मांगे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) इस सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार से कोई औपचारिक पत्राचार नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिलाई मशीन उद्योग के लिए लाइसेंसों का दिया जाना

1344. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में देश में सिलाई मशीन उद्योग को लाइसेंस देने के बारे में निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा सिलाई मशीनों का लाइसेंस से मुक्त करने का लाभ उठाते हुए सिलाई की मशीन के बनाने का संयंत्र स्थापित करने के प्रयास को देखकर यह निश्चय किया गया कि इस उद्योग को पुनः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत लिया जाये ।

रांची में भारी इन्जीनियरिंग उद्योग समूह को पूरा करने का कार्य

1345. **श्री इन्द्रजीत गुप्ता :** **श्री भोगेन्द्र झा :**
श्री जनार्दनन :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची में भारी इंजीनियरिंग उद्योग समूह का निर्माण निर्धारित समय सीमा से बहुत पीछे है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उद्योग समूह के निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) से (ग) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के तीन कारखानों में से भारी मशीनें बनाने तथा भारी मशीनी औजार बनाने के कारखाने एकाध छोटे मोटे उपकरणों के लगाने को छोड़ कर प्रायः पूरे हो गए हैं। तीसरा, फाउण्ड्री फोर्ज कारखाना भी लगभग पूरा हो गया है सिवाय एक 6000 टन प्रेस के जिसके 1971 में लगाये जाने की आशा है। इस कारखाने के निर्माण में देरी मुख्यतः पाइल फाउण्डेशन के कारण हुई जो कि बाद में आवश्यक समझा गया। उपकरणों की सप्लाई के साथ-साथ काम पूरा करने की गति में तेजी लाने के हर सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर तकनीकी व्यक्तियों की नियुक्ति

1346. **श्री मि० सु० मूर्ति :** क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिविल अधिकारियों द्वारा उनके मंत्रालय का समस्त प्रबन्ध किये जाने के कारण वहां समन्वय, नियंत्रण तथा विनियमन का अभाव है ; जैसा कि प्रशासन सुधार आयोग ने कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में सर्वोच्च पदों पर तकनीकी व्यक्तियों को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद : (क) जी, नहीं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने ऐसा कोई विवरण नहीं तैयार किया है।

(ख) और (ग) तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों को मंत्रालयों के उच्च पदों पर आसीन करने के मामले में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनेक सिफ़ारिशों की हैं ये भारत सरकार के विचाराधीन हैं।

औद्योगिक लाइसेंस नीति में नियन्त्रण तथा विनियमन कार्य क्षेत्र का विस्तार करने का लक्ष्य

1347. **श्री मि० सु० मूर्ति** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति सम्बन्धी समिति ने नियंत्रण तथा विनियमन कार्य क्षेत्र का बिस्तार करने तथा अधिक नियंत्रण आर्थिक आयोजन की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग). औद्योगिक नीति संकल्प तथा पंचवर्षीय योजना के समाजिक और आर्थिक लक्ष्यों की सप्रभावी उपलब्धि के हेतु औद्योगिक लाइसेंसीकरण नीति की जाँच समिति ने औद्योगिक लाइसेंस नीति में कुछ संशोधनों की सिफारिश की है समिति ने सिफारिश की है कि एक ओर महत्वपूर्ण उद्योगों का एक समुदाय होना चाहिये जिनके लिए बृहत योजना बनानी चाहिए तथा लाइसेंसीकरण को एक आवश्यक उपकरण के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए तथा दूसरी ओर प्रतिबन्धों और आरक्षणों का क्षेत्र है जिसमें विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन को निरुत्साहित करना तथा लघु क्षेत्र के उद्योगों को विकास करना और विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों को विकीर्ण करना है। इनके मध्य बड़ा मध्यम क्षेत्र है जिसमें लाइसेंसीकरण का चलना बड़े औद्योगिकों द्वारा तथा विदेशी कम्पनियों द्वारा एककों की स्थापना को रोकने के लिए आवश्यक निषेधक उपकरण हैं। ये तथा समिति की अन्य सिफारशें सरकार के विचाराधीन हैं तथा इन पर लिए गये निर्णय शीघ्र ही घोषित कर दिये जायेंगे।

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय राज्यों में उसके स्वायत्त शासी निकायों में हिन्दी का प्रयोग

1348. **श्री नारायण स्वरूप शर्मा** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों तथा पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र में उनके मंत्रालय के तथा उनके मंत्रालय के अधीन स्वायत्तशासी निकायों के कितने कार्यालय हैं ;

(ख) उनमें से कितने कार्यालयों में सम्पूर्ण कार्य हिन्दी में किया जाता है और शेष कार्यालयों में कार्य हिन्दी में किये जाने की कब तक सम्भावना है ;

(ग) उनके मंत्रालय का विचार हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों तथा गुजरात, पंजाब और महाराष्ट्र के साथ सम्पूर्ण पत्र व्यवहार हिन्दी में कब तक आरम्भ करने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार हिन्दी भाषा-भाषी राज्यों में तथा पंजाब, गुजरात और

महाराष्ट्र में उनके मंत्रालय के प्रत्येक कार्यालयों तथा उनके मंत्रालय के अधीन स्वयत्तशासी निकायों में एक टाईपिस्ट तथा एक अनुवादक नियुक्त करने का है ; और

(ङ) यदि हाँ, तो ऐसा कब तक किये जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो सरकार का विचार हिन्दी कार्य किस प्रकार करने का है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ङ). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Use of Hindi in Offices of Ministry of Law and Social Welfare and its Autonomous Bodies in States

1349. **Shri Narain Swarup Sharma** : Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) the number of offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi speaking States and Puujab, Gujarat and Maharashtra ;

(b) the number out of them in which the entire work is being carried on in Hindi and the time by which the work in the remaining offices is likely to be carried on in Hindi.

(c) the time by which his Ministry proposes to start the entire correspondence with the Hindi-speaking States and Gujarat, Punjab and Maharashtra in Hindi :

(d) whether Government propose to appoint one typist and one translator in each of the offices of the Ministry and in the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaking States and Punjab, Guiarat and Maharashtra ; and

(e) if so, the time by which it is likely to be done and, if not, the manner in which Government propose to dispose of the Hindi work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Shri M. Yunus Saleem) : (a) The Department of Legal Affairs, Ministry of Law has one of its Branch Secretariats located at Bombay (Maharashtra). The Income-tax Appellate Tribunal, a subordinate office of the Ministry of Law, has its headquarters at Bombay. Benches of the Tribunal are also located in Hindi-speaking States at Allahabad, Patna and Indore and in the Union territory of Delhi. Benches of the Tribunal are also located at Ahmedabad and Chandigarh. There are no autonomous bodies functioning under the Ministry of Law.

(b) In none of the offices mentioned at (a) above is the entire on in Hindi. It is not likely that the entire work in any of these offices will be carried on in Hindi in the near future.

(c) Instructions have been issued to all officers ond staff in the Ministry of Law that Hindi should be used in all correspondence with the Hindi-speaking States, namely Bihar, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh and the Union territories of Delhi and Himachal Pradesh. This procedure will, however not apply for the time being to D.O. letters, communications involving Statutory and legal matters and circular letters which are addressed to State Governments and the Union territories. As regards the Inome-tax Appellate Tribunal, no time-limit can be fixed with regard to the use of Hindi for correspondence with the Hindi-speaking States as all proceedings in the Supreme Court and High Courts are in the English language and appeals are filled in many cases to these Courts against the decisions of the Tribunal. The official lauguage of the Tribunal continues to be English according to the Income-tax (Appellate) Tribunal Rules, 1963.

There is no proposal to start correspondence in Hindi with the Governments of the States of Gujarat, Punjab and Maharashtra.

(d) No, Sir.

(e) The Hindi work of the offices of the Ministry of Law in Hindi-speaking States will be carried on by the existing staff in those offices who possess sufficient knowledge of Hindi.

Recruitment of Works Mistries in Engineering Department by Railway Administration instead of by Railway Service Commission

1350. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the work relating to regular recruitment of Works Mistries in the Engineering Department was handed over to the Railway Administration from the Railway Service Commission vide Railway Board letter No. E 56-RC/1/45/3, dated the 14th March. 1956 ;

(b) whether it is also a fact that Work Mistries are recruited from open line in Works and Survey Department for construction scheme ;

(c) whether it is further a fact that many Works Mistries recruited temporarily by Divisional Officers and Administrative Officers for the Construction Scheme were posted on other junior posts under economy drive in 1966-67 ;

(d) if so, the number thereof ; and

(e) whether Government have under consideration a proposal to give same benefits to Works Mistries recruited on regular basis by the Divisional Officers vide Railway Board letter No. E(NG) I/67-RE-1/22, dated the 2nd May, 1968 as are given to those recruited by the Railway Service Commission ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Use of Hindi in Department of Social Welfare and its Offices in States

1351. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of **Law and Social Welfare** be pleased to state :

(a) the number of offices of the Department of Social Welfare and the autonomous bodies under the Department in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharastra ;

(b) the number out of them in which the entire work is being carried on in Hindi and the time by which the work in the remaining offices is likely to be carried on in Hindi ;

(c) the time by which the Department of Social Welfare propose to start the entire correspondence with the Hindi-speaking States and Gujarat, Punjab and Maharashtra in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one Typist and one Translator in each of the offices of the Department and the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra ; and

(e) if so, the time by which it is likely to be done and, if not, the manner in which Government propose to dispose of the Hindi work ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Seven.

(b) None of the offices have adopted Hindi for their entire office work.

(c) No time limit can be fixed as yet for the complete change over to Hindi. However, all communications received in Hindi are replied to in Hindi by the Department as far as possible.

(d) and (e). Consideration of such proposal depends upon the volume and quantum of work in each office under question. Whenever the volume of work will demand, appointment of requisite staff will be considered.

Use of Hindi in Offices of Hindi in Railway Ministry and its Autonomous Bodies in Hindi-Speaking States

1352. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the number of offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaking States and punjab, Gujarat and Maharashtra ;

(b) the number of them in which the entire work is being carried on in Hindi and the time by which the work in the remaining offices is likely to be carried on in Hindi ;

(c) the time by which his Ministry proposes to start the entire correspondence with the Hindi-speaking States and Gujarat, Punjab and Maharashtra in Hindi ;

(d) whether Government propose to appoint one typist and one translator in each of the offices of the Ministry and the autonomous bodies under his Ministry in Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra ; and

(e) if so, the time by which it is likely to be done and, if not, the manner in which Government propose to dispose of the Hindi work ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) In no Railway office is the entire work carried on in Hindi as yet. Based on general policy, steps have been taken for introducing Hindi in Railway Offices. It is not, however, possible to indicate the time by which the entire work in Railway offices will be carried on in Hindi.

(c) Based on a directive from the Ministry of Home Affairs, instructions have been issued to all sections of this Ministry that all originating correspondence (except D. O. letters and letters and circulars relating to technical and legal matter) issued to the State Governments of Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan and Haryana and to the Administrations of the Union Territories of Delhi and Himachal Pradesh, who have adopted Hindi as their official language, should be sent in Hindi.

(d) and (e). Translators and Hindi Typists have already been provided in the Ministry of Railways, Zonal Railway Headquarters and most of the Divisional Offices. The question of appointing translators in Divisional Offices where no arrangements have been made for translation work so far, is under consideration.

Use of Hindi in Ministry of Steel and Heavy Engineering and its Autonomous Bodies in States

1353. **Shri Ram Swarup Vidyarthi** : Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) the number of offices of his Ministry and of the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaki g States and Punjab, Gujarat and Maharashtra ;

(b) the number of offices in which the entire work is being carried on in Hindi and the time by which the work in the remaining offices is likely to be carried on in Hindi ;

(c) the time by which his Ministry proposes to start the entire correspondence in Hindi with the Hindi-speaking States and Gujarat, Punjab and Maharashtra ;

(d) whether Government propose to appoint one typist and one translator in each of the offices of his Ministry and the autonomous bodies under his Ministry in the Hindi-speaking States and Punjab, Gujarat and Maharashtra ; and

(e) if so, the time by which it is likely to be done and, if not, the manner in which Government propose to dispose of the Hindi work ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) There is no subordinate office of this Ministry in any of the Hindi-speaking States or in Punjab, Gujarat and Maharashtra. There are, however, four public undertakings in Hindi-speaking States under the control of the Ministry.

(b) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) This is already being done.

रेलवे के कार्य संचालन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

1354. **श्री मंगलाथु माडोम** : क्या रेलवे मंत्री 19 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4098 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कार्य संचालन के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग का प्रतिवेदन अब तक सरकार को पेश किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कितनी सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है ?

रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

1355. **श्री सु० कु० तापड़िया :**
श्री नन्द कुमार सोमानी :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को वर्ष 1968-69 में कुल कितना लाभ हुआ अथवा हानि हुई ;

(ख) प्रत्येक कारखाने के उत्पादन क्षमतानुसार उत्पादन की प्रतिशतता तथा प्रत्येक कारखाने में नष्ट हुए जन घण्टों सहित लाभ अथवा हानि के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) वर्ष 1969-70 के लिये उत्पादन और लाभ के क्या आंकड़े निर्धारित किये गये हैं ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख). हिन्दुस्तान स्टील लि० को 1968-69 के वर्ष में 595 करोड़ रुपये का मूल्य ह्रास के लिए तथा 275 करोड़ रुपये, सरकार से लिए गये कर्ज़ पर ब्याज के लिये निकाल कर कुल 399.17 करोड़ रुपये की हानि हुई है। इसका कारखाना वार ब्यौरा निम्नलिखित है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र	39.7 करोड़ रुपये
भिलाई इस्पात संयंत्र	113.5 करोड़ रुपये
दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	173.7 करोड़ रुपये
एलायड इस्पात संयंत्र	68.3 करोड़ रुपये

वर्ष 1968-69 में राउरकेला, भिलाई तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों में कम्पनी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का क्रमशः 105.6 प्रतिशत, 93.8 प्रतिशत तथा 102.9 प्रतिशत इस्पात पिण्डों का उत्पादन हुआ। इस वर्ष हड़तालों और बंदों के कारण सबसे ज्यादा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को हानि हुई है। यह हानि लगभग 524900 श्रम घंटे की है।

(ग) हालांकि कम्पनी ने चालू वित्तीय वर्ष में उत्पादन और प्रेषण का एक लक्ष्य निर्धारित किया था, तथा उसके आधार पर कार्य-परिणाम का अनुमान लगाया था परन्तु यथार्थ उपलब्धि और वर्ष के शेष भाग के लिए अनुमान के आधार पर इन लक्ष्यों और अनुमानों का संशोधन किया जा रहा है।

Development of Sanawad Station on Indore-Khandwa Line (Western Railway)

1356. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the action being taken by Government to develop Sanawad Station on the Indore-Khandwa line, whose population has now increased, and for providing there Waiting Rooms and other passenger amenities and also making arrangements for providing water for engines ; and

(b) whether Government have given any orders to the local Municipal Committee in connection with making arrangements to provide water there for engines ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) There are no proposals for further development at Sanawad. The existing amenities at this station are considered adequate and there is no need for watering of engines at this station.

(b) Does not arise.

Development of Factories Manufacturing Tyres

1357. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs be pleased to state :

(a) whether any instructions have been given to the foreign companies, engaged in the development of factories manufacturing tyres, to the effect that they should import machinery from Rupee-Currency countries ;

(b) whether Government are considering a proposal to grant licences to the new Indian companies for the development of these factories ; and

(c) whether Government are contemplating to withdraw the licences given to foreign companies and grant them to Indian firms or take over the foreign companies in case they do not import machinery from rupee-currency countries ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) No, Sir.

Amount earmarked for Development of Tyre Manufacturing Companies

1358. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the amount in crores of rupees which have been earmarked by Government for licences in respect of the development of the tyre-manufacturing companies ;

(b) the number of foreign companies out of the tyre-manufacturing companies ; and

(c) the amount in respect of which Government have issued orders to import machinery from the rupee-currency area out of the total amount of licences earmarked for the development of tyre-manufacturing companies ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) No specific amount has been earmarked for development of tyre-manufacturing companies as such.

(b) Foreign capital participation is more than 50% in four of the 7 tyre-manufacturing companies.

(c) Does not arise, in view of answer to part (a).

Manufacture of Small Tractors

1359. **Shri Shashi Bhushan** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government with regard to the manufacture of small tractors ;

(b) the number of small tractors to be required during the Fourth Five Year Plan as estimated by Government ; and

(c) the number of new licences being issued by Government to meet the requirement ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (c). In order to encourage the speedy establishment of additional production capacity, the tractor industry has been exempted from the licensing provisions of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 with effect from 7.2.1968. Following this decision a number of schemes for the manufacture of tractors has been approved. Three of these schemes which relate to the manufacture of small tractors account for a capacity of 22,000 Nos. per annum. The Governmet have also under consideration a proposal to undertake the manufacture of a 20 HP tractor (12,000 Nos. per annum) by utilising the spare capacity available in some of the public sector undertakings.

(b) The Department of Agriculture have estimated that the total requirement of small tractors during the Fourth Plan period will be 103,000 Nos.

पुनः रेखांकित रेलवे ट्रैक पर जवानवाला शहर स्टेशन का निर्माण

1360. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री 22 जुलाई, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 303 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवानवाला शहर स्टेशन का इसके वर्तमान स्थान से हटाकर पुनः रेखांकित रेलवे ट्रैक पर निर्माण करने का कोई निर्णय किया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय किया जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी, हां।

(ख) सवाल नहीं उठता।

कांगड़ा घाटी में पौंग बांध के निर्माण के कारण नया सरेखण

1361. **श्री हेम राज** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांगड़ा रेलवे का पौंग बांध के निर्माण के कारण किये जाने वाला तथा सरेखण को पूरा कर दिया गया है ;

(ख) इसकी लम्बाई क्या होगी और इसपर कितने तथा कौन से स्टेशन बनाये जायेंगे और प्रत्येक के बीच कितनी दूरी होगी ; और

(ग) क्या किसी रेलवे स्टेशन को स्थापित करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं और सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) पौंग डाम के निर्माण के कारण, जवावाला शहर और गुलेर स्टेशनों के बीच रेल पथ के मार्ग परिवर्तन के लिए पहले ही अंतिम रूप से मार्ग-निर्धारण किया जा चुका है।

(ख) वास्तविक मार्ग परिवर्तन लगभग 28 किलोमीटर लम्बा होगा। परिवर्तित मार्ग के स्टेशन तथा उनकी अतः स्टेशन दूरी इस प्रकार है :—

क्रम सं०	स्टेशन	अंतः स्टेशन दूरी
*1.	जवांवाला शहर	
2.	हरसर	7.791 कि० मी०
3.	नगरोठा सूरियाँ	12.691 कि० मी०
4.	नन्दपुर	5.792 कि० मी०
*5.	गुलेर	5.319 कि० मी०

*ये वर्तमान स्टेशन हैं।

(ग) जवांवाला शहर स्टेशन के स्थान परिवर्तन के विरुद्ध और यदि स्थान परिवर्तन आवश्यक हो तो उसे पी० डब्ल्यू० डी० रैस्ट हाउस के पास बनाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। अब यह निर्णय किया गया है कि स्टेशन को मौजूदा स्थान पर ही रहने दिया जाये।

उत्तरी रेलवे के कांगड़ा घाटी सैक्शन के लिए स्टेशनों पर बैंडरों के लिए शैडों का निर्माण

1362. **श्री हेम राज :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग द्वारा उत्तरी रेलवे के कांगड़ा घाटी सेक्शन के किन स्टेशनों पर 'बैंडरों' के लिए शेडों का निर्माण किया गया है और किन स्टेशनों पर नहीं किया गया है ; और

(ख) बैंडर शेडों का विशेष कर गुलेर कांगड़ा मन्दिर, नगरोटा भगवान तथा पालमपुर (हिमाचल प्रदेश) स्टेशनों पर निर्माण न करने के क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) रेलवे द्वारा खोमचे वालों की दुकानें शेड उत्तर रेलवे के कांगड़ा घाटी खण्ड के केवल कांगड़ा, नगरोटा, कोपड़ लाहड़ और ज्वालामुखी रोड स्टेशनों पर ही बनाये गये हैं।

जिन स्टेशनों पर रेलवे द्वारा खोमचे वालों की दुकानें, शेड नहीं बनाये गये हैं वे इस प्रकार हैं :—

1 नूरपुर रोड	7 मंगवाल	13 पालमपुर पंजाब
2 तलाड़ा	8 गुलेर	14 पंचरुखी
3 भरमार	9 कांगड़ा मंदिर	15 बैजनाथ पपरोला
4 जवांवाला शहर	10 समलोटा	16 बैजनाथ मन्दिर
5 अनूर	11 परोर	17 अहजू
6 जगतपुर	12 सुलाह पंजाब	18 जोगिन्दर नगर

(ख) गुलेर स्टेशन पर रेढ़ी द्वारा बिक्री करने का लाइसेंस दिया गया है जिससे यात्रियों की आवश्कतायें पूरी हो जाती हैं।

कांगड़ा मन्दिर स्टेशन पर खोमचे द्वारा बिक्री की कोई माँग नहीं है।

नगरोटा स्टेशन पर खोमचे वाले की दुकान है।

पालमपुर पंजाब पर प्लेटफार्म के बाहर खोमचे वाले का एक स्टाल है जो खोमचे के ठेकेदार ने बनवाया है।

Strength of Staff at Jawanwala Shahr (Northern Railway)

136. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the strength of staff appointed at present at Jawanwala Shahr Station (Northern Railway) in connection with the construction of the Beas Dam and diversion of new Railway line of Kangra Valley ;

(b) whether it is a fact that the staff is sitting idle for the last eight months because the land Acquisition Officers have not so far given the land to the Railway Department to lay the Railyway track and build the Railway colony ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the time by which the work would commence ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) 33.

(b) No. Although the land required for the proposed realignment of track and building railway colony has not yet been acquired and handed over to Northern Railway, the staff has been engaged in the preliminary work required before the actual execution of work is taken in hand.

(c) Does not arise.

(d) The actual work would be started as soon as the land for the proposed realignment and building railway colony is acquired and handed over to the Northern Railway.

Railway Crossings Between Talara and Jawanwala Shahr

1364. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that three Railway crossings have been recently constructed between Talara and Jawanwala Shahr Railway Stations in Kangra Valley ;

(b) if so, the number of Railway employees posted there and the amount spent ;

(c) whether Government propose to dismantle the Railway crossing between Talara and Bharmar and to construct a Railway crossing away from Bharmar and near Jawanwala Shahr Station ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) No new level crossing has been constructed between Jawanwala Shahr and Talara stations in the Kangra Valley Railway. However, 2 'D' class level crossings (cattle crossings) have been upgraded as 'C' class manned One existing 'C' class manned with one gate keeper has also been provided with one additional gate lodge.

(b) 2 gate keepers has been posted at each of the two upgraded level crossings. The total estimated cost is Rs. 43,678/- approximately.

(c) and (d). Neither the Railway has any proposal to do so nor any request has been received from any party.

Setting up of Industries in Public sector During Fourth Plan

1365. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs** be pleased to state ;

(a) the names of the States where the Central Government propose to start industries in the public sector during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the expenditure likely to be incurred by the Central and State Governments in this regard ?

The Minister of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed) : (a) and (b): The details of the Central industrial project to be set up during the Fourth Five Year Plan are indicated on pages 253-260 of the 'Draft Fourth Five Year Plan Report' brought out by the Planning Commission. The amount proposed to be invested in these projects is also indicated therein. Out of the total outly of Rs. 2350.43 crores provided in the Draft Fourth Five Year Plan for industrial and Atomic Energy projects in the public sector, Rs. 2192.87 crores will be in the Central Sector and Rs. 157 56 crores in States and Union Territories.

Non-Supply of Uniforms to 244 Class IV Employees of Northern Railway

1366. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Railways** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4051 on the 19th August 1969 and state :

(a) the reasons for not providing uniforms to 244 Class IV employees in Northern Railway ; and

(b) by what time Government propose to provide them with uniforms ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) The figures mentioned in the reply given to the Unstarred Question No. 4051 on 19-8-1969 are categories of staff and not the number of staff. They are not provided uniforms as they are not eligible for the same under the extant orders.

(b) Does not arise.

Construction of New Railway Station at Sonai on Mathura-Hathras Metre Gauge Section (North Eastern Railway)

1367. **Shri Nihal Singh** :
Shri Shiv Charan Lal :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4016 on the 19th August, 1969 and state :

(a) the number of officials who inspected the site of Sonai Crossing station being constructed on the Mathura-Hathras Metre Gauge line from 1967 to-date, and the dates on which they inspected the site, the places surveyed by the officials for the construction of the building of the station and the difficulties experienced at these places ;

(b) whether it is a fact that the General Manager of the North Eastern Railway had, during the 1968 survey, assured the Public and Legislators of that area that the station building would be constructed within a distance of 2 furlongs and, if so, the reasons for the change of site ; and

(c) whether it is also a fact that four Members of Parliament had sent letters recommending the site and that two letters have been deliberately misplaced ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) The site for locating the crossing Station was checked by the existing maintenance staff between 29.5.68 and 1.6.68. Originally the site surveyed was at KM 328/6-7 which is at a distance of 2 56 kilome res from the existing Sonai station. This site was advantageous from the Railway point of view as it was in the centre of Raya-Mursan block section and also would have cost less. However, since the local people of the area pressed for provision of additional facilities at the existing station, the proposed station was re-sited at a distance of 1 KM from the existing Sonai station after examining all technical and other aspects.

(b) No specific assurance was given by the General Manager of North Eastern Railyway during his routine annual inspection in March, 1968.

(c) Letters from four Members of Parliament recommending shifting of the site at a distance of 2 furlongs from the existing site, were received. These have not been misplaced.

Construction of New Railway Station at Sonai on Mathura-Hathras Metre-Gauge Section (North Eastern Railway)

1368. **Shri Shiv Charan Lal** : Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the General Manager of the North Eastern Railway, Gorakhpur had made an inspection in 1966 by a Special team in regard to construction of a new Railway Station at Sonai on Mathura-Hathras metre-gauge section ;

(b) if so, the expenditure incurred by Government on such inspection and the strength of other staff that accompanied him ; and

(c) how long the meeting between the said Railway officials and the public as well as Legislators in this regard took place and what assurances were given to them ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (c). The General Manager accompanied by a team of Railway officers conducted a routine annual inspection of the section Kasganj-Mathura Cantt. (in which Sonai station is located) alongwith other sections, in March 1968. No additional expenditure was incurred for this inspection. During this inspection, the local residents of the area represented to the General Manager that Sonai halt should be converted into a crossing station and basic passenger amenities provided. No record of the duration of the discussion has been maintained. No specific assurance was given by the Railway officials.

केन्द्रीय डिजाइन तथा इंजीनियरिंग ब्यूरो

1369. **श्री जनार्दनन** : **श्री धीरेश्वर कलिता** :
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय डिजाइन तथा इंजीनियरी ब्यूरो को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार ने रूसी सहयता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का तथा कितनी सहायता मांगी है ; और

(ग) क्या सोवियत संघ ने इस बारे में सहायता देने की सरकार की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). आजकल मंत्रालय और हिन्दुस्तान स्टील लि० के अधिकारियों का एक दल मास्कों से सोवियत अधिकारियों से इस सहयता पर की राशि और क्षेत्र के बारे में बातचीत कर रहा है।

बरनी हाट को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रागज्योतिषपुर स्टेशन से मिलाने का प्रस्ताव

1370. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरनीहाट को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के प्रागज्योतिषपुर स्टेशन से मिलाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस परियोजना के लिए सर्वेक्षण तथा निर्माण कार्य का प्राक्कलन इस बीच प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). सवाल नहीं उठता।

निर्यात उद्योगों का विस्तार

1371. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैदेशिक व्यापार मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि निर्यात उद्योग के विस्तार पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख). विदेश व्यापार मंत्री द्वारा लोक सभा में 19-11-1969 को तारांकित प्रश्न सं० 66 के उत्तर में दिए गये वक्तव्य की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह मामला अभी भी विदेश व्यापार मंत्रालय के विचाराधीन है और अभी तक इस मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसियेशन के बीच बातचीत

1372. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी० डी० खंडेलवाल की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के अधिकारियों के साथ हमारी आयात संबंधी आवश्यकताओं के लिए वित्त व्यवस्था के बारे में बातचीत हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) 550 लाख डालर के ऋण के लिए एक करार किया गया है।

बम्बई और कलकत्ता जैसे नगरों के लिये महानगर ट्रांजिट योजना

1373. **श्री मणिभाई जे० पटेल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने बम्बई और कलकत्ता जैसे महानगरों के लिए प्रस्तावित महानगर ट्रांजिट योजना की वित्तीय और प्रशासनिक कठिनाइयों पर विचार किया है ;

यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख) सरकार द्वारा इसके वित्तीय और प्रशासनिक फलितार्थ की जांच की जा रही है ।

(ग) महानगर रेल परिवहन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने के विषय में नीति सम्बन्धी निर्णय अभी लिया जाना है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा अर्जित भूमि

1374. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची के लिए अर्जित भूमि का एक भाग खाली पड़ा है तथा नया निर्माण होने तक उस भूमि पर खेती हो सकती है ;

(ख) क्या विस्थापित हुए स्थानीय लोग यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें अस्थायी आधार पर खेती के लिए भूमि दी जाये ; और

(ग) यदि हां, तो प्रबन्धकों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के लिए अर्जित की गई भूमि में से लगभग 2000 एकड़ भूमि इस समय खाली पड़ी है । इसमें से 800 एकड़ खेती अथवा मकान बनाने–दोनों ही कामों के लिए अनुपयुक्त है । इस खाली क्षेत्र को बस्ती के विस्तार तथा सम्बंद्ध सुविधाओं के लिए काम में लाया जायेगा ।

(ख) कुछ समय पहले विस्थापित स्थानीय लोगों ने प्रार्थना की थी कि इस भूमि का खेती के काम के लिए बन्दोबस्त कर दिया जाय ।

(ग) संभावित कानूनी उलझन और भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सका ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में इंजीनियरी सहायक (सिविल) की पदोन्नति

1375. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची में कोई वरीयता सूची नही बताई गई है तथा वरीयता और स्थायी आदेशों का उल्लंघन करके पदोन्नति की गई है जिससे इंजीनियरी सहायक (सिविल) में भारी असंतोष पैदा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इंजीनियरी सहायकों ने हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रधान को पदोन्नति तथा परिचालन और आपत्तियों के सुनने के बाद वरीयता सूची तैयार करने के बारे में एक ज्ञापन पेश किया है जिसमें 6 अगस्त, 968 के आदेश को रद्द करने की मांग की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीकृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) भारी इंजीनियरी निगम, रांची, के असैनिक सहायक इंजीनियरों की वरीयता की सूची तैयार की जा चुकी है परन्तु कुछ इंजीनियरों द्वारा वरीयता/पदोन्नति के मामले को न्यायालय में ले जाए जाने के कारण इसे प्रकाशित करना सम्भव नहीं हो सका है। क्योंकि न्यायालय ने कंपनी पर अन्तरिम निषेध आज्ञा लागू कर दी है जिसे अभी तक हटाया नहीं गया है।

(ख) कम्पनी के व्यवस्थापकों ने निर्णय किया था कि जो सहायक इंजीनियर उत्पादन को अतिरिक्त अन्य जगहों पर कार्य कर रहे है और जिनकी नियुक्ति अथवा पदोन्नति 1 जनवरी, 1963 से पहले की गई है यदि वे और सब भाँति योग्य हुए तो उन्हें 350-575 के स्केल में पदोन्नति दी जाय। परन्तु भाग (क) में उल्लिखित न्यायालय द्वारा लगाए गए निषेध के कारण यह निर्णय अभी तक लागू नहीं हो सका है।

(ग) जी, हां।

(घ) क्योंकि असैनिक सहायक इंजीनियर मामले को न्यायालय में ले गए हैं जहां वह अभी विचाराधीन है इसलिए कम्पनी कोई कार्यवाही नहीं कर सकी है।

बिहार के आदिमजातीय क्षेत्रों का विकास

1376. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विधि तथा समाज कल्याण** मंत्री 26 अगस्त, 1969 के आतारांकित प्रश्न संख्या 5015 के उत्तर क सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में आदिमजातीय क्षेत्रों के विकास के बारे में जानकारी इस बीच इकट्ठी कर ली गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार झारखण्ड क्षेत्रों के विकास के लिए शिक्षा, कृषि तथा

सिंचाई बोर्डों के साथ एक सांविधिक विकास बोर्ड का गठन करने के लिए एक विधान लाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (डा० (श्रीमती) फूलरेणु गुह) : (क) हाँ, श्रीमान ।

(ख) जब श्री हरिहर सिंह तथा श्री भोला पासवान शास्त्री मुख्य मंत्री थे तब सरकार ने पूरे छोटा नागपुर डिवीजन तथा भागलपुर डिवीजन के संथाल परगना जिले के लिए एक कानूनी योजना तथा विकास बोर्ड को स्थापित करने का निश्चय किया था । श्री हरिहर सिंह के मंत्रीमंडल ने कानूनी बोर्ड के बारे में प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल की स्थापना की थी, परन्तु कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार करने से पूर्व ही वह मंत्रीमंडल समाप्त हो गया था । उनके बाद के मुख्य मंत्री श्री भोला पासवान शास्त्री ने 27 जून, 1969 को राज्य विधान सभा में अपनी सरकार के छोटा नागपुर डिवीजन तथा संथाल परगना जिले के लिए एक कानूनी क्षेत्रीय योजना तथा विकास बोर्ड को स्थापित करने के निश्चय की घोषणा की तथा उसके अधिकारों, कार्यों तथा अधिकार-क्षेत्रों को निर्धारित किया ।

(ग) तथा (घ). राज्य सरकार द्वारा इस मामले का और परीक्षण किया जा रहा है ।

स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की कमी

1377. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों की अत्याधिक कमी है ;

(ख) क्या कुछ निर्माताओं ने उनके बनाने के लिये सरकार से पेशकश की है ;

(ग) क्या सामान्यतया निर्माताओं को हतोत्साहित किया जाता है और उन्हें लाइसेंस नहीं दिये जाते ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली-अहमद) : (क) यद्यपि स्कूटरों के मामलों में मांग और सप्लाई के बीच असंतुलन है लेकिन मोटर साइकिलों के मामले में ऐसा कोई असुतंलन नहीं है ।

(ख) स्कूटरों तथा मोटर साइकिलों के निर्माण में रुचि रखने वाली पार्टियों से अनेक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ग) और (घ). चूंकि मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने की कोई गुंजाइश नहीं है, अतः फिलहाल मोटर साइकिलों के निर्माण के लिए नए उपक्रमों की स्थापना हेतु लाइसेंस मंजूर नहीं किए जा रहे हैं और इनके निर्माण हेतु पहले प्राप्त हुए आवेदनों को रद्द कर दिया है । जहां तक स्कूटरों का सम्बन्ध है कि सरकार देश में स्कूटरों के

निर्माण के लिए अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के प्रश्न से संबंधित सभी पहलुओं पर ध्यान-पूर्वक विचार कर लेने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि देशी डिजाइन के स्कूटरों का निर्माण करने के लिए सरकारी क्षेत्र में एक परियोजना स्थापित करना बेहतर होगा। तदनुसार सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है जो सरकारी क्षेत्र में स्कूटरों के उत्पादन का कार्यक्रम तैयार करेगी और उपयुक्त देशी डिजाइन के बारे में उसे परामर्श देगी।

सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि यदि कोई गैर-सरकारी पार्टी जो पूर्ण रुपेण देश में उपलब्ध जानकारी और सामान से स्कूटरों का निर्माण तत्काल ही करना चाहती है तो उसे उसकी अनुमति दे दी जानी चाहिए। उसके अनुसार सरकार ने एक सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी करके रुचि रखने वाले उद्यमियों से, जो पूर्ण रुपेण देशी जानकारी और सामान तथा बगैर विदेशी सहयोग के स्कूटरों का निर्माण करने के लिए तैयार हैं, 31-1-1970 तक आवेदन पत्र मांगे हैं।

उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, गैर सरकारी पार्टियों से स्कूटरों के निर्माण हेतु पहले प्राप्त हुए आवेदनों को, जो सरकार के पास अनिर्णीत है, रद्द किया जा रहा है क्योंकि उन में विदेशी सहयोग सम्मिलित है।

रेल कर्मचारियों को चिकित्सा बिलों की राशि की प्रतिपूर्ति करना

1378. **श्री श्रीचंद गोयल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव है कि रेलवे कर्मचारियों के चिकित्सा बिलों की उतनी राशि की प्रतिपूर्ती की जाये जिनकी कि आय-व्ययक में प्रति व्यक्ति इस प्रयोजन के लिए नियत की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेल मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में वर्तमान नियम सर्वथा पार्याप्त हैं और इनमें कोई संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है।

रेलवे के श्रेणी 2 के इंजीनियरी पदों के लिये चयन पर प्रतिबन्ध

1379. **श्री श्रीचंद गोयल :** क्या रेलवे मन्त्री वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्जीनियरिंग कर्मचारियों के चयन पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध है कि केवल स्थायी-करण के बाद ही उनका श्रेणी 2 के पदों के लिए चयन किया जा सकता है ;

(ख) क्या इन्जीनियरिंग विभाग के कार्य करने वाले कर्मचारियों को स्थायीकरण में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या इन्जीनियरी के स्नातकों के मामलो में इस प्रतिबन्ध को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेल मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हाँ।

(ख) कर्मचारियों को उनकी वरिष्ठता के क्रम में स्थायी किया जाता है बशर्ते जगहें उपलब्ध हों।

(ग) और (घ). श्रेणी II में चुनाव के लिए पहले स्थायी होना आवश्यक है। जब तक व श्रेणी III में स्थायी न हो, तब तक श्रेणी II में पदोन्नति के लिए विचार किये जाने के पात्र नहीं हैं। यह पदोन्नति विधिवत चुनाव द्वारा की जाती है।

रेलवे की श्रेणी 2 की सेवाओं के लिये इंजीनियरी स्नातकों के चयन

1380 **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हजारों इंजीनियरी स्नातक रेलवे में ड्राफ्ट्समैन के पदों पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या वरीयता सूची के अनुसार उनका नम्बर आने तक उन्हें श्रेणी 2 में पदोन्नत नहीं किया जाता ;

(ग) ऐसे स्नातकों को श्रेणी 2 के पद न दिये जाने के क्या कारण हैं जब कि अन्य केन्द्रीय सरकारी विभागों में समकक्ष पदों पर कार्य कर रहे व्यक्तियों को स्वतः पदोन्नति मिल जाती है ; और

(घ) उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेल मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सभी विभागों में, जिसमें इन्जीनियरिंग विभाग भी शामिल है केवल III के स्थायी कर्मचारियों को श्रेणी II में और फिर श्रेणी I में पदोन्नति के लिए पेनल पर रखा जाता है।

(ग) श्रेणी II में चुने जाने के लिए स्थायी होना पहली जरूरी शर्त है। जब तक कि उन्हें श्रेणी III में स्थायी नहीं किया जाता तब तक वे चुनाव की सीधी कार्यवाही द्वारा श्रेणी II में पदोन्नति के विचारार्थ हकदार नहीं होते।

(घ) श्रेणी III के कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में ए० एम० आई० ई० परीक्षा का भाग 'ए' पास करने पर 200 रुपये का नकद पुरस्कार और भाग 'बी' पास करने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां पहले ही दी जा रही हैं।

Percentage of Grade Posts in Categories of Telegram Clerks/ Train Clerks and Commercial Clerks on Western Railway

1381. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7980 on the 29th April, 1969 and state :

(a) the percentage of grade posts in the categories of Telegram Clerks, Train Clerks,

Commercial Clerks and others on the Western Railway and the percentage of Ticket Collectors and Travelling Ticket Examiners in comparison to this percentage ;

(b) the causes of the anomaly ;

(c) whether Government propose to remove this anomaly ; and

(d) if not. the reasons therefor ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) A statement is attached. [*Placed in Library. See* No. LT—2096/69].

(b) to (d). The percentages for the distribution of posts in the higher grades of various categories of staff including those mentioned in part (a) of the Question have been prescribed keeping in view the duties and responsibilities to be undertaken by the staff of the various grades in each category. As the duties and resposibilities of these categories of staff are quite different from each other, uniform percentage cannot be made applicable to all the categories of staff. Accordingly, there is no anomaly.

Ticketless Travelling on Western Railway

1382. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7980 on the 29th April, 1969 and state :

(a) the number of passangers detected travelling without tickets during the last three years on the Western Railway by the Clerks, Students, Vigilance Department and other agencies and the amount realised as fine from the said passangers ;

(b) the details of the amount realised by the Travelling Ticket Examiners from the passangers travelling without tickets ;

(c) the expenditure incurred separataly on the agencies other than the Travelling Tickets Examiners for checking the tickets and whether Government are satisfied with the expenditure incurred ; and

(d) if not, the reaction of Goernment in regard thereto ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Number of passengers detected travelling without tickets by Clerks/Students/Vigilance Department and other agencies on the Western Railway during 1967 is not available. During 1968 and 1969 (Upto September) the same was 17534 and 10317 respectively.

Amount collected from them as fare and excess charges during the 3 years was Rs. 91,781, Rs. 85,048 and Rs. 54,403 (Upto September) respectively.

(b) The amonnt realized by the T.T.Es. from Ticketless passengers during the same period was Rs. 34,88,976, Rs. 39,43,158 and Rs. 29,78,364 (Upto September) respectively.

(c) and (d). Expenditure incurred on the agencies like Students, Volunteers from Social Service Organisations etc. during the year 1967, 1968 and 1969 (upto September) was Rs. Nil, Rs. 4,184 and Rs. 2,251 respectively. These figures do not include the cost of Vigilance staff utilised for ticket checking as they perform various other duties connected with vigilance work.

The expenditure incurred on this account is very small and negligible when compared to the earnings.

Attendants for Passanger Trains on Western Railway

1383. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7980 on the 29th April, 1969 and state :

(a) the number of attendants running with all the passenger trains on the Western Railway ;

(b) the nature of duties they are required to perform and whether they are trained in their duties ;

(c) the particulars of their duty hours and their scales of pay and allowances ;

(d) whether some attendents are working temporarily at present and if so, the number of days for which work is assigned to them during a month ; and

(e) whether Government have received some complaints regarding the various types of bungling in the selection of temporary employees, and if so, whether Government have taken any action against the appointing authorities ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Vigilance Staff to Check Ticketless Travelling on Western Railway

1384. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7980 on the 29th April, 1969 and state :

(a) the number of ticketless travellers apprehended by the Western Railway Vigilance Staff and the amount spent by Railways on Vigilance staff so far ;

(b) the number of complaints received by the Vigilance Branch so far against the irregularities of Railway staff and the action taken by Government on them ;

(c) whether Government have received complaints against the staff of Vigilance Branch also and, if so, the number and the nature thereof ;

(d) the action taken by Government on these complaints and whether some other agency has also been maintained to look into them ; and

(e) if so, the outlines of the said high-agency and its opinion in this regard ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Checking of Passenger Tickets is normally done by the Ticket-checking staff. Vigilance staff do such checking only occasionally. Information regarding the number of ticketless travellers apprehended separately by the Vigilance staff on Western Railway is not available.

Expenditure incurred on Vigilance Staff on the Western Railway is approximately Rs. 5.60 lakhs per annum.

(b) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Withdrawal of T. T. Is. from All Third Class Sleepers on Western Railway

1385. **Shri Hukam Chand Kachwai :** **Shri S. S. Kothari :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of Railways be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 7980 on the 29th April, 1969 and state :

(a) whether it is a fact that the T.T.I.'s work is being taken from Attendants after the withdrawal of T.T.Is. from all Third Class Sleepers on the Western Railway ; if so, the reasons therefor ;

(b) the amount saved so far by Railways thereby and the number of T.Cs. and T.T.Is. affected as regards their future promotions ;

(c) whether it is also a fact that recently the uniform of T.T.Is. on the Western Railway was changed and, if so, the reasons for changing the colour of their uniform from white to Khakhi ;

(d) the particulars of uniforms issued to various categories of Railway staff including their colours and periodicity and whether such uniforms are got stitched in bulk ; and

(e) whether Government have received complaints of discontent among staff in this regard and, if so, the nature thereof ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) to (e). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

25 दिसम्बर, 1969 के 21 अप जनता एक्सप्रेस पर हमला

1386. **श्री रा० बरुआ :** **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री मयाबन : **श्री चेंगल राया नायडू :**

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली से चलने वाली 21 अप जनता एक्सप्रेस रेलगाड़ी पर 25 सितम्बर, 1969 को प्रातः एक हिंसात्मक भीड़ द्वारा हमला किया गया था जिसमें कई यात्री मारे गये थे ;

(ख) यदि हाँ, तो कुल कितने यात्री मारे गये तथा जख्मी हुए ; और

(ग) क्या मारे गये व्यक्तियों के परिवारों अथवा घायल व्यक्तियों को कोई प्रतिकर दिया गया था ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). जी हां। 25 सितम्बर, 1969 की शाम को पश्चिम रेलवे के अम्लियासन स्टेशन पर भीड़ द्वारा 31 अप जनता एक्सप्रेस पर हमला करने के फलस्वरूप 12 व्यक्ति घायल हो गये थे जिनमें II की मृत्यु हो गयी।

(ग) जी नहीं।

Manufacture of Engines, Passenger Coaches and Wagons for Narrow Gauge Lines of Indian Railways

1387. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Railways be pleased to state :

(a) the arrangement made for the manufacture of the required engines, passenger coaches and wagons meant for the narrow gauge line of the Indian Railways, the production capacity fixed for this purpose and the details of the achievements ; and

(b) whether Government have decided to adopt any long-term development scheme in regard to metre gauge lines ?

The Minister of Law and Social Welfare and Railways (Shri Govinda Menon) : (a) Arrangement made for the manufacture of Railway engines (locomotives), coaches and wagons for the narrow gauge lines of Indian Railways and capacity available for the purpose are is detailed below :—

(i) It has been planned to build 10 narrow gauge diesel locomotives on replacement account during the 5 years' period from 1969-70 to 1973-74 at Chittaranjan Locomotive Works, where the capacity for their manufacture is being developed.

(ii) Capacity exists in Railway Workshops to meet the requirement of narrow gauge coaches.

(iii) The private railway wagon builders and the Railway Workshops producing broad gauage and metre gauge wagons are in a position to undertake manufacture of narrow gauge wagons also and orders are placed on them depending on the requirements.

(b) A long-term perspective plan for the progressive conversion of selected metre gauge sections to broad gauge is being prepared.

Conference of World Council for Welfare of Blind

1388. **Shri Yashwant Singh Kushwah :** Will the Minister of Law and Social Welfare be pleased to state :

(a) whether the Fourth Conference of the World Council for the Welfare of the Blind has concluded in New Delhi ;

(b) the number of representatives and the names of the countries which participated in the said Conference ; and

(c) the details of the achievements of the Conference ?

The Minister of State in the Ministry of Law and in the Department of Social Welfare (Dr. (Smt.) Phulrenu Guha) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the National Association for the Blind, which was the host, 170 foreign participants from the following countries attended to the Conference : —

Afghanistan, Argentina, Australia, Belgium, Brazil, Bulgaria, Canada, Ceylon, Denmark, France, German Democratic Republic, German Federal Republic, Indonesia, Iran, Italy, Japan, Kenya, Korea, Lybia, Nepal, Netherland, New Zealand. Nigeria, Norway, Pakistan, Saudi-Arabia, Spain, Sweden, Taiwan, Thailand, Trinidad, U.S.S.R., United Kingdom, U.S.A., Western Samoa, Yugoslavia.

(c) The major theme of the Assembly was the 'Blind in an Age of Science'. In conformity with this theme, the Assembly concentrated its attention on the dissemination of technical information and professional knowledge.

The Conference adopted 9 comprehensive resolutions, dealing with almost every aspect of the education, training and rehabilitation of the blind as well as the prevention of blindness.

मनहेंडू और भिवानी स्टेशनों (उत्तर रेलवे) के मध्य ढाना लदानपुर स्टेशन पर रेलवे हाल्ट का खोला जाना

1390. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या रेलवे मन्त्री 26 अगस्त, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5076 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के रिवाड़ी-भटिंडा सेक्शन में भिवानी और मासहेंड स्टेशनों के बीच ढाना लदानपुर में ठेके द्वारा संचालित रेलवे हाल्ट बनाने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) यह हाल्ट स्टेशन कब तक आरम्भ कर दिया दिया जायेगा ?

विधि तथा समाज कल्याण और रलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). भिवानी और मन्हेरू स्टेशनों के बीच हाल्ट के नामकरण से सम्बन्धित औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। हाल्ट स्टेशन के निर्माण के लिए आवश्यक व्यवस्था भी की गयी है और हाल्ट ठेकेदार नियुक्त करने के लिए आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं। इन प्रारम्भिक कार्यों को अन्तिम रूप देने के बाद इस हाल्ट को यातायात के लिए खोल दिया जायेगा।

जर्मनी के सहयोग से ट्रैक्टर और डीजल इंजनों का निर्माण

1391. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जर्मनी के सहयोग से हैदराबाद में स्थापित किये जाने वाले ट्रैक्टर और डीजल इंजन निर्माण करने के कारखानों का विस्तृत ब्यौरा किया है ; और

(ख) चौथी योजना के अन्तर्गत क्रमश: गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में इन उद्योगों के लिए कितनी अतिरिक्त क्षमता के लाइसेंस देने का विचार है ऐसी कितनी क्षमता के लिए पहले ही लाइसेंस दिये जा चुके है और किन किन कम्पनियों को ऐसे आशय-पत्र जारी किये गये हैं और ऐसे लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जर्मन अभिकरणों की सहायता से ट्रैक्टरों (डीजल इंजन सहित) के निर्माण करने के लिए हैदराबाद में स्थापित होने वाली दो परियोजनाएं सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार करली गई हैं वे ये हैं :

(i) जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य के मैसर्स ट्रैक्टोर्न वर्क एमेयन बैंक के सहयोग से

मैसर्स इण्डियन एग्रो मशीन्स, बम्बई द्वारा आर० एस०-09(20 अश्व शक्ति) के 10,000 ट्रैक्टरों के प्रतिवर्ष निमार्ण की क्षमता वाले एकक की स्थापना।

(ii) हैदराबाद के डाक्टर आर० केमल द्वारा पश्चिम जर्मनी के मैसर्स लिन्डे गल्डनर के सहयोग से प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की आश्व-शक्ति परास वाले कुल 10,000 गल्डनर ट्रैक्टरों का निर्माण करना।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि चतुर्थ योजना के अन्त तक देश में प्रतिवर्ष कृषि ट्रैक्टरों की मांग, 90,000 (कृषि ट्रैक्टर) होगी। ऐसा प्रस्ताव है कि अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की जायें। उपर्युक्त लिखित (क) के अतिरिक्त अब तक अनुमोदित योजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

पार्टी का नाम	ट्रैक्टर का नमूना	वार्षिक क्षमता
1. मैसर्स गाजियाबाद इंजीनियरी कं० प्रा० लि०, नई दिल्ली।	डी टी-14 बी	10,000
2. मैसर्स ऐस्कोर्टस लि०, नई दिल्ली।	फोर्ड (45 अश्वशक्ति)	6,000
3. मैसर्स किर्लोस्कर ब्रादर्स लि० पूना।	डयटज (माडल 4)	10,000
4. मैसर्स परफैक्ट ट्रैक्टर्स लि०, पटियाला।	इनोमाग (35 अ० श०)	5,000
5. मैसर्स प्रेम एग्रो इंजी० कार्पो० दिल्ली।	यू-500) यू-650) यू-651)	5,000

प्रतिवर्ष कुल 34,000 ट्रैक्टर उत्पादन की क्षमता वाली अन्य तीन गैर-सरकारी क्षेत्र की योजनायें भी विचारधीन हैं। सरकार के पास एक प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता का प्रयोग करके 20 अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों (12000 प्रति वर्ष) के बनाने का प्रस्ताव है।

भारी इंजीनियरिंग निगम में ढलाईघर गढ़ाई परियोजना का पूरा होना

1392. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या इस्पात तथा इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची की ढलाईघर गढ़ाई परियोजना का निर्माण कार्य कितना पूरा हो गया है ;

(ख) इस परियोजना के कार्य में कितनी देरी हुई है ;

(ग) देरी होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसको शीघ्र ही पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और कब तक पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र) : (क) से (घ). 6000 टन प्रेस को छोड़ कर, जिसके 1971 में लगाए जाने की आशा है फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट लगभग पूरा हो गया है। मुख्यतः नीचे की मिट्टी की दशा और जमीन की कम अभयधारण क्षमता के कारण प्रचलित विधि के स्थान पर पाईल फाउण्डेशन विधि अपनाने की आवश्यकता के कारण इस कारखाने के पूरा होने में लगभग 2 साल की देरी हुई है। आरम्भ में संविरंचन के लिये इस्पात की प्लेटों और सेक्शनों की प्राप्ति में कुछ कठिनाई हुई थी।

श्री एस० पी० जैन द्वारा मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी के अंशों की बिक्री

1393. **श्री मधु लिमये** : क्या श्री एस० पी० जैन द्वारा सरकार को, जैसप एण्ड कम्पनी के अंश बेचे जाने के सम्बन्ध में सरकार प्रधान सन्त्री को मध्यस्थ द्वारा दिये गये पंचाट के बारे में कोई संदेश प्राप्त हुआ हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि 10 रुपये प्रति अंश मूल्य वाले 10 लाख से अधिक अंशों, जिनका मूल्य अब 14 रुपते 65 पैसे बताया जाता है, के बारे में मध्यस्थ द्वारा सरकार को कहा गया है कि सरकार प्रत्येक अंश के लिए 50 रुपये का बहुत उंचा मूल्य दे तथा इसके साथ ही श्री एस० पी० जैन को दी गई धनराशि तथा मध्यस्थ द्वारा निर्धारित धनराशि के अन्तर पर ब्याज भी दे ;

(ग) क्या संसद सदस्यों ने इस पंचाट को क्रियान्वित न करने के लिए तथा सारे मामले पर पुनर्विचार करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस अनुरोध और मध्यस्थ के पंचाट के प्रति, जो खुले तौर पर श्री एस० पी० जैन के पक्ष में है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) तथा (ग). जी हां, श्री मधुलिमये, संसद सदस्य से दिनांक 22-9-69 का संदेश प्राप्त हुआ था।

(ख) तथा (घ). जैसप एण्ड कं० पर नियंत्रक अधिकार रखने के लिए सरकार ने, श्री एस० पी० जैन तथा उसके सहयोगियों से 11,23,300 के इक्यूटी अंशों की बिक्री के लिए जो कम्पनी के इक्यूटी पूंजी का 55 प्रतिशत बनता है किया है। वार्तालाप भारत के राष्ट्रपति तथा विक्रेता के मध्य 18-8-65 को इस बारे में अंशों के विक्रय की सहम्मति पर हस्ताक्षर किये गये। दिनांक 19-8-65 को दोनों पार्टियों ने सर्वोच्च न्यायालय के पदमुक्त न्यायधीश श्री एम० के० दास को अंशों के अन्तिम मूल्य निर्धारण के लिए स्वेच्छा से अपना विवाचक स्वीकार किया और इस हेतु एक पूरक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये। इस अनुबन्ध के अनुसार, विवाचक से कहा गया था कि साथ-साथ मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी की आस्तियों (मूर्त्त तथा अमूर्त्त) की कीमत विनियोजन सहित, तकनीकी जानकारी, सुनाम तथा लाभ क्षमता एवं अनुबन्ध किए गये दिनांक को मैसर्स एण्ड कम्पनी के सभी अंश, देनदारियों और अदायगियों तथा इस कम्पनी पर उल्लिखित अंशों का नियंत्रण क्षमता के प्रतिनिधित्व करने की वास्तविकता के बारे में विचार

करे। विवाचक ने 21 अप्रैल, 1969 को अपना पंचाट दिया। सभी परिस्थितियों पर विचार करते हुए पंचाट के रूप सहित सरकार ने पंचाट स्वीकार किया तथा किताबों में लिखित और पंचाट द्वारा निर्धारित मूल्य के अन्तर को, रिजर्व बैंक दर के अनुसार अन्तर पर 1 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित जैसा कि दिनाँक 19-8-69 के अनुबन्ध में निहित हैं, 26-5-69 को विक्रेता को भुगतान किया गया। (अक्तूबर, 1965 में दोनों अनुबन्धों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई थी।

रेलवे यात्रियों की शिकायतें

1395. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे यात्रियों की कठिनाईयों के बारे में नागपुर के एक निवासी द्वारा 27 जून, 1969 को की गई कोई शिकायत, जिसे एक संसद सदस्य ने प्रस्तुत किया था, प्राप्त हुई है ;

(ख) इस ज्ञापन में क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं; और

(ग) इन सुझावों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2097/69**]

दानापुर डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के गार्ड

1396. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दानापुर डिवीजन (पूर्वी रेलवे) के गार्डों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो उन गार्डों की मुख्य शिकायतें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने उनकी शिकायतें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

विधि तथा समाज कल्याण और रेलवे मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों में सरकार द्वारा नामांकित

1398. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी औद्योगिक संस्थानों में भारत सरकार के नामांकित निदेशकों द्वारा नीति संबंधी निर्णय न लिये जाने और समुचित निदेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इनको सक्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय-कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) गैर-सरकारी कम्पनियों में सरकारी निदेशक अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं ऐसा मानना सही नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कारों तथा उनके पुर्जों के बढ़ते हुए मूल्यों पर नियंत्रण

1399. **श्री स० चं० सामान्त** : क्या **औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में निर्मित कारों के बढ़ते मूल्यों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या कार निर्माताओं द्वारा अपनी कारों के मूल्यों में इकतरफा वृद्धि करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए चालू सत्र में कोई विधान प्रस्तुत करने का विचार है ; और

(ग) क्या कार के पुर्जों के बारे में भी जिनकी कीमतें अनुचित रूप से बढ़ रही हैं कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) मालों तथा मजदूरी की लागत में हुई वृद्धि की अपेक्षा देश में निर्मित कारों के मूल्य में जैसे मूल देशीय उत्पादनों में नहीं की जा सकती है फिर भी सरकार ने यह सुनिश्चय करने के लिये कदम उठाए हैं कि कारों का विक्रय मूल्य उचित तथा युक्तियुक्त ही रहे । ऐसा करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के भाग 18 जी के अन्तर्गत देश में निर्मित कारों का उच्चतम मूल्य 21 सितम्बर, 1969 को अधिसूचित कर दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) आटोमोबाइल पुर्जों के निर्माताओं, विक्रेताओं तथा आयात करने वालों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि पुर्जों का विक्रय मूल्य पुर्जों की लागत, लागत तथा भाढ़े सहित (यदि आयातित हैं) एक निर्धारित प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए ।

Below Capacity Production in Heavy Engineering Corporation, Ranchi

1400. **Shri K. M. Madhukar** : **Shri Maharaj Singh Bharti** :
Shri Rabi Ray : **Shri N. Shivappa** :

Will the Minister of Steel and Heavy Engineering be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the reasons for below capacity working in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the reasons for which the production of the Heavy Engineering Corporatian is not being fully consumed in the country ;

(d) whether it is a fact that there is no demand for these goods in the country or there are no adequate markets in the country ;

(e) whether Government have formulated any scheme to accelerate the production in H.E.C. to its full capacity and to consume it in the internal markets ; and

(f) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant) : (a) and (b). Projects of this nature inevitably have a long gestation period as prodoction build-up is gradual with increased productivity taking place over a period of time as skills are acquired by the workers on heavy and sophisticated technological equipment and machinery. Production build-up is yet to reach the rated capacity in the plants of Heavy Engineering Corporation. The actual production during 1968-69 and the estimated production build-up during that year are as under :—

	Build-up	Production
Heavy Machine Building Plant	30,000 tonnes	23,849.20 tonnes
Foundry Forge Plant	21,650 tonnes	16,641.82 tonnes
Heavy Machine Tools Plant	33 Nos.	8 Nos.

(c) and (d). Most of the products manufactured in the plants are tailor-made to suit the specific requirements of the customer. So far HEC have supplied equipment to meet such requirements inside the country. Production is thus against specific orders. The extent of demand for the equipment man factured by HEC necessarily depends on the programme of erection of steel mills. At present the capacity of the Heavy Machine Building Plant of HEC is booked till the beginning of 1971-72.

(e) and (f). In formulating the programme of construction of Steel Plants, Government keep in view the need to utilize the capacity of HEC.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

'टेलको' तथा अन्य इंजीनियरी कम्पनियों के श्रमिकों द्वारा हड़ताल

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करती हूँ कि वे इस बारे एक वक्तव्य दें :

"केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की मजूरी-दरों को लागू करने के लिये जमशेदपुर में टेलको तथा अन्य इंजीनियरी कम्पनियों के 40,000 श्रमिकों की हड़ताल से उत्पन्न गम्भीर स्थिति।"

खाद्य तथा कृषि और श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री जगजीवन राम) : जमशेदपुर के 7 मुख्य इन्जीनियरी प्रतिष्ठानों के लगभग 30 से 35 हजार श्रमिक मजूरी की उच्चतर दरों की मांग मनवाने के लिये 18 नवम्बर, 1969 से पड़ताल पर हैं। हड़ताल के बाद इस मामले में जाँच करने के लिये स्थापित की गई राज्य-स्तर की त्रिपक्षीय समिति की अनेक अनिर्णीत बैठकें हुई। यह समिति 13 सितम्बर, 1969 को पटना में हुई पहले की एक त्रिपक्षीय

बैठक में किये गये सर्वसम्मत समझौते के अनुसार गठित की गई। इसका प्रयोजन इंजीनियरी उद्योग संबंधी केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की रिपोर्ट के संबंध में श्रमिकों के लिये एक सम्मत मजूरी विन्यास तैयार करना है। चूंकि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्व-सम्मत नहीं हैं, इसलिये क्रियान्विति का ढंग राज्य/क्षेत्रवार समझौतों के अनुसार रहा है। राज्य-स्तर की त्रिपक्षीय समिति की पिछली बैठक 15 16 और 17 नवम्बर, 1969 को हुई। इस बैठक में हुये विचार-विमर्शों के दौरान समिति को यह बताया गया कि यदि समिति 18 नवम्बर, 1969 से पहले मजूरी के संबंध में समझौता न कर सकी तो उन दिन अर्थात् 18 नवम्बर, 1969 से जमशेदपुर में हड़ताल हो जायेगी।

बिहार राज्य सरकार का श्रम संबंध तंत्र इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहा है। जमशेदपुर में अपेक्षित कानून और व्यवस्था का प्रबन्ध कर दिया है। राज्य प्राधिकारियों ने श्रमिकों से पुन: काम पर जाने की अपील की है, ताकि आगे त्रिपक्षीय बातचीत समुचित वातावरण में की जा सके।

हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हैं और हमने उन्हें सलाह दी है कि वे आगे बातचीत के लिये संबंधित पक्षों को एक साथ लाने का प्रयत्न करें।

इस अवसर पर मैं श्रमिकों से हड़ताल वापस लेने तथा मालिकों से त्रिपक्षीय वार्ता में भाग न लेने के अपने निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करता हूँ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : श्रमिकों ने हड़ताल का आश्रय इसलिये लिया है क्योंकि वे अन्य साधनों से अपनी शिकायतें दूर कराने में असमर्थ रहे हैं। केन्द्रीय और राज्य सरकारों के आश्वासनों के बावजूद मजूरी बोर्डों की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। बिहार में इस समय विधान सभा निलम्बित है क्या यह केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व नहीं है कि वे इस मामले को हल कराने में सक्रिय रूचि लें। क्या प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों को समझौता करने के लिये यहां बुलाया गया है? क्या माननीय मंत्री आश्वासन देंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सीधे कार्यवाही करके इस मामले को शीघ्र हल कराया जायेगा? क्या सरकारी व्यवस्था इतनी निर्बल है कि वह श्रमिकों के न्यायोचित अधिकार उन्हें दिलाने में असमर्थ है?

श्री जगजीवन राम : मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थीं। इसलिये कुछ समय पहले यहां एक बैठक में श्रमिकों, मालिकों तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के परामर्श से यह निर्णय किया गया कि राज्य सरकारों को राज्यवार अथवा क्षेत्रवार समझौता करवाने का प्रयास करना चाहिए। कुछ राज्यों में समझौता हो गया है। यहां पर भी त्रिपक्षीय वार्ता चल रही थी और समझौता होने की आशा थी। मुझे इसमें संदेह नहीं है कि यदि वार्ता आगे चले, तो एक या दो सप्ताह में समझौता हो जायेगा। बिहार सरकार के सलाहकार यहां पर आए थे और उन्होंने श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की थी। मालिकों के प्रतिनिधि भी यहां आये थे और हो सकता है आज भी वे यहाँ पर हों। बातचीत भंग हो जाने पर उन्होंने सरकार को लिखा कि वे त्रिपक्षीय वार्ता से अपने प्रतिनिधियों को वापस बुला रहे हैं। इसलिये मैंने श्रमिकों से हड़ताल वापस लेने तथा मालिकों से त्रिपक्षीय वार्ता में आगे भाग न लेने के अपने निर्णय को वापस लेने का अनुरोध किया है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : वे अब श्रमिकों को तंग करेंगे । पिछली बार भी उन्होंने ऐसा ही किया था ।

श्री जगजीवन राम : मारा दृष्टिकोण यह रहा है कि ऐसे मामलों में श्रमिकों को तंग नहीं किया जाना चाहिए । मेरा श्रमिकों तथा मालिकों से अनुरोध है कि वे बैठकर आपस में चर्चा करें और शीघ्र ही समस्या हल हो जायेगी ।

Shri Balraj Madhok (South Delhi) : May I know from the hon. minister when the national wage board was set up by the Central Government and why it would not submit a unanimous report after lapse of so many years ? Is he going to appoint a wage board for the whole of the country asking it to report within two months, whose awards should be made mandatory for all ?

Secondly, is it not a fact that the workers in the private sector in Bihar enjoy much better terms and conditions as compared to those of public sector undertakings ? Will, therefore, Government frame modal terms for public sector workers ?

Thirdly, Since there is no State Government in Bihar at the moment, will the Central Government call in Delhi a tripartite conforence of representatives of Central and State Governments employers and the workers and find a solution within two-three days ?

Shri Jagjivan Ram : All the points raised are covered by the recommendations of the wage board. The wage board was appointed in 1964. It granted an interim relief and its final report was received later on in January, 1969. They had made recommendations keeping in view the capacity of different units. It is not desirable to appoint a tribunal for a uniform wage throughout the country, moreover, it will take too long a time. when there is no Government it only means that issues concernings that State can be raised in Parliament. I do not know if the representatives of workers and employers are here. I will ascertian it and I will not hesitate to intervene, if necessary, to settle the issue.

Shri Balraj Madhok : I wanted you to take initiative on behalf of the Central Government so that the issue may not be dragged on for a long time.

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पदरौना) : श्रीमन् मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । तीसरी योजना में मजूरी बोर्ड नियुक्त करने का उद्देश्य देश में औद्योगिक शांति स्थापित करना तथा समान मजूरी ढाँचा बनाना था । मन्त्री महोदय अब इससे बिल्कुल विपरीत बात कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The wage borad accepted the principle of settlement on zonal basis and Bengal accepted this principle but Bihar did not do so. Jamashedpur falls in the same zone. So Government is responsible for this strike.

Now Bihar Government has declared the strike illegal and the employers have issued notices to workers to join duty. When employers, workers' representatives are also the Advisor to the Govenor of Bihar Shri T. P. Singh are present here, I would suggest that a meeting of all these concened parties may be convened by the Minister here and a solution may be found out through registrations at the erliest. Otherwise there may be strike in H. E. C. also and a serious situation may develop.

Shri Jagjivan Ram : Let me repeat that I am not aware of their presence here. If that is so, I will arrange their meeting and make efforts for s negotiated settlement as the earliest.

श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है कि त्रिपक्षीय वार्ता असफल हो गई है। चूंकि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें सर्वसम्मत नहीं थीं और चार भिन्न-भिन्न सिफारिशें की गई हैं। यह काम और भी कठिन हो गया है। इसलिये मेरा सुझाव है कि केन्द्रीय सरकार को यहां पर एक त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाना चाहिए और कार्य कर सकने योग्य हल ढूंढने का पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेना चाहिए। दूसरे मैं मंत्री महोदय से पक्का आश्वासन चाहती हूँ कि श्रमिकों से काम पर आने के लिये कहने से पहले वे ये घोषणा करें कि उन्हें किसी भी प्रकार तंग नहीं किया जायेगा। त्रिपक्षीय बैठक के लिये एक निश्चित तिथि घोषित की जानी चाहिए।

श्री जगजीवन राम : इस स्तर पर राज्य सरकार को अलग नहीं रखा जा सकता है। यह राज्य का विषय है, लेकिन हम समस्या को हल करने में सहायता करने का भरसक प्रयत्न करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : पटसन मिलों की हड़ताल के समय श्री भगत कलकत्ता गये थे। मेरी मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप करें अन्यथा टाटा उद्योगसमूह कभी इन्हें क्रियान्वित नहीं करेगा।

श्री जगजीवन राम : हम सम्बन्धित पक्षों के बीच बातचीत और शीघ्र ही अन्तिम समझौता कराने में सहायता करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (तीसरा संशोधन) नियम, 1969

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० युनस सलीम) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण (तीसरा संशोधन) नियम, 1969, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 6 नवम्बर, 1969, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 4540 (अंग्रेजी संस्करण) और एस० ओ० 4541 (हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2083/69**]

राज्य-सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 19 नवम्बर, 1969 की बैठक में भारतीय सैनिक (मुकदमेबाजी) संशोधन विधेयक, 1969 पारित कर दिया है।

मैं राज्य सभा द्वारा पारित रूप में भारतीय सैनिक (मुकदमे बाजी) संशोधन विधेयक, 1969 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

वक्फ (संशोधन) विधेयक—जारी

WAKF (AMENDMENT) BILL—*CONTD.*

अध्यक्ष महोदय : अब हम वक्फ (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेंगे।

विधि मंत्रालय तथा समाज कल्याण विभाग में उप मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं माननीय सदस्यों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है।

माननीय सदस्यों द्वारा कुछ सुझाव दिये गये हैं तथा कुछ प्रश्न पूछे गये हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा है कि वक्फ अधिनियम के संशोधन विधेयक पर समान रूप से चर्चा करते समय इस सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि सभा के समक्ष विचारार्थ एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि विधेयक तैयार कर लिया गया है तथा उसे परिचालित कर दिया गया है क्योंकि नियमानुसार उसे परिचालित करना आवश्यक था।

जहाँ तक अनेक सदस्यों द्वारा दिये गये वक्फ बोर्ड तथा केन्द्रीय वक्फ परिषद् के गठन के सुझाव का सम्बन्ध है हम प्रस्तावित संशोधन विधेयक में इस आशय का संशोधन करने जा रहे हैं कि केन्द्रीय वक्फ परिषद तथा अन्य समान निकायों में नामजगदी के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया जायेगा। हमने इस सुझाव पर तथा अनेक अन्य सुझावों पर विचार कर लिया है।

श्री मोहसिन ने अधिनियम की धारा 27 के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के बारे में कुछ कठिनाइयां व्यक्त की है। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी हो गई है। अधिनियम की धारा 27 से वक्फ बोर्ड को यह निर्णय करने की शक्ति मिलती है कि अमुक सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है अथवा नहीं। प्रारम्भ में तो राज्य में वक्फ सम्पत्ति का सर्वेक्षण करने के लिये उत्तरदायी आयुक्त वक्फ के स्वरूप के बारे में जांच करता है। जांच के बाद संतप्त पटल जांच रिपोर्ट के बारे में अपील कर सकता है। परन्तु इसके अलावा भी कोई ऐसी सम्पत्ति हो सकती है जो आयुक्त की नजर से निकल जाये उस सम्बन्ध में वक्फ बोर्ड को स्वयं यह जांच करने की शक्ति दी गई है कि अमुक सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है अथवा नहीं। मैं समझता हूँ कि श्री मोहसिन शायद यह समझते हैं कि सभी मामलों में वक्फ बोर्ड को विवाद व्यवहार न्यायालय को भेजना होता है। यदि वह धारा 27 को धारा 9 के साथ पढ़ें तो उन्हें पता लग जायेगा कि कुछ राज्यों में दो बोर्ड बनाये गये है एक सुन्नी वक्फ के प्रशासन के लिए। तथा दूसरा शिया वक्फ के प्रशासन के लिये। ऐसे मामलों में यदि विवाद उत्पन्न हो तो उसे अन्तिम निर्णय के लिये व्यवहार न्यायालय को भेजने की शक्ति प्रदान की गई है। अतः श्री मोहसिन की आशंका निराधार है। धारा 27 के अन्तर्गत वक्फ को यह निर्णय करने की शक्ति प्रदान की गई है कि क्या सम्पत्ति वक्फ सम्पत्ति है अथवा नहीं।

श्री मुशीर अहमद खाँ ने यह विचार व्यक्त किया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड में कुप्रबन्ध है मैं उन्हें आश्वासन देता हूँ कि उनके द्वारा बताई गई बातों पर विचार किया जायेगा।

जहाँ तक वक्फ अधिनियम को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू करने के बारे में उनके विचारों का सम्बन्ध है मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उसके लिए कुछ संवैधानिक कठिनाईयाँ हैं। जब तक संविधान के अनुच्छेद 370 के अन्तर्गत राष्ट्रपति की अनुमति न ली जाये किसी भी विधेयक को जम्मू तथा काश्मीर राज्य पर लागू नहीं किया जा सकता।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : When other Bills and Acts of the Central Government are gradually being made applicable to the State of Jammu and Kashmir what difficulty has stood in the way to make this Bill applicalle on that State ? Has that State objec ted to it ? Home Minister may kindly explain this fact to me.

श्री मु० यूनस सलीम : माननीय सदस्य ने उस पर विचार नहीं किया है जो मैं कह रहा था

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न यह था कि क्या जम्मू और काश्मीर ने इस पर आपत्ति की है।

श्री मु० यूनस सलीम : उन्होंने इसके लिये अपना अधिनियम बनाया हुआ है तथा इस पर आपत्ति की है। यह केवल जम्मू और काश्मीर पर ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल पर भी लागू नहीं होता।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : क्या माननीय मंत्री उनके द्वारा की गई आपत्ति को पढ़कर सुना सकते हैं ?

श्री मु० यूनस सलीम : मैं स्वयं यह चाहता था कि यह विधेयक सभी राज्यों पर लागू हो। इस सम्बन्ध में मैंने कई राज्यों का दौरा किया है तथा कई राज्य मंत्रियों से बातचीत की है। इस सम्बन्ध में मैं शेख अब्दुला तथा काश्मीर के मुख्य मंत्री से भी मिला हूं। मैं उन्हें यह बताना चाहता था कि केन्द्रीय अधिनियम वक्फ बोर्ड के प्रशासन को दक्षतापूर्वक चलाने के लिए अधिक प्रभावी होगा।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : वह इस विधेयक के सम्बन्ध में शेख अब्दुला से क्यों मिले थे ?

श्री मु० यूनस सलीम : क्योंकि वह वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। जब तक वहाँ का वक्फ बोर्ड सरकार से सहमत नहीं हो जाता जब तक प्रस्ताव को स्वीकार करना वहाँ की राज्य सरकार के लिये बहुत कठिन था।

जब मैं वहां से लौटकर आया तो मैंने उन्हें अधिनियम की एक प्रति भेजी तथा उन्हें कहा कि वह केन्द्रीय अधिनियम के उपबन्धों पर विचार करें और देखे कि वे राज्य अधिनियम के उपबन्धों से अधिक अच्छे हैं अथवा नहीं। अतः हम इस विधेयक को सभी राज्यों पर लागू करने के महत्व को समझ रहे हैं तथा यथासम्भव कार्यवाही कर रहे हैं।

जहां तक सर्वेक्षण का संबंध है हमने सभी राज्यों में सर्वेक्षण आयुक्त नियुक्त किये हैं। परन्तु सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए आयुक्तों को सहयोग देना राज्यों का काम है। उनके सहयोग के बिना सर्वेक्षण कार्य करना बहुत कठिन हो जाएगा। हम राज्य अधिकारियों का ध्यान इस

ग्रोर ग्राकर्षित कर रहे हैं तथा हमें उनका सहयोग प्राप्त हो रहा है तथा सभी राज्यों में सर्वेक्षण कार्य पूरा होने वाला है।

मैं समझता हूँ कि जिस वक्फ सम्पत्ति को नीलाम कर के बेच दिया गया है उसके संबंध में कुछ गलतफहमी हो गई है। यदि कोई वक्फ सम्पत्ति बेच दी गई है। तथा उसके स्थान पर कोई इमारत बन गई है तथा उसके संबंध में वक्फ बोर्ड ने कुछ नहीं किया है ग्रौर वह सोया रहा है तो उस मामले पर उसके गुण-दोषों के हिसाब से निर्णय किया जाएगा। हम ऐसे मामलों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं।

चूंकि संशोधन के बारे में कोई ग्रौर ग्रापत्ति नहीं की गई है इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ।

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वक्फ ग्रधिनियम, 1954 में ग्रागे संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

The motion was adopted.

ग्रध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2—8 विधेयक का ग्रंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा।

The motion was adopted.

खड 2—8 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2—8 were added to the Bill.

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : मैं ग्रपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे संशोधन का सम्बन्ध इस देश के मुसलमानों के जीवन के वास्तविक तथ्य से है। मैं इस देश के वक्फ से भली-भांति परिचित हूँ। ये वक्फ जनता के लिये हैं।

मेरा प्रश्न यह है कि 6 प्रतिशत शुल्क लेने की बात को हमें इन वक्फों द्वारा जनता की जो सेवा की जाती है उसके संदर्भ में देखना होगा। हमें वक्फ सम्पत्ति के ग्राकार तथा वक्फ के हित की बात पर विचार करना पड़ेगा। मेरे पास संपूर्ण देश के ग्रांकड़े तो नहीं हैं परन्तु मैसूर राज्य में वक्फ सम्पत्ति 19.6 करोड़ रुपये की है तथा उससे लगभग 1,26,000 रुपये की ग्राय है। ग्रत: 6 प्रतिशत शुल्क के बारे में हमें ग्रवश्य ही विचार करना होगा। मैं समझता हूँ कि यह दर बहुत ग्रधिक है।

राज्य सभा में यह कहा गया था कि केन्द्रीय वक्फ बोर्ड की वर्ष में एक बार ही बैठक हुई थी हालांकि उस पर 1,50,000 रुपये व्यय किये जा रहे हैं। मेरे जिला दक्षिण कनारा में वक्फ बोर्ड में नियुक्ति राजनीतिक मनोनीत व्यक्ति के पक्ष में की गई है हालांकि लोग किसी

अन्य व्यक्ति को नियुक्त कराना चाहते थे जो अधिक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति था। जब इन बोर्डों की यह हालत है तो छः प्रतिशत की मांग करने में कोई औचित्य नहीं है।

छः प्रतिशत की दर इसलिए भी अधिक है क्योंकि शुल्क आय सरकार को देय भू-राजस्व, उपकर तथा अन्य कर देने के बाद बची राशि मानी जायेगी। यह बहुत अनुचित बात है। इन्हें आय-कर नियमों के अनुसार भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मुझे बताया गया है कि वक्फ की सम्पत्ति के मूल्यांकन के आधार पर 6 प्रतिशत शुल्क से आप वक्फ की आधी आय ले जाते हैं। इससे वक्फ से लाभ उठाने वाले व्यक्तियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

तीसरा कारण जिस लिए मैं छः प्रतिशत दर को अधिक समझता हूँ यह है कि सर्वेक्षण उचित रूप से नहीं किया जाता है। जब आधे से अधिक सर्वेक्षण नहीं किये जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि अधिनियम को कार्यान्वित करने से सम्बन्धित लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। अत मेरा संशोधन बहुत सरल है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री उसे स्वीकार करेंगे।

श्री मु० यूनस सलीम : माननीय मंत्री शायद श्री मोहिसन के भाषण को अच्छी तरह से समझ नहीं पाये। श्री मोहसिन मैसूर वक्फ बोर्ड के सदस्य भी हैं। उन्होंने कल यह शिकायत की थी कि वक्फ बोर्ड को उसे चलाने के लिए उचित आय नहीं हो रही है। मैं भी कई बार बंगलौर हो आया हूं और मैं जानता हूं कि उनके पास धन कम होता है। हमने मैसूर सरकार को कहा है कि वह बोर्ड को कुछ ऋण दे ताकि वह सुचारू रूप से कार्य कर सके। शायद श्री लोबो प्रभु ने यह समझा कि सम्पत्ति के मूल्यांकन पर छः प्रतिशत लिया जाता है। यह मूल्यांकन केवल कागजी मूल्यांकन है। छः प्रतिशत वक्फ की सम्पत्ति की आय से तब इकट्ठा किया जाता है जहां आय 100 रुपये से अधिक है —5 प्रतिशत वक्फ बोर्ड के प्रशासनिक प्रभार के लिए तथा 1 प्रतिशत केन्द्रीय वक्फ परिषद् के लिए। अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत राज्य सरकार की स्वीकृति से प्रतिशतता कम करने की वक्फ को शक्ति प्रदान की गई है। अतः मैं नहीं समझता कि संशोधन आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन सभा के मतदान के लिए रखा गया था तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 9 को विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 और 11 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted

खण्ड 10 और 11 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 10 and 11 were added to the Bill.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 1 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

The Enacting formula and the Title were added to the Bill

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : May God give Wisdom to the business Advisory Committee to allot more time to such necessary Bill.

श्री मु० यूनस सलीम : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Mr. Speaker, I want to lay emphasis on one point. Government should make it clear in their mind whether the State of Jammu and Kashmir belongs to us or not. If this State belongs to India. We should not treat it as separate from rest of India. In various acts we should not mention "except Jammu and Kashmir." If Government are of the opinion that Jammu and Kashmir State with its Muslim majority should go to Pakistan, it should be allowed to go to that side. Otherwise that State should be treated as part and parcel of our country and we should not allow such an impression to be created as that the Jammu and Kashmir is separate from the country.

अध्यक्ष महोदय : तीसरे वाचन के लिए कुछ सदस्यों के नाम मुझे दिये गये हैं । श्री विश्वनाथम आदि यहां नहीं हैं ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, I thank you for the opportunity you have given to me I do not oppose this Bill. But I support it. The various Wakfs owns property worth 250 crores all over country yet if they not done what they ought to have done. A 'Wakf' should have opened schools and colleges for providing education to poor students, I should have started hospitals and dispensaries to provide medical facilities to

poor people. A number of Muslims are there in our country who are in need of such help. I asked a question about the number of schools, colleges and hospitals opened by the Wakf. But the reply to the same has not so far been given to me. Only a few institution of this type have been opened. In this respect I want to suggest that there should be one Central Wakf Board to supervise this Wakf Board, and the former should ask for periodical reports from the latter and should see whether it has done some substantial work or not.

I am sorry to point out that some Wakf Boards constituted by State Governments in their respective States are misusing the properties belonging to these Wakfs. In certain States the Wakf Boards have become the centre of anti-national activities. Here I would like to mention the name of Jammu and Kashmir State. There Sheikh Abdullah is the Chairman of State Wakf Board. His personal office is being run from the property of the State Wakf Board and his anti-national activities are known to everybody. What good deeds has he done for the poor people of Kashmir ? Why has he been made Chairman of State Wakf Board ? I want that Government should remove such elements from the Wakf Board and as such people should be appointed in Boards who can serve the people in the real sense of the term.

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen Hours of the Clock.

इसके पश्चात् लोक सभा दो बजकर छः मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled at six minutes Past Fourteen of the Clock.

[श्री वासुदेवन नायर पीठासीन हुए
Shri Vasudevan Nair *in the Chair*]

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, I was telling that the Wakfs are not serving the purpose for which they were created. I would like to know whether any assessment has been made about the properties in possession of these Wakfs. Since they were created for delivering goods to the poor Muslims. I also want that Government should have authority to check the misuse of the property of trust. There are, I know, some Hindu Muths too where misuse is being done, I want that a law should be passed for all charitable trusts, whether belonging to Hindus or Muslims, under which they are bound to utilize their properties for the benefit of poor people.

About one year ago the Minister assured me that he would have talks with the Jammu and Kashmir Government about the Chairmanship of the Wakf Board in the State. But the Sheikh still continues to be the Chairman of Wakf Board there. Why have you not taken such an action as might have resulted in removal of Sheikh from the Chairmanship of Wakf Board ? He should be replaced by some honest man, who really want to serve the poor people. Thus poor people will be benefited and simultaneously the anti-national activities will stop.

I am fully in agreement with Badshah Abdul Gaffar Khan's reading that the leadership of Muslims in India is not in good hands. Their leaders want to serve their own ends. They do not want to better their condition economically, educationally and politically. They knowingly want to keep them backward. In this respect I want to charge the Government too. They are helping the bad leadership. The ruling party wants to muster their votes in the election, so they handed over the leadership of Muslims to dishonest persons, who internationally want to keep them backward in all spheres.

In the end I suggest that Government should bring a comprehensive Bill empowering the Government to take in the hands the management of such charitable trusts, as are not working property. This must apply to all charitable trusts irrespective of the fact whether they belong to Hindus or Muslims. It will be in the interest of poor people.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : Sir, I sought your permission to raise a point. There is one thing which is helping in making the relations strained between the residents of Haryana and Punjab States and that is the question of Chandigarh. Three or four days ago the Homc Minister made a statement in the House and declared that the decision in respect of Chandigarh will be made by February. Now there is a threat that self-immolation will be resorted for of Chandigarh. This is a kind of stunt. I think that it is at the instance of the Chief Minister of Punjab that such exciting statements are being made. I request the Government that in view of that they should take action against Chief Minister of Punjab and President's rule should be imposed in Punjab, so that Hindus and Sikhs in Haryana and Punjab may live like brothers without conflicting with each other.

Shri A. S. Saigal (Bilaspur) : Mr. Chairman, I support this Bill. But t..ere are somethings which I would like to point out. Whether it is a Wakf of Muslims or a Math of Hindus or a Gurdwara of Sikhs—in all such institutions or trusts there is a misappropriation of money. The right thing is that the money belonging to the trusts or charitable institutions should be spent in such a way as may being good for the poor people But at prssent this money is spent on some other things and no account is made therefor anywhere. Such a practice is absolutely wrong. I would like to know whether Government received the accounts in respect of all existing Wakfs, Trusts or Maths irrespective of the fact whether they belong to Hindus, Muslims or Sikhs. If not, what action do Government propose to take for obtaining the accounts of such institutions so that it can be brought to light that the money is spent for good purposes in the interest of poor people or not. Government should try to see that the money belonging to these trusts should be utilized property. With these words I conclude.

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Chairman, I support this Wakf (Amendment) Bill But my personal opinion about the Wakfs and trusts is that the money of these institutions is not rightly utilized. The saying that religion is the opium of the masses, is correct.

On one hand there is dearth of money and capital in the country, while on the other the huge amount of money belonging to these institutions is being spent lavishly. Moreover, we want to be self-sufficient in our economy. In view of it why do the Government not intend to take the managements of all such institutions in their own hands and utilize their funds for development purposes. As a matter of fact school and colleges should be opened with the help of money of this wakf and other social welfare schemes should be started. But it is never done. Our Government should utilize the money of these trusts or Wakfs for taking the economy to a take off stage, so that our dependence on others may be put to an end. One thing more I would like to add. Kashmir is a part of our country. So every law which is in force in other parts of country should be made applicable to Kashmir too. Government should abandon the policy of contradiction. I therefore request the Government to bring on other Bill for this purpose.

Shri Sheo Narain (Basti) : Mr. Chairman, the Law Minister said that it will not apply to Jammu and Kashmir State. What is the reason behind it. I would like to know whether there is any agreement signed by Shri Jawahar Lal Nehru or Shri Lal Bahadur Shastri or the present Prime Minister which prohibits the applicability of such laws in Kashmir. Why do you distinguish ?

This is Indian culture that rich people donate a portion of their earnings to be utilized for the benefits of poor people. Big Muslims have donated money and property for this Wakf. In our district there is one Shri Abdul Khar who is running a school in a mosque and is engaged to the welfare of others. I have no intention to criticise my Muslim brothers. I appeal to them to spend the money of Wakf Board in a proper may so as to protect Muslim religion.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : We have support this Bill but some people have pointed out that it should made effective in Jammu and Rashmir.

As regards Jammu and Kashmir, it is quite valid a point that this State should not be kept separate in this way. It is very well an integrated part of our country and it will not be at all desirable to keep this State separate from it. Otherwise several other countries, as also certain vested interests in our country itself would exploit and are exploiting the situation.

The second point related to Sheikh Abdullah. We are unnecessarily giving him so much recognition by mentioning him here repeatedly. Also, it is quite wrong to say that the Masjid premises are being used as office and the authorities hold meetings there. A true Hindu will always respect other religions also.

We know that our Muslim brothers are very poor here and incapicitated but it is quite wrong to say that they are unable to elect their leader. They are well aware all the things. Every Muslim living in India is an Indian and has equal rights.

The third point relates to Badshah Ghaffar Khan. When I quoted Badshah Khan in connection with the riots at Ahmedabad my Jan Sanghi friends got angry and branded it to be "against their personality." Truely speaking, whatever is going on in regard communal riots in the country or what is being said concerning Masjids, Muslim religion civilization or the Urdu Language, Jan Sangh has got a prominent hand in it. If everybody has to remain Indian in India, we should not indulge in such activities.

The Wakf Board is, therefore, very helpful in regard to all those things. Let the hon. Minister assure that the funds of the Wakf Board will not be wasted and will be utilized for the promotion of culture and faith and language. It would also help in bringing up the orphans and promoting their careers.

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore) : The issue of the Wakf Boards for Muslims has been before us for the last twenty years and now the condition there is beyond toleration. Corruption is the order of the day there and no assistance in any shape has been given to it by the Government. The States have totally neglected them.

In such circumstances, the introduction of this Bill raises hopes of some improvement in the working of these Boards. These Boards are actually the den of corruptions. Properties worth lakhs of rupees are lying quite unattended and unutilised. The inquiry reports submitted in this regard give alarming picture of the behaviour of the various State Governments with the Wakf Boards. West Bengal State Government, are, however, trying to bring in some legislation to improve the working of these Boards. Other States should also formulate legislations to protect the Waqf Boards in their States.

There is different legislation of Wakf Boards in the State of West Bengal. Similarly in Jammu and Kashmir where very large property belongs to the Wakf Board. That State should amend its lacus and hand over this issue to the Central Government.

Several States are too poor to look after and maintain the Mosques and Madarsas which are lying in wretched condition. The Government should help these States.

This Bills calls for a change in the total outlook of the Government and only that can help in protecting the interests of these Waqf Boards. The Government should take these things quite seriously.

Shri M. Yunus Saleem : Some of the Hon. Members have perhaps misunderstood the Waqf Act. The Waqf Boards, in fact, are to ensure whether the income of the property put under the Waqf is being utilised for the specific purpose, and accordingly, the trustee of the Waqf property has to submit budget of the annual income and expenditure to the Waqf Board for its approval. Thus the Waqf Boards supervise the properties registered under them. I would be grateful if specific complaints against the Waqf Broards are brought to my notice. I assure all possible legal action against the defaulters. It is, however, wrong to understand that it is the duty of the Boards to open schools, hospitals or rest-houses. They get only 5 per cent to run their establishments in different States and also for necessary litigation etc. But in case they save something out of it, they are well competent to utilise that amount for any good and noble work. I assure the House that wherever the Waqf Boards having surplus money they are doing exclusively nice work. Waqf Boards in Tamil Nadu and Andhra Pradesh are amending scholarships to the students and financial assistance to different colleges. Similarly Haryana and Punjab Waqf Boards are also extending enough help in different fields.

But I find that most of the Waqf Boards are running at loss and have applied loans.

As regards Jammu and Kashmir, there are two aspects in this behalf. Firstly, the properties put under Waqf are being properly maintained, and secondly, the Government of Jammu and Kashmir have no complaints against the present management of the properties.

In so far as the application of this Act there, the cases relating to charities and endowments are covered under entry No. 28 of the Concurrent List. The subjects in the Concurrent List concerning Jammu and Kashmir are dealt with reference to Article 370 of the Constitution of India.

In fact we cannot apply any rules, particularly concerning Concurrent List, on Jammu and Kashmir without getting that State's Concurrence. We are, however, consulting the State Government in this behalf, and on getting their Concurrence, it will not be difficult to get the President's approval. As regards the subjects of the Concurrent List, we always try to know the view points of the concerned State, and accordingly we require the approval of of Jammu and Kashmir State. So we and the Parliament are helpless in this matter. We can only seek their approval. Neither we can influence them not can we pressurise them. We would however, make efforts to make this Act effective on Jammu and Kashmir also.

Accordingly, I request the House to pass this Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब सभा मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक, पर विचार करेगी ।

मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक

MOTOR VEHICLES (AMMENDMENT) BILL

संसदीय कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि मोटर गाड़ी अधिनियम, 1939 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये"

अनुच्छेद 73 (एक) के उपबन्ध के अन्तर्गत मोटर यातायात का कार्यकारिणी अधिकार राज्य सरकार पर है। मोटर वाहनों का संचालन मोटर गाड़ी आय नियम 1939 के अन्तर्गत आता है, जो कि केन्द्रीय अधिनियम है और राज्य सरकारें इसके अन्तर्गत नियम बनातीं हैं।

मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 को वर्ष 1956 में विस्तृत रूप से संशोधित किया गया था। गत कुछ वर्षों में सड़क परिवहन में तेजी के साथ वृद्धि हुई है और राज्य सरकारों तथा संबन्धित व्यक्तियों से सुझाव आते रहे हैं। राष्ट्रीयकृत परिवहन उपक्रम भी सड़क परिवहन के राष्ट्रीयकरण से संबन्धित उपलब्धों में कुछ परिवर्तन लाने की मांग कर रहे हैं। सड़क परिवहन पुनर्गठन समिति 1959 तथा मोटर गाड़ी बीमा समिति 1962-63 ने अधिनियम में संशोधन लाने के लिए कई महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। अतएव इन सब बातों को देखते हुए यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह भी है कि अधिनियम के लागू करने के मार्ग में आई कठिनाइयों को दूर किया जाये। यह विधेयक गत वर्ष राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और अब सभा के समक्ष लाया गया है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषता माल यातायात और बुकिंग एजेंसियों की कार्य प्रणाली में नियमन लाना है क्योंकि इसके बारे में कई शिकायतें आती रही हैं।

इस समय अनिवार्य बीमा व्यक्ति को चोट लगने अथवा उसकी मृत्यु होने पर लागू होता है। अब यह व्यवस्था की गई है कि मोटर गाडियों का अनिवार्य बीमा तीसरे व्यक्ति की संपत्ति जो 2,000 रुपये से अधिक न हो, तो नुकसान पहुंचाने पर भी लागू होगा।

क्षतिपूर्ति के भुगतान के संबंध में यह व्यवस्था की गई हैं कि चाहे दुर्घटना सड़क पर हो, अथवा गाड़ी के नियंत्रण से बाहर हो जाने पर सड़क से परे हो तो यह भी अधिनियम के अन्तर्गत आयेगा।

इस विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि संचालकों की कठोर परीक्षा की जाये ताकि कम से कम दुर्घटना हो। अब प्रत्येक संचालक को पाँच वर्ष के उपरान्त स्वस्थता प्रमाण-पत्र देना आवश्यक कर दिया गया है, संचालकों को कठिनाइयों को दूर करने के लिए आन्तरिक अवधि के लिए अस्थायी लाइसेंस देने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि संचालक तथा संवाहन के लिए विशिष्ट बिल्ला तथा वर्दी उपलब्ध की जायें। यह अन्तर्राज्यीय यातायात में अवरोध दूर करने के लिए किया गया है।

सड़कों के विकास तथा अच्छे किस्म के वाहनों के चलने से उनकी गति सीमा को बढ़ा दिया गया है, पर गति सीमा को बढ़ाते हुए किसी की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाला गया है।

अन्तर्राज्यीय मार्ग परमिट के लिए बहुत से प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों के पास प्रतिहस्ताक्षर के लिए जाना पड़ता था परन्तु अब एक ही प्रादेशिक परिवहन अधिकारी से हस्ताक्षर कराने पड़ेंगे।

पर्यटन संवर्धन के लिए नियंत्रित अन्तर प्रादेशिक और अन्तर्राज्यीय परमिट देने की व्यवस्था की गई है। इन पर्यटन संबंधी वाहनों का संचालन कुछ विशेष शर्तों के अंतर्गत होगा जिससे यात्रियों का हित हो।

इस विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को पर्यटन संबंधी वाहनों, मुगतान का शुल्क आदि के बारे में नियम बनाने का अधिकार दिया हुआ है। यह भी व्यवस्था की गई है कि अन्तर राज्यीय परिवहन आयोग के विरुद्ध अपील की सुनवाई न्यायाधिकरण के पास होगी। मुझे आशा है कि यह विधेयक काफी सीमा तक इस शिकायत को दूर करेगा कि अधिकारी न्याय नहीं कर रहे हैं।

इस विधेयक के अ सार केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वह मूल अधिनियम के चैप्टर 4 ए के अन्तर्गत राज्य सरकारों को मिले अधिकारों के अनुसार अन्तर्राज्यीय मार्ग अथवा क्षेत्र का राज्य सरकारों के समान ही उपयोग कर सकती हैं इन अधिकारों का उपयोग वह अपने निगमों द्वारा भी करा सकती है। मैं बताना चाहता हूं कि इस उपबन्ध से केन्द्रीय सरकार मूल अधिनियम के अंतर्गत अपने ऐसे निगमों के बारे में नियम बना सकेगी।

इस विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति ने विस्तार से विचार कर लिया गया है। राज्य सभा में धारा 41 और 54 से संबंधित संशोधनों को स्वीकार कर लिया है। यह एक व्यापक विधान नहीं है। हमारा विचार एक ऐसा व्यापक विधेयक लाने का है जिससे वर्तमान अधिनियम में इसके संबंध में सभी कमियों को दूर किया जा सके। इन शब्दों के साथ में इसे पेश करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

इसके लिए निर्धारित समय तीन घंटे का है। माननीय सदस्य इसके पहले पाठ के लिये 10 मिनट से अधिक समय न लें।

श्री चेंगलराया नायडू (चित्तूर) : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार मोटर गाड़ी अधिनियम में संशोधन करना चाहती है क्योंकि ऐसे संशोधन लाने से परिवहन संचालकों को सहायता मिलेगी। चूंकि अधिकांश परिवहन संचालक अशिक्षित होते हैं अतएव ऐसे अधिनियमों को पारित करते समय हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि अधिनियम अशिक्षित संचालकों के लिये बनाया जा रहा है।

अधिनियम में दंड देने की व्यवस्था के बारे में हमें नरमी अपनानी चाहिये। यह दंड कार्य की दृष्टि से बाधक नहीं होना चाहिये। असावधानी से चलाने को छोड़कर अन्य बातों के लिए कारावास का दण्ड नहीं मिलना चाहिए।

धारा 42 में संशोधन करने वाले खंड 17 में बताया गया है कि वाहन संचालक के पास एक विशेष मार्ग पर सामान तथा यात्रियों को ले जाने के लिये परमिट होना चाहिये। यह बात समझ में आने योग्य है। परन्तु इस बात में क्या तुक है कि यदि कोई खाली वाहन अन्य मार्ग पर, जहां का उसके पास परमिट नहीं है चलते हुए पाया गया तो उसको दंड दिया जायेगा। क्या इससे सरकार का आशय यह है कि उनके लिये वर्कशाप अथवा शेड आदि निर्धारित मार्ग पर ही होना चाहिये ? यह बात ठीक है कि उसे अन्य मार्ग पर, जहां का परमिट नहीं है, वाहन चलाने पर दण्ड नहीं देना चाहिये परन्तु यदि वह किसी शेड अथवा वर्कशाप में अपना वाहन ले जाना चाहता है तो ऐसी दशा में उसे दंड नहीं दिया जाना चाहिये।

मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत परमिट का नवीकरण तीन वर्ष के लिए किया जाता है। यदि तीन वर्ष के बाद कोई परमिट धारी नवीकरण के लिए अपना परमिट भेजता है तो संबंधित अधिकारी उसका नवीकरण करने में एक वर्ष लगा देता है और फिर दो वर्ष की अवधि देता है। ऐसे मामलों में सरकार को चाहिये कि वह संबंधित अधिकारी से तीन वर्ष से कम अवधि न देने को कहे।

राज्यों के पुनर्गठन से वाहन संचालकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। सरकार का कहना है कि ऐसे मामलों में वे एक राज्य से दूसरे राज्य में केवल 8 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इससे संचालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इसे 30 या 40 किलोमीटर तक कर दे। तब इन संचालकों को अधिक परेशान नहीं होना पड़ेगा और उन्हें अपने परमिट का नवीकरण कराने के लिये बार बार नहीं जाना पड़ेगा।

मैं बस परिवहन का राष्ट्रीयकरण करने के विरुद्ध नहीं हूँ। पहले जब सरकार मार्ग का राष्ट्रीयकरण तथा राज्य की बसों को चलाना चाहती थी तो वे इसकी अधिसूचना जारी करके इसके बारे में वाहन चालकों की प्रतिक्रिया माँगते और केवल तब ही निर्णय लेते थे। अब नये संशोधन के अनुसार यदि वे केवल यह ही प्रकाशित करें कि सरकार अमुक मार्ग पर बस चलाना चाहती है तो इतना ही पर्याप्त होगा। इससे वाहन संचालकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इस पर पुनर्विचार करे तथा पुरानी प्रक्रिया को पुनः स्थापित करे।

मूल अधिनियम के खंड 52, धारा 93 में कहा गया है कि यदि सड़क पर पुल अथवा पुलिया या पेड़ नष्ट हो जाते हैं तो इसको तीसरे व्यक्ति की संपत्ति समझा जायेगा। मेरी समझ में यह नहीं आता है। यह सरकारी सम्पत्ति है। यदि किसी इंजीनियर की गलती से कोई पुल टूट जाता है तो वह कहेगा कि इसके लिये यह लारी चालक जिम्मेदार है और यह उसके कारण नष्ट हुआ है। बस चालक को यह न कहने दिया जा गा कि इस बस से नहीं अपितु किसी अन्य बस से इसको नुकसान पहुंचा है। यह पता लगाना कठिन होगा कि किस बस से इसको नुकसान पहुँचा है। अतएव इस पर विचार किया जाना चाहिये।

अब मैं धारा 130 को संशोधन करने वाले खंड 71 के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इन तमाम वर्षों में जब संचालक न्यायालय के सामने अपना अपराध स्वीकार करते थे तो उन पर केवल जुर्माना किया जाता था और वे मनीआर्डर द्वारा जुर्माना भेज दिया करते थे। परन्तु अब जुर्माने के साथ साथ कारावास देने की भी व्यवस्था की गई है जो ठीक नहीं है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे।

धारा 71 में मोटर गाड़ी की चाल की अधिकतम गति निर्धारित की गई है और धारा 151 में इसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था दी हुई है। यदि कोई चालक वाहन को तेज गति से चलाता है तो यह उसकी गलती है न कि मालिक की जो कि अन्यत्र होता है। इसलिए दंड की व्यवस्था चालक के लिए होनी चाहिए न कि मालिक के लिये।

अब मैं धारा 72 के बारे में कुछ कहूँगा जो कि वाहनों में क्षमता से अधिक माल लादने

के बारे में है। आखिर बस चलाने वाला ड्राइवर होता है न कि मालिक। मालिक संचालक और संवाहक को यह कार्य सौंपता है कि वह बस को चलाये तथा नियमों का पालन करे। परन्तु यदि संवाहक और संचालक मिलकर बस में माल या यात्री क्षमता से अधिक कर लेते हैं तो संचालक और संवाहक को दंड मिलना चाहिए। मालिकों का परमिट केवल इसी आधार पर रद्द नहीं किया जाना चाहिये। यदि मालिक की गलती है तो उसको दण्ड मिलना चाहिए अन्यथा संचालक और संवाहक को दण्ड मिलना चाहिये। मालिक का परमिट संचालक और संवाहन की गलती पर समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। वास्तव में जब वे क्षमता से अधिक भार वहन करते हैं तो उससे अर्जित धन को वे स्वयं रख लेते हैं और मालिक को नहीं देते हैं। ये बातें अति महत्वपूर्ण हैं और यदि इन पर विचार नहीं किया गया तो हम मोटर गाड़ी अधिनियम का संशोधन करने में न्याय नहीं कर रहे हैं।

मंत्री महोदय ने बीमा के बारे में कहा है कि इसके लिये अवधि सीमा दो महिने से बढ़ाकर छः महिने कर दी गई है। मेरा अनुरोध है अवधि सीमा कम रखी जाये। मैं चाहता हूँ कि पहले सामान्य बीमे का राष्ट्रीयकरण किया जाये और विधेयक को पेश किया जाये ताकि सरकार को लाभ हो। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि गाड़ी चलाने के लिये लाइसेंस देने से पूर्व उपयुक्तता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। यह एक अच्छी बात है। क्योंकि यदि संचालक स्वस्थ नहीं होगा तो इससे बस के कई यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है।

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं समझती हूँ कि इस विधेयक का उद्देश्य मूल अधिनियम में कुछ संशोधन करना है। मैं इसका समर्थन करती हूँ परन्तु इसको और अधिक व्यापक होना चाहिए, ऐसा मेरा मत है।

यह विधेयक गैर सरकारी बस मालिकों के प्रति सही दृष्टिकोण नहीं अपना रहा है मुझे अपने माननीय सदस्य के इस कथन पर आश्चर्य है कि अधिकाँश बस मालिक अशिक्षित हैं। मेरे अपने राज्य में शिक्षित व्यक्तियों ने इसको अपनी जीविका का साधन बना रखा है।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री पीठासीन हुए
Shri Prakash Vir Shastri *in the Chair*]

मैं मंत्री महोदय का ध्यान विधेयक की एक या दो बातों की ओर दिलाना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि यदि मार्ग में अधिक मोटर गाड़ियाँ चल रही हों तो अधिक परमिट जारी नहीं किया जाता है, यदि मार्ग में एक से अधिक कई बसें हैं तो उनमें से कुछ स्वयं मार्ग से हट जायेंगी, इनमें स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होना चाहिए। बस परिवहन ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 60 प्रतिशत यात्रियों और माल को ढोने का कार्य करती है।

इस विधेयक में प्रत्येक चरण पर गलतियां हैं। उदाहरण के लिए बीमा के प्रश्न को ही लीजिए, उनका कहना है कि जो व्यक्ति वाहन होता है उसका दुर्घटना में हाथ होता है अतएव यदि उसे 100 रुपये मिलने चाहिए तो उसे 60 रुपये मिलता है और बस मालिक को यह धन देना पड़ता है। बीमा कम्पनियां साफ बच निकलती है, मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे

इस विशेष मामले को देखें। दूसरा पूंजीपतियों को, जिनसे बस मालिक बसें खरीदने के लिए धन लेते हैं, अनुचित अधिकार दिये हुए हैं। यदि उनको बस मालिक से लिए गए धन की एक किस्त नहीं मिल पाती है तो वे बस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, बस मालिक के लिए यह विषम परिस्थिति बन जाती है। पहले एक बस का मूल्य 7000 रुपये से 10,000 रुपये होता था परन्तु अब यह बढ़कर 70,000 रुपये या 80,000 रुपये हो गया है, यदि बस मालिक एक किस्त देने में चूक जाता है तो पूंजीपति ऋणदाता बस पर अधिकार कर लेता है जो ठीक नहीं है।

तीसरा, यदि कोई व्यक्ति परमिट के लिए आवेदन करता है तो उसे तत्काल 500 रुपये प्रतिभूति जमा करानी होती है, मध्यम वर्ग के लोग तथा छोटे उपक्रमी इसको तत्काल नहीं जमा करा सकते अतएव मेरा अनुरोध है कि इस उपबन्ध को हटा दिया जाये।

चौथा अधिकारियों द्वारा देरी किये जाने के बारे में, मैं कहना चाहता हूँ कि यदि प्रशासन अधिकारी देरी करते हैं तो बस मालिक का क्या दोष है ? परमिट के नवीकरण के आवेदनपत्र के निपटान में वे एक वर्ष लगाते हैं और फिर दो वर्ष की अवधि देते हैं जो ठीक नहीं है, जब हम समाजवाद की बात करते हैं तो इस प्रकार का व्यवहार क्यों होता है ? इस पर मेरा एक संशोधन भी है।

आखिल भारतीय मोटर यूनियन कांग्रेस ने जो सिफारिशें दी हैं, उनको स्वीकार नहीं किया गया है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय उन पर विचार कर उन्हें स्वीकार करेंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात की आवश्यकताओं को गैर सरकारी बस मालिक पूरा करते हैं, उनको अपना कार्य चलाने के लिए प्रत्येक सुविधा दी जानी चाहिए, विशेषकर पश्चिम बंगाल में छोटे व्यापारी इसे अपना सकते हैं।

मुझे आशा है कि गैर सरकारी बस मालिकों की ओर सरकार का ध्यान जायेगा और उनके संबध में एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा ताकि उनमें यह संदेह पैदा न हो कि सरकार उनकी ओर से उदासीन है और वे अपना कारोबार चलाने में असमर्थ है।

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : यह विधेयक अधिक प्रशंसनीय नहीं है। जैसा कि मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है यह विधेयक व्यापार नहीं है, यदि व्यापार विधेयक को बाद में लाना है तो इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या थी ? क्या वे इसके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यदि वे व्यापार विधेयक को बाद में लाना चाहते हैं तो मैं यह सिफारिश करूंगा कि विभिन्न सदस्यों द्वारा सुझाये गये सभी संशोधन स्वीकार कर लिये जाये ताकि विधेयक में निहित कमियों को दूर किया जा सके।

यद्यपि सड़क परिवहन उद्योग हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, परन्तु इसे सरकार की ओर से उपेक्षापूर्ण व्यवहार मिल रहा है। लगभग 9 लाख वाहन सड़क पर चलते हैं जिसमें से ढाई लाख या इससे कुछ अधिक ट्रक और बसें हैं, इससे सरकार को 400 करोड़ रुपया वार्षिक करों के रूप में आय प्राप्त होती है, जब यह सरकार की आय का इतना बड़ा साधन है तो सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

सरकार 400 करोड़ रुपयों में से लगभग 140 करोड़ रुपये वार्षिक सड़कों के विकास पर व्यय करती है। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं का, चाहे वह खाद्यान्न का आवागमन, औद्योगिक उत्पादन और यहां तक यात्री यातायात से ही संबधित है, कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। बड़े शहरों, गांवों और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को घन्टों तक बस की प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

क्या उन्होंने विशेष मार्गों पर कितना यातायात है इस का पता लगाया है? परमिट वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर दिये जाने चाहिए न कि सरकार की इच्छाओं के अनुसार अथवा घूस लेकर। सरकार को ऐसा विधान बनाना चाहिए जिससे जनता को गतिशील, सुरक्षित, सस्ते तथा सुगम यातायात के साधन उपलब्ध हो सके, जहां तक मीठे-मीठे शब्दों का प्रश्न है इनसे केवल निर्धनों के लिए सहानुभूति ही प्रकट की जा सकती है। इस काम को तो हमारी वर्तमान सरकार बड़ी भली प्रकार कर रही है। परन्तु जब निर्धनों की कठिनाइयों को कम करने की बात आती है तब हम देखते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है। इस सदन में हमने सामान्य जन उपयोगी ट्रैक्टर, छोटी कार, स्कूटर, उर्वरक, सस्ता कपड़ा आदि के कई मामले ऐसे उठाए परन्तु वास्तविक रूप से कुछ भी नहीं हुआ। परन्तु जब 20,000 रु० से अधिक मूल्य की कारों की कीमतें उनके निर्माता बढ़ा देते हैं तब सरकार शीघ्र ही उसके बारे में अध्यादेश को ले आती है। प्रधान मंत्री बात तो गरीब आदमी के विकास की करती हैं परन्तु कार्य उसी समय करती हैं जब 20,000 रुपये से ऊपर की कीमतों की कारों का मूल्य उनके निर्माता बढ़ा देते हैं। हम गरीब व्यक्तियों की हालत के सम्बन्ध में सरकार की चिन्ता के बारे में सफदरजंग रोड के पास भाषण प्रतिदिन सुनते हैं परन्तु कार्य कुछ नहीं होता है। बसों में यात्रा करने को ही लीजिये। हम देखते हैं कि बसों की यात्रा मंहगी होती जा रही है। पिछले दो वर्षों से पहले प्राय; सभी राज्यों में कांग्रेस का राज्य था। सरकार की गलत नीतियों के कारण और भारी टैक्स लगाने के कारण ही यातायात मंहगा हो गया है। यदि सरकार वास्तव में गरीबों के लिए चिन्तित है तो डीजल पर टैक्स घटाएं। बसों की 'चेसियों' के निर्माण पर से शुल्क घटाया जाए। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी।

बस मार्गों के राष्ट्रीयकरण के लिए नारे लगाए जाते हैं। मैं समझता हूँ कि भारत में केवल एक ही राष्ट्रीयकृत बस मार्ग सफलता पूर्वक चल रहा है और शेष सभी घाटे में चल रहे हैं। कार्यक्षमता के अभाव में राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं। दक्षिण के टी० वी० एस० के समान एक दो धनी कम्पनियों को छोड़कर शेष सभी बस मालिक साधारण लोग हैं जो किराया-विक्री की शर्तों पर एक-दो बसें खरीद कर अपना व्यवसाय चलाते हैं। क्या राष्ट्रीयकरण द्वारा हम इन मध्यम वर्गीय व्यक्तियों को उनकी आजीविका से वंचित करना चाहते हैं। बस सेवा, जिसमें कि लेखा, सेवा सुरक्षा आदि के लिए कई व्यक्ति रखने पड़ते हैं, कि राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं। सरकार सड़क परिवहन को इसी लिए मंहगा बना रही है क्योंकि वे रेलों को ढंग से नहीं चला पा रही है। इस प्रकार सरकार रेलों के संचालन में अपनी अक्षमता को छिपाना चाहती है।

जीवन बीमा निगम ही जनरल बीमें का भी कारोबार कर रहा है। इस ओर उसका काम काफी बढ़ा है। मैं समझता हूं कि इस संशोधन द्वारा निगम इस स्थिति में आ जाएगा कि वहाँ

कई पालिसी की उचित जानकारी नहीं दी गई । प्रायः दावों का निपटारा नहीं किया जा सकता है । पालिसी स्वीकार करने से पूर्व ही सभी आवश्यक जानकारी ले ली जानी चाहिए । एक बार पालिसी स्वीकार करने के पश्चात् निगम की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती है ।

चुंगी के बारे में काफी चर्चा की गई है । जब श्री वी० के० आर० वी० राव इस विभाग के मन्त्री थे तो उन्होंने इस में रुचि दिखाई थी । सड़क परिवहन सम्बन्धी मंत्रियों की बैठकें हुई थीं । चुंगी को समाप्त के लिए सभी ने सहमति प्रकट की है । सरकार ने राज्य सरकारों पर इसकी समाप्ति के लिए जोर नहीं डाला है । यदि सरकार राज्य सरकारों को इसके लिए तैयार नहीं कर पाती है तो क्या वे संविधान में संशोधन द्वारा राज्यों की चुंगी लेने की शक्ति समाप्त कर देंगी ।

Shri Tulsidas Jadhav (Baramati) : The provision for getting permit, from R.T.A would not necessiate obtaning permit from every state. This has been provided in this Bill. This was one of the demands of Transport operators and their federation. There are 3 lakh Lorries in the country. Out of these about only 10 to 15 percent are owned by capitalists. Ninety per cent lorries are owned by persons who are one owner of only one lorry. This profession very much needs protection. These people are very much harrassed by the policemen, on the plea of High speed or heavy weight. All this is open corruption. Efforts should be made to check it. The high prices of Tyres and Tubes has created further hardships from lorry operators. After nationalization a scheme has been drawn to advance sums for the purchase of trucks. But the cost of trucks is between 40 to 50 thousand Rs. But 1/5 amount has to be paid in advance. Apart from that the cost of chesis and motor parts is very heavy and it becomes very difficult to pay off the instalments together with the interest. The Government should try to reduce the prices of Tyres, tubes and other parts. Either the Government should open depots for the sale of Tyres and tubes on a society of 10-25 truck operators be formed to decide prices of Tyres and tubes.

Inter-State permits are a welcome more. Similar action may be taken in respect of octroi as the vehicles are detained at every octroi and due to that a lot of time is wasted. octroi should be abolished or it should be centralized.

There is a tax on diesel and the Maharashtra Government imposed temporarily taxation on it. But latter on it was made permanent.

One has to take permit for opening a goods office. There should be same central on these office.

Preference should be given to the co-operative societis in handling the Government jobs. The drivers should not be harrassed by police due to high speed on heavy load as accidents do not take place due to speed on load. But this occur due to the narrowness of the roads. As the Government take taxes, it should see that the roads are good and wide.

You should provide good roads also if you want to Collcet taxes from the people.

Claim period has been increased from 60 days to 180 days ; it is not fair. This increases the price of insurance. For insurance purposes owner of the vehicle has been made responsible but it is a known fact that the vehicle is driven either by the son or by the driver. Therefore, this is also not justified.

My friend Naidu has suggested that the period of renewal of permit should not be less than three years. I think this period should be taken into account from the date when the permit is actually given.

Distance of eight Kilometers to ply the vehicle between the two states is very small It should at least be 60 K. M. so that he is not put to any hardship.

There should be decentralisation of economy in respect of small trades. People who earn their livelyhood by working hard should be given more and more facilities.

Shri O. P. Tyagi (Moradabad) : Mr. Chairman, Sir, According to the covnention of this House, the ruling party because of its majority is allotted half of the total time. It is now in the minority. Do they get the same time ?

Mr. Chairman : Time is always allotted according to the strength of the party. We have done that. You can begin your speech.

Shri O. P. Tyagi : Although the development of a Country depends upon its transport yet I regret to say that it has been completely neglected in this Country. The British Government has enacted Motor Vehilcles Act in 1939. Since then the Government has not done anything in this regard. In 1960 a piece meal legislation had been moved and after that only the Hon. Minister has stated that he would bring in a more comprehensive Bill. May I know why this comprehensive Bill has not been introduced although 22 long years have lapsed ?

I feel permit System is the worst thing. It is responsible for all the corruption in the country.

Mr. Chairman : You can continue your speech tomorrow because at 4 p. m. we have to discuss the acute drought and famine conditions in Rajasthan. But in view of the long list of speakers I would request the Hon. Members to express their views briefly.

पश्चिमी राजस्थान के भयंकर सूखा और अकाल की स्थिति पर चर्चा

DISCUSSION RE : ACUTE DROUGHT AND FAMINE CONDITION IN WESTERN RAJASTHAN

Dr. Karan Singh Ji (Bikaner) : We are glad that people from other parts of the country are ready to help us. But Members hailing from Rajasthan should get more time.

Mr. Chairman : Rajasthan is also a part of our country. They also consider it to be their own problem but you will have your say.

Shri N. K. Sanghi (Jodhpur) : This Question relates to the livelihood of the people of that area. Therefore, I request that three hours time may be allotted for this purpose.

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Mr. Chairman, Sir. It is beyond my power is to depict the shocking conditions prevailing in west Rajasthan. Districts of Bikaner, Jodhpur, Ajmer, Pali, Barmer and Jaisalmer are passing through acute famine conditions. In Jaisalmer district alone about 2½ Lakh cows have been dead and hundreds of thousands have been migrated to Madhya Pradesh, Gujrat and Haryana. Financial position of the people has completely disrupted. Lakhs of people belonging to Scheduled castes and Scheduled tribes and other minorities are on the brink of starvation. They are selling their ornaments and utencils.

Last year also the area was hit by the famine. Central Government also provided some financial relief. But even after spending crores of rupees, the situation did not improve. It is mainly because of the corrupt relief arrangement of the Government. Natural calamity is not totally responsible for this acute shortage. This area has been neglected completely for the last 22 years. Government have spent much less on the development of Rajasthan as compared with that on any other state. This has increased the regional imbalances.

It may be possible that the Rajasthan Gavernment has not done its duty. But it is not the proper time to side track the issue by fixing the responsibility on one or the other or disputing it whether it is a state subject or a subject of the central Government.

There are always some lapses to be found in the Government arrangement resulting in the break up of the Government machinery. It adds more misery to the lot of already distressed people.

The Government should have a well knit programme to meet the situation. Present relief works are doing no good to the affected people. This is a total wastage of money. Central Government should declare it a National problem and should assume full responsibility of providing relief to the people.

I request that this type of famine relief offices should not be opened. Very heavy amount of money is being spent on construction of roads. 37 lakhs of rupees were spent on the construction of road from Ramsar to chantan. But that road is not visible now. The relief measures had been adopted for more than eight or nine months. But the labourers got wages not more than five months. Poor labourers are forced to work no small wages. Wastage of money should be stopped. The Central Government should give specific instructions to the Rajasthan Government for the proper utilisation of money.

In case relief measures like this are adopted, the Government would have to spend 6 crores of rupees. It would a wastage of money. The difficulties of the people will not be removed. It is the moral duty of the Government to provide meals for the straned.

The Government should give ten rupees to each landless scheduled castes and scheduled tribes person and to those persons who have got uneconomic holdings. It will result in abolishng corruption. Then these people should be employed on useful works like construction of pucca roads, digging of like wells and construction of small dams.

The Government should take some permament measures to avoid death due to hunger and shortage of drinking water.

Last year there was acute shortage of drinking water is Rajasthan. Lakhs of families are not getting drinking water in Rajasthan even now. This problem should be solved once for all. The Government should instal tube-wells for this purpose. The present tube-wells should supply water to neighbouring villages through pipelines. The Government should provide financial assistance this year for pipeline schemes. All those schemes should be taken up. The tanks should be dug for storing water.

The relief work has been stopped in Jaiselmer for the last two months. About 77,000 labourers have been doing relief work there for the last two months. Famine like conditions have been prevailing there for the last eight years. People are dying out of hunger there People of Jaiselmer are being forced to work on Rajasthan canal. People are agitating against it and have to resort to hunger strike. People of Jaiselmer should not be compelled like this.

I came to know that the central Government have an intention to bring an ordinance under which death sentence will be provided for those who will damage the railway property. I am of the view that death sentence should also be given to those who indulge in corruption in famine relief measures.

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : The drought problem of Rajasthan is not a new one. It occurs almost every year. Our of the 32 thousand villages of Rajasthan 23 thousand villages are effected by drought. A number of people has died of starvation in Rajasthan. There is no fodder for the cattle Jaiselmer has been effected by drought for the last eight years-end Barmer for the last three years.

At present there is a great problem of drinking water in Rajasthan. There is under ground water in Rajasthan. Had the efforts been made to tackle this problem, the present

situation would not have arise ? Steps should have been taken to tap under ground water resources.

The State Government is responsible for not implementing the tube-well schemes in the state.

If the Narmada project had been taken up and completed, it would have benefitted Madhya Pradesh, Gujrat and Rajasthan. It is regretted that the project could not be completed due to certain powerful political influences.

It is the duty of the central Government to start public projects with the co-ordination of those three states. Politics also plays a great role in the matter of allocation of funds for relief measures.

Central assistance has been given to those states who do not require whereas no assistance has been given to those states who require it. There had been lot of corruption in spending relief money. Money has been spent for useless purposes. Money should be properly utilised. This difficulty is a permanent one and the Government should find out a permanent solution of it. It should allocate money for taking up irrigation and other projects. By doing so, Government will be able to solve the problem permanently.

If the Government want to help the people with marginal income, it should stop the foreign trips of the Ministers. The Government should reduce its expenditure and it should spend it for the welfare of the farmers and the workers.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : श्री नाहाटा तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। राजस्थान में पहली बार अकाल पड़ा हो ऐसी बात नहीं है। बहुत से क्षेत्रों में तो पिछले सात-आठ वर्ष से ऐसा हो रहा है। किन्तु इस बार स्थिति अत्यन्त विषम है। लाखों लोग भूखे मर रहे हैं, अस्सी प्रतिशत पशु या तो अन्य राज्यों में चले गये हैं अथवा मृत्यु का ग्रास बन गये है। बाकी बचे बीस प्रतिशत पशुओं का क्या होगा ईश्वर ही जानता है। यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो संभवतः अच्छे पशुओं का नाम तक नहीं रहेगा।

निःसन्देह मुख्य समस्या पीने के जल की है। जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है, बिजली उपलब्ध नहीं है, कुएं बहुत गहरे हैं। मैंने स्वयं लोगों को कमर में रस्से बाँधकर कुओं से जल निकालते देखा है। लोग अपने घर छोड़-छोड़ कर जा रहे हैं।

आज, स्वतंत्रता प्राप्ति के 22 वर्ष पश्चात भी देश के एक भाग में यह स्थिति है कि लोगों के लिए पीने को जल नहीं, पशुओं के लिए चारा नहीं। जनता भूखी मर रही है। क्या यही हमारा समाजवाद है ? करोड़ों रुपया व्यय करके बड़े-बड़े प्रस्ताव पास किये जाते हैं। यह समस्त धन का अपव्यय है।

राहत कार्यों के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। यह प्रबन्ध अत्यन्त निकम्मा है। जो धन व्यय किया जा रहा है उसका यदि सदुपयोग किया जाता तो यह सूखा-ग्रस्त क्षेत्र हरा-भरा हो जाता किन्तु इस धन का 25 प्रतिशत भी उचित ढंग से व्यय नहीं किया जा रहा।

अकाल की ऐसी स्थिति पिछले कई वर्षों से है। राजस्थान सरकार इससे भली-भांति परिचित है किन्तु उसकी बुद्धिमत्ता देखिये। राहत-कार्यों को तेज करने के स्थान पर उन्होंने उसे अचानक ही 31 अगस्त को बन्द कर दिया।

इस कार्य को बहुत तेजी के साथ करके 31 अगस्त तक पूर्ण किया जाना था, परन्तु इस

अवधि में लोगों के कष्ट तथा कठिनाई की वृद्धि करने का ही निर्णय किया गया। अभी भी अकाल की स्थिति का सामना करने के कार्य में सरकार के रवैये में बहुत उदासीनता तथा उपेक्षा ही दिखाई देती है। स्थिति की इस गम्भीरता को समझने के बजाए सरकार ने केवल यही कहा है कि राजस्थान सरकार ने जैसलमेर जिले को अभाव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है और जालोर तथा बीकानेर जिलों को भी अभाव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने सम्बन्धी प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है। क्या इन क्षेत्रों को अगस्त 1970 तक अभाव-ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का विचार है? इन विलम्बकारी चालों से सरकार का तात्पर्य क्या है? क्या सरकार यह मानने को तैयार नहीं है कि ये क्षेत्र विकट रूप में अकाल-ग्रस्त हैं, और क्या सरकार इन अकाल से पीड़ित लोगों को राहत देने सम्बन्धी आकस्मिक उपायों की आवश्यकता समझने को तैयार नहीं है? यदि यह स्थिति है तो क्या केन्द्रीय सरकार इतनी निर्बल हो गई है कि वह इन क्षेत्रों को तत्काल अकाल सहायता सम्बन्धी कार्य करने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित भी नहीं कर सकती?

[श्री एम० बी० राणा पीठासीन हुए
Shri M. B. Rana *in the Chair*]

अनेक अभ्यावेदनों में केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से कहा गया है कि वहां की स्थिति पर तत्काल ध्यान देना अत्यावश्यक है। परन्तु स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में पूर्ण उदासीनता दिखाई है और इन मामलों के सम्बन्ध में बात करने तथा सुझाव मानने तक के लिए उनके पास समय ही नहीं है। राजस्थान के मुख्य मंत्री तो इस आकस्मिकता के प्रति बहुत विमुख हो गए हैं। उनके लिए मानव कठिनाइयों तथा मानव कष्टों से तो उनका हृदय पटल द्रवित होता ही नहीं, मानों इस आकस्मिकता का उनके लिए राजनीतिक मामलों के अतिरिक्त कोई महत्व ही नहीं है। राजस्थान के अकाल को केन्द्रीय तथा राजस्थान सरकार ने ऐसा ही माना है।

अकाल की स्थिति को इस क्षेत्र से सदा के लिए दूर करने के लिए सरकार को स्थाई उपाय करने चाहिएं। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्थाई रूप से सड़कों का निर्माण होना चाहिए। भूमिस्थ जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिये। आज से छः वर्ष पूर्व जालोर जिले में 200 नल कूप लगाने थे परन्तु अभी तक नहीं लगाए गए हैं। एक करोड़ रुपये के नाममात्र के खर्चे से वहां की समस्त मरू-भूमि की उर्वरा तथा सस्यश्यामला बनाया जा सकता था। परन्तु निरन्तर कहते रहने के बावजूद भी इस कार्य की किसी न किसी बहाने से उपेक्षा की जाती रही है। वहां बिजली नहीं है। सिंचाई के साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए। संचार तथा परिवहन व्यवस्था का विकास होना चाहिए। यदि इन सब साधनों का सुव्यवस्थित रूप में विकास किया जाए और सुचारू रूप से व्यवस्था की जाए तो वहां की मरू-भूमि को उर्वरा तथा सस्य-श्यामला भूमि में परिणित किया जा सकता है। वहां खाद्य सामग्री का इतनी विपुल मात्रा में उत्पादन हो सकता है कि वहाँ से अन्न अन्य क्षेत्रों को भी भेजा जा सकता है। अतः अभी भी समय है सरकार इन सब कार्यों को वहां करे और स्थिति को सुधारे।

डा० कर्णीसिंह (बीकानेर) : गत सौ वर्षों में राजस्थान में यह बहुत भयंकर अकाल पड़ा है। राज्य के अनेक भागों में विशेषकर बीकानेर, जोधपुर तथा जैसलमेर डिवीजनों में अकाल का

प्रकोप बहुत अधिक है। वहाँ लोगों को इतना कष्ट है जिसका वर्णन नहीं किया जाता। उन क्षेत्रो में जब मैंने दौरा किया तो मुझे जोधपुर में बताया गया कि वहां के लोगों को आगामी दो या तीन महीनों में पानी की कमी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ेगा। जोधपुर नगर के तीन लाख निवासियों की पानी की समस्या का निवारण किया जाना चाहिए और उनके लिए पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए।

अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में एक उपाय, समस्त श्रमिक वर्ग को इस वर्ष सारे अकाल पीड़ित क्षेत्रों से हटाकर राजस्थान नहर परियोजना पर ले जाने का है। परन्तु, इसमे श्रमिक बर्ग के लोगों के कष्ट तथा उत्पीड़न में वृद्धि होगी और यही माना जायेगा कि सरकार इन निर्धन तथा निरीह लोगों के जीवन से खेल रही है। अतः मानवता के नाते सरकार को उन अनेक अकाल पीड़ित लोगों को सहायता एवं सुरक्षा के लिए भी कोई अन्य उपाय करने चाहिये, जो अपने रोजगार, भूमि तथा अपने गांव छोड़कर राजस्थान नहर परियोजना नहीं जा सकते। तभी हम समाज के समाजवादी रूप की अपनी बात को उचित सिद्ध करने में सफल सिद्ध हो सकेंगे।

केन्द्रीय सरकार ने अनेक अकाल-ग्रस्त राज्यों की सहायता की है। राजस्थान केन्द्र का आभारी है। परन्तु इस बार बहुत अधिक धन के आवंटन की आवश्यकता है क्योंकि राजस्थान में लगातार दूसरी बार अकाल पड़ा है। राजस्थान के उत्तर-पश्चिम भाग में पेय जल की बहुत बड़ी समस्या है। 100 या 1500 फुट नीचे गहरे नल कूप खोद कर भी वहां पानी इतना खारी निकलता है कि यदि मनुष्य अथवा पशु उस पानी को पीये तो उसकी तत्काल मृत्यु हो जाए। इसलिए इस क्षेत्र को पीने के पानी की सप्लाई की समस्या सर्वोपरि है। पीने के पानी की इस समस्या को दृष्टि में रखते हुए राज्य में एक राजस्थान लिफ्ट नहर परियोजना बनाई गई जो एक बहुत विशाल-काम परियोजना है। जब यह नहर बन जायेगी तो इससे राजस्थान के मरू-भूमि वाले क्षेत्रों को पीने का पानी मिलेगा। परन्तु इससे इस राज्य के एक बड़े क्षेत्र को फिर भी पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अतः पीने के पानी की इस समस्या को उच्चतर प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

अकाल पीड़ित श्रमिक वर्ग तथा बच्चों के सम्बन्ध में पाया गया है कि राजस्थान के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में 12 वर्ष से ऊपर की आयु वाले बालकों को ही रोजगार मिला है। परन्तु गांवों में आयु का अनुमान लगाना बहुत कठिन होता है। अतः वहां बच्चों का निर्वाह भत्ता कुछ और अधिक मिलना चाहिए। जिससे व्यावहारिक कठिनाइयां दूर हो सकें।

बच्चों के शिक्षा सम्बन्धी मामले को लेकर प्रधान मंत्री ने बच्चों के लिए एक प्रपत्र में कहा है कि अकाल पीड़ित क्षेत्रों में बच्चों की देख रेख का प्रबन्ध राज्य को करना चाहिए और अकाल के दौरान इन सब बच्चों को शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएं मिलनी चाहिएं। क्योंकि यदि हम यह कार्य नही करेंगे तो उनकी शिक्षा में व्यवधान पड़ जायेगा और लोग बहुत बड़ी संख्यां में अशिक्षित रह जायेंगे। अतः राज्य सरकार का ध्यान इस ओर जाना बहुत आवश्यक है।

अकाल शिविरों में मजदूरी का भुगतान नहीं करने के मामले को मैं अनेक बार प्रधान मंत्री के ध्यान में लाया हूँ और राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को भी कई बार लिखा है परन्तु यही

उत्तर मिला "सरकार को इसकी बहुत चिन्ता है" "मामले की जांच की जा रही है।" लोग दिन भर काम करते हैं और खुले आकाश के नीचे रहते हैं, उन्हें पीने के पानी की सुविधा नहीं है फिर भी उन्हें 3-4 सप्ताह तक मजूरी नहीं मिलती है। और उनमें भ्रष्टाचार फैलाया जाता है। अतः सरकार से मेरी चेतावनी के साथ-साथ मेरा निवेदन भी है कि वहां समय रहते उचित कार्यवाही करे जिससे राजस्थान में दोबारा अकाल की स्थिति उत्पन्न नही होने पाए।

आशा की जाती है कि सरकार इन सब समस्याओं का वहाँ निवारण करेगी और लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपाय करेगी। राजस्थान नहर पर हो रहे काम की गति बहुत धीमी है और इस नहर के काम को पूरा करने में 120 करोड़ रुपये अधिक लगेंगे। प्रति वर्ष 5 या 6 करोड़ रुपये खर्च किये जा रहे हैं और हिसाब से इस नहर को पूरा होने में एक पीढ़ी लग जायेगी। इस परियोजना से अन्न की उपज तथा अन्य सुविधाओं के रूप में हमें प्रति वर्ष 150 करोड़ रुपये का लाभ होगा। हम केन्द्रीय सरकार से गत कई वर्षों से इस नहर परियोजना के काम को अपने हाथ में लेने के लिए निवेदन करते आ रहे हैं और यदि केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य को अपने हाथों में नहीं लिया और राजस्थान सरकार पर छोड़ दिया तो ऐसी उपेक्षा तथा अक्षमता की जिम्मेदारी आज की पीढ़ी पर होगी।

खाद्य सामग्री के लिए हमारा देश अनेक बातों में विदेशों पर आश्रित है। यह संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली परियोजना है। इस परियोजना का राजस्थान नहर परियोजना नाम देने से इसका सम्बन्ध केवल उस राज्य से ही हो जायेगा। इसलिए इसका नाम या तो नेहरू नहर रखना ठीक होगा और या गांधी नहर। इस काम को आगामी 5 वर्षों के भीतर ही पूरा कर लेना चाहिए और तभी हम अपने प्रति न्याय कर पायेंगे। जहां तक लिफ्ट नहर का सम्बन्ध है इससे राज्य के सबसे अधिक अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में लगभग 560 क्यूबिक फुट प्रति सैकण्ड के हिसाब से बीडावल तक पानी पहुंचेगा और बीकानेर तक जाते-जाते इससे 35 क्यूबिक फुट पानी मिल सकेगा। इस नहर का निर्माण करते समय उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी देखना चाहिए कि अन्त में जाकर इससे अधिक पानी मिले इस नहर से अन्त में बीकानेर तक पहुंचते-पहुंचते कम से कम 200 क्यूबिक फुट पानी मिले।

राजस्थान नहर क्षेत्र की भूमि का जो नीलाम होता है उसे रोकना चाहिए और यह भूमि अकाल पीड़ित व्यक्तियों को दी जानी चाहिए ताकि वे लोग कम से कम इस भूमि पर अपना काम तो करने लगें। सरकार को धन के प्रलोभन में आकर भूमि नहीं बेचनी चाहिए और इन तथ्यों की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिये।

तकाबी ऋण, निशुल्क बैल, गाय आदि देने के अतिरिक्त जिन मरू-भूमि वाले क्षेत्रों में लगभग 8 से 10 इंच तक वर्षा हुई थी वहाँ पर भी घास नहीं उगती। इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के पश्चात पता लगा कि वहाँ बीजों का अंकुरण ठीक नहीं होता और इसी कारण चारा-भूसा बिल्कुल नही है। अतः सरकार को इस वर्ष इस बारे में अनुसधान करना चाहिए और आगामी वर्ष जब वर्षा हो तो वायुयानों से वहां चारे तथा घास के बीज बोने चाहिए ताकि वहा घास की अधिक उपज हो सके। अन्यथा इस वर्ष अच्छी वर्षा के बावजूद चारा नहीं होगा।

आशा है इन सब बातों पर सरकार ध्यान देगी।

Shri Onkar Lal Bohra (Chittorgarh) : It is a matter of great concern that due to natural calamity and to some extent to us a grave situation has again arisen in Western districts of Rajasthan for want of rains. I request all the members not to give political colour to the famine situation. This question relates to humanity. Thousands of people are suffering and cattle heads are dying. It is a fact that irregularities have been committed by the Rajasthan Government also.

We should consider this desert area of Rajasthan as a part of our nation and sat on a part of Rajasthan only unfortunately this is the only desert area in the country and it is situated in the Western part of Rajasthan. It has a 700 mile long border with Pakistan. Under these circumstances, it is very necessary for us to consider this whole problem from the point of view of stratch, national integration and our securiry. The famine relief measures adopted by the Rajasthan Government are faulty and one cannot deny the fact that our engineers, officers and the persons dealing with the relief measures have done bunghing. The Cheif Minister of Rajasthan and other concerned officers have said that all sorts of actions are being taken against them, so that such things may not happen again. But I want to make it clear that we have to ask for money from the Central Government for the sake of humanity and to save the lives of the people and the cattle of heads of Rajasthan. Therefore, we should think over this problem separately. The financial condition of Rajasthan is not good. Rajasthan has to repay a loan of Rs. 500 crores.

I want to state in brief that the famine condition in Rajasthan is very grave. Rajasthan cannot overcome this crisis as long as she does not receive adequate financial help from the centre. This area of Rajasthan is very important. Had the Government of Rajasthan and the Central Government made efforts during the last 22 years, tubewells would have been there in this area and the Rajasthan canal could be constructed. Had the money asked for time and again for this purpose been sanctioned. The Rajasthan canal would have been constructed.

The Central Government, who once accepted that Rajasthan Canal was a National Canal and they would take it into their own hands, did not show any interest in this respect during the last 5 or 6 years. As a result of it, people are living a deplorable life, they are living like animals at places where water is 300-400 feet undergrouud. Had the Central Government given adequate amount for this purpose, Rajasthan canal would have been completed and as a result, this grave situation would not have arisen.

The Rajasthan Government, with the assistance of the Central Government spent about Rs. 58 crores during the famine, but the Central Government cannot give Rs. 10 crores for Rajasthan Canal. The Chief Minister of Rajasthan and the Relief Minister and the Government of Rajasthan gave funds and tried to save that area. I want to request that when we ask the centre for money and when we talk about famine. We should not forget that we talk of humanity. Becausc the funds have been misused, we will have to change the policy of famine relief. Famine relief work is a service to humanity. Only those persons should be engaged in the famine relief work whoare actually willing to serve. Famine relief work should not be left to the Government officers only. This is an act of public service. I would like that all our opposition members and we should go there to work constructively for the cause of humanity and should share their sufferings. Only by holding discussions here they cannot be helped. There should be a strict inquiry into the bunghing on the part of officers and they should be punished. The Government should do their duty. The Central Government should remove the difficulties of this area by giving more and more funds. It is said that the desert of Rajasthan will be made fertile. This is a border area. We have done nothing in that area for security and for Rajasthan Canal. We try to keey quite over these important matters. When famine condition arise we spend crores of rupees but we do not see to the basic shortcomings.

I want that the Central Government should give more and more funds to the Rajasthan Government for famine relief work. The present crisis is more serious than

previous It is beyond the capacity of Rajasthan to overcome this crises. The Central Government should take over this work in their hands at National level and at their own level.

श्री जो० मा० कृपलानी (गुना) : भ्रष्टाचार तथा अन्य बातों को स्वीकार करना राजनैतिक विषय है अथवा नहीं ? राजनैतिक क्या है और राजनैनिक क्या नहीं है ? क्या इसका निर्णय एक विशिष्ट वक्ता द्वारा किया जायेगा जबकि वह स्वयं एक राजनैनिक भाषण दे रहे हैं ?

Shri Om Parkash Tyagi (Moradabad) : I had the opportunity to visit the famine stricken areas of Rajasthan. Ladies are helplessly selling their ornaments to feed their families. They are feeding the cattle even with the dry grass lying over the roofs of their huts. The villages are deserted.

In the labour camps of same that they were lying there like animals. They donot have space even to live. No arrangements have been made by the Government. It is reported that green revolution is taking place in India and there is temper crop. It is actually the country of Gandhiji where humanity is suffering like this. People are dying of hunger. This is the plight of the people of that part of India who once saved the country with their grounds.

It is not a matter of shame for the Government, Members and the political parties that people in one part of the country are dying of starvation and they are sitting calmly. It is not a question of humanity.

This is a border area. This is the part of the country which proved weakest in the the conflict of 1965. Today, the people of that over are dying and are feeling uneasy. There can be no security when the people of the border areas are very much worried about about their livelihood. The enemy can easily take advantage of their poverty and their helplessness. It is not that famine has occurred for the first time. History speaks that this area is famine stricken since long.

There are famine conditions in 26 disrricts, of 27 districts of Rajasthan. 22,799 villages out of 32,347 are famine stricken. The Government itself accessed in their statement of February 26, 1969 that 1.28 crores of people of Rajasthan are famine affected. Ten lacs rupees are being sent daily on the Governments relief work there. It means that Government are spending seven paise per man on the relief work of the famine affected people. You can well imagine the conditions there.

In the country, in every village a labourer is paid Rs. 4 as daily wage but in Rajasthan, in the Relief camps a man is paid Rs. 1.50 daily and a woman is paid Rs. 1.25 daily. Such a discrimination between man and woman is being made and that too during famine days. When they work equally, they should also get equal wages.

Although young children can also work, children below 14 years are not given work there. Besides, I want to know what the Government have thought about old men, patients, children and pregnant women.

Great injustice is being done toward labourers. These people have been taking Bajra and they never eat Jwar. But the Government is supplying them Jwar and even that is of very low quality which even animals would not like to eat.

Eight kilo, foodgrain is being given to ceed labourer weekly. It is a rule that they have to buy their full ration at a time. But they are not paid full wages by the contractors and they lose their ration. According to the representative of the 'Hindustan Times' people could not buy 15% of the ration. Eight kilo, ration to give for 7 days. I want to know how one kilo ration is sufficient for a family. What his children, wife and old father and mother will eat ? No facilities have been given to the labourers and their

families. Their children sleep under the bushes in the scorching heat. The ration shops are situated at a distance of five miles. When they go to buy their ration they lose their one day wage.

The other objectional thing was that only 50 labourer were working there while 100 were shown on the Register. Money was taken for 100 labourers and thus the excess money taken was grabed by them.

The Central Government have helped the Rajasthan Government. Rs. 9.50 crores were given in 1969-70 and Rs. 14.51 crores in 1968-69 while Andhra has been given Rs. 14 crores and Gurjrat Rs. 4.50 crores. Mysore was given Rs. 10 crores. Rajasthan has been given only Rs. 23 crores for the areas affected by floods and draughts for the last 8 or 10 years. Government have done no work in Jaisalmer which is most affected by famine Government have neglected it by saying that it is nearer to Rajasthan Canal. People of Jaisalmer are agitating. They are on hunger strike.

I want to give some suggestions in this respect. My first suggestion is that the Government should first take in their hands the parts which has always been affected by draughts. A central enquiry Committee should be appointed to took into the cases of corruption and the relief work done there.

Secondly, this problem should be treated as a national problem and efforts should be made in the Fourth Plan to find a permanent solution to this problem.

Thirdly, Rajasthan canal is very important from the point of view of the Security of the country. Its first phase has been completed, but the further work has been stopped. The Dam has not been completed yet. How the people of Jaisalmer will come to work at the Rajasthan Canal. They should have been given work near their villages. Pilot Canal can be constructed upto Jaisalmer and the people of that area can work there by living near their villages.

I want to say something about the setting up of industries, because how long the people of that area will live on begging. Cement, Stone, lignite and gypsim are adequately available in Rajasthan Industries can be set up immediately there and the peaple can be engaged on work. The Private Sector industrialists will not go there, therefore industries should be set up in the public Sector. Besides, Jaiselmer, Barmer and Bikaner should be connected with railway lines, so that it may be used for the security of the public.

My last point is that tubewells can be installed there. There was a scheme to instal 70 tube wells there, but only 10 were installed and even they are lying idle, because of want of spare parts or oil. Therefore my suggestion is that if tubewells are installed, there should be a shop or a workship of spare parts also. There is a necessity of laying a net work of tubewells there so that desert could be turned into a fertile land.

Shri N. K. Sanghi (Jodhpur) : All of us know that in Rajasthan, Bikaner, Nagour, Jaisalmer, Barmer, Jodhpur, Pali and Jalour are drought-affected. You know that Jaisalmer is drought affected continuously for the last 8 years. There has been drought in Jodhpur, Pali and Jalour for the last 3 years. The people of this area do not have any property and houses. They do not have any facitlty of sinking water. In these circumstances, they leave their place and go to Madhya Prasdesh, Haryana, Uttar Pradesh and Punjab. They face difficulties these and want to return to their homes after the sought conditions end. A lot of amount has been spent in respect of famine in Rajasthan but there has been no coordination in the famine relief works. From 1952 to 1963 Rs. 10 crores were spent on the famine relief works in Rajasthan and from 1963 to 1968 Rs. 30 crores were spent and thereafter another Rs. 50 crores were spent but even today we see that the same famine condition prevail there. They talk of floods but even drinking water is not available there. Water should be made available to then for drinking. There is no water for drinking in Jaisalmer up to 20-30 miles. Last year 27000 villages were drought affected. 14 out of 26 districts of Rajasthan are in the grip of drought. The people of Rajasthan are not asking for food

and clothing, but they expect you to provide them with drinking water at least. If in the age of science when man has landed on the moon we fail to provide relief to the famine-stricken people, all our claims of progress are mere pretensious.

The Government of Rajasthan has done precious little to ameliorate the lot of the people of Rajasthan and their conditions remain practically the same as that before the independence. The Barmer area of Rajasthan is very important from the strategic point of view. The completion of Rajasthan canal has been hanging fire for the last so many years. It involves a huge expenditure which the state Government is not in a position to meet. The Central Government should come to the rescue of the state Government in this matter.

There is acute shortage of drinking water in certain areas of Rajasthan. Pakistan has intensified the deployment of its forces along the border areas of Rajastan. We have an uneasy peace with Pakistan on the Rajasthan border. If the Rajasthan Canal is completed expenditiously, it will solve the twiss problems of famine and defence in that State.

At present China and other Asian countries are increasing their population along the international borders. we should also do the same We should provide all the necessary facilities to the people there. For increasing our population along the Pak Rajasthan border the construction of Rajasthan canal is very important. We should not forget that we lost Kanjarkot area to Pakistan because we had no population there. We have not done what we ought to have done in Rajasthan. The finances of Rajasthan Government are already running into red and as such it can do precious little in this matter.

There are acute famine conditions in Rajasthan and both people and cattle are migrating from the affected areas. I. therefore, urge that the Government should give grants without losing any time.

In Jaipur, there is acute stortage of water. The supply of water has been cut by 50 per cent. The rumour that Railway Department is going to suspend the operation of railways there because of water shortage has generated a wave of fear among the masses. This should not have happened. The Railway Department should try to check the spreading of such rumours.

सिंचाई और विद्युत मन्त्री (डा० कु० ला० राव) : बीकानेर से जालोर तक राजस्थान के पांच पश्चिमी जिलों में अकाल की स्थिति है। इस क्षेत्र का क्षेत्रफल बहुत कम है और जनसंख्या केवल 27 लाख है। वहां वर्षा पिछले तीन वर्षों से बहुत कम हुई है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि राजस्थान और नहर नर्मदा परियोजना पूरी कर ली जायें तो इससे मनुष्य तथा पशु दोनों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। किन्तु कठिनाई यह है कि ये दोनो परियोजनाएं बहुत बड़ी हैं और इनमें करोड़ों रुपये की लागत आयेगी। 57 करोड़ रुपये पहले ही खर्च किया जा चुका है और केवल प्रथम चरण के लिये इतनी ही राशि और खर्च करनी होगी। अतः सारे विषय पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है।

जहां तक नर्मदा परियोजना का संबंध है, हम विभिन्न राज्यों में करार तय कराने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। अतः अब इस समस्या को न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया है। आशा है एक वर्ष में न्यायाधिकरण अपना निर्णय दे देगा। मुझे आशा है कि कुछ वर्षों में ये क्षेत्र काफी उपजाऊं बन जायेंगे। किन्तु इस कार्य पर कई करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। कम वर्षा होने के कारण खोदे गये कुंओं में पानी कम पड़ जाता है। कुंओं से नियमित रूप से पानी खींचने के सम्बन्ध में राज्य अथवा केन्द्र द्वारा कानून बनाना होगा।

अतः पशुओं तथा मनुष्यों की समस्या को सिंचाई नहरों के द्वारा ही हल करना होगा।

विभिन्न गांवों में बड़ी संख्या में योजनाओं को चलाना होगा । हमारे पास सभी साधन हैं किन्तु पैसा नहीं है ।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : अपने पास प्रधान मन्त्री के महल और रिवोलविंग टावर के लिये तो पैसा है किन्तु नलकूपों के लिये नहीं ।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria) : Mr. Chairman, Sir, I completely endorse that Shri Amrit Nahata has said. The question of providing relief to the Famine-stricken people is a humanitarian question and party politics should not imported into this matter. I have visited the drought affected areas of Rajasthan and from my personal knowledge I can say that 1.28 crores of people have been badly stricken by the drought. The most important thing is that droughts are a recurring phenomenon in Rajasthan.

The famines and droughts are not confined only to Rajasthan, but they have been injurying the whole country. U. P. and Bihar are not immune from this malody. The most vital question is what has been done by the government during these 22 years of Independence to fight famines. In this age of science when man has landed on the moon and when we have the example of the development of Siberia into a fertile land, it sounds rather strange why we can not do anything with regard to the desert of Rajasthan. The stagnent position in this regard for the last 22 years betrays fundamental defects in the policies pursued hither to. They are talking of bumper crop this year. But still paradoxically enough many parts of Bihar have been hit by droughts this year. Money has been spent by the Government on unimportant projects while important ones have been neglected. This is the basic defect in the policy. If Rajasthan canal is completed on a priority basis, it will create immense irrigational potential and vast expanses of desert will be turned into waving fertile fields and side by side the rigours of flood will be mitigated. I endorse the views of Shri Nahata that lands should be given on temporary lease to indigent people. The work relating to small canals should also be completed. Apart from this the central Government should give a grant of Rs. 15 crores to the Government of Rajasthan for providing relief to the drought victims. The central Government should take over the Rajasthan canal project and complete it because Rajasthan Government is unable to complete it. More employment opportunities should be created in the areas where people are finding it difficult to get employment. Rajasthan, Gandak and Kosi canals should be completed so that Rajasthan could be saved from famine permanently.

Shri B. N. Bhargawa (Ajmer) : The hon. Ministry has himself admitted the seriousness of the situation in Rajasthan. If the preference is not given to the various projects in Rajasthan due to the lack of resources it is going to affect that state economically, politically and socially.

The central Government give funds to the states on a definite pattern and on same definite principles. These have to be changed as there are some areas in the country which are constantly affected by famine and there are other places where famine occurs occasionally. More aid should be given to the state where famine occurs regularly, otherwise the already existing imbalance between the various states will be increased. A national approach should be adopted to solve all these problems. The cooperation of the people is also essential for the implementation of the projects. I would suggest that for that purpose we should establish close contact with the people.

Some relief should be given to the people of the Nasirabad cantt. They are forced to pay levy at a very high rate although the are under the grop of famine for the last five or six years. Some projects should be taken up there on priority basis as it will make more employment opportunities for the people. I will request the Government to find out a permanent solution to all these problems.

With these words, I thank the chair man for providing me an opportunity to express my views.

श्री रा० कृ० बिड़ला (झुनझुनू) : पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में जो अकाल पड़ रहा है उस कारण हम देश के उस भाग की प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छे ऊंट जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर में ही उपलब्ध होते हैं, जिन क्षेत्रों में जीपें आदि नहीं जा सकती उनमें ऊंट ही काम में लाये जाते हैं। परन्तु अकाल की स्थिति के कारण अब ऊंट उस क्षेत्र में उपलब्ध नहीं होते। अतः मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले की गम्भीरता को समझे और इसको हल करने का यत्न करें।

जहांतक अध्ययन दल का सम्बन्ध है वह मौके पर जाकर स्थिति का अध्ययन नहीं करते, बल्कि सम्बन्धित अधिकारियों को सर्किट हाऊस में बुलाकर सूचना प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसी के आधार पर सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों की कठिनाइयों को दूर किया जाये और ढोरों की रक्षा की जाये परन्तु ऐसा करने का यह ढंग नहीं है। अतः इस संबंध में तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

नलकूपों और कुओं की खुदाई के लिए पर्याप्त धनराशि व्यय की जानी चाहिए। पंचायतों तथा विकास खण्डों को इस प्रयोजन हेतु जो धनराशि दी जाती है उसमें से लगभग 50 प्रतिशत उन किसानों के पास नहीं पहुंचती जो नलकूप आदि लगाना चाहते हैं। इस धन का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकार को चाहिए कि वे किसानों को बिजली की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करें। गरीब किसान पम्पों पर बिजली की मोटरें लगाने से डरते हैं क्योंकि दिन में लगभग बीस बार बिजली बन्द हो जाती है और उनकी मोटरें जल जाती हैं। अतः सरकार को इस बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय : मेरे विचार में इस मामले पर पर्याप्त वाद-विवाद हो चुका है और यदि सभा को कोई आपति न हो तो अब माननीय मन्त्री को उत्तर देने के लिए कहा जाये।

Shri Ram Charan (Khurja) : We should also be given time, as we want to cxpress our views.

सभापति महोदय : यह कोई दलगत प्रश्न नहीं है। अब हमें माननीय मन्त्री को सुनाना चाहिए।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : राजस्थान में विशेषकर इसके पश्चिमी भाग में स्थिति बहुत ही गम्भीर है क्योंकि वहां पर निरन्तर अनेक वर्षों में कम वर्षा हो रही है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा बिल्कुल भी नहीं हुई है। इससे वहां के लोगों तथा ढोरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि वे सब अधिकतर वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। इस वर्ष राजस्थान के कुछ भागों में स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। परन्तु पश्चिमी भागों में अभी भी कमी की स्थिति बनी हुई है। राजस्थान के पीड़ित लोगों के लिए सभी के दिल में सहानुभूति है।

जहां तक सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को सहायता देने का सम्बन्ध है यह काम राज्य सरकार का है जो कि एक निर्वाचित सरकार है। यह भी ठीक है कि इस काम में केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए। कुछ हद तक ऐसा किया जा रहा है। मैं सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार की सहायता करने में उदारता बरतेगी।

पेय जल की समस्या एक गम्भीर समस्या है, विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भागों में, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की पहले भी कमी थी, परन्तु इस वर्ष कुछ बड़े नगरों में भी पीने के पानी की कमी उत्पन्न होने का भय है, वहां पर ढोरों के संरक्षण, चारे की सप्लाई खाद्य आदि की सप्लाई जैसी अनेक समस्याएं हैं। परन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष की अपेक्षा अनाज की स्थिति इस वर्ष अच्छी है। राजस्थान के खाद्य आयुक्त से मुझे अभी-अभी एक तार मिला है जिसमें बताया गया है कि राजस्थान सरकार उसको दिये गये अनाज के पूरे कोटे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अतः अनाज की स्थिति अच्छी तरह नियंत्रण में हैं। उचित मूल्य की दुकानों को अनाज की सप्लाई अच्छी तरह की जा रही है। मैं इस बारे में सभा को आश्वासन देता हूं कि राजस्तान की सभी उचित आवश्यकताओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा।

नलकूप लगाने के लिए राजस्थान सरकार को एक करोड़ रुपये दिये गये हैं। परन्तु अभी तक मेरे पास केवल 57 लाख रुपये की ही योजनाएं आई हैं। अतः नलकूप लगाने के लिए उनके पास रुपये की कमी नहीं है। यदि राजस्थान सरकार चाहे तो वह और अधिक नलकूप लगा सकती है। उसके लिए उसको केन्द्रीय सरकार का समर्थन प्राप्त है। परन्तु सभी नलकूपों से मीठा पानी उपलब्ध नहीं होता है। अतः यह भी एक समस्या है।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : जो नलकूप पहले से लगे हुए हैं उनके समीप के ग्रामों में पाइप लाइनों द्वारा पानी सप्लाई किया जाना चाहिए। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार को धन नहीं दिया है। क्या केन्द्रीय सरकार इस वर्ष पाइपलाइनें बिछाने के लिए राजस्थान सरकार को वित्तीय सहायता देगी ;

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सर्वप्रथम नलकूप लगाने होंगे। यदि कुछ नलकूप लगे हुए हैं तो उनसे ग्रामों को पानी सप्लाई करने के लिए पाइपलाइनें बिछानी पड़ेंगी। मैं देखूंगा कि यदि कुछ राशि उपलब्ध की जा सकी तो ऐसा अवश्य किया जायेगा क्योंकि हमें पीने के पानी की समस्या को हल करने के लिए विशेषकर राजस्थान के पश्चिमी भाग में, प्राथमिकता देनी है।

राजस्थान के लगभग 90 प्रतिशत ढोर देश के अन्य भागों में चले गये हैं। देश के अन्य भागों की ओर जाने वाले ढोरों के लिए मार्ग में चारे की दुकानों तथा पीने के पानी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है। ढोरों के संरक्षण का मेरे विचार में अन्य कोई ढंग नहीं है। मैं इस समय यह नहीं बता सकता कि कितने ढोर मर गये हैं क्योंकि मेरे पास आंकड़े नहीं हैं।

पिछले वर्ष अनेक सहायता कार्य आरम्भ किये गये थे जिन पर लगभग 20,38,000 व्यक्ति काम पर लगाये गये थे, इस वर्ष भी राजस्थान सरकार अनेक सहायता कार्य आरम्भ कर रही है। परन्तु कई बार जलवायु की स्थिति तथा कठिन मार्ग होने के कारण शुरू किये गये सहा-

यता कार्य बेकार हो कर रह जाते हैं। अतः इसलिए वह महसूस करते हैं कि राजस्थान नहर को पूरा करने का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। अतः वह अधिकांश लोगों को राजस्थान नहर पर काम देने के लिए ले जा रही है। मेरे विचार में उनका यह दृष्टिकोण गलत नहीं है।

श्री अमृत नाहाटा : राजस्थान सरकार का मत है कि यदि सम्बन्धित क्षेत्रों में सहायता कार्य आरम्भ कर दिये गये तो लोग राजस्थान नहर पर काम करने नहीं जायेंगे। इसलिए वह अकालग्रस्त क्षेत्रों में सहायता कार्य नहीं कर रही है।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : हम राजस्थान सरकार का ध्यान त्रुटियों की ओर दिला सकते हैं। परन्तु यह कहना कि राजस्थान सरकार अपने लोगों पर ध्यान नहीं देती उचित नहीं है।

राजस्थान सरकार को केन्द्रीय अध्ययन दल के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा किये बिना सहायता कार्य आरम्भ कर देना चाहिए। नवम्बर के तीसरे सप्ताह में केन्द्रीय सरकार का एक अध्ययन दल स्थिति की जांच के लिए वहां पर भेजा गया है। राजस्थान सरकार से पूरा ब्यौरा प्राप्त होने पर अध्ययन दल अपना प्रतिवेदन तैयार करने में अधिक समय नहीं लेगा।

मुझे पूरा विश्वास है कि केन्द्रीय सरकार की सहायता से राजस्थान सरकार स्थिति पर काबू पा सकेगी।

Shri Ram Charan (Khurja) : Iwant to know whether the hon. Minister is prepared to give assurance to the House to the effect that Rajasthan Canal will be completed very soon ? crores of rupees are being spent on the family planning programme and on the beautification of Delhi. These funds can be utilized for the completion of the Rajasthan Canal. All the concerned ministers of the Central Government should open their branches in Rajasthan to see and experienee the difficulties there.

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या मानसून राज्य की अथवा केण्द्रीय समस्या है ;

श्री देवकी नन्दन पटोदिया (जालोर) : एक ही जिले को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किये जाने के क्या कारण हैं जब कि अनेक अन्य जिलों में भी अकाल पड़ा हुआ है ?

श्री न० कु० सांघी : क्या राजस्थान नहर परियोजना को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लेने का निर्णय कर लिया गया है क्योंकि ऐसा करने से सारी स्थिति ही बदल जायेगी ?

श्री अमृत नाहाटा : पाकिस्तान को प्रतिवर्ष दस करोड़ रुपये दिये जा रहे हैं। दिल्ली को सुन्दर बनाने के लिए भी पर्याप्त धन व्यय किया जा रहा है। इस धन को राजस्थान नहर को पूरा करने पर व्यय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री अन्नासाहिब सिन्दे : केन्द्रीय सरकार द्वारा अध्ययन दल को वहां भेजे जाने का एक उद्देश्य काम में समन्वय लाना है। इस दल में सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं। वे समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करेंगे।

जहां तक राजस्थान नहर का सम्बन्ध है यदि साधन उपलब्ध हुए तो इसको थोड़े समय में पूरा करना सम्भव होगा ?

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 26 नवम्बर, 1969/5 अग्रहायण, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 26th November, 1969/Agrahayana 5, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers 20, Darya Ganj, Delhi-6.